सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना

(2001-2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट

जनपद-चित्रकूट

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-12146
DOC, No .... 05-12-2003.
Date ....

अनुक्रमणिका

क्रम सं0	अध्याय	पृष्ठ सं0
1.	जनपद की पृष्ठ भूमि	01-04
2.	शैक्षिक परिदृश्य	05-14
3.	नियोजन प्रक्रिया	15-25
4.	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	26-33
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	34-44
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार – 1. नवीन विद्यालय	45-50
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना	51-71
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	72-96
9.	गुणवत्ता विकास के लिए नियोजन (डायट)	97-136
10.	परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	137-153
11.	परियोजना लागत (वर्षवार 2001 से 2010 तक)	154-167
12.	वार्षिक कार्ययोजना व बजट (वर्ष 2001–2002)	168-185
	परिशिष्ट–1 माइक्रोप्लानिंग– I	
	परिशिष्ट–2 माइक्रोप्लानिंग– II	
	परिशिष्ट–3 महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन	

अध्याय–1

जनपद की पृष्ठभूमि

उ0प्र0 का बुन्देलखण्ड क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त ही पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें भी जनपद चित्रकूट अपने विषम भौगोलिक स्थिति के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछडा क्षेत्र है ।

भौगोलिक स्थिति :

भगवान श्री राम की तपोभूमि व कर्मभूमि तीर्थ शिरोमणि चित्रकूट जनपद बुन्देलखण्ड के पूर्वी भाग में स्थिति है । इस जनपद का सृजन 06 मई 1997 को किया गया है। पहले यह जनपद बांदा का एक भाग था। इस जनपद के पूर्व में इलाहाबाद पश्चिम में बांदा दक्षिण मे मध्य प्रदेश के सतना एवं रीवां जनपद व उत्तर में यमुना नदी के तट के दूसरी ओर कौशाम्बी व फतेहपुर स्थित है । इस जनपद में कुल दो तहसीलें कर्वी एवं मऊ तथा पांच विकास खण्ड पहाडी, मऊ, रामनगर, मानिकपुर एवं चित्रकूट हैं । जनपद में 01 नगरपालिका, 02 नगर पंचायतें, 48 न्याय पंचायतें व 334 ग्राम पंचायतें है। इस जनपद में कुल 544 आबाद ग्राम है। इसका भौगौलिक क्षेत्रफल लगभग 3510.91 वर्ग किमी0 है। जनपद की प्रशासनिक इकाइयॉ निम्न सारणी में दी गयी है।

सारणी 1.1

जनपद की प्रशासनिक इकाइयॉ

प्रशासनिक इकाई	संख्या
तहसीलें	02
विकास खण्ड	05
न्याय पंचायत	48
ग्राम सभाएं	334
राजस्व ग्राम	544
बस्तियों की संख्या	626
नगरीय क्षेत्र	03
नगर निगम	–
नगर महापालिका	–
नगर पालिका	01
टाउन एरिया	02
वार्ड	49

(स्रोत– सांख्यिकीय पत्रिका जनपद चित्रकूट 1998)

इस जनपद का अधिकांश भूभाग जंगली एंव विन्ध्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है । इसकी जलवायु शीतोष्ण है। पर्वत श्रृंखलाओं के कारण इस जनपद में तमाम छोटी–छोटी नदियां व नाले है। बहुत से ग्राम विकास खण्ड मुख्यालय से 50–60 कि0मी0 की दूरी पर स्थिति है। यहां की मिटटी काली, रॉकड़ पतली रांकड़ मोटी जिसमें अधिकतर गावों के भागों मे वर्षा ऋतु में आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है। विकास खण्ड मानिकपुर, चित्रकूट, मऊ

का अधिकांश भू भाग जंगली एवं पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। पहाडी ब्लाक के अधिकाश भाग यमुना नदी के तिरहार क्षेत्र में अधिकांश समय जलभराव रहता हैं वहीं पर वागें एवं पैश्वनी नदी के कारण अधिकाश क्षेत्र मे आने जाने की व्यवस्था ही नही है।

सामाजिक ढांचा :

अधिकांश क्षेत्रों में आदिवासी जातियों एवं पिछड़ी जातियॉ हैं। 1991 की जनगणना के आधार पर जनपद की कुल जनसंख्या 664116 है। कुल जनसंख्या मे अनुसूचित जाति का प्रतिशत 27.1 प्रतिशत है। मानिकपुर एवं मउ के बरगढ पाठा क्षेत्र में 36 प्रतिशत कोल आदिवासी है जिन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है ये आज भी अपना जीवन यापन आदिवासियों की तरह करते हैं। कोल आदिवासी जाति जंगल पर ही निर्भर रहते है।

आर्थिक स्थिति :

जनपद में 92.3 प्रतिशत कृषि एवं कृषि श्रमिक वर्ग है। बिजली, सिंचाई एवं आवागमन के समुचित व्यवस्था न होने के कारण कृषक एवं कृषि श्रमिक वर्ग येन केन प्रकारेण अपना जीवन यापन करते है। जनपद के 1.4 प्रतिशत लोग व्यापार एवं वाणिज्य से जुडे है तथा 1.3 प्रतिशत लोग पारिवारिक उद्योग से जुडे है। शेष लोग अन्य छोटे मोटे कार्य से भरण-पोषण करते है। मानिकपुर की आबादी का कुल 36 प्रतिशत कोल जातियॉ है। भरतकूप कस्बे के अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग केशर या पत्थर तोड़ने का कार्य करते हैं। जनपद पर एक ही बार विहंगम दृष्टि डालने से अधिकाश वर्ग के आवास एवं रहन-सहन के स्तर से ही आर्थिक स्थिति की अनुभूति हो जाती है। जनपद के आर्थिक बदहाली का मुख्य कारण अशिक्षा भी है ।

जनसंख्या :

1991 के जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 664116 है जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 13.91 करोड़ का लगभग 0.5 प्रतिशत है । जनपद में महिला : पुरूष, अनुपात 864:1000 है तथा जनसंख्या धनत्व 185 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है। जनपद की अधिकांश आबादी बिखरी (Scattered) हुई है। जिसके कारण जनसंख्या धनत्व 185.00 है जो अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। जनपद की विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार महिला, पुरूष जनसंख्या, अनुसूचित जाति सहित निम्नवत है।

सारणी 1.2

विकास खण्डवार जनसंख्या :

ग्रामीण क्षेत्र

विकास खण्ड का नाम	जनगणना 1991						जनगणना 2001 अनुमानित					
	कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की जन0			कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की जन0		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
पहाड़ी	71647	61869	133516	17912	15657	33569	85930	74500	160430	20500	18200	38700
मानिकपुर	62111	53244	115355	22156	19479	41635	74500	63800	138300	26500	23600	50100
रामनगर	35023	30347	65370	8926	7770	16896	42100	36200	78300	10500	9600	20100
मऊ	52582	46411	98995	13816	12182	25798	63000	55000	118000	10500	15100	31100
कर्वी(चित्रकूट)	103309	88991	192300	25810	22615	48425	121000	110000	231000	30200	27600	57800
योग	324672	280862	605536	88420	77703	166123	386530	339500	726030	104200	94100	198300

नगर क्षेत्र

नगर क्षेत्र का नाम	जनगणना 1991						जनगणना 2001 अनुमानित					
	कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की जन0			कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की जन0		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
राजापुर	5341	4530	9871	1801	1315	2916	6400	5400	11800	2000	1700	3700
मानिकपुर	6077	5039	11116	1835	1532	3367	7300	6100	13400	2200	1800	4000
कर्वी	20376	17219	37545	2730	2305	5035	25000	21000	46000	3200	2800	6000
योग	31794	26788	58532	6166	5152	11318	38700	32500	71200	7400	6300	13700
कुल योग (ग्रामीण + नगरीय)	356466	307650	664116	94586	82855	177441	425230	372000	797230	111600	100400	212000

(स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका जनपद चित्रकूट 1998)

उपर्युक्त सारणी की विवेचना से स्पष्ट है कि विकास खण्ड चित्रकूट की जनसंख्या व जनसख्या घनत्व अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा अधिक है तथा विकास खण्ड रामनगर की न्यूनतम है।

नगर क्षेत्र में नगर पालिका कर्वी की जनसंख्या अधिकतम व नगर पंचायत राजापुर की न्यूनतम है। अनुसूचित जाति/जन जाति की जनसंख्या जनपद की कुल जनसंख्या का 27.1 प्रतिशत है। जनपद चित्रकूट की जनसंख्या वृद्धि दर प्रति दशक 21.7 प्रतिशत है।

सारणी 1.3

उपरोक्त सारणी को अधोलिखित वर्जित किया गया है जो इस प्रकार है।

1991 के अनुसार	पुरूष	–	356466
	महिला	–	307650
	योग	–	664116
2001 में अनुमानित	पुरूष	–	425230
	महिला	–	372000
	योग	–	797230
वृद्धि दर		–	2.14
लिंग अनुपात	– 1000 पुरूषों पर 864 महिलायें		
जनसंख्या धनत्व	– 185 प्रति वर्ग कि0मी0		

अनुसूचित जाति (1991)	अनुमानित (2001)
पुरूष – 94586	पुरूष – 111600
महिला – 82855	महिला – 100400
योग –177441	योग – 212000

अल्प संख्यक वर्ग – जनसंख्या में कुल प्रतिशत (5.51 प्रतिशत)
(स्रोत – सांख्यिकी पत्रिका जनपद चित्रकूट वर्ष 1998 के आधार पर)

सारणी 1.4
2001 की अनुमानित जनसंख्या पर विकास खण्डवार अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या के सापेक्ष प्रतिशत

क0 सं0	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या (अनुमानित)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (अनुमानित)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल प्रतिशत मे
		ग्रामीण क्षेत्र		
1	रामनगर	78300	20100	25.6
2	पहाड़ी	160430	38700	24.1
3	मानिकपुर	138300	50100	36.2
4	मउ	118000	31600	26.7
5	चित्रकूट	231000	57800	25.0
		नगर क्षेत्र		
1	राजापुर	11800	3700	31.3
2	मानिकपुर	13400	4000	29.8
3	कर्वी	46000	6000	13.0
	योग	664116	212000	31.9

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

शैक्षिक स्थिति :

जनपद चित्रकूट की पुरुष एवं महिला साक्षरता दर को राज्यस्तरीय साक्षरता दर की तुलनात्मक अध्ययन से स्थिति स्वतः स्पष्ट है कि जनपद का शैक्षिक स्तर अत्यन्त निम्न है। जनपद की न्यून शैक्षिक स्थिति का मुख्य कारण आर्थिक बदहाली के साथ–साथ पहाड़ी एवं जंगली विषम भौगोलिक परिस्थिति भी है। इस जनपद में निम्न बालिका शिक्षा के आधार पर बेसिक शिक्षा परियोजना वर्ष 1993–94 से 2000 तक संचालित रहा है। जिसके अनतर्गत शैक्षिक स्थिति में प्रशंसनीय सुधार हुआ है। जिसके अन्तर्गत 142 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 73 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 83 प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण, 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण, 110 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 220 शौचालय, 120 हैण्ड पम्प, 46 न्याय पंचायत, संसाधन केन्द्र तथा 5 ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षकों के लिये सहायक सामग्री हेतु धन मुहैया कराया गया। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विभिन्न आयामों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना संचालित होने के कारण विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता तथा विद्यालयों को आकर्षक बनाने में भी सुधार हुआ है। जिसके कारण जनपद का ड्राप–आउट दर 40.2 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत हो गया। किन्तु बढती जनसंख्या दबाव एवं आम जनता में शिक्षा के प्रति बढता रुझान, प्रचार–प्रसार, जनजागरण के कारण बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्तापूर्ण जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने हेतु बेसिक शिक्षा में विशेष सहयोग की आवश्यकता है।

इस जनपद की कुल साक्षरता दर 32.2 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण साक्षरता दर 29.2प्रतिशत एवं नगरीय साक्षरता दर 59.2 प्रतिशत है। जो हमारे प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय साक्षरता दर से काफी कम है। महिला साक्षरता दर 13.37 प्रतिशत है। जिले/प्रदेश की साक्षरता दर निम्न सारणी में दी गयी है।

सारणी–2.01

तुलनात्मक साक्षरता दर (191)

	जनपद स्तर	राज्य स्तर
कुल साक्षरता	32.20	41.60
ग्रामीण साक्षरता	29.20	36.60
नगरीय साक्षरता	59.20	61.03
कुल पुरुष साक्षरता	48.08	55.73
कुल महिला साक्षरता	13.37	25.31
ग्रामीण पुरुष साक्षरता	45.3	52.05
ग्रामीण महिला साक्षरता	10.1	19.02
नगरीय पुरुष साक्षरता	72.71	69.63
नगरीय महिला साक्षरता	48.87	50.38

(स्रोत – जनगणना 1991)

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्र की साक्षरता दर की स्थिति निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

सारणी–2.02

विकास खण्डों/नगर क्षेत्र की साक्षरता

क्रमांक	नाम विकास खण्ड	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग (%)
1.	चित्रकूट	46.00	9.30	29.60
2.	मऊ	50.10	13.80	33.50
3.	रामनगर	42.70	9.30	27.50
4.	पहाड़ी	45.70	10.20	29.40
5.	मानिकपुर	40.00	8.00	25.70
6.	नगर क्षेत्र			
	राजापुर	45.00	15.00	54.00
	मानिकपुर	40.00	12.00	51.00
	कर्वी	70.00	40.00	54.00

(स्रोत– जनगणना 1991)

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से हम इस तथ्य पर पहुँचते है कि मानिकपुर ब्लॉक की साक्षरता दर सबसे कम है तथा मउ ब्लॉक की साक्षरता दर सबसे अधिक है। मानिकपुर ब्लॉक की महिला साक्षरता दर अत्यन्त न्यून 8 प्रतिशत है जो कि चिन्ता का विषय है। चित्रकूट एवं रामनगर ब्लॉक की महिला साक्षरता दर 9.30 प्रतिशत है जो कि काफी कम है। नगर क्षेत्रों में मानिकपुर टाउन क्षेत्र की साक्षरता दर सबसे कम है।

शैक्षिक संस्थाएं–

प्राथमिक विद्यालय – जनपद में कुल 764 प्राथमिक विद्यालय है जिनमें 702 ग्रामीण क्षेत्र में है एवं 62 नगरीय क्षेत्र में है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 657 तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 107 है ।इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध 2 प्राथमिक विद्यालयों के अनुभाग है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय – जनपद में कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 230 है इसके अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों में भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 24 अनुभाग हैं। कुल 230 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 50 है।

माध्यमिक विद्यालय– जनपद में हाईस्कूल स्तर के 8 तथा इण्टरमीडिएट स्तर के कुल 17 विद्यालय है। उच्च शिक्षा के लिए 2 डिग्री कॉलेज हैं इसके अतिरिक्त 12 संस्कृत पाठशालाएं हैं।
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु शैक्षिक सपोर्ट के लिए 01 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 05 ब्लॉक संसाधन केन्द्र एवं 48 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हैं।

निम्न सारणी 2.03 के अध्ययन से स्पष्ट है कि जनपद में कोई भी विश्वविद्यालय, तकनीकी विद्यालय, स्नात्कोत्तर विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय मेडिकल कालेज नहीं है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक विकलांग विद्यालय है।

शिक्षकों की उपलब्धता:

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 6–11 वय वर्ग के बच्चे की शिक्षा को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के उद्द्रेश्य में प्रत्येक विद्यालय पर एक प्रधानाध्यापक व तीन सहायक अध्यापक अनुमान्य है । जनपद में कुल 65 प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष शिक्षकों के 1715 पद सृजित है । इस प्रकार जनपद में 913 अध्यापकों की कमी है । जनपद में 30 सितम्बर 2000 के अनुसार परिषदीय विद्यालयों का नामांकन 101179 था जिसके सापेक्ष 1507 अध्यापक कार्यरत थे । इस आधार पर जनपद में अध्यापक छात्र अनुपात 1 : 67 हैं। इस अनुपात मे सुधार लाने के लिए प्राथमिकता पर नवीन, एकल तथा पी0टीआर0 के आधार पर जनपद में 286 शिक्षा मित्रो की व्यवस्था की गयी परन्तु इस व्यवस्था के उपरान्त भी मानक अनुरूप अतिरिक्त शिक्षा मित्रों एवं अध्यापकों के पदों की स्वीकृति अति आवश्यक है। उपरोक्त विवरण को अधोलिखित सारणी 2.04 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी–2.03

शैक्षिक संस्थाएं

		परिषदीय / शासकीय		कुल	मान्यता प्राप्त विद्यालय			परिषदीय + मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्राथमिक विद्यालय	650	7	657	52	55	107	702	62	764
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग		2	2					2	2
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	177	3	180	24	26	50	201	29	230
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	3	2	5	12	7	19	15	9	24
5	केन्द्रीय विद्यालय									
6	नवोदय विद्यालय									
7	हाईस्कूल	2	1	3	2	3	5	4	4	8
8	इण्टरमीडिएट	1	2	3	10	4	14	11	6	17
9	डिग्री कालेज	1		1	1		1	2		2
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय									
11	विश्वविद्यालय									
12	तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई. / पालीटेक्निक)									
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं									
14	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	300		300				300		300
15	मकतब / मदरसे									
16	संस्कृत पाठशालायें				10	2	12	10	2	12
17	विकलांग विद्यालय					1	1		1	1
18	डायट									1
19	[illegible]									5
20	[illegible]									48

(स्रोत – जनपद सांख्यिकीय एवं माइक्रोप्लानिंग)

सारणी – 2.04
प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति

क्षेत्र का नाम	परिषदीय प्रा० वि० की संख्या	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
ग्रामीण	653	1699	1495	204	286
नगरीय	004	0016	0012	004	000
योग–	657	1715	1507	208	286

(स्रोत– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

परिषदीय उच्च प्रा० वि० में 11–14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय पर एक प्रधानाध्यापक एवं चार सहायक अध्यापक अनुमान्य है। पाँच अध्यापकों में से ही विज्ञान /गणित एवं त्रिभाषा (संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी) अध्यापक संख्या सम्मिलित है परन्तु जनपद में 180 विद्यालयों के सापेक्ष शिक्षकों के 885 पद सृजित है जिसमें मात्र 433 अध्यापक कार्यरत है , 452 अध्यापकों की कमी है जो कि निम्न सारणी–2.05 में वर्णित है।

सारणी –2.05
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति

क्षेत्र का नाम	परिषदीय प्रा० वि० की संख्या	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
ग्रामीण	178	875	428	447	–
नगरीय	002	010	005	005	–
योग–	180	885	433	452	–

(स्रोत– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

दूर दराज के विद्यालयों जैसे मऊ एवं मानिकपुर के पाठा क्षेत्र के विद्यालय एवं ब्लाक पहाड़ी के तिरहार क्षेत्र के विद्यालयों में अधिकतर शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं। अतः जहाँ पाठा क्षेत्र के विद्यालयों में बहुत ही कम अध्यापक हैं वहीं नगर के पास के ब्लाक चित्रकूट में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या है।

विद्यालयों की संख्या एवं छात्र नामांकन की दृष्टिकोण से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यन्त कमी है साथ ही कार्यरत अध्यापकों में काफी अध्यापक बाह्य जनपदों के हैं जो प्रतिवर्ष अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के कारण अध्यापक संख्या को प्रभावित करते हैं।

परिषदीय/मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में उपलब्ध परिषदीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या , ग्रामों एवं बस्तियों से उन की दूरी को दृष्टिगत रखते हुए सारिणी 2.05 में अंकित है।

सारणी–2.05

ग्राम/बस्तियों की स्थिति	1किमी से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1 किमी से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है ।	432	45	
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है ।	289	84	92

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

सारणी–2.06

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

ग्राम/बस्तियों की स्थिति	3 किमी से कम दूरी पर परिषदीय उच्च मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	3 किमी से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1:2 रखने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है ।	225	44	157
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है ।	33	29	13

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

उपरोक्त सारिणी 2.05 एवं 2.06 के विश्लेषण से जनपद के असेवित ग्रामों एवं बस्तियों की स्थिति इस प्रकार है।

- 300 से अधिक आबादी वाले 45 ऐसे ग्राम हैं जिनके 1 किमी. से अधिक परन्तु 1. 5 किमी. की दूरी पर विद्यालय अवस्थित है।
- 300 से अधिक आबादी वाले 84 ऐसी बस्तियां हैं जहॉ पर 1 किमी. से अधिक परन्तु 1.5 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय स्थित है।
- 300 से अधिक आबादी वाली 92 ऐसी बस्तियां है जहॉ पर 1.5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय स्थित है। अतः जनपद में 92 ऐसी असेवित बस्तियां हैं जहॉ पर प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है।
- 800 से अधिक आबादी वाले 44 ऐसी ग्राम हैं जहां 3 किमी से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।
- 800 से अधिक आबादी वाले 29 ऐसी बस्तियां हैं जहॉ पर 3 किमी से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित है।

800 से अधिक आबादी और 3 किमी की अधिक दूरी पर 73 ऐसे असेवित ग्राम /मजरे/बस्तियां हैं जहॉ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने हैं:

- 67 ऐसे ग्राम हैं जिनकी आबादी 300 से कम है।
- 275 ऐसे ग्राम हैं जिनकी आबादी 800 से कम है।

- जनपद चित्रकूट के प्रत्येक विकास खण्ड के समस्त ग्राम/बस्तियों की माइकोप्लानिंग (प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों की उपलब्धता की दृष्टि से) सुलभ संदर्भ हेतु परिशिष्ठ-1 में संलग्न है। इसी आधार पर असेवित बस्तियों का चयन किया गया है। उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय 1:2 के अनपात में जनपद में कुल 170 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है।

छात्र नामांकन

जनपद में 6–11 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 137551 है जिसमें से 60565 बालिकाएं हैं। इन बालिकाओं में से 57540 बालिकाएं विद्यालयों में नामांकित हैं। कक्षा 1–5 में कुल छात्रों का नामांकन 129749 है। इन में से 101179 छात्र परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहें है।

प्राथमिक स्तर

(सारणी–2.07)

6-11 आयु वर्ग में बच्चों की संख्या			नामांकन									
			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त अनुमानित			नामांकन प्रतिशत
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
76986	60565	137551	55503	45676	101179	15236	10889	26125	1470	975	2445	94.32%

(स्रोत– माइकोप्लानिंग के आधार पर)

उच्च प्राथमिक स्तर

जनपद में उपलब्ध उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या जिनमें राजकीय हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट के साथ सम्बद्ध तथा 6 से 8 को सम्मिलित किया गया है निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

(सारणी–2.08)

उच्च प्राथमिक विद्यालय

11-14 आयु वर्ग में बच्चों की संख्या			नामांकन									
			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त अनुमानित			नामांकन प्रतिशत
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
24103	20395	44498	11587	5460	17047	9250	4997	14247	953	742	1695	74.11%

(स्रोत – माइकोप्लानिंग के आधार पर)

जनपद का शुद्ध नामांकन अनुपात :

जनपद में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन नीचे सारणियों में दिया गया है ।

सारणी–2.09

नामांकन अनुपात

जनपद का शुद्ध नामांकन अनुपात (प्राथमिक)			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
88	86.6	87.12	96.7	86.9	92.4

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

सारणी–2.10

जनपद का ड्राप आउट दर			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
28.1	36	32.05			

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में 11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 44498 है। कक्षा 6–8 में नामांकित छात्रों का प्रतिशत 74.13 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के इस वय वर्ग के कुल बच्चे 25.64 प्रतिशत है इस प्रकार अनुसूचित जाति के इस वय वर्ग के कुल बच्चों का नामांकन उनकी संख्या का 59.9 प्रतिशत है।

प्राथममिक 6–11 वय वर्ग का जी.ई.आर. 94.32 प्रतिशत है तथा एन.ई.आर. 87.12 प्रतिशत है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय 11–14 वय वर्ग में जी.ई.आर. 74.13 प्रतिशत हैं तथा एन.ई.आर. 74 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति का सकल नामांकन 92.4 प्रतिशत है।

भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता:

जनपद के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की स्थिति सारणी 2.10 में अंकित है।

इस जनपद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है। जनपद में कुल 657 प्राथमिक विद्यालयों के पास अपने भवन हैं। केवल 2 ही विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास 1–1 कक्ष हैं।

प्राथमिक स्तर:

सारणी 2.11

1.	प्राथमिक विद्यालय भवन	657
2.	एक कक्षीय विद्यालयों की	2
	दो कक्षीय विद्यालय की संख्या	361
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	267
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	20
	पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	5
	पांच कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	2

मरम्मत योग्य विद्यालय	129			लघु मरम्मत योग्य	88		वृहत मरम्मत योग्य	41
शौचालय		शौचालययुक्त विद्यालय	587	शौचालय विहीन विद्यालय	70	योग	शौचालयों की आवश्यकता	70
हैण्डपम्प		हैण्डपम्प	534	हैण्डपम्प विहीन	104	योग	हैण्डपम्प की आवश्यकता	104
चहार दीवारी		चहार दीवारीयुक्त	223	चहारदीवारी विहीन	415	योग	चहारदीवारी की आवश्यकता	415

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में कुल 129 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 70 विद्यालयों में शौचालय, 104 विद्यालयों में पेयजल एवं 415 विद्यालयों में चाहर दिवारी की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर:

जनपद में कुल 180 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 3 विद्यालयों के पास अपना भवन नही है तथा 17 विद्यालय मरम्मत के योग्य हैं। विवरण सारणी 2.13 में दिया गया है।

सारणी–2.12

उच्च प्राथमिक स्तर		कुल विद्यालयों की संख्या	भवनयुक्त	भवन नहीं	जर्जर (पुर्ननिर्माण)	
उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन		180	177	3		
मरम्मत योग्य	17		लघु मरम्मत	10	वृहत् मरम्मत	7
एक कक्षीय विद्यालय	–					
दो कक्षीय विद्यालय	29					
तीन कक्षीय विद्यालय	77					
चार कक्षीय विद्यालय	70					
पांच कक्षीय विद्यालय	4					
5 से अधिक कक्ष वाले विद्यालय	–					
योग	180					

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

निम्न सारणी–2.14 से स्पष्ट है कि जनपद के 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, 37 विद्यालयों में पेयजल तथा 121 विद्यालयों में चाहर दिवारी की आवश्यकता है।

सारणी–2.14

	सही है	नहीं है
शौचालय	159	18
हैण्डपम्प	140	37
चहार दीवारी	56	121

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी:

जनपद की असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं संचालित विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता निम्न सारिणी के अनुसार है।

सारणी 2.15

क्र.स.	अइटम /सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी.पी.ई.पी.-11/11वें वित्त अयेग प्राविधान	मांग	कमी	डी.पी.ई.पी.-11/11वें वित्त अयेग प्राविधान	मांग
1.	नवीन विद्यालय	92		92	73		73
2.	विद्यालय पुर्निमाण	47		47	11		11
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रति शिक्षक/प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि के आधार पर)	375		375	54		54
4.	पेयजल सुविधा	114		114	37		37
5.	शौचालय	70		70	18		18
6.	चहार दिवारी	415		415	121		121

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में ऐसी असेवित बस्तियों की संख्या 92 है जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं तथा 73 ऐसी बस्तियाँ है जहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। प्राथमिक के 47 तथा उच्च प्राथमिक के 11 विद्यालयों के भवन जर्जर हो चुके है जिनके पुनः निर्माण की आवश्यकता है। नामांकन में वृद्धि के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में 375 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 54 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के मानक उ0 प्रा0: प्रा0 वि0 क्रमशः 1:2 के अनुसार जनपद में 170 उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है।

अध्याय –3
नियोजन प्रकिया

सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता:

जनपद चित्रकूट में इसके पूर्व 6–14 वय वर्ग की बेसिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा परियोजना, आदि जो भी योजनाऐं संचालित थी उनके नियोजन की प्रकिया या तो उपर से बनायी गयी या जनपद स्तर पर सीमित लोगों के आपसी विचार विमर्श से बनायी गयी । किन्तु लक्ष्य की पूर्ति में सफलता न मिलने पर यह महसूस किया गया कि नियोजन की प्रकिया में निचले स्तरीय ग्राम व बस्तियों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाएं एव ऐसे अभिभावक जिनके बच्चें स्कूल नही जाते है जैसे श्रमिक परिवार आदि से विचार विमर्श कर योजना बनायी जाय। इसलिये सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घ कालिक योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा गया।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6–11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आँकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिये इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994–95 में तथा दूसरा चरण 1998–2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आँकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई।

- ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव हैं?

- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक–युवतियों, शिक्षकों/शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गाँव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गाँव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गाँव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गईं।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरुष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष

1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गाँव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आँकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया हैं।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/बस्तीवार आँकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–8 वर्ष तथा 9–14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे
(स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते है तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आँकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहाँ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आँकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज़) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान –

चित्रकूट जनपद में 1 जुलाई 2000 से 15 जुलाई 2000 तक स्कूल चलो अभियान सघन एवं सक्रिय रूप से चला गया। इसमें यह प्रयास किया गया कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चे विद्यालयों में प्रवेश ले लें। इस दौरान प्रत्येक गाँव के बाल गणना रजिस्टर को अद्यतन किया गया। इसके अन्तर्गत ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पदयात्रा, कला जत्था, प्रभात फेरी, अध्यापकों एवं प्रधानों से संकल्प इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया एवं शिक्षा के महत्व को बताया गया। इसके फलस्वरूप जिले में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी तथा इससे जो वातावरण सृजित हुआ उसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन में जनसहभागिता प्राप्त करने में विशेष सहायता मिली। इस अभियान के मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं –

(1) जिलाधिकारी चित्रकूट की अध्यक्षता में विशाल रैली, प्रभात फेरी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(2) ब्लाक स्तर पर 05.07.2000 को उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विकास खण्ड मुख्यालय पर रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया गया।

(3) स्कूल चलो अभियान के दौरान जनपद के समस्त गाँव/मजरों में 6–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले कुल 27441 बच्चे चिन्हित किये गये। जिनमें से जन–जागरण, जन–सम्पर्क द्वारा 19930 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया, 7511 बच्चे अभी भी स्कूल न जाने वाले अवशेष थे।

(4) माननीय बेसिक शिक्षा मन्त्री श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा जनपद के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र मानिकपुर के 20 गाँवों की पद यात्रा करके जन–सम्पर्क किया गया। जिसमें माननीय मन्त्री जी द्वारा "स्कूल चलो अभियान" के तहत किये गये कार्यों की प्रशंसा की एवं चित्रकूट जनपद को अच्छे कार्य हेतु अव्वल घोषित किया।

नियोजन हेतु सामाजिक स्तर अध्ययन (एस.ए.एस. का आधार)

चित्रकूट जनपद अपने मूल जनपद बाँदा से 1997 में विभाजित हुआ। अतः दोनों जनपदों का सामाजिक स्तर एक समान है। बाँदा के एस.ए.एस. से ज्ञात होता है कि लगभग 10 प्रतिशत 6–11 आयु के कुल बच्चे स्कूल से बाहर हैं जिनमें मुख्यतः गरीब परिवार के बच्चे हैं। जैसे भूमिहीन कृषक, सीमान्त कृषक, एवं घरेलू उद्योग जैसे बाँस बनाने का कार्य, लोहारी, चमड़ा इत्यादि का कार्य करने वाले परिवार। आमतौर पर इन परिवारों में बच्चे स्कूल जाने की अपेक्षा पारिवारिक कार्य में सम्बद्ध हैं। जो इन परिवारों के जीवनयापन के लिये आवश्यक है। इन परिवारों की लड़कियाँ बच्चों की देखरेख के अलावा घरेलू आर्थिक कार्यकलापों से संलग्न हैं। लगभग 10–15 प्रतिशत अत्यन्त ही गरीब परिवार गाँव से मज़दूरी हेतु ईंटे के भट्टे या शहर में जाते हैं तथा अपने

उपरोक्त अभियान निम्न कार्यक्रम के अनुसार 317 ग्राम सभाओं में संचालित किया गया।

क्रम	दिनांक	समय	कार्यक्रम	संयोजक एवं सहसंयोजक	नेतृत्व से संचालित
1.	01.07.2000	प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक	जनपदीय अधिकारियों की बैठक	जि0 बे0 शि0 अधिकारी चित्रकूट	जिलाधिकारी
2.	02.07.2000	प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक	संकुल प्रभारी प्र0 अ0 की बैठक, बी0 आर0 सी0 चित्रकूट में	संयो जि0बे0शि0 अधि0 सह संयो0 सहा0बे0शि0 अधि0 / एस0डी0आई0 चित्रकूट	जिलाधिकारी
		प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक	संकुल प्रभारी प्र0 अ0 की बैठक, बी0 आर0 सी0 पहाड़ी में	संयो जि0बे0शि0 अधि0 सह संयो0 सहा0बे0शि0 अधि0 / एस0डी0आई0 पहाड़ी	अपर जिलाधिकारी
		प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक	संकुल प्रभारी प्र0 अ0 की बैठक, बी0 आर0 सी0 राम नगर में	संयो जि0बे0शि0 अधि0 सह संयो0 सहा0बे0शि0 अधि0 / एस0डी0आई0 राम नगर	मुख्य विकास अधिकारी
		1 बजे से 3 बजे तक	संकुल प्रभारी प्र0 अ0 की बैठक, बी0 आर0 सी0 मऊ में	संयो जि0बे0शि0 अधि0 सह संयो0 सहा0बे0शि0 अधि0 / एस0डी0आई0 मऊ	डायट प्राचार्य, शिवरामपुर
		3 बजे से 5 बजे तक	संकुल प्रभारी प्र0 अ0 की बैठक, बी0 आर0 सी0 मानिकपुर में	संयो जि0बे0शि0 अधि0 सह संयो0 सहा0बे0शि0 अधि0 / एस0डी0आई0 मानिकपुर	जि0 वि0 निरीक्षक चित्रकूट
3.	03.07.2000 से 09.07.2000 तक प्रतिदिन	प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक	प्रभात फेरी प्रत्येक विद्यालय में	प्रधानाध्यापक एवं ग्राम शिक्षा समिति	प0वि0 अधि0 / ए0वी0एस0 ए0एस0डी0आई0 तथा एन0पी0आर0सी0
		11 बजे से 4 बजे तक	जनसम्पर्क एवं न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करना		
		4 बजे से			
4.	10.07.2000 से 15.07.2000 तक प्रतिदिन	प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक	नारालेखन, नुक्कड़ सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम		
		10 बजे से 11 बजे तक	अनुश्रवण एवं समीक्षा		
		12 बजे से 4 बजे तक	स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से पुनः रजिस्टर एवं अभिलेख तैयार करना		

बच्चों को शहर ले जाते हैं जिससे वे स्कूल नहीं जा पाते। ये परिवार 3–4 माह बाद गाँव लौट आते हैं। लगभग 2–3 प्रतिशत 6–11 आयु के बच्चे विभिन्न विकलांगता से भी ग्रसित हैं और वे स्कूल नहीं जा पाते। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे परिवार के बच्चे हेतु ई.जी.एस. एवं ए. आई.ई. चलाने का प्रस्ताव है। साथ ही विकलांग बच्चों की पढ़ाई हेतु नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा का प्रसार करने का प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है।

जिला स्तरीय नियोजन प्रक्रिया

सीमेट इलाहाबाद में 30 जनवरी से 01 फरवरी 2001

सर्व शिक्षा अभियान की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सीमेट इलाहाबद में किया गया, जिसमें निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार एवं निदेशक राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ ने सर्व शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में भारत सरकार के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त जिला दीर्घकालीन योजना बनाने हेतु गहन प्रशिक्षण दिया गया और योजना तैयार करने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया तथा दीर्घकालीन योजना की तैयारी हेतु आवश्यक ऑकड़ों के संकलन एवं नियोजन के सन्दर्भ में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से बताया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 12 से 14 फरवरी, 2001 तथा 26 से 28 फरवरी 2001 को राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान गुडम्बा लखनऊ में प्रगति का अनुश्रवण किया गया।

जनपद में बस्ती स्तर से नियोजन प्रारम्भ करने हेतु सर्वप्रथम सूक्ष्म नियोजन के ऑकड़ों को विकास खण्ड स्तर पर अद्यतन करा कर कम्प्यूटरीकृत किया गया है। ऑकड़ों का संकलन जिला स्तर पर करा कर कम्प्यूटरीकृत किया गया है। सुस्पष्ट एवं विशेष रणनीति तैयार करने में इन ऑकड़ों की मदद ली गयी । तदुपरान्त जिले तथा विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों के बीच कार्य विभाजित किया गया और सभी को फोकस ग्रुपडिस्कसन करने और जनता की सहभागिता प्राप्त करके प्रस्ताव तैयार करने हेतु स्पष्ट निद्रेश दिये गये। जिले में आयोजित की गयी बैठकों तथा फोकस ग्रुपडिस्कसन नीचे दिया गया है।

1. जिलाधिकारी चित्रकूट की अध्यक्षता में जनपद के शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं जिला परियोजना समिति के अधिकारियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सर्व शिक्षा

अभियान के दीर्घकालीन योजना तथा वार्षिक कार्य योजना के प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की गयी और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया।

2. फोकस ग्रुपडिस्कसन –

सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना तैयार करने हेतु विकास खण्ड, न्याय पंचायत एवं ग्राम/बस्ती स्तर पर विभिन्न तिथियों में समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर उन समुदायों से विचार विमर्श किया गया जो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है।

(अ) ग्राम स्तर – ग्राम शिक्षा समिति सदस्य, गणमान्य व्यक्ति, अपवंचित वर्ग के सदस्य, महिला प्रतिनिधि।

(ब) विकास खण्ड स्तर – ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा अन्य जन प्रतिनिधि विशेष रूप से दलित वर्ग के तथा महिला वर्ग के प्रतिनिधि।

(स) जिला स्तर

(I) जिला बेसिक शिक्षा समिति – अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय विधायक गण, सदस्य जिला पंचायत एवं अन्य सदस्यगण।

(II) शिक्षक संगठन – प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संगठन के सदस्यों से सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्यों तथा बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सुझाव आमन्त्रित किये गए जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है।

फोकस ग्रुप डिस्कशन में जो विभिन्न क्षेत्र, वर्ग से जो भी विशिष्ट समस्यायें व सुझाव प्राप्त हुये वे निम्नवत सूची में है :

क्र0 सं0	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक मे विचार में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण	सुझाव
1	5-2-2001	जिलाधिकारी. सभा-कक्ष	जिलाधिकारी, प्राचार्य डाएट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी, प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, वरिष्ठ प्रवक्ता डाएट – 7	फोकस ग्रुप डिस्कशन के सम्बन्ध में विचार विमर्श से रणनीति तय की गयी ।	ग्राम स्तर के व्यक्तियों से विचार विमर्श कर उनकी समस्याओं के आधार पर कार्य योजना वनायी जाय ।
2	7-2-2001	चित्रकूट वी0आर0सी0	जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाएट. पत्रकार,, जिला सूचना अधिकारी, ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम प्रधान. अभिभावक, प्रधानाध्यापक –124	1–अध्यापको की कमी है । 2–शिक्षकों से शिक्षणेत्तर कार्य लिया जाता है, इससे गुणवत्ता खराब है । 3–शिक्षको का विलम्ब से विद्यालय आना। 4–जन सहभागिता की कमी । 5–अध्यापक अभिभावक सम्वाद हीनता । 6–अध्यापकों में असुरक्षा की भावना । 7–शिक्षकों में नित्य प्रति बदलती जानकारियों का अभाव तथा नवीनतम विषय ज्ञान का न होना।	1–40:1 के मानक के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। 2–शिक्षकों से शिक्षण काये के अलावा अन्य कार्य न लिये जाय । 3–घर से दूर रखा जाय कम से कम ब्लाक से बाहर रखा जाय और उन्हे आवासीय सुविधा दी जाय । 4–ग्राम पंचायत एवं शिक्षा समिति का उत्तर दायित्व निर्धारित किया जाय । 5–प्रतिमाह कम से कम एक बार अध्यापक–अभिभावक बैठक की जाय तथा प्रति बच्चे हेतु डायरी की व्यवस्था हो जिससे अध्यापक–अभिभावक सम्वाद बरावर बना रहे । नवीनतम जानकारी हेतु वी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की जायें।

3	7–2–2001	बी0आर0सी0. मउ	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ प्रवक्ता डाएट, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी0आर0सी0 प्रभारी, संकुल प्रभारी, ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम प्रधान, अभिभावक, प्रधानाध्यापक —123	1–विद्यालय में पाठ्य सहगामी सामग्रियों का अभाव एवं विद्यालय का नीरस वातावरण होना। 2–कक्षावार अध्यापकों का अभाव। 3–बच्चों के रूचि के अनुसार शिक्षा का अभाव। 4–विद्यालय में बढता राजनैतिक हस्तक्षेप । 5–अध्यापकों एवं छात्रों में दण्ड पुरस्कारों की लचर व्यवस्था। 6–अभिभावको का अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन होना । 7–शिक्षक एवं छात्रों के सतत मूल्यांकन का अभाव होना। 8–बच्चों की प्रगति रिपोर्ट का न होना।	1–खेलकूद, संगीत की सामग्री की व्यवस्था की जाये बाल उद्यान की भी व्यवस्था की जाये ताकि बच्चो में विद्यालय में ठहराव की अभिरूचि बनी रहे। 2–प्रति कक्षावार शिक्षक रखे जाय । 3–विद्यालय व्यवस्था में राजनैतिक हस्तक्षेप न हो। 4–पुरस्कार एवं दण्ड की स्वस्थ्य प्रणाली लागू हो। 5–6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के वर्ग के न पढने वाले बच्चो एवं उनके अभिभावकों पर सामाजिक दबाव डाला जाय तथा उनसे कोई भी कार्य न लिया जाये । 6–श्रव्य दृश्य प्रणाली द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाना। 7–जिस ग्राम सभा के सभी बच्चों के अध्ययनरत होने पर उस ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करना। 8–शिक्षकों एव छात्रों का सतत् मूल्यांकन किया जाय । 9–हर बच्चे का प्रगति पत्र हो।

4	7 2 2001	बी0 आर0 सी0, रामनगर	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ प्रवक्ता डाएट, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बी0आर0सी0 प्रभारी, समस्त संकुल प्रभारी, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य गण, ग्राम प्रधान, अभिभावक, प्रधानाध्यापक – 96	1–गरीबी के कारण बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बच्चों का गृह कार्य में संलग्न होना। 2–प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का अभाव। 3–बैठक/प्रशिक्षण के कारण आये दिन विद्यालय बंद रहना। 4–छात्रवृत्ति का वितरण एक मुश्त न करना। 5–कक्षावार कमरा का अभाव 6–सहायक शिक्षण सामग्री का सम्यक प्रयोग न होना । 7–विद्यालय स्तर में पारदर्शिता का अभाव। 8–अध्यापक एवं मूल्यांकन का शैक्षिक पंचांग एवं समय सारणी का अभाव।	1–शिफ्ट शिक्षण की व्यवस्था हो। 2–पर्यवेक्षक से निरीक्षण के अतिरिक्त कार्य न लिये जाय एव उनकी समीक्षा की जाय और उत्तरदायित्व भी सौंपा जाये । 3–बैठके कम की जाये। 4–छात्रवृत्ति को मासिक रूप में दिया जाय। 5–प्रत्येक कक्षा हेतु कक्ष की अलग व्यवस्था की जाय। 6–सहायक सामग्री की व्यवस्था की जाय एवं नगद धनराशि न दी जाय। 7–विद्यालय भवन में बोर्ड हो जिसमें बच्चों शिक्षकों की स्थिति का प्रतिदिन उल्लेख रहे । 8–मासिक कार्य योजना हो तथा उसका प्रभावी कियान्वयन हो और मूल्यांकन हो।
5	7–2–2001	बी0 आर0 सी0. पहाडी	प्रतिभागियों का विवरण के अनुरूप –105	1–शिक्षक .शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कार्य विभाजन एवं उनके मूल्यांकन की व्यवस्था का अभाव। 2–सम्यक परीक्षा प्रणाली का अभाव।	1–कार्य निर्धारित हो तथा उनकी समीक्षा की जाय। 2–पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जाय

6	7–2–2001	बी0 आर0 सी0. मानिकपुर	प्रतिभागियों का विवरण के अनुरूप –460	1–मानिकपुर क्षेत्र के जंगली एवं पहाड़ी रास्ता के कारण बालिका को विद्यालय भेजने से लोग कतराते हैं। 2–आर्थिक बदहाली के कारण अधिकॉश बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते है खासतौर पर बालिकाएं अपने छोटे भाई–बहन की देखरेख में लगी रहती है । 3–गरीबी के कारण अधिकांश बालिकाएं लकड़ी काटकर के परिवार की अर्थ–व्यवस्था में सहयोग प्रदान करती है। 4–जंगली सुदूर का क्षेत्र के साथ–साथ दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के कारण महिला अध्यापिकाएं एवं पुरूष अध्यापक भी इस क्षेत्र में नही रहना चाहते है । जिससे शिक्षा एवं शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित होती है। 5–मानिकपुर क्षेत्र में 36 प्रतिशत कोल जाति है जो कि अत्यन्त निश्चिन्त जाति है , शिक्षा के प्रति पूर्णतः उदासीन होते है ।	1–मानक के अनुसार नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाय। 2–बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय। 3–बालिका शिक्षा हेतु विशेष सहयोग प्रदान किया जाय साथ ही महिला अध्यापिकाओं की संख्या भी बढाई जाय। 4–मानिकपुर क्षेत्र के कोल जाति क्षेत्र में जनजागरण एवं जनसम्पर्क अभियान चलाकर कोल जाति को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाय।
7	11–2–2001	जिलाधिकारी सभा–कक्ष	माननीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला शिक्षा समिति सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा पत्रकार–25	1–परिवेश एवं स्थानीय वातावरण एव शिक्षण विधा का अभाव। 2–त्रुटिपूर्ण एवं बोझिल पाठ्यकम। 3–निष्प्रभावी प्रशिक्षण 4–छात्र एवं अध्यापकों के मध्य शैक्षिक, भौतिक एव सह शैक्षिक प्रतियोगिता का अभाव।	1– शिक्षणविधा प्रभावी बनाया जाय । 2– पाठ्यकम कमबद्ध एवं सीमित हो। 3–शिक्षक प्रशिक्षक को सीमेट द्वारा प्रभावी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। 4–परस्पर विद्यालयों, छात्रों एवं अध्यापकों में परस्पर प्रतियोगिताओं की व्यवस्था हो ।

8	11-2-2001	जिलाधिकारी सभागार	वनांगना महिला-समूह -14, इटखरी, हिनौतामाफी	1-जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव 2-अध्यापकों की बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता	1-सिलाई. कढाई आदि हस्त कौशल के शिक्षक की व्यवस्था हो। 2-अध्यापक बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दें।
9	11-2-2001	बी0 आर0 सी0 चित्रकूट. कर्वी	शिक्षक संघ प्रतिनिधि, शिक्षाविद, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी -38	1-अध्यापकों की समस्याओं के त्वरित निदान की व्यवस्था का अभाव। 2-ड्राप आउट बच्चों का लेखा जोखा एवं मासिक समीक्षा का अभाव । 3-शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा समिति की बैठक मे लगातार अनुपस्थिति पर अन्य व्यक्ति के चयन व्यवस्था का अभाव। 4-विकलांग एवं समाज द्वारा उपेक्षित बच्चों के लिए अपेक्षित सहायता का अभाव।	1-ब्लाक स्तर पर समस्याओं के निदान सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था हो। 2-विद्यालय स्तर पर ड्राप आउट बच्चों का लेखा जोखा रखा जाय तथा उनको विद्यालय लाने का प्रयास किया जाय। 3-ग्राम प्रधान को वैधानिक रूप से शिक्षा समिति की प्रतिमाह बैठक आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाय एवं जो सदस्य रूचि न ले उनके स्थान पर दूसरे के चयन की व्यवस्था की जाय । 4-विकलांग बच्चों को वेश, पाठ्य-पुस्तकें एंव अन्य शिक्षण सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की जाय।
10	11-2-2001	जिलाधिकारी सभा-गार	जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाएट, महिला सामाख्या, समाज सेवी संस्था, जनपदीय अधिकारी -11	समस्त विभाग एवं समाज सेवी संस्था के दायित्व एवं सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी	

11	15-2-2001	डफाई भरतकूप . मनोहरगंज. शिवरामपुर क्षेत्र .चित्रकूट ब्लाक ग्राम—गोपी पुर क्षेत्र–मानिक पुर	• श्रमिक वर्ग कोल जाति • धुमन्तु भाट जाति • मजदूर किसान शैक्षिक दृ‍ि से पिछडे क्षेत्र मानिकपुर	केशर में पत्थर तोडने वाले लोगों के कोलजाति की ऐसी बस्ती जिसके पास विद्यालय होने के बावजूद शत–प्रतिशत बच्चे स्कूल नही जाते । 2–कोल जाति एक ऐसी निश्चिन्त मस्त जाति दिखाई दी जो अपने बच्चों के कल के भविष्य के बारे में कभी नही सोचती है। 3–आर्थिक कमजोरी एवं ठेकेदार के डर के कारण भी वह अपने बच्चों को शिक्षा हेतु नही भेजते है । 4–डफाई के कोल जाति के लोगो ने इस बारे में बात भी की कि हम लोगो के बच्चों की अध्यापक द्वारा उपेक्षा की जाती है तथा दुर्व्यवहार भी किया जाता है । 5–कोल जाति के लोगों ने मांग की कि हमारे बच्चो की अलग से व्यवस्था की जाय। 6–मनोहर गंज एवं शिवरामपुर मे लगभग 150 परिवार भांटो के है। जिनके परिवार एवं बच्चे बरसात के समय में घर में रहते है शेष समय में घूम–घूम कर अपना जीवन यापन करते है । 7–मानिकपुर ब्लाक के गोपीपुर के सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश बच्चियां अपने छोटे भाई बहन की देख–रेख के कारण विद्यालय नही जा पाती है जबकि उनके मां और बाप मजदूरी करते है ।	1–कोलजाति के लोगों के लिए अलग से निःशुल्क शिक्षा दी जाय। 2–कोल जाति के बच्चों की शिक्षा उसी वर्ग के लोगों द्वारा दी जाय । 3–मनोहर गंज एवं शिवरामपुर के भाट जाति के बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाय। 4–ब्रिजकोर्स या वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाय । 5–बालिकाओं के ठहराव एवं शिक्षा हेतु प्रा0 एवं उ0 प्रा0 वि0 के साथ–साथ ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र खोले जाये।

12	18–2–2001	सर्वोदय सेवा संस्थान. बेडी पुलिया. कर्वी	बालवाडी महिला कार्यकर्ता –60	1–बालिका शिक्षा की अभिवृद्धि हेतु विचार विमर्श किया गया। 2–स्कूल दूर होने के कारण वच्चियों को असुरक्षा की भावना से विद्यालय नही भेजते है । 3–स्कूलों में ठीक से पढाई नही होती है । 4–जू0 वि0 में महिला अध्यापकों की कमी के कारण परिजनों का पुरूष अध्यापकों पर अविश्वास के कारण बालिकाएं विद्यालय नही जाती है । 5–जनमानस में यह भावना होना कि लडकियां घर गृहस्थी का कार्य करेगी उन्हे पढकर नौकरी तो करनी नही है। 6–छोटे भाई–बहन की देखभाल एवं चूल्हा चौका के कारण भी तमाम बालिकाएं विद्यालय नही जाती है ।	1–बालिकाओं के लिए विद्यालय का नजदीक होना अनिवार्य हो । 2–विद्यालय पढाई को सृदढ किया जाय। 3–जू0 वि0 में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय । 4–सामुदायिक जागरण के द्वारा जनमानस की भावना में परिवर्तन करना है । 5–बालिका शिक्षा में अभिवृद्धि के लिए ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र खोले जाये ।

अध्याय–4
सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य निम्न प्रकार से रखे गये हैं।

1– 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को 2003 तक स्कूल शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, बैक टू शिविर की उपलब्धता।
2– सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
3– सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।
4– जीवनोपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा पर बल
5– सन 2010 तक बीच में शिक्षा छोडने वाले ड्राप आउट की दर शून्य पर लाना।
6– बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना।
7– नवाचार शिक्षा के द्वारा बेसिक शिक्षा को बढावा देना ।

जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

लक्ष्य निर्धारण

चित्रकूट उत्तर प्रदेश के सबसे पिछडे क्षेत्र बुन्देलखण्ड का सबसे पिछडा जिला है। चित्रकूट जनपद आज भी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से अत्यन्त पिछडा हुआ है । नदी, पहाड एवं जंगलों के बीच परिवहन मार्ग एवं वाहन की समस्या से जूझती हुई गरीब जनता शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित है । डी०ई०पी० परियोजना के तहत जहां जनपद को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। परन्तु जनसंख्या दबाव एवं भौगोलिक परिस्थिति के कारण आज भी जनपद को अनेक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, कक्षा–कक्ष एवं बाउन्ड्री दीवार आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि हेतु छात्र अध्यापक अनुपात 40 : 01 के मानक के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति आवश्यक है । जनपद का शैक्षिक विकास हेतु मुख्य उद्देश्य बिन्दुवार निम्न प्रकार से है –

1. पहुँच सम्बन्धी उद्देश्य एवं लक्ष्यः

- प्रत्येक बच्चे की पहुच के लिए 2001–2002 मे 52 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 73 उच्च प्राथमिक वि. का निर्माण कराया जाएगा।
- 2002–2003 में 40 नवीन प्राथमिक एवं 97 उ. प्रा. वि. खोले जाएगे।

2. नामांकन सम्बन्धी उद्देश्य एवं लक्ष्य :

प्राथमिक विद्यालय का लक्ष्य

1–वर्तमान मे जनपद का जी०ई०आर० 94.32 एवं एन०ई०आर० 87.12 है। इन दोनो का अन्तर 7.20 प्रतिशत है अतः 100 प्रतिशत शुद्ध नामांकन प्राप्त करने के हेतु जी०ई०आर० लगभग 107 प्रतिशत होना चाहिए ताकि इस अन्तर को शून्य तक लाया जा सके।
2–वर्ष 2001–2002 में जनपद का जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 प्रतिशत एवं एन०ई०आर० का लक्ष्य 94.2 प्रतिशत तक प्राप्त किया जाएगा ।

3– 2002–2003 में एन0ई0आर0 100 प्रतिशत एवं जी0ई0आर0 107 प्रतिशत तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

4– 2000–2001 में एस0सी0 का एन0ई0आर0 60 प्रतिशत एवं जी0ई0आर0 67.03 प्रतिशत है। जिसको अगले दो वर्षो में कमशः 2001–2002 में एन0ई0आर0 80 प्रतिशत एवं जी0ई0आर0 87 प्रतिशत तथा 2002–2003 में एन0ई0आर0 100 प्रतिशत एवं जी0ई0आर0 107 प्रतिशत तक प्राप्त कर लेगें। 2002–2003 के पश्चात छात्र संख्या को 2.2 प्रतिशत वृद्धि दर वार्षिक मानकर प्रक्षेपित किया गया है और वहीं जी0ई0आर0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है चूंकि 2002–2003 के उपरान्त भी 6 वर्ष से नीचे तथा 11 वर्ष के ऊपर के बच्चों के प्रवेश लेने की सम्भावना बनी रहेगी। नामांकन का लक्ष्य वर्षवार सारणी 4.1 में अंकित है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय का नामांकन लक्ष्य –

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एन0ई0आर0 तथा जी0ई0आर0 में विशेष अन्तर नही रहता है इस लिये यहां एन0ई0आर0 के लक्ष्य ही निर्धारित किये गये है।

1– वर्तमान में जनपद के उ. प्रा. वि. का एन.ई.आर. 74.13 तथा जी.इ.आर. 74.7 प्रतिशत है।

2– वर्ष 2001–2002 में जनपद का एन.ई.आर. का लक्ष्य 86 प्रतिशत तक प्राप्त किया जाएगा ।

3– 2002–2003 में जनपद के उ. प्रा. वि. का एन. ई. आर. का लक्ष्य 100 प्रतिशत तक प्राप्त किया जाएगा।

4– 2003–2004 में जनपद का एन0ई0आर0 का लक्ष्य 88 प्रतिशत तक प्राप्त किया जायेगा।

5– 2004–2005 में जनपद का एन0ई0आर0 का लक्ष्य 92 प्रतिशत तक प्राप्त किया जायेगा।

6– 2005–2006 में जनपद का एन0ई0आर0 का लक्ष्य 96.7 प्रतिशत तक प्राप्त किया जायेगा।

7–2006–2007 में जनपद का एन0ई0आर0 का लक्ष्य 100 प्रतिशत तक प्राप्त किया जायेगा।

8–उ0 प्रा0 विद्यालय में एस0 सी0 का एन0ई0आर0 59.9 प्रतिशत है।

9–2001–2002 में जनपद के एस0 सी0 का जूनियर विद्यालय का एन0ई0आर0 का लक्ष्य 68 प्रतिशत तक प्राप्त किया जायेगा।

10–2003–2004 में जनपद के एस0 सी0 का उच्च प्राथमिक विद्यालय. का एन0ई0आर0 का लक्ष्य 78 प्रतिशत तक प्राप्त किया जायेगा।

11–2003–2004 में जनपद के एस0 सी0 का उच्च उच्च प्राथमिक विद्यालय का एन0ई0आर0 का लक्ष्य 86 प्रतिशत तक प्राप्त किया जायेगा।

12–2004–2005 में जनपद के एस0 सी0 का उच्च प्राथमिक विद्यालय का एन0ई0आर0 का लक्ष्य 90 प्रतिशत तक प्राप्त किया जायेगा।

13–2005–2006 में जनपद के एस0 सी0 का उच्च प्राथमिक विद्यालय का एन0ई0आर0 का लक्ष्य 96 प्रतिशत तक प्राप्त किया जायेगा।

14–2006–2007 में जनपद के एस0 सी0 का उच्च प्राथमिक स्तर से एन0ई0आर0 100 प्रतिशत तक प्राप्त किया जायेगा।

15–उच्च प्राथमिक विद्यालय का नामांकन का लक्ष्य सारणी – 4. 2 में वर्णित है।

सारणी 4.1

प्राथमिक विद्यालय का नामांकन लक्ष्य

क्र०सं०	वर्ष	6–11 वय वर्ग की बालगणना			6–11वय वर्ग का नामांकन					6–11 वय वर्ग की अनु०जा० की बालगणना			अनुसूचित जाति का नामांकन				
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	जी.ई.आर	एन.ई.आर	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	जी.ई.आर	एन.ई.आर
1	00–01	76986	60565	137551	72201	57540	129749	94-32%	87-12%	24498	20011	44501	23411	18971	42382	95%	90%
2	01–02	78674	61897	140571	78674	61897	140571	100%	93-12%	25028	20451	45479	25028	20451	45479	100%	95%
3	02–03	80404	63250	143654	85787	68250	154037	107%	100%	25519	20901	46480	26889	21915	48804	105%	100%
4	03–04	82172	64649	146821	87674	69751	157425	107%	100%	26142	21360	47502	27546	22331	49877	105%	100%
5	04–05	83979	65971	149950	89602	71285	160887	107%	100%	26717	21830	48547	27856	23118	50974	105%	100%
6	05–06	85826	67422	153248	91593	72853	164446	107%	100%	27305	22311	49616	28276	23820	52096	105%	100%
7	06–07	87694	68905	156599	93608	74455	168063	107%	100%	27905	2[illegible]02	50707	29022	24220	53242	105%	100%
8	07–08	89623	70420	160043	95667	76093	171760	107%	100%	28519	23303	51822	29611	24802	54413	105%	100%
9	08–08	91594	71969	163563	97771	77767	175538	107%	100%	29147	23866	52963	30306	25305	55611	105%	100%
10	09–10	93609	73552	167161	99921	79477	179398	107%	100%	29788	24340	54128	30916	25918	56834	105%	100%
11	10–11	95668	75170	170838	102119	81285	183344	107%	100%	30443	24875	55318	31598	26488	58086	105%	100%

(स्रोत – सांख्यिकीय सूचना प्रपत्र के अनुसार)

सारणी 4.2

उच्च प्राथमिक विधालय का नामांकन लक्ष्य

क्रम	वर्ष	11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या			11 से 14 वय वर्ग का छात्र नामांकन				अनु0 जाति के 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या			अनु0 जाति के 11 से 14 वय वर्ग का छात्र नामांकन			
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	N.E.R.	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	N.E.R
1	2000.01	24103	20395	44498	21790	11199	32989	74.13%	5905	5506	11411	5016	1816	6832	60%
2	2001.02	24633	20843	45476	22860	13066	35926	79.00%	6034	5627	11661	6008	1921	7929	68%
3	2002.03	25174	21301	46475	24102	14937	39039	84&%	6167	5750	11917	6098	3197	9295	78%
4	2003.04	25727	21770	47497	25073	16721	41794	88%	6302	5876	12178	6120	4353	10473	86%
5	2004.05	26292	22248	48540	25506	19150	44656	92%	6441	6005	12446	6205	4996	11201	90%
6	2005.06	26870	22738	49608	26309	21321	47623	96%	6583	6137	12720	6304	5652	11556	94%
7	2006.07	27461	23238	50699	27461	23238	50699	100%	6727	6272	12999	6727	6272	12999	100%
8	2007.08	28065	23749	51814	28065	23749	51814	100%	6875	6410	13285	6875	6410	13285	100%
9	2008.09	28683	24272	52955	28683	24272	52955	100%	7027	6551	13578	7027	6551	13578	100%
10	2009.10	29314	24806	54120	29314	24406	54120	100%	7181	6696	13877	7181	6696	13877	100%
11	2010–11	29958	25351	55309	29958	25351	55309	100%	7338	6843	14181	7338	6843	14181	100%

(स्रोत – सांख्यिकीय सूचना प्रपत्र के अनुसार)

छात्र नामांकन हेतु विशेष प्रयास:

1– जनपद के माइक्रोप्लानिंग के उपरान्त एक प्रत्येक गॉव/मजरे में कितने बच्चे स्कूल नही जाते है स्थिति से अवगत हो चुके है। जिन गॉव /मजरे में 25 बच्चें से अधिक स्कूल नही जाते है ऐसे गॉव में स्वंय वेसिक शिक्षा अधिकारी की टीम कला जत्था, जनसम्पर्क एवं पद यात्रा के द्वारा जनजागरण कर 100 प्रतिशत नामांकन कराया जायेगा।

2– ऐसे गॉव/मजरे जहॉ 15–25 बच्चे स्कूल न जाने वाले है उन गॉव/मजरे में जनजागरण एवं 100 प्रतिशत नामॅाकन का उत्तरदायित्व ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई/बी0आर0सी0 प्रभारी को दिया जायेगा।

3–ऐसे गॉव/मजरे जहॉ 1–15 बच्चे स्कूल न जाने वाले है ऐसे गॉव/मजरे में जनजागरण एवं 100 प्रतिशत नामॅाकन का उत्तरदायित्व एन0पी0आर0सी0 प्रभारी एवं प्रधानाध्यापक को दिया जायेगा।

4– उपरोक्त 100 प्रतिशत नामॅाकन अभियान में ग्राम शिक्षा समिति/ब्लाक शिक्षा समिति एवं जनपद शिक्षा समिति का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

5– स्कूल न जाने वाले बच्चों के चिन्हाकन हेतु जनपद का माइक्रोप्लानिंग कराया गया जिसमें चित्रकूट ब्लॉक के माइकाप्लानिंग जिसमें गॉव/मजरे वार विद्यालय न जाने वाले बच्चे है परिशिष्ट – 2 में संलग्न है।

धारण:

1– 2001–2002 में समस्त प्रा.वि. एवं उ. प्रा. वि. में पेयजल .शौचालय की व्यवस्था कर देगें ।

2– विद्यालय परिसर को आकर्षक एवं मनोरजक बनाने हेतु प्रत्येक विद्यालय में बाल उद्यान की स्थापना करेगे जिसमें फूलबाग के साथ–साथ झूला, फिसलन सीढी आदि की भी व्यवस्था होगी जिसकी सुरक्षा हेतु 2001–2002 में समस्त विद्यालय में बाउन्ड्री दीवार की भी व्यवस्था करेगें।

3– बच्चों के धारण क्षमता मे विकास हेतु प्रत्येक विद्यालय मे पाठ्य सहगामी कियाकलाप सांस्कृतिक कार्यकम खेलकूद सम्बन्धित साज–सज्जा की आपूर्ति 2002–2003 तक कर दी जायेगी।

4– रूचि पूर्ण शिक्षण कला–कौशल हेतु 2001–2002 में समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

5– जनपद चित्रकूट के परिषदीय विधालयों में अध्ययनरत छात्रों के परिजनों की आर्थिक स्थिति के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि परिषदीय विधालयों में गरीब व कमजोर वर्ग के ही अधिकाश बच्चे पढते है अत: सभी वर्ग बालिका एवं अनुसूचित जाति के समस्त बच्चों को 2001 से 2010 तक नि:शुल्क पुस्तक दी जाएगी ।

सारणी–4.3

अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता

क्रम	वित्तीय वर्ष	बाल गणना 6–11	कुल नामांकन कक्षा 1–5 तक	परिषदीय नामांकन	ड्राप आउट दर	प्रभावी छात्र संख्या	1:40 वांछित कुल अध्यापक संख्या	अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता।		
								स.अ.	शि.मि	योग
1.	2001–02	140571	140571	109645	27%	80040	2001	91	91	182
2.	2002–03	143654	154037	120148	21%	94916	2373	237	237	974
3.	2003–04	146821	157425	122791	15%	104372	2609	355	355	710
4.	2004–05	149950	160887	125491	10%	112942	2824	463	463	926
5.	2005–06	153248	164446	128267	5%	121853	3046	573	573	1146
6.	2006–07	156599	168063	131089	0%	131089	3277	689	689	1378
7.	2007–08	160043	171760	133972	0%	133972	3349	725	725	1450
8.	2008–09	163563	175538	136919	0%	136919	3423	762	762	1524
9.	2009–10	167161	179398	139930	0%	139930	3498	744	744	1598

(स्रोत – सांख्यिकीय सूचना प्रपत्र EMIS के अनुसार)

6– 40 : 1 मानक के अनुसार अध्यापकों/ शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति की जायेगी सारणी 4.3 के मानक के आधार पर।

7– छात्र/ छात्राओं की विद्यालय के प्रति रूचि जागृत करने हेतु इनोवेटिव प्रोग्राम के रूप में जनपद में 2001–2002 में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए 15 पू. मा. वि. का चयन कर शिक्षा दिलाई जाएगी ।

8– सामुदायिक सहभागिता बनाये रखने हेतु प्रत्येक ग्राम में पी. टी. ए. एवं एम. टी. ए. को गठित कर प्रशिक्षण के माध्यम से उनको सक्रिय किया जायेगा । धारण क्षमता एवं गुणवत्ता वृद्धि मे जो शिक्षा समितियां सबसे अच्छा कार्य करेगी उनमें से दो वी. ई. सी. को 25000 रूपये प्रति वी. ई. सी. एवार्ड दिया जायेगा । सामुदायिक सहभागिता बढाने हेतु कला जत्था, बाल मेला एवं श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग किया जायेगा ।

9– एस.सी./एस.टी. बच्चों विशेषकर लडकियों के लिए कार्य अनुभव के रूप में प्रत्येक एन.पी.आर.सी. स्तर पर सिलाई, कढाई के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ।

10– बच्चो के शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण की विद्यालय स्तर पर व्यवस्था की जायेगी ।

11–बच्चों को रूचिकर एवं ज्ञानवर्धक साहित्य पढने के लिए प्राप्त हो इसकी व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक स्थापित कर की जायेगी।

12– जनपद चित्रकूट की ड्राप आउट की दर प्राथमिक विद्यालय का 32 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक विद्यायल का 20 प्रतिशत है। जिसे 2007 तक प्राथमिक विधालय एवं 2010 तक उच्च प्राथमिक विधालय में ड्राप आउट शून्य दर पर लायेगें। वर्षवार ड्राप आउट की दर को निम्न प्रकार से शून्य दर पर लाया जायेगा ।

सारणी 4.4

वर्ष	जनपद का ड्राप आउट दर (प्रतिशत में)	
	प्रा0 विद्यालय में ड्राप आउट कम करने का वर्षवार लक्ष्य	उच्च प्राथमिक विद्यालय में ड्राप आउट कम करने का वर्षवार लक्ष्य
2000 – 2001	32%	20%
2001 – 2002	27%	18%
2002 – 2003	21%	15%
2003 – 2004	15%	13%
2004 – 2005	10%	11%
2005 – 2006	5%	9%
2006 – 2007	0%	6%
2007 – 2008	0%	3%
2008 – 2009	0%	2%
2009 – 2010	0%	0%
2010 – 2010	0%	0%

(स्रोत – सांख्यिकीय सूचना प्रपत्र EMIS के अनुसार)

शैक्षिक गुणवत्ता :

1– शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि हो इसके लिये पैराटीचर्स, सेवारत शिक्षकों, वी.ई.सी.मेम्बरों, ई.जी.एस., ए0आई0ई0वर्कर्स, ए0वी0एस0ए0/एस0डी0आई0 के प्रशिक्षण की समयानुसार व्यवस्था की जायेगी। कम्प्यूटर टीचिंग के लिए यू0पी0एस0 के टीचर्स एवं डाएट संस्थान के प्रशिक्षण की अलग से व्यवस्था की जायेगी।

2– प्रत्येक अध्यापक को डी0एल0एम0 की व्यवस्था हेतु 500 रूपया प्रति अध्यापक अनुदान दिया जायेगा।

3– पू0मा0वि0 स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष तीन बार किया जायेगा। एवं अच्छे स्कूल को 25000 रूपये पुरूस्कार के रूप में दिया जायेगा।

4– प्रभावी निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं सतत मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी। गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय आदि ।

5– दक्षता संवर्धन भाषा की दक्षता में वर्तमान स्तर से 20 प्रतिशत की वृद्धि के उपाय किये जायेगे।

6– शैक्षिक गुणवत्ता एवं दक्षता की दृष्टि से अच्छे विद्यालयों को एक विद्यालय प्रति ब्लाक के आधार पर कुल पांच विद्यालयों को पुरस्कृत किया जायेगा और प्रत्येक विद्यालय को 25 हजार रूपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाएगें।

अध्याय–5

समस्यायें एवं रणनीतियॉ

जनपद चित्रकूट की भौगोलिक आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समुदायों से प्रारंम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं गुंणवत्ता संम्वर्द्धन वृद्धि के विषय में फोकस ग्रुप डिस्कशन किया गया। विभिन्न समुदायों एवं क्षेत्रों के मध्य विचार विमर्श में अनेको समस्यायें एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं। यह नियोजन की प्रकिया ग्राम एवं बस्ती स्तर पर प्रारम्भ कर जनपद स्तर तक विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया गया । विचार विमर्श के मुख्य मुद्दे विद्यालय मे ठहराव अभिवंचित वर्गो तक पहुच व शिक्षा में गुणवत्ता संम्वर्द्धन एवं सामाजिक सहभागिता के विषय में रखे गये थे। इसमें विशेष रूप से स्कूल के बाहर सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन बच्चों को औपचारिक अथवा ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. केन्द्रों में ठहराव बनाए रखने के लिये गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया जाएगा। विभिन्न नामांकन अभियानों के माध्यम से विद्यालय नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। किन्तु काफी मात्रा में बच्चे ड्रापआउट कर जाते हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूल से बाहर के बच्चों का नामांकन कराने के साथ ही स्कूल में अध्ययनरत् बच्चों का ठहराव बढाने पर मुख्य बल रहेगा और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। विभिन्न वर्ग एवं क्षेत्र से प्राप्त समस्या एवं उसके लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों का विवरण निम्न प्रकार है।

समस्यायें	रणनीतियां
पहुंच सम्बंधीः 1–जनपद की अनेक बस्तियां प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के दृष्टिकोण से असेवित है। 2–नदी. नालो एवं पर्वत श्रेणियों के कारण अनेक छोटी–छोटी बस्तियां है जिनके बच्चे भौगौलिक बाधा के कारण विद्यालय नही जा पाते। 3–जनपद के 41 प्रतिशत बच्चे आज भी नामांकन होने के उपरांत अपनी व्यक्तिगत या शिक्षा अव्यवस्था के कारण बीच मे ही विद्यालय छोडकर चले जाते है। 4–चित्रकूट जिले की मानिकपुर एवं मउ विकास खण्ड के पाठा क्षेत्र की बालिकाएं	1–माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित असेवित बस्तियों में मानक के आधार पर नवीन प्रा0 एवं उ0 प्रा0 विद्यालय 2001–2002 एवं 2002–2003 तक खोले जायेगें। 2–जिन मजरों मे मानक के आधार पर नवीन विद्यालय नही खोले जा सकते है उन बस्तियों मे भौगौलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ई0 जी0 एस0 केन्द्र 2001–2002 में खोल दिये जायेगे। 3–सामाजिक. आर्थिक एवं अन्य समस्याओं के कारण जो बच्चे विद्यालय की शिक्षा पूरी नही कर पाते है उन बच्चों के लिए

आउट करने के कारणों की विद्यालय स्तर पर जानकारी का न होना।	6–जनपद के प्रत्येक विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति के अतिरिक्त एक अभिभावक शिक्षा समिति का गठन किया जायेगा जिसमें ग्राम के प्रबुद्ध एवं शिक्षा के प्रति रूचि रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित रहेगें। इन समितियों की मासिक बैठक नियमित रूप से करायी जायेगी। जिसमें समुदाय के सहयोग से समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा । 7–शिक्षा को रोजगारन्मुखी बनाने हेतु जनपद के 05 बी0 आर0 सी0 एवं 10 एन0 पी0 आर0 सी0 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा एवं समस्त न्याय पंचायतों में सिलाई–कढाई . संगीत और पेंटिग आदि की शिक्षा कार्यानुभव के आधार पर दी जायेगी। 8–विद्यालयों की प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार मरम्मत भी करायी जायेगी । 9–जनपद के समस्त प्रा0 एवं उ0 प्रा0 विद्यालयों के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पाठ्य–पुस्तकों को जुलाई के प्रथम सप्ताह मे पूरा किया जायेगा । 10–जनपद के प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक बालक तथा बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा एवं प्रत्येक विद्यालय में छात्र का स्वास्थ्य रजिस्टर भी बनवाया जायेगा ।

गुणवत्ता संबधीः 1–बालक–बालिकाओं में कक्षा स्तरीय ज्ञान का अभाव । 2–विषय विशेष के अध्यापकों की कमी 3–अध्यापकों का समय से व नियमित रूप से विद्यालय मे नही आना । 4–अध्यापक को नवीन शिक्षण विधाओं के प्रशिक्षण का अभाव । 5–पर्याप्त सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग न किया जाना । 6–प्रभावी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का अभाव । 7–ग्राम शिक्षा समिति के साथ–साथ निरीक्षण अधिकारियों द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता को निरीक्षण के समय अधिकतर नजर अन्दाज किया जाना। 8–त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन। 9–पुरूस्कार एवं दण्ड का अभाव। 10–ब्लाक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के उत्तर दायित्व का निर्धारण न होना। 11–शिक्षा में बढता राजनैतिक हस्तक्षेप 12–जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव। 13–त्रुटिपूर्ण एवं बोझिल पाठ्यक्रम । 14–स्थानीय परिवेश एवं वातावरण के अनुसार शिक्षा का न होना ।	1–बालक–बालिकाओं को ज्ञान स्तर के अनुसार विभाजित कराकर के कमजोर बच्चों पर अधिक ध्यान देकर उनके स्तर को सुधारा जायेगा। 2–जनपद के प्रत्येक विद्यालय में विषय अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी । 3–प्रत्येक विद्यालय में ड्राप आउट बच्चों का नाम सहित रिकार्ड होगा तथा किन कारणों उनका ड्राप आउट हुआ उनकी पहचान एव उन कारणों को समुदायिक सहयोग के द्वारा दूरकर उन्हें फिर से विद्यालय में लाने का प्र[illegible]स किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी एवं समस्याओं के निदान के प्रयास किये जायेगें। 4–ग्रामशिक्षा समितियों, एन0पी0आर0सी0प्रभारियों, बी0 आर0 सी0 प्रभारियों, ए0 बी0 एस0 ए0, एस0डी0आई0 एवं जनपद को सेक्टर्स में विभाजित कर प्रत्येक माह जनपदीय अधिकारियों द्वारा टीमें बनाकर निरीक्षण कराके गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु अध्यापकों की समय से एवं नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित की जायेगी। 5–जनपद के समस्त अध्यापको को शिक्षा की नवीन विधाओं का प्रशिक्षण 'डाएट व बी0 आर0 सी0एवं एन0 पी0 आर0 सी0' मे

	सुनिश्चित कराया जायेगा । 6–प्रत्येक विद्यालय में पाठ्य क्रम के अनुसार पर्याप्त सहायक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करायी जायेगी। 7–शिक्षकों के साथ–साथ निरीक्षक अधिकारियों व बी0 आर0 सी0 प्रभारियों . ग्राम शिक्षा समितियों को गुणवत्ता के सम्वर्द्धन हेतु जांच विन्दु निर्धारित किये जायेगे। 8–बच्चों का त्रैमासिक . अर्द्धवार्षिक. वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा ।बच्चो की प्रगति आख्या का अवलोकन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा । 9–सभी निरीक्षकों के द्वारा बच्चों के गुणवत्ता के आधार पर अध्यापकों का मूल्यांकन किया जायेगा । ब्लाक स्तर पर एक अध्यापक को क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा पुरूस्कृत किया जायेगा । 10–जनपदीय स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षण में बच्चो के गुणवत्ता के आधार पर तीन अच्छे अध्यापकों को पुरूस्कृत किया जायेगा
समाज के विकलांग बच्चे व्यक्तिगत समस्या के कारण विद्यालयी शिक्षा नही प्राप्त कर पाते है ।	11–ऐसे ग्राम शिक्षा समितियां जिनके ग्राम के विद्यालय उत्कृष्ठ कोटि के होगे उन दो ग्राम शिक्षा समितियों को 25 हजार रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा। 12–ऐसे पांच शिक्षा मित्रों को भी पुरूस्कृत किया जायेगा जिनके कार्य उत्कृष्ट कोटि के है इस पुरूस्कार का आधार सिर्फ

	शैक्षिक गुणवत्ता ही है । 13– दण्ड की प्रकिया में मूल्यांकन के उपरान्त न्यून गुणवत्ता , छात्र उपस्थिति पर निरीक्षक रिपोर्ट के आधार पर अध्यापकों को कडे दण्ड देने की भी व्यवस्था की जायेगी । 14– <u>निरीक्षण परीक्षण</u> प्रत्येक एन0 पी0 आर0 सी0 प्रभारी द्वारा अपने न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों का माह में कम से कम एक बार शैक्षिक गुणवत्ता का परीक्षण व निरीक्षण किया जायेगा एवं अपनी आख्या बी0 आर0 सी0 को प्रेषित की जायेगी। • एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर से शैक्षिक कार्य दिवस में किसी भी स्थिति में विद्यालय बंद नही होना चाहिए इसका उत्तरदायित्व एन0 पी0 आर0 सी0 प्रभारी पर होगा । • एन0 पी0 आर0 सी0 प्रभारी अपने क्षेत्र के विद्यालय में आदर्शपाठ का प्रस्तुतीकरण अवश्य करेगे। • एन0 पी0 आर0 सी0 प्रभारी को पर्यवेक्षक निरीक्षण हेतु 200 रू0 प्रतिमाह दिया जायेगा । • बी0 आर0 सी0 प्रभारी/ए0 बी0 एस0 ए0/एस0 डी0 आई0 के मध्य ब्लाक को तीन भागों में विभाजित कर निरीक्षण पर्यवेक्षण

	का कार्य सौपा जायेगा। • अपने क्षेत्र के लिए शैक्षिक गुणवत्ता के सम्बन्ध में ए0 बी0 एस0 ए0/एस0 डी0 आई0/बी0 आर0 सी0 प्रभारी पूर्ण उत्तरदायी होगें। यह लोग दो माह में अपने–अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों का निरीक्षण भी करेगे। • सघन निरीक्षण परीक्षण हेतु 1000 रू0 प्रतिमाह व्यय दिया जायेगा । • अपनी–अपनी निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह विद्यालय ग्रेडिंग के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डाएट प्राचार्य को प्रेषित करेगे। • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक माह 05 विद्यालय प्रत्येक विकास खण्ड से निरीक्षण पर्यवेक्षण करेगे जिसकी आख्या 'सर्व शिक्षा अभियान' कार्यालय को प्रेषित की जायेगी । • जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन पर माह में एक दिन सेक्टर अधिकारियों के द्वारा विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति /छात्रों की उपस्थिति के सम्बन्धी आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा जिसके लिए सेक्टर अधिकारियों की समीक्षा उसी दिन सायं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा की जायेगी। निरीक्षण हेतु

	सेक्टर अधिकारियों को प्रतिमाह 10 लीटर ईंधन की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 'सर्व शिक्षा अभियान' के निरीक्षण मद से की जायेगी । • प्रत्येक विद्यालय में निरीक्षण पंजिका होगी जिसमे शैक्षिक सम्वर्द्धन हेतु बिन्दु होगे जिस पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से आख्या दी जायेगी। • समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा केन्द्रो के माध्यम से विकलांग बच्चों को शिक्षित किया जायेगा ।

जनपद के विशिष्ट समस्या वाले क्षेत्र एवं समुदाय हेतु रणनीति

विशेष समस्या	विशेष रणनीतियॉं
1– मानिकपुर, चित्रकूट एवं रामनगर में महिला शिक्षा कमशः 8 प्रतिशत, 9.30 प्रतिशत एवं 9.30 प्रतिशत है जो कि अत्यन्त कम है । 2–मानिकपुर के दुर्गम जंगली एवं पहाड़ी रास्ता के कारण बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करने नही जाती है । 3–सुदूर क्षेत्र मानिकपुर में जंगली , पहाड़ी रास्ता के साथ–साथ दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अध्यापक इस क्षेत्र में नही	1–मानिकपुर, चित्रकूट एवं रामनगर में बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है । 2a–असेवित बस्तियों में नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी । 2b–एक बालिका ब्रिजकोर्स महिला सामाख्या के सहयोग से मानिकपुर के सुदूर क्षेत्र में चलाया जायेगा । 2c– E.G.S. प्रहर पाठशाला एवं

रहना चाहते खासतौर पर महिला अध्यापिका नगण्य के बराबर है जिससे बालिका शिक्षा अत्यन्त प्रभावित है। क्योंकि महिला अध्यापिका के अभाव मे तमाम अभिभावक अपनी बच्चियों को स्कूल नही भेजते हैं। 4–आर्थिक बदहाली के कारण तमाम बालक एवं बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती है। बालक बालिका लकड़ी काटकर अपने अभिभावक को आर्थिक सहयोग देती है या गाय बकरियॉं चराती है। जंगल के सहारे यह अपना जीवन–यापन करते है। 5–कोल ाति खासतौर पर मानिकपुर , मऊ के बरगढ़ एवं चित्रकूट के भरतकूप , घुरेटनपुर क्षेत्र में अधिक संख्या में है । कोल जाति एक ऐसी हरफनमौला जाति है जो अपने कल के बारे में किंचित मात्र भी चिन्ता नही करती है अपने या अपने बच्चों में भविष्य के बारे में कभी नही सोचतें है। बच्चे एवं महिलाएं जंगल में लकड़ियॉं एकत्र करती है तो पुरूष वर्ग पत्थर या अन्य कार्य में मजदूरी करते हैं। 6–चित्रकूट ब्लॉक के भरतकूप क्षेत्र में केशर श्रमिक वर्ग बहुतायत है जो पूर्णतः शिक्षा से वंचित है। 7–मउ ब्लॉक के बरगढ क्षेत्र के कोल जाति पत्थर या जंगल के सहारे जीवनयापन करते है जिनके बच्चे अधिकाश शिक्षा से वंचित है।	मॉडलक्लस्टर योजना के सहयोग से सभी बालक –बालिकाओं की पहुँच तक विद्यालय खोले जाएगें। 3–स्थनीय अनुदेशक एवं महिला शिक्षा मित्र के सहयोग से बालिका शिक्षा में बढ़ावा देना है । 4–बालिका एवं अनुसूचित कोल जाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आदि का सहयोग प्रदान किया जायेगा । 4इ–मानिकपुर में गाय, बकरी चराने वाले एवं लकड़ी काटने वाले बच्चों के लिए दो विभिन्न क्षेत्र में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम वर्ष दो मोबाइल विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी जिन्हे कंन्डेस कोर्स के माध्यम से शिक्षा देकर औपचारिक विद्यालय में जोड़ा जायेगा। 5–कोल जाति के जनजागरण जनसम्पर्क के माध्यम से कोल जाति के श्रमिक वर्ग के बच्चों हेतु उन्हीं जाति समूह के अनुदेशक माध्यम से E.G.S. एवं ब्रिज कोर्स केन्द भरतकूप क्षेत्र में खोलकर सभी को प्रवेश दिलाया जायेगा तथा जीवनोपयोगी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जायेगी । 6–जनजागरण एवं जनसम्पर्क के माध्यम से कोल जाति के वंचित समूह को जागृत किया जायेगा । कोल जाति के लोगो को समस्त शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जायेगा । 7–मउ क्षेत्र के बरगढ क्षेत्र में आवासीय

8–विकास खण्ड पहाड़ी के भदेदू, विहरवा, बरद्वारा, तिरहार क्षेत्र में अधिकांश समय जल भराव बना रहता जिसके कारण आवागमन का रास्ता अवरूद्व हो जाता है साथ ही दरसेंडा, ओरा आदि क्षेत्र पैश्वनी एवं बागै नदी के कारण रास्ता अवरूद्ध हो जाता है । इस क्षेत्र विशेष के विषम भौगोलिक स्थिति के कारण शिक्षा अत्यन्त प्रभावित होता है।	ब्रिजकोर्स के माध्यम से सभी कोल जाति के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी । 8–विकास खण्ड पहाडी के तिरहार क्षेत्र में एक आवासीय ब्रिजकोर्स के साथ–साथ प्रहर पाठशाला के माध्यम से वंचित वर्ग को शिक्षा दी जाएगी ।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार – नवीन औपचारिक विद्यालय

नवीन औपचारिक विद्यालयों की स्थापना–

जनपद चित्रकूट में बेसिक शिक्षा परियोजना के तहत 142 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 73 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना किया जा चुका है। शैक्षिक दृष्टि से 300 से अधिक आबादी वाले प्राथमिक विद्यालय से 1.5 किमी. की दूरी पर असेवित मजरों की संख्या 92 है तथा 800 से अधिक आबादी एवं 3 किमी से अधिक दूरी पर स्थित 73 ग्राम है इन सभी में प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है जो दो चरणों में खोले जायेगें। प्रथम चरण में 52 प्राथमिक विद्यालय तथा 73 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। द्वितीय चरण में 40 प्राथमिक विद्यालय तथा 97 उच्च प्राथमिक विद्यालय 2002–2003 में खोले जायेगें। शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा सुलभ बनाने के लिये विकास खण्डवार/वर्षवार निम्न सारणी के अनुसार व्यवस्था की जाएगी।

प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या

सारणी – 6.1

क्रमांक	नाम विकास खण्ड	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1	रामनगर	6	19
2	मऊ	20	34
3	मानिकपुर	17	38
4	चित्रकूट	32	46
5	पहाडी	17	33
6	नगर क्षेत्र कर्वी	0	0
7	नगर क्षेत्र राजापुर	0	0
8	नगर क्षेत्र मानिकपुर	0	0
	योग	92	170

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

1. नवीन प्राथमिक विद्यालय हेतु गणना का आधार–

   जनपद चित्रकूट के विभिन्न विकास खण्डों में उपरोक्त सारणी के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय की माँग माइक्रोप्लानिंग के आधार पर प्रत्येक गाँव/मजरे को सेवित/असेवित की संलग्न सूची परिशिष्ट–2 के अनुसार दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय की माँग राज्य मानक 300 आबादी एवं 1.5 कि0मी0 के आधार पर किया गया। कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जो नदी या पहाड़ की बाधा के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। सेवित/असेवित, गाँव/मजरे की सूची परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

2. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु गणना का आधार–

   विद्यालय की माँग निम्न आधार पर की गयी है –

   परिशिष्ट–2 में संलग्न सूची सेवित/असेवित के आधार पर 800 आबादी एवं 3 कि0मी0 दूरी के मानक के अनुसार किया गया है।

- प्राथमिक विद्यालय : उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुपात , 2 : 1 के अनुसार आवश्यकता एवं गणना निम्न प्रकार है।

1 : 2 के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या:

कुल प्राथमिक विद्यालय– 657
नवीन प्राथमिक विद्यालय– 92

योग –649

2 : 1 के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता:

कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता– (+) 374
वर्तमान में कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या– (–)180

योग –194

2 : 1 के मानक के अनुसार 194 की आवश्यकता है परन्तु 24 पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक वित्त पोषित विद्यालय संचालित है अतः शुद्ध रूप से 170 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है।

सारणी – 6.2
जनपद चित्रकूट में प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों का विकास खण्डवार/वर्षवार विवरण

क्रमांक	नाम विकास खण्ड	कुल स्थापित होने वाले प्राथमिक विद्यालय	2001-2002	2002-2003
1	रामनगर	6	3	3
2	मऊ	20	11	9
3	मानिकपुर	17	10	7
4	चित्रकूट	32	18	14
5	पहाडी	17	10	7
6	नगर क्षेत्र कर्वी	0	0	0
7	नगर क्षेत्र राजापुर	0	0	0
8	नगर क्षेत्र मानिकपुर	0	0	0
	योग	92	52	40

सारणी – 6.3
जनपद चित्रकूट में प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विकास खण्डवार / वर्षवार स्थिति

क्रमांक	नाम विकास खण्ड	स्थापित होने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय	2001-2002	2002-2003
1	रामनगर	19	8	11
2	मऊ	34	15	19
3	मानिकपुर	38	16	22
4	चित्रकूट	46	20	25
5	पहाड़ी	33	14	19
6	नगर क्षेत्र कर्वी	0	0	1
7	नगर क्षेत्र राजपुर	0	0	0
8	नगर क्षेत्र मानिकपुर	0	0	0
	योग	170	73	97

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

प्राथमिकताएं:

नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय समस्या ग्रस्त क्षेत्र मे समस्त बच्चों की पहुँच के लिये स्थापित किये जाएंगे। विद्यालय स्थापना में निम्न लिखित प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएगी।

- कोल बाहुल्य क्षेत्र मे अधिकाधिक नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाएंगे।
- विकास खण्ड मानिकपुर, चित्रकूट, रामनगर कम महिला साक्षरता वाले ब्लॉक में नये बालिका प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाएंगे।
- विकास खण्ड पहाड़ी के तिरहार एवं आवागमन बाधित क्षेत्र में अधिकाधिक नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाएंगे। जिससे आवागमन की असुविधा को अतिक्रमित करते हुए समस्त बच्चों की पहुँच तक नये विद्यालय स्थापित किये जा सकें।
- रामनगर के सुहेल क्षेत्र के दुर्गम स्थान तथा मउ ब्लॉक के पाठा क्षेत्र में अधिकाधिक संख्या में नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- विद्यालय स्थापना में अधिक आबादी तथा अधिक दूरी को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी ।

विद्यालय निर्माण :

नये विद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

- जिला शिक्षा समिति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर असेवित बस्तियों में विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया जाएगा।

- असेवित बस्तियों का जिला शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समितियों असेवित ग्राम या मजरें में स्थल चिन्हांकन करेगें। जिसका प्रस्ताव 15 दिन के अन्दर प्राप्त होने पर विद्यालय निर्माण की प्रथम किस्त 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हस्तान्तरित करेंगे।
- निर्माण के इकाई लागत की प्रथम किस्त प्राप्त होते ही परियोजना के मानक के अनुरूप विद्यालय निर्माण कार्य तीन माह के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।
- निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विद्यालय संचालित किया जायेगा।
- निर्माण कार्य की देखरेख ग्राम शिक्षा समिति करेगी परन्तु ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक निर्माण कार्य के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। निर्माण कार्य का पूर्ण हिसाब-किताब प्रधानाध्यापक द्वारा रखा जायेगा।
- ऐसे नये उच्च प्राथमिक विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय के कैम्पस में बनाए जाएगें उनकी इकाई लागत में शौचालय, हैण्डपम्प एवं चाहार दीवारी का धनराशि नही दिया जायेगा। पूर्णतः यही प्रयास होगा कि अधिकाश नये उच्च उच्च प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के कैम्पस में बनाएं जाय। नये उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहाँ तत्काल संचालित किया जाना आवश्यक होगा वहाँ यदि प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है तो उसी कैम्पस में द्विवाली योजना द्वारा जूनियर विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति करके कक्षाएं प्रारम्भ कर दी जाएगी जैसे ही भवन पूर्ण हो जाएगा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा सामान्य समय में संचालित होंमे लगेगीं।

अध्यापक की व्यवस्था :

प्राथमिक विद्यालयों मे 01 प्र.अ. 01 शिक्षामित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक प्र.अ. व 4 स.अ. नियुक्त किये जायेगे। विकास खण्डवार वर्षवार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था निम्न सारणी के अनुसार की जाएगी।

प्रा0 वि0 में अध्यापकों की व्यवस्था :

सारणी-6.4

क्रमांक	नाम विकास खण्ड	अध्यापकों की आवश्यकता		2001-2002		2002-2003	
		प्र.अ.	शि0मि0	प्र.अ.	शि0मि0	प्र.अ.	शि0मि0
1	पहाडी	17	17	10	10	7	7
2	रामनगर	7	7	4	4	3	3
3	मऊ	21	21	12	12	9	9
4	मानिकपुर	19	19	10	10	9	9
5	चित्रकूट	28	28	16	16	12	12
6	नगर क्षेत्र कर्वी	0	0	0	0	0	0
7	नगर क्षेत्र राजापुर	0	0	0	0	0	0
8	नगर क्षेत्र मानिकपुर	0	0	0	0	0	0
	योग	92	92	52	52	40	40

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

सारणी–6.5

उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था :

क्रमांक	नाम विकास खण्ड	अध्यापकों की आवश्यकता		2001–2002		2002–2003	
		प्र.अ.	स.अ.	प्र.अ.	स.अ.	प्र.अ.	स.अ.
1	पहाडी	33	132	14	56	19	76
2	रामनगर	19	76	8	32	11	44
3	मऊ	34	136	15	60	19	76
4	मानिकपुर	38	152	16	64	22	88
5	चित्रकूट	46	184	20	80	26	104
6	नगर क्षेत्र कर्वी	0	0	0	0	0	0
7	नगर क्षेत्र राजापुर	0	0	0	0	0	0
8	नगर क्षेत्र मानिकपुर	0	0	0	0	0	0
	योग	170	680	73	292	97	388

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

शिक्षण सामग्री एवं काष्ठोपकरण की व्यवस्था :

प्रत्येक नये प्राथमिक विद्यालय में 15,000 रू0 काष्ठोपकरण एवं शिक्षण सामग्री हेतु प्रदान किया जायेगा तथा नये उच्च प्राथमिक विद्यालय में 50,000 रू0 काष्ठोपकरण एवं शिक्षण सामग्री हेतु दिया जायेगा।

शिक्षण सामग्री – (प्राथमिक विद्यालय)

जनपद में नवीन प्राथमिक विद्यालय की प्रस्तावित संख्या 92 है। मानक के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर रु.15000/– की दर से शिक्षण सामग्री/काष्ठोपकरण क्रय करने का प्रस्ताव है।

शिक्षण सामग्री –

इसके अन्तर्गत बौद्धिक खेल–कूद, शैक्षिक खिलौने, मिनी टूल्स किट, गणित किट, विज्ञान किट, जनपद, प्रदेश तथा देश का मानचित्र शैक्षिक चार्ट, ग्लोब तथा अध्यापकों के लिये शब्दकोष तथा टाटपट्टी क्रय किया जायेगा।

नवीन प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक अध्यापक के लिये एक कुर्सी तथा एक मेज क्रय की जायेगी, जिसमें कुर्सी प्लास्टिक की तथा मेज शीशम/सागौन की लकड़ी की होगी। प्रत्येक विद्यालय में लोहे की बाल्टी, लोटा, गिलास, लोहे का घण्टा, लकड़ी की मुगरी, एक ढोलक, पीतल का मजीरा, दस बाँसुरी, एक हारमोनियम, लकडी का तीन कूड़ादान, एक अलमारी, दो फुटबाल, दो बालीबाल, रबड़ की पाँच रिंग, रबड़ की दस गेंद, कूदने की चार रस्सी, पर्याप्त चौड़ा टायर, हवा भरने का पम्प तथा ज्ञान कोष आदि सामग्रियॉं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेंगी।

उपर्युक्त समस्त सामग्रियों का क्रय ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव/अनुमोदन से किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री एवं काष्ठोपकरण (उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु)

जनपद में नवीन प्रस्तावित कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 170 है। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 50,000/- की दर से निम्नांकित शिक्षण सामग्री एवं काष्ठोपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव है।

शिक्षण सामग्री

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सामग्री के अन्तर्गत प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम की दो प्रतियाँ कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम की पुस्तकों के दो सेट, अध्यापक सन्दर्शिका का एक सेट, हिन्दी, अंग्रेजी का शब्द कोष, एटलस, अध्यापकों के लिये विश्वकोष तथा स्काउटिंग, योगासन, प्राथमिक चिकित्सा, पशु-पक्षी, वर्णमाला, पहाड़ा, प्रदूषण सन्तुलित आहार एवं स्वतन्त्रता के पुनीत स्थल सम्बन्धी चार्ट क्रय किये जायेंगे। विश्व एशिया, भारत, राज्य, जनपद का भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक मानचित्र, ग्लोव विज्ञान किट एवं प्रत्येक कक्षा के लिये श्यामपट, टूल किट, आडियो कैसेट प्लेयर जो वैट्री चालित होगा क्रय किया जायेगा।

क्रीड़ा सामग्री –

इसके अन्तर्गत 2 फुटवाल, 2 वालीबाल, 10 स्कीपिंग रोल एवं एक एयर पम्प क्रय किया जायेगा।

वाद्य यन्त्र –

प्रत्येक विद्यालय में एक हारमोनियम, 1 ढोलक, 10 बॉसुरी, 2 जोड़े मंजीरे क्रय किये जायेंगे।

काष्ठोपकरण –

प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक के लिये 1 कुर्सी, 1 मेज क्रय किया जायेगा जो पक्के शीशम/सागौन की लकड़ी से निर्मित होगा।

अन्य सामग्री –

अन्य सामग्री के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में 1 स्टील की वाल्टी,, स्टील का लोटा, गिलास तथा लोहे का घण्टा, लकड़ी की मुगरी एवं अलमारी तथा 3 कूड़ादान जो लकडी के निर्मित होंगे क्रय किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में प्रति वर्ष रु.600/- तक पत्र-पत्रिकाओं के अन्तर्गत विज्ञान प्रगति, आविष्कार पत्रिका, बाल भारती तथा अन्य शैक्षिक पत्रिकायें क्रय की जा सकती हैं।

नगरीय क्षेत्र –

नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में 1:40 का अनुपालन होने के कारण अध्यापकों की नियुक्तियाँ नहीं की जा रही हैं तथा मानक के अनुसार कोई वार्ड/मुहल्ला असेवित नहीं है। इसलिये विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। समस्त विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रस्ताव है।

अध्याय – 7

शिक्षा की पहुंच का विस्तार –2

(ई.जी.एस./ए.आई.)

1– अनौपचारिक शिक्षा योजना की पृष्ठभूमिः

प्रायः संसार के सभी देशों की शैक्षिक व्यवस्था बच्चों की शिक्षा को सर्वोपरि मानकर चलती है । इसके पीछे यह मान्यता रही है कि जीवन के प्रांरम्भिक दिनों में, जब बालक का मन एक कोरे घड़े के समान होता है, तब संसार की विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों एवं सम्पर्को की प्रतिकियायें उसके व्यक्तित्व पर न्यूनतम होती है उसी समय सामाजिक जीवन के रचनात्मक मूल्यों का समावेश उसके व्यक्तित्व में कर दिया जाये, जिससे कि भावी जीवन मं वह एक संगठित समाज का उपयोगी अंग बन जाये। यह मान्यता, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा की सहज समप्रेषणीयता की दृष्टि से बच्चों के लिए सर्वथा उचित है।

राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद हमारा प्रदेश शैक्षिक दृष्टि से अन्य प्रान्तों से पिछडा था जिसके चलते राज्य सरकार ने ५८ पाया कि बहुत से 6–14 वय वर्ग के बच्चे आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य कारणों से विद्यालय में प्रवेश नही ले पाते हैं या प्रवेश लेकर अपनी प्रारंम्भिक शिक्षा पूर्ण किये बिना ही अपनी पढाई बीच में ही छोड देते है। इन बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराकर मुख्य धारा में जोडने हेतु अनौपचारिक शिक्षा योजना को प्रदेश में 79–80 में लागू किया गया। अनौपचारिक शिक्षा योजना का मूल्य उद्देश्य औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों के समान ही है किन्तु अन्तर यह है कि इसमें बच्चे की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कम समय में और उसकी सुविधा के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित कर प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कराकर के उसे मुख्य धारा में जोडा जायेगा । जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा समाज के वांछित विकास में अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर सकें।

➢ **उपलब्धि** : अनौपचारिक शिक्षा योजना के अर्न्तगत प्रदेश में 596 परियोजनाएं संचालित कर प्रत्येक परियोजना में 100 केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया। जनपद चित्रकूट के 5 परियोजनाएं विकास खण्ड, पहाडी, मऊ, रामनगर, मानिकपुर एवं चित्रकूट में संचालित की गई प्रत्येक परियोजना में 100 केन्द्र संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है । कर्वी एव मऊ विकास खण्ड में 88–89 से परियोजनाएं संचालित है। रामनगर, पहाडी, मानिकपुर में वर्ष 95–96 में परियोजनायें संचालित की गयी है । प्रत्येक परियोजना में 100 केन्द्र संचालित कर दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के साथ अलग प्रश्न पत्रों के आधार पर परीक्षा दिलाई जाती रही है और उत्तीर्ण बच्चों को मुख्यधारा में जोडने का प्रयास किया गया है।

विगत दो वर्षो का नामांकन:

परीक्षा में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण छात्रों की तालिका संलग्न है

1– वर्ष 1999 के अनुसार

पंजीकृत			कक्षा–5 की परीक्षा में सम्मिलित छात्र एवं छात्राए				उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं की सख्या				कक्षा 6 मे प्रवेश होने वाली सख्या			
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत	बालक	बालिका	योग	उत्तीर्ण प्रतिशत	बालक	बालिका	योग	उत्तीर्ण के विपरीत नामाकन
5108	6158	11316	2353	2085	4438	39.2	2243	1994	4237	95.92	99	93	192	4.53

2– वर्ष 2000 के अनुसार

पंजीकृत			कक्षा–5 की परीक्षा में सम्मिलित छात्र एवं छात्राएं				कक्षा–5 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं की संख्या				कक्षा 6 में प्रवेश होने वाली संख्या			
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत	बालक	बालिका	योग	उत्तीर्ण प्रतिशत	बालक	बालिका	योग	उत्तीर्ण के विपरीत नामाकन
638	609	1247	404	360	764	61.26	333	282	615	80	38	32	70	11.3

(श्रोत – 1999 व 2000 के परीक्षाफल व कक्षा 6 में प्रवेश के आधार पर)

इस जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के कियान्वयन के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि जो बच्चे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पंजीकृत किये गये थे उनमें से लगभग 60 प्रतिशत ड्राप आउट हो गये तथा उत्तीर्ण का केवल 4.53 प्रतिशत ही आगे की कक्षा में प्रवेश ले सकें।

नामांकन परीक्षा में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण व मुख्यधारा में प्रवेश की सारणी को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों की आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य कारणों से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश का यदि मूल्यांकन किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि बच्चों की आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य कारणों से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश लेकर मुख्यधारा में आशा के अनुरूप प्रवेश नही ले सकें।

➢ **समस्यायें :** जनपद चित्रकूट सामाजिक, आर्थिक एवं रूढिवादियों से ग्रस्त जंगली एवं पठारी क्षेत्र है। यहां मानिकपुर, मऊ एवं कर्वी के अधिकतर भूभाग आच्छादित है। पाठा क्षेत्र जो कि मऊ, मानिकपुर एवं कर्वी का कुछ भूभाग है , में कोल जाति बहुतायत में है जो लकडी काटकर अपना जीवनयापन करते है। उसके 10–12 वर्ष के बच्चे अपने छोटे भाई–बहिन की रखवाली करते है तथा अपने परिवार के सदस्यों के व्यवसाय में सहयोग करते हैं। यहां के अभिभावकों की मानसिकता यह है कि यदि हमारे बच्चे हमारा सहयोग करेगे तो हम दिनभर में परिवार संचालन के लिए कमाई कर लेगें। यदि बच्चे सहयोग नही देगें तो परिवार की रोजी–रोटी संचालन में समस्या होगी अभिभावकों कि रूचि न लेने व आर्थिक गरीबी एवं सामाजिक विषमता के कारण बच्चे ड्राप आउट हो जाते है तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनियमित संचालन आदि के कारण भी ड्राप आउट हो जाते है ।

माइक्रोप्लानिंग सर्वेक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माइक्रोप्लानिंग सर्वेक्षण कराकर इस आँकडे को 2001–2002 में अद्यतन किया जायेगा, यह सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्र की सभी बस्तियों एवं नगरीय क्षेत्र (खासकर मलिन बस्तियों) में कराया जाएगा ताकि स्कूल से बाहर रहने वाले 6–14 आयु वर्ग के बच्चों व उनके स्कूल न आने के कारणों को सही रूप से चिन्हित किया जा सके। यह सर्वेक्षण इसलिये किये जाना नितान्त आवश्यक है कि 2002–2003 के बाद जैसे–जैसे परियोजना उत्तरोत्तर विकास पर होगी, ई.जी.एस. / ए.आई.ई. कार्यक्रमों को बच्चों के अभीष्ट वर्ग चिन्हित समूहों पर किया जा सकेगा।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर 6–11 वय वर्ग के बच्चों का विवरण

➢ 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या:

क्र0 स0	विकास खण्ड का नाम	अनु0 जाति			पिछडी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य जाति			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	रामनगर	2435	2172	4607	3435	3050	6485	190	126	316	1628	940	2568	7688	6288	13976
2	मऊ	3518	3022	6540	3122	2710	5832	504	341	845	5468	4207	9675	12612	10280	22892
3	मानिकपुर	5180	4802	10582	4782	3910	8692	417	257	674	2342	1650	3992	13321	10619	23940
4	पहाड़ी	6180	4680	10860	5228	4250	9678	337	232	569	3776	2742	6518	15521	11904	27425
5	चित्रकूट	8792	7278	16070	12618	10280	22898	954	674	1628	5480	3242	8722	27844	21474	49318
6	योग	26705	21954	48659	29185	24200	53385	2402	1630	4032	18694	12781	31475	76986	60565	137551

(स्रोत– बालगणना व पंजियन के विवरण से)

➢ स्कूल जाने वाले 6–11 वय वर्ग के बच्चों का विवरण:

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	अनु0 जाति			पिछडी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य जाति			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	रामनगर	2356	2132	4487	3381	3020	6401	182	112	294	1588	915	2503	7506	6179	13685
2	मऊ	3268	2837	6105	2882	2545	5427	400	260	660	5294	4052	9346	11844	9694	21538
3	मानिकपुर	5490	4586	10076	4632	3746	8378	349	225	574	2242	1540	3782	12713	10097	22810
4	पहाडी	5955	4520	10475	5033	4152	9785	297	216	513	3639	2632	6271	14924	11520	26444
5	चित्रकूट	7877	6813	14690	11933	9850	21783	782	540	1322	4630	2847	7477	25222	20050	45272
6	योग	24945	20888	45833	27861	23313	51174	2010	1353	3363	17393	11986	29379	72209	57540	129749

(स्रोत– बालगणना व पंजियन के विवरण से)

➢ स्कूल न जाने वाले 6–11 वय वर्ग के बच्चों का विवरण:

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	अनु0 जाति			पिछडी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य जाति			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	रामनगर	80	40	120	54	30	84	8	14	22	40	25	65	182	109	291
2	मऊ	250	185	435	240	165	405	104	81	185	174	155	329	768	586	1354
3	मानिकपुर	290	216	506	150	164	314	68	32	100	100	110	210	608	522	1130
4	पहाडी	225	160	385	195	98	293	40	16	56	137	110	247	597	384	981
5	चित्रकूट	915	465	1380	685	430	1110	172	134	306	850	395	1245	2622	1424	4046
6	योग	1760	1066	2826	1324	887	2211	392	277	669	1301	795	2096	4777	3025	7802

(स्रोत– बालगणना व पंजियन के विवरण से)

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर 11–14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण

➤ 11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या:

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	अनु0 जाति			पिछडी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य जाति			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	रामनगर	927	680	1607	1015	673	1688	271	141	412	640	320	960	2853	1814	4667
2	मऊ	1747	1210	2957	1440	977	2417	410	320	730	609	428	1037	4206	2935	7141
3	मानिकपुर	1720	735	2455	1840	633	6192	685	407	1092	1140	428	1568	5385	2203	7588
4	पहाडी	2692	1520	4212	2291	1428	3719	928	423	1351	1280	970	2250	7191	4341	11532
5	चित्रकूट	3683	1580	5263	2780	1431	4211	1141	360	1501	1697	898	2595	9301	4269	13570
6	योग	10769	5725	16494	9366	5142	18227	3435	1651	5086	5366	3044	8410	28936	15562	44498

(स्रोत– बालगणना व पंजियन के विवरण से)

➤ स्कूल जाने वाले 11–14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण:

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	अनु0 जाति			पिछडी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य जाति			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	रामनगर	626	370	996	726	395	2122	192	92	284	530	170	700	2074	1027	3101
2	मऊ	1553	767	2320	1280	802	2082	280	260	540	480	310	790	3593	2139	5732
3	मानिकपुर	880	393	1273	1032	495	1527	295	324	619	818	332	1150	3025	1544	4569
4	पहाडी	1701	827	2528	1623	853	2476	641	275	916	871	731	1602	4836	2686	7522
5	चित्रकूट	3280	1374	4654	2512	1291	3803	972	332	1304	1498	806	2304	8262	3803	12065
6	योग	8040	3731	11771	7173	3836	11009	2380	1283	3663	4197	2349	6546	21790	11199	32989

(स्रोत– बालगणना व पंजियन के विवरण से)

➤ स्कूल न जाने वाले 11–14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण:

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	अनु0 जाति			पिछडी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य जाति			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	रामनगर	301	310	611	289	278	567	79	49	128	110	150	260	779	787	1566
2	मऊ	194	443	637	160	175	335	130	60	190	129	118	247	613	796	1409
3	मानिकपुर	840	342	1182	808	138	946	390	83	473	322	96	418	2360	659	3019
4	पहाडी	991	653	1684	668	575	1243	287	148	435	409	239	648	2355	1655	4010
5	चित्रकूट	403	206	609	268	140	408	169	28	197	199	92	291	1039	466	1505
6	योग	2729	1994	4723	2193	1306	3499	1055	368	1423	1169	695	1864	7146	4363	11509

(स्रोत– बालगणना व पंजियन के विवरण से)

AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र–(1)
31/12/2000 तक स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति
विकास खण्ड / नगर क्षेत्र का नाम ____________ जनपद – चित्रकूट

➢ **6–14 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या:**

बालक	105922	बालिका	76127	योग	182049

➢ **6–14 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या:**

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	32985		35034	4390	21590	93999
बालिका	24619		27149	2636	14335	68739
योग	57604		62183	7026	35925	162738

➢ **6–8 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या (EGS):**

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	865		710	199	971	2445
बालिका	521		508	172	395	1596
योग	1386		1218	371	1066	4041

➢ **9–14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या (AIE):**

वर्ग	अनुसूचित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	3624		2807	1248	1799	9478
बालिका	2539		1685	473	1095	5792
योग	6163		4492	1721	2894	15270
बाल श्रमिक						
घुमंतू			156			
कामकाजी	5823		4213	1636	2746	14438
विकलांग	340		279	85	148	852
*जतमभज बैपसकतमद						

AIE में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र- (2)

पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9- 14 वर्ष)

विकास खण्ड/नगर क्षेत्र का नाम ______________ जनपद –चित्रकूट

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	व्यवसाय जिसमें बच्चे मददगार	व्यवसाय में संलग्न जन0	व्यवसाय में मददगार 9 14 वर्ष के बच्चों की संख्या					
				स्कूल जाने वाले बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे		
				बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	रामनगर	कृषि	69.0	3189	4131	7320	600	583	1183
	मऊ		69.5	6142	4733	10875	736	79[illegible]	1501
	मानिकपुर		65.5	7082	5238	12320	1714	590	2304
	पहाड़ी		70.0	8010	5824	13834	1856	1302	3158
	चित्रकूट		68.5	12810	9201	22011	1561	769	2330
	योग		68.3	**37233**	**29127**	**66360**	**6467**	**4009**	**10476**
2	रामनगर	पशुपालन	0.2	25	10	35	10	15	25
	मऊ		0.3	8	6	14	7	16	23
	मानिकपुर		1.0	17	18	35	25	8	33
	पहाड़ी		0.5	20	25	45	21	19	40
	चित्रकूट		0.5	10	15	25	15	10	25
	योग		0.5	**80**	**74**	**154**	**78**	**68**	**146**
3	रामनगर	दुकानदारी	1.0	12	6	18	8	7	15
	मऊ		1.0	15	7	22	9	8	17
	मानिकपुर		1.5	17	9	26	28	7	35
	पहाड़ी		1.5	11	6	17	27	12	39
	चित्रकूट		2.0	18	12	30	12	8	20
	योग		1.4	**73**	**40**	**113**	**84**	**42**	**126**
4	रामनगर	अन्य	29.8	280	340	620	252	241	493
	मऊ		30.2	170	290	460	307	241	548
	मानिकपुर		32.0	201	277	478	851	296	1147
	पहाड़ी		28.0	193	385	578	748	528	1276
	चित्रकूट		31.0	176	381	557	691	537	1228
	योग		29.8	1020	1673	2693	2849	1643	4492

(स्रोत माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

- अन्य के अन्तर्गत दर्जी, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, आदि अंकित किये गये

AIE में नामांकन हेतु स्कूल न जाने वाले बच्चों का

विवरण

विकास खण्ड/नगर क्षेत्र का नाम ______________ जनपद – चित्रकूट

प्रपत्र – (3) उद्योगों/लघु उद्योगों/कुटीर उद्योगों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत बच्चों का विवरण (9–14 वर्ष)

क्र0 सं0	उद्योग का नाम	ग्राम/बस्ती जहाँ उद्योग स्थिति है	उद्योग से संबद्ध 9–14 वर्ष के बच्चों की संख्या					
			स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1								
2								
3								
4								
5								
6								

➢ इस जनपद में उद्योग धंधों में कार्यरत बच्चों की संख्या शून्य हैं।

EGS/AIE योजना हेतु विशिष्टता के आधार पर चिन्हित स्थलों का विवरण

प्रपत्र–(4)

(स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 31/12/2000 के आधार पर)

विकास खण्ड/नगर क्षेत्र: **मऊ**

जनपद: **चित्रकूट**

शालात्यागी बहुल क्षेत्रों के नाम			बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां			कामकाजी बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां		
जहां 9–14 वय वर्ग के 15से 25 बच्चे उपलब्ध है	जहां 25 से 50 बच्चे (9–14)उपलब्ध है	जहां 50 से अधिक बच्चे (9–14)उपलब्ध है	15 से 25 बच्चें	25से 50 बच्चें	50से अधिक बच्चें	15से 25 बच्चें	25से 50 बच्चें	50 से अधिक बच्चे
1–नीवी	1–सेसा	1–मुरका	–	–	–	1–नीवी	1–सेसा	1–भुरका
2–मंडौर	2–भिटारी	2–दमगढ़ी	–	–	–	2–मंडौर	2–भिटारी	2–दमगढ़ी
3–गढ़वा	3–बम्बुरी	3–कोनिया	–	–	–	3–गढ़वा	3–बम्बुरी	3–कोनिया
4–पूरबपताई	4–चदई	4–भरतपुर	–	–	–	4–पूरबपताई	4–चदई	4–भरतपुर
5–मनकुवार	5–बरवार	5–सुरौधा	–	–	–	5–मनकुवार	5–बरवार	5–सुरौधा
6–ताड़ी	6–सिकरौ	6–टिकरा	–	–	–	6–ताड़ी	6–सिकरौ	6–टिकरा
7–वियावल	7–लपॉव	7–तिलौनी	–	–	–	7–वियावल	7–लपॉव	7–तिलौनी
8–मनका	8–धौनिहा	8–दौलतपुर	–	–	–	8–मनका	8–धौनिहा	8–दौलतपुर
9–कटैया डाड़ी	9–छतैनी	9–खपटिहा	–	–	–	9–कटैया डाड़ी	9–छतैनी	9–खपटिहा
10–बरगढ़	10–जमिरा	10–चकौर	–	–	–	10–बरगढ़	10–जमिरा	10–चकौर
11–अहिरी	11–किटहाई	11–खण्ड़ेहा	–	–	–	11–अहिरी	11–किटहाई	11–खण्ड़ेहा
12–पनहाई	12–नेवादा		–	–	–	12–पनहाई	12–नेवादा	
13–गाहुर			–	–	–	13–गाहुर		
14–लोढौता कला			–	–	–	14–लोढौता कला		
15–चकौर			–	–	–	15–चकौर		

नोट :–

- बस्तियों के नाम ग्राम/मुहल्ले सहित अंकित किये जायेंगे। स्थान कम पड़ने पर
- पृथक प्रपत्र पर सभी चिन्हित बस्तियों के नाम लिखे जायेंगे।

EGS/AIE योजना हेतु विशिष्टता के आधार पर चिन्हित

स्थलों का विवरण

प्रपत्र–(4)

(स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 31/12/2000 के आधार पर)

विकास खण्ड/ नगर क्षेत्र **पहाड़ी** — जनपद **चित्रकूट**

शालात्यागी बहुल क्षेत्रों के नाम			बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां			कामकाजी बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां		
जहां 9–14 वय वर्ग के 15से 25 बच्चे उपलब्ध है	जहां 25 से 50 बच्चे (9–14)उपलब्ध है	जहां 50 से अधिक बच्चे (9–14)उपलब्ध है	15से 25 बच्चें	25से 50 बच्चें	50से अधिक बच्चें	15से 25 बच्चें	25से 50 बच्चें	50 से अधिक बच्चें
1–लोहदा	1–ओरा	1–चिल्लीमल				1–लोहदा	1–ओरा	1–चिल्लीमल
2–पनौटी	2–दरसैंड़ा	2–बिहरवां				2–पनौटी	2–दरसैंड़ा	2–बिहरवां
3–कलवलिया	3–बरेठी	3–बिलास				3–कलवलिया	3–बरेठी	3–बिलास
4–नांदी	4–मिर्जापुर	4–बरद्वारा				4–नांदी	4–मिर्जापुर	4–बरद्वारा
5–बकटा बुजुर्ग	5–हरदौली	5–मदेदू				5–बकटा बुजुर्ग	5–हरदौली	5–मदेदू
6–देवल	6–चनहट	6–तीरघुमाई गंगू				6–देवल	6–चनहट	6–तीरघुनाई गंगू
7–चौरा	7–अशोह					7–चौरा	7–अशोह	
8–सेमरवार	8–बालापुर	7–सुरवल					8–बालापुर	7–सुरवल
9–अर्जुनपुर	9–नहरा						9–नहरा	
10–मोहरवा	10–सुरसेन	8–कनकोटा				8–सेमरवार	10–सुरसेन	8–कनकोटा
11–सगवारा	11–पिपरोदर	9–सरघुवा					11–पिपरोदर	9–सरघुवा
12–बाबूपुर	12–पथरामानी	10–वीरघुमाई सुरकी				9–अर्जुनपुर	12–पथरामानी	10–तीरघुमाई सुरकी
13–कपना	13–बछरन	11–चॉदी					13–बछरन	11–चॉदी
14–इटौरा	14–रैपुरवा					10–मोहरवा	14–रैपुरवा	
15–अगरहुंडा	15–भटरी					11–सगवारा	15–मटरी	
16–गनीवा	16–अतरौली					12–बाबूपुर	16–अतरौली	
17–पहाडी	17–कलवारा खुर्द					13–कपना	17–कलवारा खुर्द	
18–गौहानी	18–कलवारा बुर्जुग					14–इटौरा	18–कलवारा बुर्जुग	
19–तेराखुर्द	19–रायपुर					15–जमहिल	19–रायपुर	
	20 डहरिया का पुरवा					16–अगरहुंडा गनीवा		
						17–पहाडी गौहानी		
						18–तेराखुर्द		

(स्रोत– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

EGS/AIE योजना हेतु विशिष्टता के आधार पर चिन्हित

स्थलों का विवरण

प्रपत्र–(4)

(स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 31/12/2000 के आधार पर)

विकास खण्ड/नगर क्षेत्र: **चित्रकूट**

जनपद: **चित्रकूट**

शालात्यागी बहुल क्षेत्रों के नाम			बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां			कामकाजी बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां		
जहां 9–14 वय वर्ग के 15से 25 बच्चे उपलब्ध है	जहां 25 से 50 बच्चे (9–14)उपलब्ध है	जहां 50 से अधिक बच्चे (9–14)उपलब्ध है	15 से 25 बच्चें	25से 50 बच्चें	50से अधिक बच्चें	15से 25 बच्चें	25से 50 बच्चें	50 से अधिक बच्चे
1–इटखरी	1–कादरगंज	1–हिनौता माफी				1–इटखरी	1–कादरगंज	1–हिनौता माफी
2–बारामाफी	2–गढीघाट	2–मनोहरगंज				2–बारामाफी	2–गढीघाट	2–मनोहरगंज
3–सोनेपुर	3–दहिनी	3–चिल्ला माफी				3–सोनेपुर	3–दहिनी	3–चिल्ला माफी
4–सेमरिया चरण दासी	4–मकरी पहरा	4–पटिया				4–सेमरिया चरण दासी	4–मकरी पहरा	4–पटिया
5–कपसेठी	5–रमयापुर	5–परसौंजा				5–कपसेठी	5–रमयापुर	5–परसौंजा
6–रेहुँटिया	6–इटरौर	6–पथरौंड़ी				6–रेहुँटिया	6–इटरौर	6–पथरौंड़ी
7–सिद्धपुर	7–कसहाई	7–मरकोरी				7–सिद्धपुर	7–कसहाई	7–मरकोरी
8–कालूपुर	8–नकसेली	8–सेमरामाफी				8–कालूपुर	8–नकसेली	8–सेमरामाफी
9–बगलई	9–शिवरामपुर	9–तामबनी				9–बगलई	9–शिवरामपुर	9–तामबनी
10–मछरिहा	10–मैसौंधा	10–खोह				10–मछरिहा	10–मैसौंधा	10–खोह
11–मकरी गगोर	11–कोल गदहिया	11–खजुरिहा				11–मकरी गगोर	11–कोल गदहिया	11–खजुरिहा
12–मारतपुर	12–रेहुँटिया	12–मंमई				12–मारतपुर	12–रेहुँटिया	12–मंमई
	13–अमानपुर	13–तरौंहा					13–अमानपुर	13–तरौंहा
	14–डिलौरा	14–रानीपुर भट्ट					14–डिलौरा	14–रानीपुर भट्ट
	15–साईपुर	15–घुरेटनपुर					15–साईपुर	15–घुरेटनपुर

(स्रोत– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

EGS/AIE योजना हेतु विशिष्टता के आधार पर चिन्हित

स्थलों का विवरण

प्रपत्र–(4)

(स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 31/12/2000 के आधार पर)

विकास खण्ड/ नगर क्षेत्र	जनपद
रामनगर	चित्रकूट

शालात्यागी बहुल क्षेत्रों के नाम			बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां			कामकाजी बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां		
जहां 9–14 वय वर्ग के 15से 25 बच्चे उपलब्ध है	जहां 25 से 50 बच्चे (9–14)उपलब्ध है	जहां 50 से अधिक बच्चे (9–14)उपलब्ध है	15 से 25 बच्चें	25से 50 बच्चें	50से अधिक बच्चें	15से 25 बच्चें	25से 50 बच्चें	50 से अधिक बच्चे
1–सिरावल	1–खोर	1–इटवां				1–सिरावल	1–खोर	1–इटवां
2–बल्हौरा	2–पिपरौंद	2–महुलिहा				2–बल्हौरा	2–पिपरौंद	2–महुलिहा
3–खजुरिहा खुर्द	3–कटैया खादर	3–नांदिन कुर्मियान				3–खजुरिहा खुर्द	3–कटैया खादर	3–नांदिन कुर्मियांन
4–रामनगर	4–सुहेल	4–तीर मउ				4–रामनगर	4–सुहेल	4–तीर मउ
5–अमवा	5–लौरी	5–छीबों				5–अमवा	5–लौरी	5–छीबों
6–गंज	6–हनुमानगंज	6–रूपौली				6–गंज	6–हनुमानगंज	6–रूपौली
7–शिवलहापुरवा	7–पैकौरा	7–रगौली				7–शिवलहापुरवा	7–पैकौरा	7–रगौली
8–अमरपुर	8–बरूवा					8–अमरपुर	8–बरूवा	
9–लोघौरा	9–बंभेट					9–लोघौरा	9–बंभेट	
10–उफरौली	10–पराको					10–उफरौली	10–पराको	
11–हन्ना						11–हन्ना		
12–पियरिया कलॉ						12–पियरिया कलॉ		
13–रामपुर						13–रामपुर		
14–करौंदी कला						14–करौंदी कला		

(स्रोत– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

EGS/AIE योजना हेतु विशिष्टता के आधार पर चिन्हित स्थलों का विवरण

प्रपत्र–(4)

(स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 31/12/2000 के आधार पर)

विकास खण्ड/ नगर क्षेत्र: मानिकपुर

जनपद: चित्रकूट

शालात्यागी बहुल क्षेत्रों के नाम			बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां			कामकाजी बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां		
जहां 9–14 वय वर्ग के 15से 25 बच्चे उपलब्ध है	जहां 25 से 50 बच्चे (9–14)उपलब्ध है	जहां 50 से अधिक बच्चे (9–14)उपलब्ध है	15 से 25 बच्चें	25से 50 बच्चें	50से अधिक बच्चें	15से 25 बच्चें	25से 50 बच्चें	50 से अधिक बच्चे
1–जारौंमाफी	1–गोपीपुर	1–अगरहुंडा				1–जारौंमाफी	1–गोपीपुर	1–अगरहुंडा
2–मड़ैयन	2–मदना	2–अमचुरनेरूवा				2–मड़ैयन	2–मदना	2–अमचुरनेरूवा
3–कैलहा	3–ददरी माफी	3–रैपुरा				3–कैलहा	3–ददरी माफी	3–रैपुरा
4–गिदुरहा	4–रूकमा बुजुर्ग	4–बगरेही				4–गिदुरहा	4–रूकमा बुजुर्ग	4–बगरेही
5–गंढचपा	5–चरदहा	5–अरवारा				5–गंढचपा	5–चरदहा	5–अरवारा
6–उँचाडीह	6–कर्का पहड़िया	6–कुई				6–उँचाडीह	6–कर्का पहड़िया	6–कुई
7–बराहमाफी	7–लौढिया					7–बराहमाफी	7–लौढिया	
8–इटवांडुड़ैला	8–कलयाणपुर					8–इटवांडुड़ैला	8–कलयाणपुर	
9–रानीपुर	9–कौबरा					9–रानीपुर	9–कौबरा	
10–सेमरदहा	10–धान					10–सेमरदहा	10–धान	
11–चर	11–खरौंध					11–चर	11–खरौंध	
12–मगरहाई						12–मगरहाई		
13–गौटिया						13–गौटिया		
14–बगदरी						14–बगदरी		
15–खिचरी						15–खिचरी		
16–हनुवां						16–हनुवां		

(स्रोत– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

सामाजिक, आर्थिक एवं भौगौलिक परिदृश्यः

जनपद चित्रकूट में अनु0 जाति व पिछडी जाति की आबादी लगभग 60 प्रतिशत है । यहां पर पाठा क्षेत्र में कोर्स जाति निवास करती है जो आदिवासियों की तरह अपना जीवन यापन करते है। जंगली क्षेत्र होने के कारण जंगलों से लकडियां काटकर अपना जीवन यापन करते है। यहां की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर है। कृषि क्षेत्र की सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत ही है शेष 50 प्रतिशत क्षेत्र जंगली एवं विन्ध्य पर्वत श्रृंखलाओं के कारण काफी जनसंख्या पत्थर तोड़ने का काम भी करते हैं। भौरी मानिकपुर, बरगढ एवं भरतकूप क्षेत्र बहुत से मजदूर पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। जिससे वे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसी रोजी रोटी की आपूर्ति में लगे होने के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते है तथा कुछ बच्चे अपने परिवार के साथ पत्थर तोडने एवं लकड़ियां काटने का भी काम करते है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण कृषि क्षेत्र भी असिंचित है जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक पिछड़ापन है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं है बरसात के दिनों में कच्चे मार्गो पर 1 कि0मी0 पैदल चलना भी कठिन है साईकिल, मोटर साईकिल या अन्य वाहन बिल्कुल नहीं चल सकते हैं जिससे लोगों को बाजार तक अपनी उपज पहुँचाना भी कठिन रहता हैं जिससे आर्थिक पिछड़ापन बना हुआ हैं। इन परिस्थितियों के कारण बच्चे स्कूल कम मात्रा में ही जाते है या फिर अपनी पढ़ाई बीच मे ही छोड़ देते हैं। इस जनपद की ड्राप आउट दर 32 प्रतिशत है।

3– रणनीतियां

जनपद चित्रकूट की भौगोलिक , आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए 6 –14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा में जोडने हेतु निम्न रणनीतियां अपनायी जायेंगी।

1– एक किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्तर के विधालय न होने की स्थिति में 6–8 वय वर्ग के बच्चों हेतु ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगे।और इन केन्द्रों में कक्षा 1व 2 के स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराकर आगे की कक्षा में प्रवेश दिलाया जायगा।

2– प्राथमिक स्तर की शिक्षा से वंचित अथवा ड्राप आउट 9–14 वय बर्ग के बच्चों के लिए विकास खण्ड रामनगर, मउ, मानिकपुर, पहाड़ी, चित्रकूट में प्रा0 स्तर के शिक्षा केन्द्र/शिक्षा घर खोले जायेंगे तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान कर मुख्य धारा में जोडा जायगा।

3– उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा से वंचित अथवा डाप आउट को 9–14 वय वर्ग के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा दिलाने हेतु विकास खण्ड रामनगर पहाडी मउ मानिकपुर चित्रकूट में शिक्षाघर उच्च प्राथमिक स्तर के वैकल्पक शिक्षा केन्द्र/शिक्षाघर खोले जायेंगे।

4– पत्थर तोडने वाले या जंगल में लकडी काटने वाले बच्चों को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा दिलाने हेतु विकास खण्ड कर्वी के भरतकूप क्षेत्र में पत्थर तोडने वाले बच्चों हेतु एक ब्रिज कोर्स तथा मउ विकास खण्ड के बरगढ क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा हेतु एक ब्रिज कोर्स तथा मानिकपुर के जंगली क्षेत्र में ब्रिज कोर्स का केन्द्र खोला जायगा।

5– निःशुल्क पुस्तक की व्यवस्था ई0जी0एस0 एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पंजीकृत होने वाले बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें व शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

4– कार्यक्रम

किसी बच्चे को विद्यालय में पहुँचाना आसान है, किन्तु उसे विद्यालय में बनाये रखना कठिन है। इसलिए अर्जित शिक्षा को बनाये रखने और उसे विद्यालय में रोके रखने व अगली कक्षाओं में बढ़ाने के लिए वैकल्पिक एवं रूचिपूर्ण शिक्षा की प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है। इसलिए 6–14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय में बनाये रखने व उन्हें आगे की शिक्षा पूर्ण करने के लिए उन्हें एवं उनके अभिभावको में जागरूकता उत्पन्न करना एवं सामुदायीकरण की भावना विकसित करना जिससे वे अपनी स्थिति एवं परिस्थिति को सुधारने के लिए संगठित होकर सामूहिक प्रयास कर सके साथ ही अर्जित दक्षताओं एवं ज्ञान का उपयोग वे जीवन में सुव्यवस्थित ढ़ंग से कर सके।

क– शिक्षा गारन्टी योजना , वैकल्पिक शिक्षा नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रम निम्नवत है–

- <u>ई0जी0एस0 शिक्षा गारन्टी योजना</u> –चित्रकूट जनपद के विकास खण्ड पहाडी ,मउ , मानिकपुर ,रामनगर चित्रकूट के 84 ऐसे मजरे हैं जहाँ तीस बच्चें उपलब्ध है और एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विधालय नही है उन बस्तियों में 6–8 वय वर्ग के बच्चों को कक्षा 1व 2 स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगे जिसमें पढने वाला कोई भी बच्चा किसी भी समय मुख्य धारा में प्रवेश ले सकता है इन ई0जी0एस0 केन्द्रों एक आचार्य/अनुदेशक की व्यवस्था की जायगी जो कि स्थानीय होगा। बच्चों को नि:शुल्क शिक्षण पाठ्य सामग्री ग्राम शिक्षा समिति/जिला शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

- प्रस्तावित ई0जी0एस0 केन्द्र विकास खण्डवार निम्नवत् हैं।

कम संख्या	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित विद्या केन्द्र
1	रामनगर	10
2	मउ	10
3	मानिकपुर	20
4	पहाड़ी	22
5	चित्रकूट	22
	योग	84

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

4 (ख) <u>वैकल्पिक शिक्षा</u>

चित्रकूट जनपद के 9–14 वय वर्ग के बहुत से बच्चे अपनी पारिवारिक/ सामाजिक /आर्थिक एवं अन्य समस्याओं के कारण प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किये बिना ही अपनी पढायी बीच में ही छोडकर विघालय से चले जाते है। ऐसे बच्चों को प्रारम्भिक स्तर तक शिक्षा प्रदान कर उन्हें आगे की कक्षाओं में प्रवेश दिलाने हेतु प्राथमिक एवं उच्च

प्राथमिक स्तर पर 20 बच्चे उपलब्ध होने पर ही शिक्षाघर खोले जायेंगे जनपद के 249 ग्राम/मजरों में केन्द्र/शिक्षाघर खोले जाएगें ये शिक्षाघर/वैकल्पिक शिक्षा प्रतिदिन 4 घन्टे संचालित किये जाएगें। प्राथमिक स्तर पर एक अनुदेशक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर दो अनुदेशक रखें जाएगें तथा बच्चों को शिक्षण सामग्री ग्राम शिक्षा समिति/जिला शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी ।

➢ प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/शिक्षाघर निम्नवत् हैं—

प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र जनपद चित्रकूट

कम संख्या	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित शिक्षा केन्द्र प्रा0 स्तर	प्रस्तावित शिक्षा केन्द्र उच्च प्रा0 स्तर
1	रामनगर	02	04
2	मउ	08	08
3	मानिकपुर	10	08
4	पहाड़ी	10	10
5	चित्रकूट	10	10
	योग	40	40

(स्रोत – माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

ब्रिज कोर्स

जनपद चित्रकूट की भौगोलिक आर्थिक स्थिति के कारण बहुत से बच्चे पत्थर तोडने/जंगल में लकडियॉ काटने में सहयोग करते या अपने छोटे भई बहिनों की घर में रखवाली करते हैं ऐसे बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स को संचालित किये जाएगें जिसमें बच्चे रहने खाने पीने ठहरने व शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी ये ब्रिज कोर्स 4से 18 माह की परिस्थितयों को देखते हुए संचालित किये जाएगें। पाठा क्षेत्र एवं बरगढ क्षेत्र में अधिकांश 9–14 वय वर्ग को बालिकायें अपनी प्रारम्भिक स्तर की पढायी बीच में छोड देती हैं इन बालिकाओं के लिए मउ ब्लाक के बरगढ क्षेत्र में एक ब्रिज कोर्स स्वैच्छिक संस्था द्वारा संचालित किया जायगा जो 9–14 वय वर्ग की डाप आउट बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करायेगा। प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने पर बालिकाओं को आगे की कक्षाओं में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भरतकूप के आसपास केसर उधोग में लगे श्रमिकों के बच्चों के लिए एक ब्रिज कोर्स का केन्द्र संचालित किया जाएगा यह केन्द्र स्वयं सेवी सेस्था द्वारा संचालित किया जाएगा।

मानिकपुर विकासखण्ड के कोल जाति के बच्चों के लिए एक ब्रिज कोर्स संचालित किया जाएगा।

इन ब्रिज कोर्सो को संचालित करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को धनराशि जिला शिक्षा समिति के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

नवाचार शिक्षा केन्द्रः

मोबाइल स्कूलः–

जनपद के मउ विकास खण्ड के बरगढ़ न्याय पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित कोल जाति के अधिकांश परिवार पत्थर तोड़ने का कार्य करते है। एक स्थान पर पत्थर खदान में 15–20 परिवार एक साथ रहकर कार्य करते हैं। पत्थर खदान से पत्थर समाप्त हो जाने पर खदान मालिक सारे मजदूर परिवारों को 2–4 किलोमीटर दूर पत्थर खदानों में

काम पर लगा देते हैं। अपनी आर्थिक विषम स्थिति गतिशीलता एवं उदासीनता के कारण ये लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत मोबाइल स्कूल के माध्यम से शिक्षा दी जायेगी। जिससे सर्वशिक्षा अभियान के मूल उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके।

मानिकपुर के जंगली पहाड़ी इलाके के मारकुंडी क्षेत्र में कोल जाति एवं गरीब परिवार के बच्चे समूह में गाय, बकरी चराते हैं या लकड़ी काट कर अपने परिवार की आर्थिक मदद करते हैं। ऐसे बच्चों को भी मोबाइल स्कूल के माध्यम से शिक्षा दी जायेगी।

दो मोबाइल स्कूल की व्यवस्था सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत की जायेगी। प्रत्येक मोबाइल स्कूल में दो अनुदेशक होंगे। बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से इनको शिक्षण सामग्री के साथ – साथ ढोलक , मंजीरा, हारमोनियम की व्यवस्था की जायेगी। केन्द्र को गतिशील बनाने के उद्देश्य से छतरी दार ट्राई साइकिल की व्यवस्था सामाजिक सहयोग एवं केन्द्र व्यय के माध्यम से की जायेगी। इन मोबाइल स्कूल में पुस्तक, रोलर बोर्ड, चाक, डस्टर, कापी, पेंसिल की व्यवस्था की जायेगी। आकर्षक एवं रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य स्थानीय संगीत का प्रयोग किया जायेगा। एक मोबाइल स्कूल पर दो प्राथमिक ए.आई.ई. केन्द्रों के समकक्ष व्यय माना जायेगा। अतः दो मोबाइल स्कूल पर व्यय 4 प्राथमिक ए.आई.ई. केन्द्रों के बराबर होगा।

इन मोबाइल केन्द्रों के सफल संचालन का पूर्ण उत्तर दायित्व उस क्षेत्र के एन.पी. आर.सी. प्रभारी का होगा। यह विकास खण्ड की शिक्षा समिति की देख–रेख में कार्य करेंगे। इन केन्द्रों का प्रतिमाह निरीक्षण बी.एस.ए. एवं ए.बी.एस.ए. द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों पर एक निरीक्षण रजिस्टर होगा जिसमें सम्बन्धित अधिकारी अपनी आख्या अंकित करेंगे।

- ग– ई0जी0एस0 केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/शिक्षाघर केन्द्र स्थानीय ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से खोले जाएगें। ग्राम शिक्षा समिति अपना प्रस्ताव बनाकर विकासखण्ड स्तर की शिक्षा समिति के पास भेजेगी तथा विकास खण्ड स्तर की शिक्षा समिति सुव्यवस्थित ढंग से जॉच कर उचित पाये जाने पर केन्द्र खोले जाने की अपनी संस्तुति प्रदान करेगी। शिक्षा कार्य के लिए कक्षा–कक्ष एवं पेयजल की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति निःशुल्क करेगी तथा ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा केन्द्र संचालित करने हेतु आचार्य/अनुदेशक की व्यवस्था स्थानीय व्यक्तियों से करेगी।

ब्रिज कोर्स स्वयंसेवी संस्था द्वारा की जाएगी जिसमें कक्षा कक्ष, रसोइयां व व्यवस्था स्वयंसेवी संस्था द्वारा की जाएगी। भवन निःशुल्क लिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में किराये पर भवन लिया जाएगा। किराया तभी दिया जाएगा जब जिला परियोजना समिति उचित समझेगी।

नवाचार केन्द्र प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विघालयों में संचालित किये जाऐगे।

(घ)– आचार्य/अनुदेशक की नियुक्ति

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/शिक्षाघर प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर के आचार्य/अनुदेशक का चयन स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा, अनुमोदन जिला स्तरीय शिक्षा समिति द्वारा होगा। ई0 जी0 एस0 केन्द्र संचालन हेतु आचार्य की योग्यता हाईस्कूल उम्र 18वर्ष से कम न हो प्राथमिक स्तर के शिक्षा घर / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हेतु अनुदेशक की योग्यता हाईस्कूल एवं उम्र 18 वर्ष से कम न हो और उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की योग्यता स्नातक व उम्र 21 वर्ष से कम न हो। नगर क्षेत्र में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद सम्बन्धित क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्र0अ0 की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

(ड0)– आचार्य जी अनुदेशक का प्रशिक्षण

आचार्य जी अनुदेशकों को 30 दिन का एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अनुदेशक प्रशिक्षण एन0सी0आर0 टी0 द्वारा तैयार पाठ्यक्रम के आधार पर जिला प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेन्टर पर किया जाएगा। यह प्रशिक्षण डायट के प्रवक्ताओं,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एस0डी0आई0 तथा योग्य अध्यापकों द्वारा किया जाएगा प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा 1500/–रू0 प्रति अनुदेशक को दर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा।

(च)– शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साजसज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते सीधे स्थान्तरित की जाएगी।ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर कय करके सीधे केन्द्र अनुदेशक को देगें तथा पाठ्य पुस्तकें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।इस धनराशि का समायोजक शिक्षण सामग्री मद से किया जाएगा।

(छ)–*केन्द्रों के संचालन हेतु अनुसांगिक व्यय की व्यवस्था*

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु प्राथमिक स्तर केन्द्र कान्टीजेन्सी हेतु 468.75 तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा केन्द्र हेतु 500/–प्रति केन्द्र की दर से ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।इसमें से केन्द्र हेतु बाल्टी, झाडू, कागज ,कार्बन अन्य अवश्यक सामग्री कय कर उपलब्ध कराया जाएगा।

5– पर्यवेक्षण :

कोई भी कार्यकम तभी सफल हो सकता है जब उसकी नियमित एवं सतत पर्यवेक्षण होता रहे। यदि कार्यकम का सतत व नियमित पर्यवेक्षेण नही होगा तो कार्यकम सही ढंग से संचालित नही हो सकेगा। जनपद चित्रकूट को संचालित होने वाले ई0जी0एस0,वैकल्पिक/ब्रिज कोर्स/नवाचार केन्द्रों के सतत एवं नियमित निरीक्षण/पयेवेक्षण हेतु निम्न व्यवस्था की जायगी।

<u>पदों की आवश्यकता</u>

ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा/ब्रिजकोर्स/नवाचार केन्द्र के सतत संचालन को सुनिश्चित करने/समुदायिक सहभागिता बनाने,मूल्यांकन अनुश्रवण एवं सूचना का एकत्रीकरण व सर्वेक्षण आदि का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित व सर्वेक्षण आदि का कार्य सुव्यवस्थित कराने हेतु 4 समन्वयक जनपद स्तर पर होने चाहिये जो प्रशिक्षण , मूल्योंकन , सामुदायिक सहभागिता निरीक्षण आदि का काम सुव्यवथित ढंग से कर सके क्योंकि विकास खण्ड स्तर पर ए0बी0एस0ए0 व एस0डी0आई0 को कार्य का बोझ बहुत अधिक है प्रतिवर्ष तमाम नये विधालय खोले जा रहे हैं। विद्यालयों की संख्या बढने से वे अपना निरीक्षण पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन सही ढंग से नही कर पाते हैं।

<u>पर्यवेक्षण हेतु मानक चेक बिन्दु</u>

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा/ब्रिज कोर्स नवाचार केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु निम्न चेकबिन्दु होगें।

- इन केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चे किसी अन्य जगह तो पंजीकृत नही है। यह सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों व आचार्य जी

व अनुदेशक से जानकारी प्राप्त किया जायगा साथ ही नजदीक के अन्य केन्द्रों विधालयों आदि से जानकारी प्राप्त की जाएगी।

- बच्चों को समय से शिक्षण सामग्री व केन्द्रों को केन्द्र हेतु सामग्री समय से उपलब्ध हुयी या नही ओर उसके रखरखाव की स्थिति पाठ्यकम या अन्य कियाकलाप बच्चों के ज्ञान एवं उम्र के स्तर के हैं अथवा नही व पाठ्यकम को व्यवस्थानुसार पढाया जा रहा है या नहीं।
- बच्चे केन्द्र पर नियमित आते हैं या नहीं यदि नही तो कारण ज्ञात कर उसका समाधान करने का प्रयास
- निर्धारित दक्षता प्राप्त करने वाले बच्चो। का समय समय पर मूल्यांकन व आगे की कक्षा में प्रवेश हेतु भेजना।

पर्यवेक्षण की प्रणाली – जनपद मे ई0 जी0 एस0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ब्रिज कोर्स /नवाचार केन्द्रो के पर्यक्षण की प्रणाली निम्नवत सुनिश्चित की जायेगी ।

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रति सप्ताह ।
- संकुल प्रभारी माह मे दो बार प्रति केन्द्र ।
- बी0 आर0 सी0 प्रभारी माह मे 20 केन्द्र ।
- एस0डी0 आई0 /सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति 30 केन्द्र ।
- जनपदीय अधिकारी 25 केन्द्र प्रतिमाह प्रत्येक विकास खण्ड में 3 केन्द्र प्रतिमाह आवश्यक है ।
- मण्डलीय अधिकारी 20 केन्द्र प्रतिमाह प्रति जनपद 4 केन्द्र ।
- राज्य स्तरीय अधिकारी 6 माह 10 केन्द्र प्रति मण्डल ।

6–शिक्षार्थियों का मूल्यांकन व मुख्य धारा में सम्मिलित होने की व्यवस्था:–

मूल्यांकन एक ऐसी अन्तर्निहित और सतत प्रकिया है जिसके द्वारा किसी कार्यकम के परिणामों कू मूल्य उसके उद्देश्यों के सन्दर्भ में आंका जाता है। मूल्यांकन किसी कार्यकम को अधिक प्रभावी बनाने तथा आगामी कार्यकम का सम्यक नियोजन करने में भी दिग्दर्शक का काम करता है।

किसी कार्यकम के कार्यान्वयन के समय आने वाली कठिनाईयों की जानकारी व निराकरण के उपाय यकार्यकम को अधिक सबल एवं प्रभावी बनाते है। यह मूल्यांकन कार्यकम संचालक द्वारा स्वयं अपने माध्यम से किया जायेगा। मूल्यांकन में कार्यकम के निम्न पक्षों को सम्मिलित किया जायेगा।

- सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक भौतिक पर्यावरण जो कार्यकम को प्रमाणित करते है।
- कार्यकम में लगाये यगये मानवीय एवं भैतिक साधन का उपयोग।
- शिक्षण की प्रकियाऐं, कार्यकर्ताओं की भूमिका, पठन, पाठन सामग्री का उपयोग।
- कार्यकम सही दिशा मे चल रहा हैं या नही जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यकम चल रहा है उसकी पूर्ति कहाँ तक हो रही है।
- बच्चों को निर्धारित शैक्षिक स्तर प्राप्त होने पर उसे आगे की कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा।

<u>मूल्यांकन की विधियॉ</u>

- ***केस स्टडी***– इसमें एक इकाई का सम्पूर्ण एवं सर्वागीण अध्यन किया जायगा।
- ***सर्वेक्षण***– बच्चों के विभिन्न कक्षा समूहों परिस्थितियों व दशाओं का अध्यन किया जाएगा।

- *प्रतिभागियों के स्तर* –प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन इसलिए किया जाएगाकि उसमें कुछ परिवर्तन आया है या नहीं यदि आया है तो उस परिवर्तन की उपयोगिता।
- *परियोजना स्तर*– परियोजना स्तर पर विभिन्न पक्षों तथा क्षेत्र आदि का ज्ञान विभिन्न स्तरीय कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण व अनुवर्ती कार्यक्रमों का अध्ययन करना आदि।

7– अनुश्रवण की व्यवस्था

जब किसी क्षेत्र में कोई कार्यक्रम चल रहा होता है तब अनुश्रवण उस कार्यक्रम को संचालित करने वाले कार्यकर्ताओं एवं प्रबंधकों को ठीक से कार्यक्रम चलाने के लिए समर्थ बनाता है। यह व्यवस्था कार्यक्रम जनपद चित्रकूट में अनुदेशक ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/शिक्षाघर/नवाचार केन्द्रों की आख्या केन्द्र स्तर से लेकर विकास खण्ड जनपद स्तर पर अनुश्रवण द्वारा भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न प्रयोजन हेतु रखे जाएगें। तथा जनपद स्तर से मण्डल एवं राज्य स्तर पर अनुश्रवण आख्याऐं प्रेषित की जाएगी।

यह अनुश्रवण केवल कार्यक्रम के आकड़ों के जमा करने मात्र से नही होगा बल्कि वे सक्षेत्र सूचीबद्ध किये जाएगें जिसमें हस्तक्षेप की अवश्यकता होगी। तथा यदि बोर्ड अपना दायित्व का निर्वाह ठीक ढ़ंग से नही कर रहा है तो उसको हतोत्साहित न करके उसे सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह अनुश्रवण बच्चों के गुणात्मक सुधार व अभिभावकों मे जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा जो विभिन्न स्तरों पर निम्नवत् रहेगा।

कम्प्यूटराइज्ड मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम की स्थापना

जिन मजरों/ग्रामों में ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/ब्रिज कोर्स/नवाचार केन्द्र खोले जायेगे उनकी आख्या ग्रामशिक्षा समिति से लेकर संकुल विकास खण्ड जनपद एवं मण्डल स्तर व राज्य पर भेजने हेतु प्रारम्भिक व्यवस्था की जाएगी। केन्द्र संचालन के बाद यह व्यवस्था प्रतिमाह व त्रैमासिक आख्या भेजी जाएगी इन आख्याओं में केन्द्र स्तर की समस्त गतिविधियों एवं कियाकलापों को संख्याबद्ध, सूचीबद्ध करके निर्धारित प्रपत्रों पर भेजी जाएगी।

आंकड़ों का एकीकरण

केन्द्र स्तर पर एकत्रित की गयी समस्त सूचनाये गतिविधियां एवं किया कलापों का संकलन एन0पी0आर0सी0स्तर पर तथा विकास खण्ड स्तर पर समस्त एन0पी0आर0सी0 द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण विकास खण्ड पर गठित शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। विश्लेषण में जिस स्तर पर कोई कमी पायी जाएगी उस स्तर पर उस कमी को शिक्षा समिति एवं जनसहयोग से किया जायेगा।

भौतिक सत्यापन

केन्द्र स्तर पर एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर से प्राप्त सूचनाओं के संकलन के पश्चात उन सूचनाओं का भौतिक सत्यापन विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर गठित शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह किया जाएगा।

बैठकें

केन्द्र स्तर से लेकर विकासखण्ड स्तर पर प्रत्येक माह बैठकें आयोजित की जाएगी केन्द्र स्तर पर प्रति सप्ताह ग्राम शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें स्थानीय स्तर पर आयी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा तथा प्रत्येक माह विकास खण्ड स्तर पर एक मासिक बैठक आयोजित की जायगी जिमें समस्त

अनुदेशक/आचार्य एवं एन0पी0आर0सी0 प्रतिभाग करेगें तथा प्रत्येक त्रैमास में जनपद स्तर पर जिसमें एन0पी0आर0सी0 प्रभारी बी0आर0सी0 प्रभारी व ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0 एवं जनपद स्तरीय अधिकारी भाग लेगें तथा वर्ष में दो बार जिला शिक्षा समिति की बैठके आयोजित की जायेगी जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जायगा।

बैठकों का विवरण

क0 सं0	बैठकों की अवधि	बैठक में प्रतिभाग करने वालों का विवरण
1	साप्ताहिक	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य,आचार्य/अनुदेशक
2	पाक्षिक 15 दिन में	अनुदेशक एन0पी0आर0सी0प्रभारी आदि
3	मासिक	एन0पी0आर0सी0 प्रभारी/अनुदेशक/बी0आर0सी0प्रभारी,ए0बी0एस0ए0व विकासखण्ड स्तरीय शिक्षा समिति
4	त्रैमासिक	एन0 पी0 आर0 सी0,प्रभारी,बी0 आर0 सी0 प्रभारी, सहा0 बे0 शि0 अधि0/एस0 ओ0 जी0 व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,समन्वयक व उपरोक्त शिक्षा अधिकारी
5	अद्ववार्षिक/ वार्षिक	बी0 आर0 सी0 प्रभारी /ए0 बी0 एस0ए0एस0 डी0ओ0 एवंम जिला शिक्षा समिति के सहायक

प्रगति आख्याओं का प्रसारण

जनपद मे चल रहे कार्यक्रम की प्रगति आख्या का प्रसारण मण्डल स्तर पर विकास खण्ड स्तर पर व जनपद स्तर पर स्थित कार्यलयो के ब्लैक बोर्ड पर प्रति माह अंकित किया जायेगा और जनपद स्तर पर प्रगति आख्या की रिर्पोट जनपद स्तर पर स्थित सूचना पट पर अंकित की जायेगी साथ ही समाचार पत्रो के माध्यम से प्रगति आख्या का प्रसारण किया जायेगा ।

प्रबन्धन–

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा तथा इसमें निम्न सदस्य होगें–

जिलाधिकारी – अध्यक्ष
विशेषज्ञ, बे.शि.अ./जि.बे.शि.अ. – सदस्य सचिव
प्राचार्य, जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य
जिला स्तरीय श्रम विभाग का एक अधिकारी – सदस्य
जिला पंचायत अधिकारी – सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय बे.शि.अ. – सदस्य
स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि – सदस्य

(स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।)

जनपद में उर्पयुक्त योजना के अर्न्तगत प्रस्तावों को तैयार करने एवं कार्यक्रम के संचालन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :

1– वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।

2– केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रस्तावों को अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।

3– कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।

4–अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ब्वदअमतहमदबम कर कार्यक्रमों का संचालन कराना।

5– कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन कराना।

6– स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रमों के संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

अध्याय– 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

निर्माण कार्य –

(अ) विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण –

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजनान्तर्गत चित्रकूट जनपद में 83 प्राथमिक विद्यालय तथा 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों के पुनर्निर्माण का कार्य किया जा चुका है। परन्तु इस परियोजना की समाप्ति के उपरान्त भी ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में 47 की स्थिति जर्जर है। जिसका पुनर्निर्माण करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10 विद्यालयों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

(ब) अतिरिक्त कक्षा कक्ष –

चित्रकूट जनपद के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या/वर्ग के आधार पर विद्यालय में कक्षा–कक्षों की कमियों को बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत 110 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण करा कर पूर्ण किया गया, किन्तु छात्र संख्या की वृद्धि के अनुपात में अब भी अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में 657 प्राथमिक विद्यालयों तथा 180 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या एवं वर्ग के आधार पर प्रत्येक विद्यालय को कम से कम पाँच शिक्षण कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 429 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता है जिसके निर्माण का प्रस्ताव है।

(स) शौचालय, हैण्ड पम्प तथा चहारदीवारी –

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चित्रकूट जनपद में 220 शौचालय, 132 हैण्ड पम्पों की स्थापना की जा चुकी है। परन्तु परियोजना की समाप्ति के उपरान्त भी जनपद के 70 प्राथमिक विद्यालयों में एवं 203 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 90 विद्यालयों में शौचालय की आवश्यकता है तथा 114 प्राथमिक विद्यालयों एवं 37 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 151 विद्यालयों में हैण्ड पम्प की व्यवस्था नहीं है लेकिन इनका धन स्वीकृत किया जा चुका है एवं एग्रो के द्वारा शीघ्र ही इन हैण्ड पम्पों की स्थापना कर दी जायेगी।

चित्रकूट जनपद में 413 प्राथमिक विद्यालयों एवं 121 उच्च प्राथमिक विद्यालयों कुल 534 विद्यालय चहारदीवारी विहीन हैं जिसकी स्थापना का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है।

(द) विद्यालय पुनर्स्थापना –

नगर क्षेत्र कर्वी में एक बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनहीन है। जिसकी स्थापना का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है। विद्यालय के लिये भूमि नगर पालिका कर्वी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

सारणी 8.1
जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी/ आवश्यकता विकास खण्डवार, चित्रकूट :

क्रमां	नाम विकास खण्ड	भौतिक सुविधाओं हेतु मांगपत्र				
		विद्यालय पुनर्निमाण	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	पेयजल सुविधा	शौचालय	चहार दीवारी
1	रामनगर	1	11	10	1	64
2	मऊ	3	80	23	3	69
3	मानिकपुर	16	40 .	34	21	73
4	चित्रकूट	17	44	30	12	94
5	पहाडी	10	200	17	33	113
6	नगर क्षेत्र कर्वी	0	0	0	0	0
7	नगर क्षेत्र मानिकपुर	0	0	0	0	0
8	नगर क्षेत्र राजापुर	0	0	0	0	0

(स्रोत– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

जहाँ तक अतिरिक्त कक्षो की मांग का प्रश्न है वह निम्न आधार पर निकाली गयी है:

1– जिले मे केवल दो एक कक्षीय विद्यालय है जिनमें प्रत्येक में दो कक्षा कक्ष प्रस्तावित है। (इसप्रकार 2 * 2 = 4)

2– जनपद में दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या = 361 है।

3– तीन कक्षीय विद्यालयों में जहाँ पर छात्र नामांकन अधिक है, 10 ऐसे विद्यालयों में कक्षा कक्ष दिये जाएगें। (इसप्रकार कुल = 375 कक्षा कक्ष दिये जाएगें।)

सारणी 8.1 बी
जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता विकास खण्डवार :

क्रम	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय पुनर्निमाण	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	पेयजल सुविधा	शौचालय	चहर दीवरी
1	रामनगर	0	0	2	0	22
2	मऊ	1	4	7	1	25
3	मानिकपुर	0	2	8	4	12
4	चित्रकूट	2	8	4	0	23
5	पहाड़ी	8	40	16	15	39
6	नगर क्षेत्र कर्वी	0	0	0	0	0
7	नगर क्षेत्र मानिकपुर	0	0	0	0	0
8	नगर क्षेत्र राजापुर	0	0	0	0	0
	योग—	11	54	37	20	121

(स्रोत— माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र —

चित्रकूट जनपद में प्राथमिक विद्यालयों के लिये 595 प्रधानाध्यापक, 1120 सहायक अध्यापकों के पद सृजित किये जा चुके हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चित्रकूट जनपद में प्रस्तावित 92 प्राथमिक विद्यालय तथा पूर्व से संचालित 657 प्राथमिक विद्यालय कुल 749 प्राथमिक विद्यालयों में 40:1 का अनुपात बनाये रखने के लिये सारणी 8.2ए एवं 8.2बी के अनुसार वर्षवार अतिरिक्त शिक्षक एवं शिक्षामित्रों की आवश्यकता होगी। शिक्षामित्र के चयन एवं प्रक्रिया सम्बन्धित शासनादेश परिशिष्ट—III में संलग्न है।

सारणी–8.2 ए0

क्रम	वित्तीय वर्ष	परिषदीय नामांकन	ड्रापआउट दर प्रतिशत में	प्रभावी छात्र संख्या परिषदीय	40 : 1 वांछित अध्यापक
1	2000.2001	101179	32	68801	1720
2	2001.2002	109645	27	80040	2001
3	2002.2003	120148	21	94916	2373
4	2003.2004	122791	15	104372	2609
5	2004.2005	125491	10	112942	2826
6	2005.2006	128267	5	121853	3046
7	2006.2007	131089	0	131089	3277
8	2007.2008	133972	0	133972	3349
9	2008.2009	136919	0	136919	3423
10	2009.2010	139930	0	139930	3498

(स्रोत– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

सारणी 8.2 बी0

प्राथमिक स्तर पर अध्यापको की अतिरिक्त आवश्यकता वर्षवार जनपद चित्रकूट

क्रम	वित्तीय वर्ष	40:1 वांछित अध्यापक	स्वीकृत पद	सहायक अध्यापक	शिक्षामित्र
1.	2000–2001	1720	1715	–	–
2.	2001–2002	2083	1819	91	91
3.	2002–2003	2523	1899	237	237
4.	2003–2004	2824	1899	355	355
5.	2004–2005	3137	1899	463	463
6.	2005–2006	3206	1899	573	573
7.	2006–2007	3277	1899	689	689
8.	2007–2008	3349	1899	725	725
9.	2008–2009	3423	1899	762	762
10.	2009–2010	3498	1899	799	794

(स्रोत– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

विद्यालय अनुदान :

जनपद के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रू0 5000 प्रति विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव एवं रू0 2000.00 प्रति विद्यालय अनुदान के रूप मे दिया जायेगा। इस से विद्यालय की साज–सज्जा व अन्य शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। विकास खण्ड/ नगर के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या **सारणी 8.3में अंकित** है।

सारणी 8.3

क्रम	वित्तीय खण्ड / नगर	प्रा.वि. की संख्या	उ.प्रा.वि.की संख्या
1	रामनगर	90	25
2	मऊ	121	34
3	पहाड़ी	141	42
4	मानिकपुर	131	32
5	चित्रकूट	174	47
6	नगर क्षेत्र	4	2
	योग	657	180

(स्रोत– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

अध्यापक अनुदान: सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को सत्र के प्रारम्भ में 500 रूपये प्रत्येक अध्यापक की दर से एक मुक्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें अध्यापकों ने सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण छात्रों के सहयोग से किया। इस प्रकार शिक्षण कक्षाएं आकर्षक और आनंदायी बनी जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सर्व शिक्षा अभियान में भी कक्षाओं को आकर्षक बनाने के लिए प्रति अध्यापक 500

रूपया सत्र के प्रारम्भ में देने की व्यवस्था की गयी है जिसके द्वारा अध्यापक सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करेगें। उदाहरण स्वरूप कुछ सामग्री निम्न लिखित है : –

नोडिंग हार्स	:	लीवर सिस्टम समझाने के लिए
पतंग	:	एलास्टिी सिटी समझाने के लिए
कागज की सीटी	:	ध्वनि कम्पन
मास्क (मुखौटे)	:	कहानी, कविता, भाषा ज्ञान
सॉप–सीढ़ी	:	अर्थपूर्ण शब्दों के निर्माण हेतु।

शिक्षक संदर्शिका :

उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में वर्ष 2000–2001 में कक्षा 1 से 5 तक नव विकसित पाठ्य पुस्तकों को कक्षा कक्ष आतंरिक शिक्षण में सुधार लाने के लिए प्रत्येक स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षक संदर्शिकाएं विकसित की गयी है। जिसका वितरण प्रत्येक स्कूल में एक सेट दिया जा रहा है । कक्षा–6 से कक्षा –8 तक की नवीन पाठ्य पुस्तकें विकसित की जा रही है । वर्ष 2000 से 2003 में कक्षा –6 से कक्षा –8 तक की शिक्षक संदर्शिकाएं विकसित कर प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय को एक सेट शिक्षक संदर्शिकाओं का उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । वर्ष 2005 में कक्षा –1 से कक्षा–5 तक की पाठ्य पुस्तकों के नवीनीकरण के पश्चात शिक्षक संदर्शिकाओं को प्रति विद्यालय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखी गयी है । शिक्षक संदर्शिकाओं के वितरण की व्यवस्था निम्न सारणी के अनुसार प्रस्तावित हैं

सारणी 8.4
शिक्षक संदर्शिका वितरण
(परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय)

वर्ष	कक्षा	संदर्शिकाओं की कुल संख्या	कुल परिषदीय विद्यालय जिन्हें शिक्षक संदर्शिका उपलब्ध करायी जानी है (2010 तक)
2001–2002	1से 5 तक	700 शिक्षक संदर्शिका	657 प्रा0वि0 हेतु प्रति वि0 एक सैट
2002–2003	6 से 8 तक	शिक्षक संदर्शिका परियोजना परिषद द्वारा तैयार की जानी है।	350 उ0प्रा0 वि0 हेतु प्रति विद्यालय एक सैट
2005–2006	1 से 5 तक	100 शिक्षक संदर्शिका	800 प्रा0वि0 हेतु प्रति विद्यालय एक सैट

बालिका शिक्षा

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 39–29 प्रतिशत पाई गई जबकि उत्तर प्रदेश में पुरूषों की साक्षरता 55–73 और महिलाओं की साक्षरता केवल 25–31 प्रतिशत रही है। जनपद चित्रकूट में महिला साक्षरता की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। यहां महिला साक्षरता दर 10.3 प्रतिशत है। जनपद में बालिका शिक्षा के प्रति सभी वर्गों में उदासीनता रही है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया और तदानुसार बालिका शिक्षा विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गये।

यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी राष्ट्र का विकास वहां की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत प्रतिशत करने के साथ साथ सभी वर्ग की शत प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना है।

नामांकन हेतु चलाए गये विभिन्न अभियानों और गांव स्तर पर बैठक में आए विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्यायें उभर कर आई हैं जिनके समाधान के लिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

उद्योग विहीन जनपद चित्रकूट में 92.3 प्रतिशत कृषक एवं कृषक श्रमिक समुचित सिंचाई एण्वं आवागमन की सुविधा के अभाव में आर्थिक विषम परिस्थिति के कारण येन केन प्रकारेण बालक को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। परन्तु आर्थिक बदहाली, भौगोलिक विषमता एवं सामाजिक बुराइयों के कारण अपनी बालिकाओं को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। विगत दो वर्षों में विशेष प्रयास एवं जनजागरण के फलस्वरूप बालिकाओं का प्रवेश दिला दिया गया परन्तु श्रमिक मां–बाप अपने जीवन यापन के लिए अपने काम पर जाते हैं तो बालिकाएं अपने छोटे भाई बहन की देखरेख करने के कारण विद्यालय बीच में ही छोडकर चली जाती हैं। मानिकपुर क्षेत्र के 36 प्रतिशत कोल जातियों एवं अधिकांश गरीब परिवार अपना जीवन यापन जंगल की लकडियां या जंगली उत्पाद के सहारे करते हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश परिवार की बालिकाएं मां–बांप को कार्य पर जाने के कारण अपने छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं। या अपने मां–बाप के साथ लकडी काटकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस क्षेत्र विशेष में बालिका शिक्षा के विशेष प्रयास आवश्यक हैं इसी तरह मऊ ब्लाक के पाठा क्षेत्र के कोल जाति भी इसी प्रकार अपना जीवन यापन करती हैं। चित्रकूट ब्लाक के भरतकूप क्षेत्र विशेष के श्रमिक वर्ग क्रेशर कार्य में संलग्न रहते हैं जिसके कारण इन वर्ग के बालिकाएं भी शिक्षा से वंचित रह जाती है। पहाडी ब्लाक के यमुना नदी के तिरहार क्षेत्र भदेदू, बिहरवा, बरद्वारा क्षेत्र में आवागमन की विशेष असुविधा के कारण भी बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। जनपद के इन विशेष क्षेत्र में बालिका शिक्षा के बढ़ावा हेतु विशेष अभियान चलाया जाना अति आवश्यक है।

इसको दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। जनपद में 3–6 वय वर्ग के बच्चें की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे इन विद्यालयों में बालिका शिक्षा के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई। क्योंकि बालिकाएं अक्सर इस वय वर्ग के अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती थी। कक्षा 5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के लिए कार्य अनुभव के अन्तर्गत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यानुभव प्रशिक्षण की व्यवस्था रामनगर न्याय पंचायत में की गयी। परिणाम स्वरूप विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति में वृद्धि हुई एवं ड्राप आउट दर में कमी आयी।

सारणी 8.5

जनपद की विकास खण्डवार एवं नगर क्षेत्रवार महिला साक्षरता

जनपद की विकास खण्डवार एवं नगर क्षेत्रवार महिला साक्षरता वर्ष 1991 के जनगणना के आधार पर निम्नवत है –

कम संख्या	विकास खण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर (1991)
1	रामनगर	9.30
2	मऊ	13.80
3	मानिकपुर	8.00
4	पहाड़ी	10.20
5	चित्रकूट	9.30
6	टाउन–एरिया, राजापुर	15.00
7	टाउन–एरिया, मानिकपुर	12.00
8	नगर–पालिका, कर्वी	40.00
महायोग–		13.37

(स्रोत –जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिका 1998)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियां–

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जनपद में एस.एस.ए. के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है।

1. बालिकाओं के अभिभावक दूरस्थ विद्यालयों में अपनी बालिकाओं को भेजने से कतराते हैं अतः 1) किमी की परिधि एवं कम से कम प्रत्येक 300 की आबादी पर नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी एवं 800 की आबादी एवं 3 किमी की परिधि पर ऐसी प्रत्येक बस्ती में उ.प्रा. विद्यालय खोले जायेंगे जहॉ अभी विद्यालय नहीं है।
2. प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं हेतु शौचालय एवं पेय जल की व्यवस्था की जाएगी।
3. प्रत्येक प्रा. वि. एवं उ.प्रा.वि. में कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षक महिलाएं हो ऐसा प्रयास किया जायेगा।
4. उ.प्रा. विद्यालय में जहॉ पर बालिकाएं बालकों के साथ शिक्षा होने के कारण विद्यालय नहीं जाती हैं ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर उन्हे दो पालियों में चलाया जाएगा जहॉ एक पाली में केवल बालिकाएं ही शिक्षा ग्रहण करेगी।
5. माता शिक्षक संघ एवं महिला प्रेरक समूहों का गठन कर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली समस्याओं को दूर किया जाएगा।
6. बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी।
7. जनपद में बालिका शिक्षा के समन्वयन एवं देखरेख हेतु एक पूर्ण कालिक जिला समन्वयक (बालिका) की व्यवस्था नियमानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी।
8. समस्त सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से कक्षा कक्ष प्रक्रिया को, विद्यालय वातावरण आदि पर आधारित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
9. ऐसी बालिकाएं 6–8 वय वर्ग की जो औपचारिक विद्यालयों में नहीं जा सकती उनका ई. जी.एस. में प्रवेश कराया जायगा।
10. 11–14 वय वर्ग की बालिकाएं जो गांव की रूढ़िवादी परम्पराओं के कारण बालकों के साथ विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहती उनके लिए पृथक नवाचार केन्द्र खोले जायेंगे।
11. कार्यानुभव कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
12. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बालिका उन्नयन हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

कार्यक्रम :

जनजागरण अभियान : जनपद चित्रकूट में 6–11 वय वर्ग में 3025 एवं 11–14 वय वर्ग 4363 बालिकायें हैं जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं है इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जनजागरण अभियान चलाये जायेंगे। विशेषकर विकास खण्ड मानिकपुर चित्रकूट रामनगर ऐसे हैं जहां पर बालिकायें घरों में काम करती हैं या अल्प संख्यॉक हैं अपेक्षाकृत पिछडी हुई हैं इनके लिए माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह एक बार जन जागरण अभियान चलाया जायगा इसके अन्तर्गत प्रभात फेरियां जुलूस तथा पोस्टर नारों का लेखन जन सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जाएगा इसके लिए रूपये का प्रस्ताव किया जाएगा। जनपद में बालिका शिक्षा की विकास खण्डवार स्थिति सारणी 8.6 में वर्णित है ।

बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन :

1. समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे।
2. महिला प्रेरक समूहों एम.टी.ए. का गठन एवं प्रशिक्षण।
3. जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों का बालिका संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण ।

सारणी 8.6 ए

जनपद में बालिका शिक्षा की विकास खण्डवार स्थिति

6 से 11 वय वर्ग →

विकास खण्ड का नाम	कुल बालिका					स्कूल जाने वाली बालिका की संख्या					स्कूल न जाने वाली बालिका की संख्या				
	अनु. जा.	पि. जा.	अल्प.	समा.	योग	अनु. जा.	पि. जा.	अल्प.	समा.	योग	अनु. जा.	पि. जा.	अल्प.	समा.	योग
रामनगर	2172	3050	126	940	6288	2132	3020	112	915	6179	40	30	14	25	109
मऊ	3022	2710	341	4207	10280	2837	2545	280	4052	9694	185	165	81	155	586
मानिकपुर	4802	3910	257	1650	10619	4586	3746	225	1540	10097	216	150	32	110	522
पहाडी	4680	4250	232	2742	11904	4520	4152	216	2632	11520	160	98	16	110	384
चित्रकूट	7278	10280	674	3242	21676	6813	9850	540	2847	20050	465	430	134	395	1424
योग	21954	24200	1630	12781	60565	20888	23313	1353	11286	57540	1066	887	277	795	3025

(स्रोत - E.M.I.S. के अनुसार)

सारणी 8.6 ब.

जनपद में बालिका शिक्षा की विकास खण्डवार स्थिति

11 से 14 वय वर्ग →

विकास खण्ड का नाम	कुल बालिका					स्कूल जाने वाली बालिका की संख्या					स्कूल न जाने वाली बालिका की संख्या				
	अनु. जा.	पि. जा.	अल्प.	समा.	योग	अनु. जा.	पि. जा.	अल्प.	समा.	योग	अनु. जा.	पि. जा.	अल्प.	समा.	योग
रामनगर	680	873	141	320	1814	370	395	92	170	1027	310	278	49	150	787
मऊ	1210	977	320	428	2935	767	802	280	310	2139	443	175	60	118	796
मानिकपुर	735	833	407	428	2203	393	495	324	332	1544	342	138	83	96	859
पहाडी	1520	1428	423	970	4341	827	853	275	731	2686	653	575	148	239	1655
चित्रकूट	1580	1431	360	898	4269	1374	1291	332	806	3803	206	140	28	92	466
योग	5725	5142	1651	3044	15562	3731	3836	1283	6546	11199	1994	1306	368	695	4363

(स्रोत- E.M.I.S. के अनुसार)

बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीतियां :

जनपद के अत्यन्त पिछडे एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों विकास खण्डों न्याय पंचायतों ग्राम सभाओं में बालिका शिक्षकों प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माडल क्लस्टर, माडल ग्राम सभा, विकास कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

माडल क्लस्टर डेवलेपमेंट एप्रोच :

हन्ना (रामनगर), विहरवॉ (पहाड़ी), किहुनियॉ, मानिकपुर, धुरेटनपुर (चित्रकूट), बरगढ़ (मऊ) न्याय पंचायत को माडल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा इन क्लस्टर के अन्तर्गत निम्नालिखित कार्यक्रम संचालित किये जाऐंगे ताकि इन न्याय पंचायतों की समस्त ग्राम सभाओं में 6–14 वर्य वर्ग की बालिका का शत प्रतिशत नामांकन ठहराव सुनिश्चित हो सके साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वामित्व उनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्याय पंचायतों में बालिकाओं में आत्म विश्वास एवं आत्म छवि (सेल्फ) को विकसित करने उनमें नेतृत्व के गुण विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन शिविरों, किशोरी संघो को गठन लाइफ स्किल ट्रेनिंग आदि आयोजित होंगे। धीरे–धीरे माडल क्लस्टर की संख्या में वृद्धि की जाएगी। मॉडल कलस्टर एप्रोच के अन्तर्गत निम्न उपाय किये जायेगें।

(1)–विशेष नामांकन अभियान :

चयनित क्लस्टर में पी.आर.ए. (पार्टीसिपेटरी रूरल एप्रोच) विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जाएगा। प्राप्त आंकडों के आधार पर विशेष क्षेत्र मानिकपुर, चित्रकूट, रामनगर एवं पहाडी तिरहार क्षेत्र हेतु नामांकन अभियान चलाया जाएगा। सभी लक्ष्यगत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके, वे नियमित रूप से विद्यालय आये और उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि हो इसके लिए चिन्हित बच्चों के घर घर तक पहुंचना आवश्यक है इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं और समूदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूह का सहयोग लिया जाएगा।

(2) मीना कैम्पेन :

इसके माध्यम से प्रत्येक गांव स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जायगा, फिल्म प्रदर्शन, बैनर , चार्ट पोस्टर, इत्यादि के माध्यम से माता पिता अविभावकों को प्रेरित किया जाएगा। बालिका शिक्षा को प्ररित करने के वाली कैसेट–मीना को समस्त जनता को दिखाया जाएगा। मीना वीडियो कैसेट के माध्यम से प्रदर्शन से समाज एवं परिवार के मनमस्तिक पर बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में प्रेरणा जागृत होती है। इस तरह के अन्य कैसेट एवं कठपुतली आदि प्रदर्शन के माध्यम से बालिका शिक्षा को विशेष बढ़ावा दिया जाएगा।

(3) मॉ बेटी मेला आयोजन :

ग्राम स्तर पर मॉ–बेटी मेले का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य माताओं को उनकी बेटी को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना है।

(4) किशोरी सघं का गठन :

महिला सामान्यय के सहयोग से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु गॉव या न्याय पंचायत स्तर पर किशोरी संघ का गठन किया जायेगा।

(5) ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यालय प्रशिक्षण :

प्रत्येक स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित हो सके इसके लिए एम.टी.ए., पी.टी.ए., वी.ई.सी. महिला प्रेरक समूह तथा एन.पी.आर.सी. केन्द्रों के समन्वयक के लिए सघन शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। माडल न्याय पंचायत केन्द्र, सामुदायिक गतिविधियों के केन्द्र तथा शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किये जाएगें।

(6)ग्राम शिक्षा समितियों एम.टी.ए. महिला प्रेरक समूहों का गठन तथा प्रशिक्षण :

बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं उनके नामांकन विद्यालय में ठहराव तथा सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि हेतु वी.ई.सी., एम.टी.ए., डब्ल्यू.एम.जी. को संवेदनशील बनाना, विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर की गतिविधियों में उनका योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस हेतु जि.प्रा.शि. कार्य के अर्न्तगत विकसित प्रशिक्षण मंजूषा प्रयोग की जाएगी।

(7)सेवारत अध्यापक बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण :

समस्त अध्यापकों एवं बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को–आर्डिनेटर को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली रक्षारत प्रक्रियाओं गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(8) ग्रीष्मकालीन शिविर :

ड्राप आउट बालिकाओं को पुनः विद्यालयों से जोड़ने हेतु :–

(1) ड्राप आउट बालिकाओं को पुनः विद्यालय की मुख्य धारा मे लाने हेतु 30 दिन का ग्रीष्मकालीन शिविर चलाया जाएगा और उनकाऐ कक्षा विशेष में पुनः नामांकित किया जाएगा। यह शिविर प्राथमिक एवं उ0प्र0वि0 दोनो के लिए चलाये जाएगें क्षेत्र का चयन बालिकाओं की ड्रापआउट दर को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

(2) विशेष कोचिंग हेतु –

जिन लड़कियों का उपलब्धि स्तर कम है उनको इन शिविरों के माध्यम से अतिरिक्त कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी।

बालिकाएं विशेष कर कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं को पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से विद्यालय में नियमित उपस्थित न रह पाने के कारण बहुधा शैक्षिक रूप से पिछड़ जाती है तथा अन्त में अधिकांशतः धीरे–2 हीनभावना एवं कक्षा में अन्य साथियों के साथ न चल पाने के कारण विद्यालय छोड़ देती है। ऐसी बालिकाओं को चिन्हित कर व्यापक स्तर पर 40–50 बालिकाओं के लिए ग्रीष्मावकाश में 15 दिनों का शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे शिविरों में पूर्व में चिन्हित कठिन स्थलों यथा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर के साथ–2 योगा, मार्सलआर्ट, लाइफ स्किल तथा कम्यूनिटी लिविंग के अनुभव का लाभ मिल सकेगा।

अन्य–

चयनित क्लस्टर में आवश्यकतानुसार बालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स आवासीय शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। ऐसे शिविर मानिकपुर, मऊ, बरगढ़ में प्रस्तावित है। इन शिविरों में तीन माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर शाला त्यागी बालिकाओं को कन्डेन्स कोर्स के माध्यम

से उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा 5 तथा कक्षा 8 की परीक्षा दिला कर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

प्रहर पाठशाला :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानिकपुर ब्लाक के कल्याणपुर तथा मऊ के बरगढ़ में एक एक प्रहर पाठशाला चलाया जायगा। प्रहर पाठशाला में 9+ बालिकाओं के लिये है जिन्होने विद्यालयों में जाना आरम्भ नहीं किया है या तो स्कूल छोड़ चुके हैं। 9–14 आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए 15 बालिकाओं के साथ प्रारम्भ किया जाएगा। पाठ्यक्रम तथा लचीली परस्थितियों में अपनी गति क्रम द्वारा संचालित होगा जिसमें बालिकाएं सुगम रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके केन्द्र का संचालन दिन में चार घन्टे के लिए होगा। प्राथमिक स्कूल के पाठ्य पुस्तकों की सूची के अलावा प्रहर पाठशाला में मुख्यरूप से स्थानीय कला के प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी व्यवस्था होगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कला को जीवित रखना साथ ही साथ बालिकाओं को सामान्य कलाएं जैसे सिलाई कढ़ाई व टोकरी बुनना सिखाया जाएगा। दिन में ढ़ाई घन्टे प्राथमिक स्कूल का पाठ्यक्रम में लग जाते हैं बाकी समय सामान्य कला के लिए होगा। अनुदेशकों का मानदेय, चयन, वैकल्पिक शिक्षा के निर्देशानुसार होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम:

कार्यानुभव करके सीखने की शिक्षा विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा इसके अन्तर्गत जनपद के परम्परागत ट्रेंड तथा गैर परम्परागत ट्रेंड चयनकर आधुनिक तकनीकी से जोडकर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। खिलौने बनाना कला चित्रण रंगाई, सिलाई कढ़ाई बुनाई ही शिक्षा के साथ –2 स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपने माल की उपलब्धिता के आधार पर टोकरियां मिटटी के खिलौने कागज के सामान बनाने की कला सिखायी जाएगी। कार्यानुभव योजना में कृषि पशुपालन पुस्तककला धातुकला आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जाएगा। इस वर्ष विकास खण्ड स्तर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्यानुभव की योजना प्रस्तावित है। अगले वर्षो में इसका विस्तार किया जायेगा। आदर्शरूप में नगर क्षेत्र के दो विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को सामान्य ज्ञान देने हेतु प्रस्ताव है।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण :

जनपद चित्रकूट में 3–6 वय वर्ग के बच्चों के लिए बालवाडी आंगनवाडी ई.सी.सी.ई. /सी.डी.एस. केन्द्र चल रहे हैं। इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक मानसिक हड्डियों के विकास के लिए शिक्षा दी जाती है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं।

1. छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगी बालिकाओं एवं बालको को मुक्तकर विद्यालयों तक लाना एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।
2. 3–6 आयु वर्ग के प्रथम श्रेणी के बच्चों को स्कूलपूर्व तैयारी विषयक गतिविधियां उपलब्ध कराना।
3. उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न योजना है।
   - क– विद्यालय समय एवं आंगनवाडी समय साथ–साथ किया जाएगा।
   - ख– प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाडी केन्द्र एक ही प्रांगण में साथ–साथ चलाया जायेगा या एक दूसरे के नजदीक चलाया जायेगा।
   - ग– आंगनवाडी केन्द्रों को टी.एल.एम. प्रदान कर शसक्तीकरण किया जाएगा
   - घ– ई.सी.सी.ई. केन्द्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए आई.सी.डी.एस. के साथ कार्य किया जाएगा।
   - ड– आंगनवाडी कार्यकर्ता को 7+7 दिंन की ट्रेनिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।

जनपद चित्रकूट के पांचों विकास खण्ड मानिकपुर, मऊ, चित्रकूट, रामनगर एवं पहाडी में आई.सी.डी.एस. के द्वारा आंगनवाडी केन्द्र चलाया जा रहा है। किन्तु जनपद में कुछ विकास खण्ड मानिकपुर, चित्रकूट, रामनगर ऐसे हैं। जहां पर महिला साक्षरता दर क्रमशः 8 प्रतिशत, 9.30 प्रतिशत, 9.30 प्रतिशत है। साथ ही साथ मऊ ब्लाक के कोल जाति विशेष क्षेत्र बरगढ़ एवं पहाडी के तिरहार क्षेत्र भदेदू, बिहरवा, बरद्वारा में बालिका शिक्षा पर विशेष सहयोग की आवश्यकता है। अतः पांचों ब्लाक के इन क्षेत्र विशेष में बालिका शिक्षा के बढ़ावा हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 10 शिशु शिक्षा केन्द्र मानिकपुर चित्रकूट, रामनगर तथा पांच ई.सी.सी. मऊ, पहाडी ब्लाक में सुदृढीकरण किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित मानक के अनुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा। ई.सी.सी. केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित परिशिष्ट–III में संलग्न है।

सारणी 8.7
ई० सी० सी० ई० केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण की विकास खण्डवार संख्या

क्रम	मानक विकास खण्ड	सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित ईसीसीई केन्द्रों की संख्या
1	मानिकपुर	10
2	चित्रकूट	10
3	रामनगर	10
4	पहाडी	5
5	मऊ	5

इकाई लागत निम्नवत होगी–

अ– टी.एल.एम प्रति केन्द्र : रु0 5000.00 (पाँच हजार रु0)
ब– अतिरिक्त मानदेय प्रति केन्द्र (अनुदेशक+सेविका) : रु0 600.00 (छः सौ रु0)
स– आकस्मिक व्यय : रु0 1500.00 (पन्द्रह सौ रु0)
द– कार्यकर्त का प्रशिक्षण : रु0 1250.00 (बारह सौ पचास रु0)

उपरोक्तानुसार समस्त आगनबाड़ी केन्द्रों को सहयोग प्रदान किया जाएगा।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :

आकर्षक एवं निःशुल्क पाठय पुस्तकों का छात्र का नामांकन एवं उसके विद्यालय में ठहराव हेतु विशेष महत्व है। समस्त बालिकाओं और अनुसूचित जाति के समस्त बालकों के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने का प्रस्ताव है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तिकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा।

निःशुल्क पुस्तक वितरण हेतु परिषदीय छात्रों की वर्षवार संख्या :

प्राथमिक विद्यालय–

सारणी–8.8ए0

क्रम	वित्तीय वर्ष	बालगणना 6–11	कुल नामांकन कक्षा 1 से 5 तक	परिषदीय नामांकन	निःशुल्क पुस्तक वितरण हेतु छात्र संख्या
1	2000–2001	137551	129749	101179	70974
2	01–02	140571	140571	109645	77847
3	02–03	143654	154037	120148	85305
4	03–04	146821	157425	122791	87182
5	04–05	149950	160887	125491	89098
6	05–06	153248	164446	128267	91069
7	06–07	156599	168063	131089	93073
8	07–08	160043	171760	133972	95120
9	08–09	163563	175538	136919	97212
10	09–10	167161	179398	139930	99350

सारणी– 8.8 बी0

उच्च प्राथमिक विद्यालय–

क्रम	वित्तीय वर्ष	बालगणना 11–14	कुल नामांकन कक्षा 6 से 8 तक	परिषदीय नामांकन	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु छात्र संख्या
1	2000–2001	44498	32989	17047	12103
2	01–02	45476	39109	20336	14438
3	02–03	46475	46475	24167	17158
4	03–04	47497	47497	24698	17535
5	04–05	48540	48540	25240	17920
6	05–06	49608	49608	25796	18315
7	06–07	50699	50699	26363	18717
8	07–08	51814	51814	26943	19129
9	08–09	52955	52955	27536	19550
10	09–10	54120	54120	28142	19980

(1) विशेष वर्ग की शिक्षा –

समेकित शिक्षा

भारत की लगभग 5–10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनिकीरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है।

समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा की अवधारणा :

आज भी कुछ बच्चे विकलांगता से पीड़ित है ये या तो विद्यालय में नामांकन के साथ ही स्वंय को बचाते या अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रणाली की अतिसंवेदनशीलता के कारण पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश हो जाते है । जबकि गंभीर मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता वाले कुछ बच्चें विद्यालय के बाहर ही रहते है तथा बहुत सारे अल्प क्षति के कारण हासिये पर हो जाते है।

(2) समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा का उद्देश्य एवं लक्ष्य :

शिक्षा की दृष्टि से उपेक्षित तथा वंचित विकलांग बच्चों को विशेष व्यवस्था के तहत शिक्षा दी जायेगी ऐसे बच्चें जो सहयोग द्वारा विद्यालय आ सकते हैं ऐसे बच्चों को सहायता सामग्री जैसे चलने फिरने सुनने या आर्थिक सहायता देकर स्कूल तक लाकर उन्हें सामान्य बच्चों के साथ विशेष ध्यान देकर शिक्षा दी जाएगी। ऐसे बच्चे जिन्हें जो किसी भी सहयोग के बावजूद विद्यालय तक नहीं लाया जा सकता है, के घर जाकर जीवन कौशल की शिक्षा दी जायेगी। विकलांग विद्यालय खोलकर भी विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जायगी। विकास खण्डवार विकलांग बच्चों की संख्या सारणी में अंकित है।

सारणी 8.9

समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा हेतु लक्ष्य

कम संख्या	विकास खण्ड/नगर	विकलांग बच्चों की संख्या	
		6–11 वर्ष वर्ग	11–14 वर्ष वर्ग
1	रामनगर	698	233
2	मऊ	1144	357
3	मानिकपुर	1197	329
4	पहाडी	1371	526
5	चित्रकूट	2465	578
6	कर्वी	751	398
7	राजापुर	70	38
8	मानिकपुर	80	43

(स्रोत– माइक्रोप्लानिंग के आधार पर)

विकलांगता /अक्षमता के प्रकार :

मुख्य रूप से विकलांगता पांच प्रकार की होती है–

1. दृष्टि विकलांगता
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता
3. अस्थि विकार विकलांगता
4. मानसिक विकलांगता
5. अधिगम मन्दता

विकलांगता /अक्षमता के कारण :

बच्चों में कुछ विकलांगतायें/अक्षमता जन्म से होती हैं तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती हैं। कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है। बच्चों की अधिगम अक्षमता के निम्न कारण हो सकते हैं।

1. बौद्धिक कियाकलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्द गति।
2. देखने में कठिनाई, सुनने एवं बोलने में कठिनाई।
3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना, अंगों की विकृति, मांस पेशियों के तालमेल न होने से कियाकलाप में कठिनाई।
4. मनोवैज्ञानिक प्रकियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें।
5. दृष्टि तथा मांस पेशियों में तालमेल न होना।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते हैं।

- माता पिता के स्नेह में कमी
- बच्चों की हीनभावना से देखना
- सीखने के समान अवसर न देना
- शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना
- शिक्षक का बच्चों से कम लगाव होना
- सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना

अक्षमता के परिणाम :

1. *बच्चों में :*

– आत्मनिर्भता में कमी
– चलने में परेशानी
– समाज में उपेक्षित

2. *परिवार में :*

– अधिक ध्यान देने की आवश्यकता
– आर्थिक बोझ अधिक

3. *समाज में :*

– ध्यान देने की आवश्यकता
– उत्पादन में कमी
– समाज में एकीकरण में कमी

अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियां है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

4. संवेदीकरण :

1. समुदाय का संवेदीकरण
2. परिवार एवं भाई–बहनों का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन।
3. अध्यापकों का संवेदीकरण

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है। अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखा देते हैं। इन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि सहायता की आवश्यकता है। उनकी क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता है।

5. उपकरण एवं उपस्कर :

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात कराने के लिये बच्चों का डाक्टरों की टीम, जिसमें एक आर्थेपेडिक्ट, एक इ.एन.टी. डाक्टर एवं आई स्पेशलिस्ट हो, द्वारा मेडिकल एसेसमेंट कराया जायेगा। फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करायी जायेगी।

6. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यकम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया गया है जिसमें विकलांग बच्चों को सामन्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 05 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4–4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाता है और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन, रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली, अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, कर्करडूमा विकास मार्ग, दिल्ली एवं उ.प्र. विकालांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी, 13 लूकरगंज, इलाहाबाद में आयोजित किया जा सकता है।

7. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास :

शिक्षकों द्वारा हस्त पुस्तिका का विकास किया गया तथा पांच विकलांगताओं – दृष्टि, श्रव्य, अधिगम, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किए गये हैं। जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए "आप क्या कर सकते हैं?" फोल्डर विकसित किया गया है। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा–3 की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तक में "दोस्ती" नामक पाठ सम्मिलित किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता के विषय को शामिल किया गया है

8. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है :

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।
- इन बच्चों के सभी समूहों के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना।
- कक्षा कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।
- इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
- विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के संबंध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

9. स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी :

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हों और निम्न पात्रताएं रखती हों–

- संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।
- संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।
- विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
- संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

(10) जनजागरण :

ग्राम शिक्षा समिति, बलाक शिक्षा समिति, जिला शिक्षा समिति एवं स्वंय सेवी संस्था के सहयोग से विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

कार्यक्रमों की रणनीति एवं कियान्वयन :

जनपद चित्रकूट में विकलांगता के क्षेत्र मे कार्य कर रही गैर सरकारी संस्था का इस कार्य में सहयोग लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जनपद में एक बाल विकास समन्वयक के पद की भी पद स्थापना की जायेगी।

जो इस समस्त कार्य का अनुश्रवण और मूल्यांकन करेगा। जनपद में होने वाले समस्त प्रशिक्षणों मे समकित शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी और प्रशिक्षण पैकेज में प्रत्येक स्तर पर विकलांग वच्चों की शिक्षा से संदर्भित विषयों को भी जोड़ा जायेगा। स्वास्थय विभाग से भी ताल-मेल रखते हुए उनसे सहयोग लिया जायेगा जनपद में समय समय पर चल रहे समेकित शिक्षा के कार्यकमों का अनुश्रवण करते हुए सम्बधित कार्य से जुड़ी गैर सरकारी संगठनों, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के माध्यम से सम्पूर्ण कार्यकमों की समीक्षा की जायेगी।

स्वास्थ्य परीक्षण :

सर्वशिक्षा अभियानके अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों के विद्यालय में ठहराव में अभिवृद्धि हेतु प्रत्येक बच्चे का तिमाही स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा तथा प्रत्येक विद्यालय में एक पंजिका बनायी जायेगी जिसमें प्रत्येक वच्चे के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी अंकित होगी।

स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया जायेगा आवागमन की सुविधा शिक्षा विभाग द्वारा करायी जायेगी। तथा स्वास्थ्य कर्मी को विभाग द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी शासनादेश परिशिष्ट-‌‌ IX में संलग्न हैं। विद्यालय की संख्या निम्न सारणी 8.7 में अंकित है।

सारणी – 8.10

क्रम	वित्तीय खण्ड/नगर	प्रा.वि. की संख्या	उ.प्रा.वि.की संख्या
1	रामनगर	90	25
2	मऊ	121	34
3	पहाडी	141	42
4	मानिकपुर	131	32
5	चित्रकूट	174	47
6	नगर क्षेत्र	4	2
	योग	657	180

(स्रोत– ई०एम०एस० के आधार पर)

सामुदायिक गतिशीलता :

किसी भी प्रकार का अभियान जनजागरण एवं जनसहभागिता के बगैर शतप्रतिशत सफल नहीं हो सकता है। बेसिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित अभियान को शत्

प्रतिशत सफल बनाने के लिए जन जागरण एवं जन सहभागिता अतिआवश्यक है। क्योंकि बेसिक शिक्षा के उपभोक्ता घर–घर है। बेसिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान सर्व शिक्षा अभियान में सामुदायिक सहभागिता उतना ही आवश्यक है जितना जीवन चलाने के लिए हवा पानी एवं भोजन आवश्यक है। सामुदायिक सहभागिता वास्तविक रूप में तब होगी जब सर्व शिक्षा अभियान के योजना निर्माण से लेकर क्रियान्वयन एवं समीक्षा तक आम जनमानस को जोडा जाय। इसके पूर्व बेसिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए जो भी योजनाएं चलाई गई उसमें जन सहभागिता अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही जिसके परिणामस्वरूप 50 वर्ष के अथक शासकीय प्रयास एवं संवैधानिक प्रतिबद्धता के बावजूद हम बेसिक शिक्षा को जन–जन तक नहीं पहुँचा सके। आज भी 21 प्रतिशत लोग खासतौर पर बालिकाएं अनु. जाति अनु.जनजाति एवं गरीब वर्ग के लोग शिक्षा से कोसों दूर हैं। इन्ही शिक्षा से वंचित वर्ग तक बेसिक शिक्षा को पहुंचाने के उद्देश्य से शासन ने अपनी कटिबद्धता एवं प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु सर्वशिक्षा अभियान लागू किया है जिसमें योजना निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक ग्राम स्तर (Habitation level) को सम्मिलित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान को लागू होने से पूर्व एवं योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु जनजागरण एवं सामुदायिक गतिशीलता के लिए अनेक गतिविधियां की गई जो इस प्रकार हैं।

- जिलाधिकारी महोदय से सर्वशिक्षा अभियान के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा समाचार पत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञप्ति जारी करना।
- ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक ब्लाक स्तर पर आयोजित कर सर्वशिक्षा अभियान के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दिया जाना।
- जनप्रतिनिधियों मा. जिला पंचायत अध्यक्ष सांसद, विधायक, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ बैठकर सर्वशिक्षा अभियान के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा।
- संभाग के समरूप वर्ग जनपदीय अधिकारी एवं शिक्षक संघ प्रतिनिधियों के साथ बैठकर विस्तृत चर्चा।
- बस्ती स्तर पर अनु.जाति के लोगों, श्रमिकवर्ग के लोगों एवं शिक्षा से वंचित वर्ग के साथ विस्तृत बातचीत करना कि क्या किया जाय कि वंचित वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने लगे।
- पोस्टर, हैण्डबिल, कला जत्था संगीत, नाटक, एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देना एवं मनोभाव शिक्षा से जोडना।
- जनता की उपभोक्ता वादी प्रवृत्ति की नब्ज को पकडते हुए शिक्षा से हमें क्या मिलना है, क्या लाभ है जन–जन तक प्रचारित एवं प्रसारित करना।
- पुरूषोत्तम श्रीराम की तपोभूमि एवं पावन धरती चित्रकूट के जनमानस की आध्यात्मिक खुराक के लिए लोगों को रामायण पढ़ने एवं समझने की अनिवार्यता से जोडकर श्रीराम के अनुयायी चित्रकूट जनपद के जिलाधिकारी श्री जगन्नाथ सिंह जी ने अशिक्षा रूपी राक्षस से रामविजय हेतु रणनीति अपनाई है।

उपरोक्त जन जागरण एवं एन0जी0ओ0 के माध्यम से क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्थाओं को ध्यान में रखते हुये चित्रकूट जनपद हेतु सर्वशिक्षा अभियान का पर्सपेक्टिव प्लान एवं वार्षिक कार्य योजना का निर्माण किया गया है।

योजना के कियान्वयन एवं समीक्षा में समुदायिक सहयोग

ग्राम शिक्षा समितिः [P.T.O.]

- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं गुणवत्ता हेतु प्रशिक्षित किया जाना। प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति के कम से कम आठ लोगों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जाना।
- प्रशिक्षण कम से कम दो दिन का होगा। 30 रू. प्रति प्रतिभागी की दर से खर्च किया जायगा।
- ग्राम शिक्षा समिति असेवित बस्तियों में विद्यालय एवं ई.जी.एस/ए.आई.ई. केन्द्र खोलने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करेगी।
- ग्राम शिक्षा समिति अपने ग्राम सभा में 1 से 10 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान चलाकर 100 प्रतिशत छात्र नामांकन करायेगी एवं इसके लिए पूर्ण उत्तरदायी होगी।
- शैक्षिक गुणवत्ता की जांच विद्यालय में शिक्षा समिति निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण द्वारा कर सकती है।
- ग्राम शिक्षा समिति बच्चे के ठहराव हेतु भौतिक सुविधाएं शौचालय, हैण्डपम्प, बाउन्ड्री वाल की मांग करेगी।
- छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक या शिक्षा मित्र के नियुक्ति हेतु मांग करेगी।
- प्रतिवर्ष जो ग्राम शिक्षा समिति बेयिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं गुणवत्ता हेतु उत्कृष्ट कोटि का कार्य करेगी उसको 25000 रू. का पुरस्कार दिया जायेगा।
- विद्यालय में खर्च की गयी धनराशि आम दस्तावेज होगा।
- स्कूल के बरामदे में डिस्पले बोर्ड होगा जिस पर दैनिक जानकारी अंकित होगी।
- **ब्लाक शिक्षा समिति**
  - ✓ ब्लाक स्तरीय एवं जनपद स्तरीय शिक्षा समिति को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
  - ✓ ब्लाक स्तरीय एवं जनपद स्तरीय शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण एवं गुणवत्ता हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इन समितियों को भी शैक्षिक गुणवत्ता की जांच का पूर्ण अधिकार होगा।
  - ✓ सामुदायिक सहभागिता के बढ़ावा हेतु विद्यालय स्तर से लेकर जनपद स्तर के कार्यालय तक पारदर्शिता पूर्ण कार्य किया जाएगा।
  - ✓ ब्लाक शिक्षा समिति श्क्षिा के जनजागरण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

जिला शिक्षा समिति :

जनपद स्तर पर जिला शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सहयोग प्रदान करेगी। जिला शिक्षा समिति के सदस्यों को भी पांच वर्ष में एक बार प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला शिक्षा समिति के निम्न दायित्व होंगे।

1. असेवित बस्तियों का चिन्हांकन एवं नवीन विद्यालय हेतु अनुमोदन देने के उपरान्त ही नये विद्यालय खोले जायेंगे।
2. शिक्षा गुणवत्ता की जांच विद्यालय स्तर पर जिला शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा की जा सकती है।
3. जुलाई में स्कूल चलो अभियान के दौरान बच्चों के नामांकन हेतु प्रचार प्रसार एवं जनसम्पर्क जिला शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
4. जिला शिक्षा समिति जनपद स्तर पर एस.एस.ए. के विभिन्न कार्यक्रमों का समीक्षा एवं जानकारी ले सकती है।
5. जनपद स्तर पर कार्यक्रमों एवं बजट की पारदर्शिता हेतु डिस्पले बोर्ड पर कार्यक्रमवार विवरण अंकित होगा।

अभिभावक शिक्षक संघ :

प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ को सक्रिय किया जायेगा। विद्यालय में गुणवत्ता की अभिवृद्धि हेतु प्रतिमाह अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक होगी। कमजोर बच्वें की समस्या के बारे में ध्यान केन्द्रित चर्चा होगी। बैठक में बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति शिक्षा एवं विकलांग बच्चों की प्रगति की समीक्षा अवश्य की जाएगी।

माता शिक्षक संघ :

प्रत्येक विद्यालय में बालिका शिक्षा के विकास हेतु मात–शिक्षक संघ का गठन किया जाएगा। प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाएगी तथा बैठक में बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता पर विशेष चर्चा की जाएगी। संघ के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

महिला प्रेरक :

मानिकपुर तथा बालिका शिक्षा में पिछड़े क्षेत्रों में महिला प्रेरक समूह का गठन किया जायेगा जो बालिका शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु जनजागरण एवं जनसम्पर्क करेगी साथ ही सामुदाय को बालिका शिक्षा हेतु प्रेरित करेगी।

युवक मंगल दल :

प्रत्येक ग्राम जहाँ युवक मंगल दल गठित है उनके दो सदस्यों को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं गुणवत्ता पूर्व शिक्षा हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। ांव के युवा वर्ग की उर्जा को बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु प्रयोग किया जायेगा। युवक मंगल दल के सदस्यों के स्कूल चलो अभियान के दौरान नामांकन तथा जनजागरण हेतु प्रयोग किया जाएगा।

प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ :

शिक्षक संघ के सहयोग से बेसिक शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं गुणवत्ता पर विशेष बल दिया गया है ।

महिला मंगल दल :

महिला मंगल दल के सदस्यों को बालिका शिक्षा खासतौर पर कोल जाति एवं अनु. जाति के बालिका शिक्षा हेतु प्रेरति किया जाएगा।

समाज सेवी संस्थाओं की भूमिका :

जनपद में अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान एवं सर्वोदय सेवा संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इन समाज सेवी संस्थाओं से सहयोग जनजागरण, जनसम्पर्क हेतु लिया जाएगा। दोनो संस्थाएं कोल जाति के उत्थान हेतु अनेक योजनाएं एवं कार्य चला रहे हैं। इन संस्थाओं का प्रयोग कोल जाति की शिक्षा एवं बालिका शिक्षा हेतु किया जाएगा। इनके सहयोग से ब्रिज कोर्स केन्द्र चलाए जाएंगे।

महिला समाख्या :

जनपद चित्रकूट में महिला सामाख्या महिला सशक्तीकरण एवं महिला जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। महिला सामाख्या महिला प्रशिक्षण केन्द्र किशोरी संघ के माध्यम से कार्य कर रही है। महिला सामख्या का सहयोग किशोरी संघ बनाने, महिला प्रेरक ग्रुप बनाने एवं बालिका शिक्षा के लिये लिया जाएगा। महिला सामाख्या के सहयोग से बालकों के लिए आवासीय ब्रिज कोर्स एवं प्रहर पाठशाला चलायी जाएगी।

नेहरू युवा केन्द्र :

नेहरू युवा केन्द्र के उत्साही युवको का प्रयोग बेसिक शिक्षा के उत्थान में जन जागरण एवं जन सम्पर्क हेतु किया जाएगा।

जन प्रतिनिधियों की भूमिका :

सर्वशिक्षा अभियान के प्रत्येक कार्यक्रम से जन प्रतिनिधियों को जोडा जाएगा। जन जागरण से लेकर नीति एवं वार्षिक कार्य योजना के निर्माण में समस्त सांसद, विधायक, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्यों को जोड़ा जाएगा। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र सर्वशिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत चल रहे प्रत्येक कार्यक्रम की समीक्षा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी किया जाएगा। असेवित बस्तियों के चिन्हीकरण में जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव सर्व शिक्षा मानक के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाएगें।

13. अन्य सरकारी विभागों की भूमिका :

1. स्वास्थ्य विभाग :

प्रत्येक परिषदीय विद्यालय के बच्चों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक तीन माह पर रोस्टर के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से किया जाएगा।

2. विकलांग कल्याण विभाग :

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग बच्चों के सामग्री सहयोग के साथ–2 विकलांग बच्चों के शिक्षा में सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

3. पी.डब्लू.डी. :

निर्माण कार्य में पी.डब्लू.डी. के जे.ई. का सहयोग लिया जाएगा। जे.ई. के देखरेख में विद्यालय निर्माण कार्य किया जाएगा।

4. समाज कल्याण विभाग :

अनु0 जाति अनु0 जनजाति के बच्चों की छात्रवृत्ति समय से सभी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी।

5. पिछड़ा कल्याण विभाग :

इस विभाग द्वारा बेसिक शिक्षा के नामांकन हेतु अधिक से अधिक गरीब पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाई जाएगी।

6. आई.सी.डी.एस. विभाग :

आई.सी.डी.एस. विभाग के सहयेाग से आगनबाड़ी केन्द्रों का शशक्तीकरण किया जाएगा। साथ ही आवश्यकतानुसार नये केन्द्र खोले जाऐंगे जिससे बालिका शिक्षा में वृद्धि हो सके।

7. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग :

अल्पसंख्यक वर्ग के बालक, बालिका की शिक्षा में अभिवृद्धि हेतु इस विभाग द्वारा छात्रवृत्ति अधिक से अधिक संख्या में समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।

8. जल निगम एग्रो :

इनके सहयोग से विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। हैण्डपम्प आदि लगाये जाएगें।

9. पंचायत राज विभाग :

ग्राम पंचायतों का प्रयोग बेसिक शिक्षा के प्रकार–प्रसार हेतु इन के सहयोग से प्रयोग किया जाएगा।

10. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण:(डी0आर0डी0ए0):

डी0आर0डी0ए0 के सहयोग से विद्यालयों में बाउँड्री आदि एवं स्वच्छता, सुन्दरता हेतु सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता हेतु विशेष प्रयासः

1– समाचार पत्र–

प्रचार प्रसार एवं पारदर्शिता हेतु विभिन्न कार्यकमों के आयोजन में पत्रकार बन्धुओं का आमंत्रित कर उनकी सहभागिता को प्रभावी बनाया जायेगा एवं कार्यकम के प्रचार प्रसार में उनसे भरपूर सहयोग लिया जायेगा ।

2– हैण्ड़बिल–

नामांकन आदि के समय हैण्ड़बिल छपवाकर आम जनता के बीच बॉटे जायेंगे।

3– पोस्टर –

कार्यकम के प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर छपवाकर ग्राम/बस्तियों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर लगवायें जायेगें। दीवारों में लेखन कार्य करवाया जायेगा । पंचायत घरों, धर्मशालाओं, बस अड्ड़ों, स्टेशन, ब्लॉक तहसीलों, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. में बोर्ड़ लगवायें जाएगें ।

4– कला जत्था –

कार्यकम के प्रचार–प्रसार हेतु समिति, नाटक, कठपुतली आदि को कला जत्था के माध्यम से प्रयोग किया जायेगा।

5– बाल मेला –

बच्चों की शिक्षा में बढावा देने एवं जनजागरण के उद्देश्य से प्रत्येक NPRC स्तर पर प्रत्येक वर्ष बाल मेला का आयोजन किया जायेगा। बाल मेला में पोस्टर, बैनर के सहयोग से जनजागरण किया जायेगा। बाल मेला में बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करने के उद्देश्य से दुकान का स्टाल लगाना एवं कय विकय करना, सीखना, कला, संगीत आदि की प्रतियोगिता आयोजित करना आदि कियाकलाप किया जायेगा। अच्छे प्रर्दशन को प्रत्येक एन0पी0आर0सी0 स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा। इस कार्यकम में होने वाले खर्च का **सर्व शिक्षा अभियान** मद से किया जायेगा।

6– सामुदायिक गतिशीलता

हेतु ग्राम शिक्षा समिति को विद्यालय के विभिन्न कार्यकमों से जोड़ा जायेगा। 01 नवम्बर से 15 नवम्बर के बीच ग्राम शिक्षा समिति की देखरेख एवं नेतृत्व में प्रत्येक विद्यालय में खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित किए जायेंगे साथ ही सत्र की समाप्ति पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का परिणाम एवं अंकपत्र का वितरण ग्राम शिक्षा समिति एवं अभिभावक शिक्षक संघ की उपस्थिति में किया जायेगा। अच्छे बच्चों को ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा। बच्चों की निःशुल्क पुस्तक वितरण आदि का कार्य ग्राम शिक्षा समिति की देखरेख में किया जायेगा।

नवाचार कार्यक्रम (कम्प्यूटर शिक्षा) :

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ते ड्राप आउट को रोकने के लिए छात्रों के विद्यालय में ठहराव को बनाये रखने के लिए परिषदीय विद्यालयों के प्रति समाज में रूचि एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत कुछ नवाचार शिक्षा दिया जायगा। कम्प्यूटर शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुये 2001–2002 में 15 उ.प्रा.वि. में

कम्प्यूटर शिक्षा को Pilot Project (मार्गदर्शी परियोजना) के रूप में चलाया जाएगा।विकास खण्डवार एवं नगर क्षेत्रवार कम्प्यूटर शिक्षा हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है।

सारणी–8.11

क्रम	विकास खण्ड / नगर	कम्प्यूटर शिक्षा हेतु चयनित उ.प्रा.वि. की संख्या
1	रामनगर	2
2	मऊ	3
3	मानिकपुर	3
4	पहाड़ी	3
5	चित्रकूट	3
6	कर्वी	1

अध्याय – 9
गुणवत्ता के लिए नियोजन

जनपद चित्रकूट का सृजन मई 1997 में हुआ तथा तत्कालीन अविभाजित जनपद (बाँदा) में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1993 में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरंभ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 5 बी.आर.सी. तथा 48 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट में संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकर्त्रियों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में भी डायट की क्षमता विकसित हुई। परियोजना के अन्तर्गत डायट में मानव संसाधनों की बेहतर व्यवस्था हुई। डायट में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था, अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षों, दृश्य–श्रव्य उपकरणों आदि की व्यवस्था तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया गया।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–

जनपद में शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु प्रत्येक स्तर पर अध्यापकों के सहयोग व समर्थन की व्यवस्था है। विद्यालय, एन0 पी0 आर0 सी, बी0 आर0 सी0 स्तर पर फीड बैक के अनुसार आवश्यकतानुसार शैक्षिक सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। इस हेतु डायट चित्रकूट स्तर पर विद्यालयों, एन0 पी0 आर0 सी, बी0 आर0 सी0 को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यशालायें आयोजित कीं गई। इस कार्यशाला में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एस0 डी0 आई0, समन्वयक, सह समन्वयक व समस्त संकुल प्रभारियों के अतिरिक्त डायट चित्रकूट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं एवं प्रवक्ताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में विभिन्न प्रशिक्षणों के मूलभूत पैरामीटर्स व इंडीकेटर्स, सहायक सामग्री निर्माण, शैक्षिक भ्रमण के चैक बिन्दु, विद्यालय भ्रमण प्रपत्र पर चर्चा व आदर्श पाठ की तैयारी तथा उसका प्रस्तुतीकरण भी किया गया। ब्लाक संसाधन केन्द्रों द्वारा संस्थान को भेजे जाने वाले प्रत्यावेदन प्रारूप पर भी चर्चा हुई। बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी के लिये तीन माह की कार्ययोजना तथा विद्यालय की मासिक बैठक हेतु एजेण्डा भी कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा तैयार कर प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता अनुसार फीड बैक के आधार पर शैक्षिक सपोर्ट के द्वारा सेवारत अध्यापकों के स्तर, शैली व कक्षा के वातावरण में सकारात्मक सुधार की व्यवस्था की गई हैं।

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक विकास खण्ड का मेन्टर निर्धारित किया गया है, जहाँ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन.पी.आर.सी. और 4 प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है और यथा स्थान

शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता हैं। इसी प्रकार बी.आर.सी. के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन.पी. आर.सी. के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रतिमाह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की "अकादमिक संसाधन समूह" की बैठक में कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाये जाते हैं। डायट, बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में लागू की जा रही अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली के आधार पर जनपद के विद्यालयों की स्थिति परिशिष्ट 1 पर दी गई है।

इस हेतु प्रत्येक ब्लाक प्रभारी डायट प्रवक्ता/वरिष्ठ प्रवक्ता तथा बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों द्वारा विद्यालय की शैक्षिक स्थिति, बाह्य वातावरण व कक्षीय वातावरण के आधार पर ग्रेडिंग की व्यापक व्यवस्था की गई। इस हेतु डायट स्तर पर निरीक्षण फारमेट तैयार किया गया है।

डायट स्तर से सहयोग व समर्थन हेतु प्रत्येक माह ब्लाक समन्वयक व प्रभारियों की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जिसमें शैक्षिक बिन्दुओं, समस्याओं तथा भावी कार्ययोजनाओं पर चर्चा कर अग्रिम रणनीति तय की जाती है। उपरोक्त बैठक में प्राप्त समस्याओं/सूचनाओं तथा प्राप्त निरीक्षण आख्याओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह एकेडिमिक कोर टीम की बैठक की जाती है जिसमें निरीक्षण आख्याओं के आधार पर उन स्थलों का चयन किया जाता है जहां–जहां शैक्षिक सपोर्ट की आवश्यकता हैं।

एकेडिमिक कोर टीम में डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता हैं। जबकि एकेडिमिक रिसोर्स ग्रुप में जनपद के बी0एस0ए0 सहित बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, शिक्षाविद व एन0जी0ओ0 सदस्य भी हैं।

यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं–कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।
3. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

सहायक शिक्षण सामग्री के संदर्भ में प्रायः अध्यापकों में रूचि व शिक्षण हेतु अपेक्षित मनोवृत्ति की कमी देखी गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोग किये जाने वाले शिक्षण अधिगम सामग्री में प्राथमिक स्तरीय शिक्षण अधिगम सामग्री के स्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं देखा जा रहा है।

इसी प्रकार अध्यापकों से यह भी पता चलता है कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि न होने से अध्यापकों की क्षमता प्रभावित हुई है। पर्यावरणीय अध्ययन के साथ शिक्षण अधिगम सामग्री बनाये जाने की आवश्यकता अध्यापकों द्वारा महसूस की जा रही है।

2. स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में यू.पी.–बी.ई.पी. में 50 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय से किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर. सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

स्कूल पूर्व शिक्षा का विस्तार

क्षेत्र का नाम	समेकित बाल विकास आंगनबाड़ी केन्द्र	बेसिक शिक्षा परियोजना/शिशु शिक्षा केन्द्र
चित्रकूट	100	––
पहाड़ी	100	––
रामनगर	100	16
मऊ	––	17
मानिकपुर	––	17
योग	300	50

छोटे बच्चों में अपनी अभिव्यक्ति करने, दूसरे की बातों को सुनकर वार्तालाप करने एवं विद्यालय आने हेतु विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ता है और बच्चों का शर्मीलापन दूर होता है। जिससे उसे विद्यालय में प्रवेश के समय सामान्जस्य स्थापित करने में सुविधा होती है। साथ ही ये केन्द्र प्राथमिक विद्यालयो में चलाये जाते हैं जिससे बच्चा अन्य बच्चों में घुलमिल कर अपने आप को विद्यालय के वातावरण के अनुसार ढालते हुए परिपक्वता की ओर बढ़ता है और उसमें माता पिता से अलग रहने की तथा अन्य बच्चों के साथ मिलजुल रहने की प्रवृत्ति का विकास होता है।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती हैं।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद चित्रकूट में डायट के नेतृत्व में 334 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित विन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर **ग्राम शिक्षा योजनायें** तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

विद्यालय में समय–समय पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रतिभाग तो करते है परन्तु **अभी भी उनका सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है।** ग्राम शिक्षा समितियाँ पूर्णतः सक्रिय नहीं है। इसका कारण ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में पर्याप्त रूचि की कमी, नियमित बैठकों का अभाव है। अतः ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे वे विद्यालय की गतिविधियों में सकारात्मक भूमिका निभा सकें एवं बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति बढ़ाने में सहायक हो सके।

किन्तु जहां तक बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न है, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकोपार्जन कार्य में लगे रहते हैं। प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दिये गये गृहकार्य में बच्चों को कोई सहयोग भी नहीं दे पाते।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चित्रकूट के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थीं वे इस प्रकार है –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।

- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में दिये गये सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का विवरण :

प्राथमिक स्तर – बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षणों की नियमित व्यवस्था की गई थी। प्राथमिक स्तर पर सभी प्रधानाध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों को पांच चक्रों का प्रशिक्षण निम्नवत् दिया गया।

प्रथम चक्र – प्रथम चक्र का प्रशिक्षण न्यूनतम अधिगम स्तर, दक्षताओं, बहुकक्षा शिक्षण तथा समूह शिक्षण का कक्षाओं में क्रियान्वन कैसे किया जाये, से सम्बन्धित था। इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को कक्षा 5 तक के सभी विषयों (भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन) के न्यूनतम अधिगम स्तर तथा इनसे सम्बन्धित दक्षताओं का ज्ञान कराना था। इसके साथ–साथ इसका उद्देश्य यह भी था कि प्रत्येक विद्यालय में 6–11 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन, धारण व सम्प्राप्ति को ध्यान में रखा जाये। शिक्षक सीखने – सिखाने के प्रति अपना रूझान केन्द्रित करें तथा शिक्षण बाल केन्द्रित हों।

शिक्षण विधा प्रशिक्षण के अनुरूप हो तथा शिक्षण स्व निर्मित सहायक सामग्री की सहायता से किया जाय। सहायक सामग्री विषयानुकूल, सस्ती, सुलभ व आकर्षक हो।

एकल विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु बहुकक्षा शिक्षण तथा समूह शिक्षण पर भी बल दिया गया। शिक्षण अधिगम की जांच हेतु सतत व व्यापक मूल्यांकन की भी चर्चा की गयी।

समुदाय की सहभागिता बनाये रखने हेतु राष्ट्रीय पर्वों पर शिक्षक–अभिभावक गोष्ठियों का आयोजन, ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों का आयोजन भी समय–समय पर किये जाने पर बल दिया गया।

भाषा व गणित शिक्षण को दक्षता एवं गतिविधियों पर आधारित करने, विज्ञान व गणित शिक्षण के समय 'किट' का प्रदर्शन, कमजोर छात्रों के लिये उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था आदि बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रधानाध्यापक में योग्यता, व्यवहार कुशलता, दूरदर्शिता एवं नेतृत्व गुणों का भी विकास करने के लिये प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण प्रधानाध्यापकों के लिए 10 दिवसीय और सहायक अध्यापकों के लिए 8 दिवसीय था।

द्वितीय चक्र :

द्वितीय चक्र के प्रशिक्षण में भाषा दक्षता प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य छात्रों

में उनके स्तरानुकूल भाषा ज्ञान को विकसित करना, उनके सस्वर पाठ, सस्वर वाचन एवं स्वपपठन की क्षमताओं को विकसित करना था।

अध्यापकों को यह भी बताया गया कि भाषा शिक्षण के समय क्षेत्रीय भाषा, बच्चों की भाषा के प्रयोग पर बल दें तथा दिया गया ज्ञान सरल सुलभ व बोधगम्य हो। अध्यापक भाषा की पुस्तकों में निहित कठिनाइयों को विभिन्न विधाओं जैसे शब्दार्थ, विलोम शब्द, तत्सम शब्द एवं समानार्थी शब्दों एवं वाक्य प्रयोगों को माध्यम बना कर स्पष्ट करें। भाषा की दक्षताओं के स्तरानुकूल पाठों के रूचिकर एवं बोधगम्य बनाने के साथ–साथ प्रकरण से सम्बन्धित स्वनिर्मित सामग्री के निर्माण में छात्रों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करें। छात्र प्रगति पंजिका विषयवार तैयार की जाय जिससे छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति का विषयवार मापन किया जा सके। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

तृतीय चक्र :

तृतीय चक्र के प्रशिक्षण में अनुपूरक अध्ययन सामग्री (भाषा) का प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों में भाषा के प्रति रूचि एवं उनकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु उनको कहानी, कविता, नाटक, वाद–विवाद, तथा अंत्याक्षरी प्रतियोगिताओं को हाव भाव के साथ कराने पर बल देने, मुखौटे व अन्य शिक्षण सामग्री को शिक्षण के समय प्रयोग करने, सहायक शिक्षण सामग्री की व्यवस्थित रूप से रखने के लिये प्रत्येक कक्षा में शैक्षिक कोर्नर का निर्माण करने, कविता, कहानी, लेखन प्रतियोगिता का विद्यालय, संकुल व बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजन कराने आदि बिंदुओं पर चर्चा की गयी तथा कक्षा में बच्चों के लिए अनुपूरक पुस्तक इन्द्रधनुष के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

चतुर्थ चक्र :

चतुर्थ चक्र प्रशिक्षण में गणित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में गणित जैसे नीरस विषय को रोचकता के साथ–साथ सरल और बोधगम्य बनाना था। शिक्षण में स्वनिर्मित सरल, सुबोध, सुगम्य एवं परिवेश से प्राप्त सहायक सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। सामग्री निर्माण में बच्चों की सहभागिता को प्रमुखता दी गई। प्रशिक्षण के दौरान इन बिंदुओं पर बल दिया गया: गणित शिक्षण के समय गणित किट का प्रयोग प्रत्येक अधिगम क्षेत्र को विकसित करने हेतु प्रकरण व स्तर के अनुसार किया जाये। सहायता व सहारा के माध्यम से छात्र/अध्यापक सक्रिय रहें। अधिगम को स्थायी व प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक अभ्यास कार्य पर बल दें। गणित के प्रत्येक तथ्य तथा सिद्धान्त को उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुये उसकी उपयोगिता को सिद्ध किया जाये। करके सीखना और सीख कर करना विधा का गणित शिक्षा में प्रयोग किया जाये। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण बच्चों द्वारा कागज या गत्ते से कराया जाये जिससे वह उन आकृतियों से परिचित हो सकें। गणित में विभिन्न स्तरों पर पिछड़े बालकों हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाये। छात्रों को समूह में कार्य कराने की विधि पर बल दिया जाये। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

पंचम चक्र :

इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया।

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराना।
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।
4. सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा उनसे दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल
9. स्थानीय संसाधनों से शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग
10. विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने पर बल

यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रूचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सके।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास
2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करनां।
4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

जनपद में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण के आधार पर स्थिति निम्नवत् है–

जनपद	प्रथम चक्र	द्वितीय चक्र	तृतीय चक्र	चतुर्थ चक्र	पंचम चक्र	सेवा पूर्वागम	उच्चतर प्राथमिक विद्यालय	उच्चतर प्राथमिक गणित
प्रशिक्षण अवधि	10 दिन	6 दिन	6 दिन	6 दिन	6 दिन	10 दिन	8 दिन	8 दिन
बांदा/ चित्रकूट	3200	3530	3169	3442	4600	399	360	187

स्रोत : डायट चित्रकूट

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर. सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
   - विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
   - विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
   - वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
   - शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
   - एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
   - ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
   - डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर. सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त

सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यो तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गई इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु0 500/– की धनराशि शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

ऐक्शन रिसर्च :

एक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। कक्षा में इन प्रशिक्षणों के माध्यम से गुणवत्ता व स्तर

में स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति एवं उनके ठहराव में भी निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। कक्षा में बच्चों की सोच व कल्पना में भी इसकी परिणिति परिलक्षित होती है। गणित जैसे नीरस विषय के प्रति भी बच्चों की रोचकता व जिज्ञासा में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। गणित के मुख्य तथ्य व सिद्धान्तों का वे कहीं किन्ही स्थलों पर दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते है। वहीं भाषा में भी सभी स्तरों पर बच्चों के शब्द भण्डार में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। बच्चे गणितीय उपकरणों (किट) आदि में भी रूचि रखते है। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रही है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता है इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

डायट चित्रकूट के निर्देशन में जनपद के शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।

2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

पूर्व प्रशिक्षणों में कमी यह रही है कि विषय वस्तु के ज्ञान को अलग–अलग करके देखा गया है उदाहरण के लिये पहले भाषा का प्रशिक्षण दिया गया, अगले वर्ष अनुपूरक सहायक सामग्री को उपयोग करने का जबकि यदि दोंनो को साथ–साथ दिया जाता तो यह अधिक उपयोगी होता। इसी प्रकार विभिन्न अकादमिक योग्यता वाले अध्यापकों को एक ही मानसिक स्तर पर रखते हुये प्रशिक्षण दे दिया गया जबकि उनकी योग्यता अनुभव एवं आवश्यकता अनुसार लक्ष्य परक व आवश्यकता परक प्रशिक्षण होना चाहियें।

कक्षा में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु पाठ योजना तैयार करने में 20–30 वर्ष पुराने अध्यापक स्वयं को असमर्थ पा रहे है। रूचि का अभाव है। प्रायः यह भी देखा गया है कि अध्यापक कक्षा 1 को पढाने में ज्यादा उत्सुक है बजाय अन्य कक्षाओं के जहॉं गम्भीर विषय जैसे पर्यावरणीय अध्ययन, विज्ञान आदि है।

शिक्षकों का पदस्थापन :

जनपद चित्रकूट में कुछ परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या तथा संचालित कक्षाओं के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित नहीं हैं। निम्नलिखित सारणी जनपद में परिषदीय शिक्षकों की संख्या के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दर्शाती है –

सारणी – 1

	एकल शिक्षक विद्यालयों की सख्या	दो शिक्षक विद्यालयों की सख्या	तीन शिक्षक विद्यालयों की सख्या	चार शिक्षक विद्यालयों की सख्या	चार शिक्षक विद्यालयों की सख्या
प्राथमिक विद्यालय	170	248	135	–––	–––
उच्च प्राथमिक	42	48	25	32	–––

स्रोत : बी०एस०ए०, चित्रकूट

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तरीय लगभग 22 प्रतिशत एकल शिक्षक विद्यालय तथा लगभ 32 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है, जहां दो ही शिक्षक कार्यरत् हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। जहां प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से समय प्रबन्धन, कक्षा प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन तथा शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

वी.ई.सी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः 15000 एवं 10000 के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये थे। जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में मई चेतना जागृत हुई हैं।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई थीं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.32 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुईं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के 10 सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते हैं, 1992–93 में किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में, निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया।

सारणी 2 : कक्षा 2 एवं 5 में भाषा तथा गणित की मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
कक्षा 2	662	84.19	15.00	662	94.58	5.50
कक्षा 5	675	87.14	12.04	675	89.08	12.28

सारणी संख्या 2 में भाषा तथा गणित विषयों की कक्षा 2 एवं कक्षा 5 में मध्यमान उपलब्धि एवं मानक विचलन दर्शाये गये हैं। कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि 84.19 प्रतिशत तथा मानक विचलन 15.00 है जबकि कक्षा 2 गणित में औसत उपलब्धि 94.58 प्रतिशत एवं मानक विचलन 5.50 है। सारणी 2 यह भी दर्शाती है कि कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि 87.14 प्रतिशत है जबकि मानक विचलन मात्र 12.04 है इसी प्रकार कक्षा 5 गणित में मध्यमान 89.08 प्रतिशत एवं मानक विचलन 12.28 है। कक्षा 5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन का कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के हैं।

सारणी 3 : कक्षा 2 में भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि

	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	346	84.70	14.30	316	83.70	15.70
गणित		94.50	5.50		94.70	5.60

सारणी संख्या 3 यह दर्शाती है कि कक्षा 2 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 84.70 प्रतिशत है जबकि गणित में यह उपलब्धि 94.50 प्रतिशत है।

कक्षा 2 भाषा एवं गणित में बालिकाओं की उपलब्धि भी बालकों के सापेक्ष लगभग समानता पर है। भाषा में बालिकाओं की औसत उपलब्धि 94.50 प्रतिशत तथा गणित में 94.70 प्रतिशत है।

सारणी 4 : कक्षा 5 भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	बालक			बालिका		
5	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	388	86.6	12.1	287	87.8	11.9
गणित		88.8	12		89.4	12.7

सारणी 4 प्रदर्शित करती है कक्षा 5 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 86.6 प्रतिशत जबकि गणित में 88.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार लगभग बालकों के समान ही बालिकाओं की औसत उपलब्धि भाषा में 87.8 प्रतिशत तथा गणित में 89.4 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि भाषा एवं गणित में समान है।

सारणी 5 : कक्षा 2 भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	अनु.जाति/जनजाति			अन्य		
2	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	256	84.40	14.60	406	84.10	15.30
गणित		94.20	5.30		94.90	5.70

सारणी 5 दर्शाती है कक्षा 2 भाषा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की औसत उपलब्धि 84.40 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग में यह 84.10 प्रतिशत है। इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति बालकों की औसत उपलब्धि 94.20 प्रतिशत एवं मानक विचलन 5.30 है और अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 94.90 प्रतिशत एवं मानक विचलन 5.70 है।

सारणी 6 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में वर्गवार औसत उपलब्धि

कक्षाएं	अनु.जाति/जनजाति			अन्य		
5	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	210	87	3.3	149	84.7	15.1
गणित		88.4	12.5		89.2	12.6

सारणी 6 प्रदर्शित करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि अन्य वर्ग के बालकों के लगभग समान है। अनुसूचित जाति/जनजाति की बालकों की भाषा में औसत उपलब्धि 87 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग के बालकों की उपलब्धि 84.7 प्रतिशत है। कक्षा 5 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की औसत उपलब्धि 88.4 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 89.2 प्रतिशत है।

सारणी 7 : कक्षा 2 भाषा एवं गणित में आधारभूत, मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	448	62.15	28.5	691	58.40	25.65	662	84.19	15.00
गणित	448	42.57	31.92	691	54.79	27.57	662	94.58	5.50

सारणी 7 दर्शाती है कि कक्षा–2 भाषा में अन्तिम मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 84.19 प्रतिशत रही जबकि यह मध्यावधि में 58.40 तथा आधारभूत सर्वेक्षण में 62.15 प्रतिशत थी इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में भी अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में बालकों की औसत उपलब्धि 94.58 प्रतिशत प्राप्त हुई जबकि यह आधारभूत सर्वेक्षण में 42.57 प्रतिशत तथा मध्यावधि सर्वेक्षण मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 54.79 प्रतिशत रही। उपर्युक्त सारणी 7 से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा 2 भाषा एवं गणित में मध्यावधि एवं आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण की तुलना में अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में सार्थक बढ़ोतरी हुई जो उद्देश्यानुसार 50 प्रतिशत से भी अधिक रही।

सारणी 8 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में आधारभूत सर्वेक्षण, मध्यावधि सर्वेक्षण तथा अन्तिम सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	380	43.20	16.50	505	46.17	13.55	675	87.14	12.04
गणित	380	37.58	16.27	505	37.30	17.23	675	89.08	12.28

सारणी 8 प्रदर्शित करती है कि कक्षा 5 भाषा में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में जहाँ बच्चों की औसत उपलब्धि मात्र 43.20 प्रतिशत थी वही मध्यावधि में यह बढ़कर 46.17 प्रतिशत एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में 87.14 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार गणित में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में औसत उपलब्धि 37.58 प्रतिशत से बढ़कर मध्यावधि में 37.30 प्रतिशत तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में यह बढ़कर 89.08 प्रतिशत रही।

क्लास रूम आब्जरवेशन स्टडी के मुख्य निष्कर्ष–

जनपद चित्रकूट/ बांदा के चयनित विकास खण्डों के चयनित 10 विद्यालयों में दिनांक 16.8.2000 से 26.8.2000 तक क्लास रूप में आब्जरवेशन स्टडी की गई जिसके मुख्य निष्कर्ष अधोलिखित हैं–

- **शिक्षकों के बारे में** – इस अध्ययन में पाया गया कि शिक्षकों का शिक्षण प्रायः व्यवस्थित था उनका विषय ज्ञान पर्याप्त था। अध्यापक कियाशील तथा कर्तव्य निष्ठ थे किन्तु उनमें छात्र सहभागिता का अभाव था तथा अधिकांश शिक्षक मूल्यांकन के प्रति सजग नहीं थे। नवाचारी विधियों का प्रयोग कतिपय अध्यापकों ने ही किया।

- **कक्षा की प्रकिया के बारे में** – कक्षा में प्रायः व्याख्यान विधियों का ही प्रयोग ज्यादा किया जाता

है। प्रश्नोत्तर के पश्चात प्रायः अध्यापकीय कथनों की अधिकता रहती है। क्रिया आधारित शिक्षण पर कम बल दिया जाता है। छात्र सहभागिता भी संतोषजनक नहीं थी।

- ❖ **शिक्षण विधियां**– अधिकांश कक्षाओं में परम्परागत शिक्षण विधियों का ही प्रयोग किया जा रहा है। कुछ कक्षाओं में किया कलाप आधारित शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जा रहा है।

- ❖ **शिक्षण सामग्री का प्रयोग**– प्रायः अध्यापक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं किन्तु सामग्री के प्रयोग करने का तरीका सुव्यवस्थित नहीं था। परिवेश में उपलब्ध सहायक सामग्री का उपयोग भी कम हो रहा है। सहायक सामग्री के निर्माण एवं उनके प्रयोग की विधियों की जानकारी हेतु उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

- ❖ 85 प्रतिशत विद्यालयों में पीने के लिए पानी की सुविधायें उपलब्ध हैं। बालिकाओं के लिए 80 प्रतिशत शौंचालय हैं जिनमें 75 प्रतिशत साफ सुथरे मिले हैं।
- ❖ 90 प्रतिशत विद्यालय में अध्यापकों के लिए कुर्सियां तथा मेज उपलब्ध हैं।
- ❖ लगभग 47 प्रतिशत विद्यालय में पर्याप्त स्थान का अभाव पाया गया।
- ❖ लगभग सभी बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें पाई गयी।
- ❖ 16.2 प्रतिशत शिक्षक ही शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षण कार्य में करते पाये गये।
- ❖ शिक्षकों में से अधिकांश प्रतिशत शिक्षण में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का प्रयास करता है।
- ❖ अक्षम बच्चों की शिक्षा के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन पाया गया तथा उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई दिये।
- ❖ बालिकाओं के नामांकन में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- ❖ सभी के लिए शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालयों में 79 प्रतिशत औसत उपस्थिति पाई गई।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

बाल श्रमिक–जनपद आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। जनपद में पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति व आदिवासी जातियों की जनसंख्या पर्याप्त है जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दयनीय है फलस्वरूप इस आबादी के कुछ बच्चे जीविकोपार्जन हेतु कार्य करते हैं जिसके कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई हैं किन्तु यह योजना जिन उद्देश्यों को लेकर चलाई जा रही है उनमें आशानुरूप सफलता नहीं मिल पा रही है। अतः ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए भी ध्यान देने के लिए आवश्यकता है।

जनपद की शहरी मलिन बस्तियों में बच्चे हैं और बालश्रमिक भी हैं। बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजों से जकड़ा रहता है। जिनके माता–पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि इनके पास आय के स्रोत नहीं होते हैं। धनाभाव में भी माता–पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते है। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते हैं। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिए कूड़े कचरे से पालिथिन की थैली आदि

सामग्रियों को बटोर कर विक्रय कार्य में लगे रहते हैं।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से **शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं** ज्ञात हुई–

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विधा को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु के ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। यद्यपि बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में पूर्व की अपेक्षा सुधार हुआ हैं परन्तु अभी भी इसमें सुधार की व्यापक आवश्यकता है।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद चित्रकूट में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।

6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय **वीजनिंग कार्यशालाओं** का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए **शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे**। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की **रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों** को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। **शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध** नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर

4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस हेतु रू0 28 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी. आर.सी स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रू0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानितः है। तथा रू0 28 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानितः है। तथा रू0 28 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानित है। तथा इस हेतु रू0 28 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।
2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षो से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं

को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर

अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 16 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 16 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 17 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे। प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त **उच्च प्राथमिक कक्षाओं** के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में कुल 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट

के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

2– जेण्डर सेंसिटाइजेशन –

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु वी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे।

3– नेतृत्व प्रशिक्षण

सभी उ0 प्र0 वि0 के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबंधन एवं विद्यालय–प्रबंधन का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तथा इसके लिए प्रशिक्षण माडयूल का विकास सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा किया जायेगा।

4– अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण–** जनपद के 286 शिक्षामित्रों तथा 84 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित 80 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 40 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग I व II) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण–** बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए, एस.डी.आई प्रशिक्षण–** जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस. डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई. जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में

भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशेधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यो में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण** –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षो में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के अनुभवों की विभिन्न स्तरों पर शेयरिंग की जायेगी तथा इनका डाक्यूमेन्टेशन भी किया जायेगा।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ तथा 200 दिवस शिक्षण के लिए उपलब्ध हुए।

सारणी – 9

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
परीक्षा	03	06
अन्य कार्य	07	07
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
शिक्षण दिवस	200	197

स्रोत – डायट, चित्रकूट

सारणी – 10

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार –

	प्राथमिक स्तर वादन /समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय
भाषा–1 हिन्दी	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
भाषा–2 अंग्रेजी	40 मिनट x 6 .	40 मिनट x 6
भाषा–3 संस्कृत	40 मिनट x 6.	40 मिनट x 6
विज्ञान	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
गणित	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
सामाजिक विषय	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
समाजोपयोगी कार्य	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6
कला शिक्षण	40 मिनट x 6	40 मिनट x 6

स्रोत – डायट, चित्रकूट

उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 200 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 197 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण सयम के अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का, विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को

जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.40 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 210 लाख रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 1.80 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेंगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 22 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 133 लाख व्यय होगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण

तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यकम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यकमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए. / एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता / व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान कर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

पाठ्यक्रम को स्थानीय संदर्भो के अनुरूप बनाने के लिए सामग्री निर्माण

हर क्षेत्र की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषयी विशिष्टता होती है। बुन्देलखण्ड उ0प्र0 का एक ऐसा क्षेत्र है जो सामाजिक सांस्कृतिक एवं भाषा की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। साथ ही साथ जनपद चित्रकूट के 5 में से 4 विकास खण्डों में आबादी का एक बहुत बडा हिस्सा कोल आदि वासियों का है जिनके रीति रिवाज, रहन सहन एवं भाषा भी अन्य वर्गो से भिन्न है।

अतः ऐसी आबादी के बच्चों की शिक्षा के लिए अलग तरह की पाठ्य सामग्री होगी। पाठ्य क्रम को स्थानीय संदर्भो के अनुकूल बनाने के लिए बुन्देली भाषा एवं कोल आदिवासियों की भाषा में कक्षा 1 और 2 के लिए प्राइमर का निर्माण किया जायेगा जिसका प्रयास बेसिक शिक्षा परियोजना में भी किया गया था किन्तु पूर्ण नहीं हो सका। अतः कक्षा 1 और 2 के लिए भाषा की पुस्तकों का निर्माण, स्थानीय त्योहारों एवं लोकगीतों का संग्रह आदि करने की आवश्यकता है। इसके लिए डायट में स्थानीय भाषा के कवियों एवं साहित्यकारों के माध्यम से उक्त कार्य सम्पादित कराया जायेगा। परिवेशीय सामग्री के माध्यम से बच्चों में शिक्षण के प्रति रूचि बढेगी तथा अधिगम सुगम एवं प्रभावी होगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया

जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्त्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
3. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
4. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
5. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतकों (इण्डीकेटर्स) का विकास।
6. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
7. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
8. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
9. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।
10. जहां बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर कम है उसके कारणों की पहचान।
11. विद्यालयों के सन्दर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन ।
12. बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन
13. मध्यान्तर के पश्चात विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण
14. अध्यापकों के पठन् पाठन के स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन ।

न्यूज लेटर का प्रकाशन–

संस्थान स्तर पर प्रतिमाह न्यूजलेटर का प्रकाशन किया जायेगा जिसमें संस्थान की महीने भर की समस्त शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों एवं उल्लेखनीय कार्यो को प्रकाशित किया जायेगा।

डायट बी0आर0सी0 से शिक्षकों, शिक्षा अभिकर्मियों के लिए न्यूज लेटर का मासिक/ त्रैमासिक प्रकाशन की व्यवस्था की जायेगी जिसमें उस अन्तराल की शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों या अन्य उल्लेखनीय कार्यो का विवरण दिया जायेगा।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी. आर.सी. स्तर पर कि जायेगी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार **के प्रशिक्षण/कार्यशाला** तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन

7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला (हिन्दी/स्थनीय बोली)	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन
28.	बाल श्रमिकों हेतु संचालित वैल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय सदस्य	05 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी. आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. अपना प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगें। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- **'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान'** का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।

- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- **'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान'** का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम –

1. डायट द्वारा विभिन्न ग्रामों के जन–समुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले बच्चों के अभिभावक, ग्राम प्रधान, सम्मिलित थे तथा न्याय पंचायत संकुल प्रभारी, उच्च प्रा. वि. के प्रधानाध्यापक के साथ एफ.जी.डी. के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय में नहीं जाते हैं या जिन्होंने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण कर विद्यालय जाना बंद कर दिया है, उन्हें पुनः विद्यालय में लाने के लिए ठहराव बनाए रखने के लिए तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष करने के लिए कार्यानुभव, प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि लड़कियों को उनकी इच्छानुसार, फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फूड प्रजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण देने से उनका उ.प्रा. स्तर पर विद्यालय में ठहराव बनाए रखने के लिए सहायता मिलेगी। इससे पूर्व एक विकास खंड के उ0प्रा0वि0 में बालिकाओं के लिए इसका पाइलट प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है, जिसके परिणाम बहुत सकारात्मक रहे हैं। इससे न केवल बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है, अपितु उनका ठहराव भी बना रहा है।

बालिकाओं केलिये कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार (Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिन स्थानों पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नही हुई। यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के 3 विकासखण्डों में तीन तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इस कार्य में यह योजना है कि प्रत्येक उ0प्रा0वि0 की स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वहां बच्चों को ऐसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाए जिससे वे तैयार सामान को विक्रय करके तथा भविष्य में भी उनको आर्थिक सहायता प्राप्त हो।

एक बी0आर0सी0 एक एन0पी0आर0सी0 एक उ0 प्रा0 विद्यालय में मिनी विज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित करना:

1–प्रत्येक ब्लाक संसाधन स्तर पर एक ऐसे विद्यालय का चुनाव किया जायेगा जिसको विज्ञान की दृष्टि से पूर्ण रूप से सुसज्जित एवं सुदृढ़ीकृत किया जायेगा। इसमें इण्टरमीडिएट कक्षा तक के लिए समस्त वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी ।

2–डायट में विभिन्न स्तरों के विज्ञान क्लबों की स्थापना की जायेगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए क्विज, भाषण प्रतियोगिताएं एवं प्रदर्शनी आदि के नियमित आयोजन किए जायेंगें।

3–विज्ञान प्रगति पत्रिका जैसी साहित्य को क्लब में मंगाया जायेगा तथा सभी को लाभ लेने का अवसर दिया जायेगा।

धीमी गति से सीखने वाले बाच्चों की उपचारात्मक शिक्षा :

शैक्षिक भ्रमण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि कक्षा में ऐसे छात्र होते हैं जो किसी ज्ञान को सीखने में अधिक समय लगाते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

बुद्धि मापक परीक्षाओं द्वारा बच्चों की मानसिक योग्यता का पता लगाकर धीमी गति से सीखने वाले बच्चों का पता लगाया जाएगा एवं इन की शिक्षा हेतु विशेष बातों का ध्यान रखा जाएगा। यथा – इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते समय दृश्यश्रव्य उपकरणों का विशेष रूप से प्रयोग किया जएगा। इससे इन बालकों को अमूर्त तथा सूक्ष्म विषयों को समझाने में सुविधा होगी। समय–समय पर सभी बालकों की चिकित्सा जांच कराई जाएगी, ताकि उनके शारीरिक दोषों का पता लगाया जा सके तथा उनका उपचार किया जाएगा। इन बालकों के लिए अभ्यास के लिए विशेष अवसर जुटाए जाएंगे तथा ऐसे प्रश्न निर्मित किए जाएंगे जो सरल एवं रोचक हों। इन बालकों के लिए पाठ्य सामग्री विकसित करके दी जाएगी तथा बालकों की रूचि के अनुसार कठिन विषयों पर छोटी–छोटी प्रायोजनाओं पर कार्य करने के लिए दिया जाएगा। इन बालकों के लिए गृह कार्य की विशेष व्यवस्था की जाएगी। गृह कार्य की जांच नियमित की जाएगी तथा शेष कार्य भी पूरा कराया जाय। इन बालकों के माता पिता से सतत् संपर्क रखा जाएगा, जिससे बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं का निदान हो सकेगा। इन बालकों को कार्य की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाएगा तथा विशेष सुविधा एवं सहानुभूति रखी जाएगी। समयबद्ध तरीके से परीक्षा के द्वारा शैक्षिक संप्राप्ति का पता लगाया जाएगा। यह कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर एक ब्लाक के विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा।

पूर्व से संचालित डायट भवन के लिए रखरखाव व मरम्मत का प्रस्ताव–

1. संस्थान के मुख्य भवन/छात्रावास/ राजकीय आवासों की छतों की मरम्मत हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना अपेक्षित है। क्योंकि मुख्य भवन / छात्रावास / राजकीय आवासों की छतें जीर्ण–शीर्ण हो गई हैं। जिनसे बरसात में पानी नीचे आ जाता है। वर्ष 1994 (भवन टेक ओवर के समय से) छतों की मरम्मत बजट के अभाव में नहीं कराई गयी।

2. संस्थान के मुख्य भवन / छात्रावास / बाउण्ड्रीवाल / आवासों की पुताई / खिड़की एवं दरवाजों की मरम्मत का कार्य कराया जाना है।
3. पेयजल की व्यवस्था हेतु संस्थान के सबमर्सिबल पम्प एवं जेट पम्प की मरम्मत / अनुरक्षण का कार्य कराया जाना है।
4. संस्थान के मुख्य भवन / छात्रावास के शौचालय की मरम्मत का कार्य अत्यावश्यक है। क्योंकि कई टायलेट बन्द हो गई हैं साथ ही सेनेटरी की मरम्मत की आवश्यकता है। एक अतिरिक्त शौचालय निर्माण की भी आवश्यकता है।
5. संस्थान / छात्रावास परिसर के भूमि समतलीकरण का कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाना अपेक्षित है क्योंकि सड़क से संस्थान / छात्रावास परिसर की जमीन बहुत ही नीची है जिससे बरसात में संस्थान के चारो तरफ एक–एक फुट पानी भर जाता है जिससे संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों / छात्राध्यापकों को घुटनों तक भरे हुए पानी से होकर संस्थान में आना जाना पडता है।

6. संस्थान में एक बडे स्टोर रूम की बहुत ही आवश्यकता है।
7. संस्थान परिसर की एप्रोच रोड की मरम्मत कराई जानी अपेक्षित है।
8. संस्थान / छात्रावास परिसर का सौंदर्यीकरण कराया जाना आवश्यक है।

	डायट	बी0आर0सी	सी0आर0सी
मरम्मत रखरखाव	पूर्व में विवरण दिया जा चुका है।	छतों की मरम्मत स्टोर रूम का निर्माण विद्युत मरम्मत की आवश्यकता है।	छतों की मरम्मत पुताई का कार्य एवं विद्युतीकरण आवश्यक है।
उपकरण संयत्र	1.कम्प्यूटर (नवीन माडल)एक		
	2.फोटोकापियर मशीन एक		
	3.इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर दो	मैनुअल टाइपराइटर 01	
	4.फैक्स एक		
	5.इण्टरकाम 10		
	6.रूम कूलर 10		
	7.वाटर कूलर मशीन एक		
	8.बुक सेल्फ 10	02	01
	9.विद्युत चलित डीजल जनरेटर पांच	एक जनरेटर प्रति बी0आर0सी0	
	10.ए0सी0 (2 टन क्षमता)		
	11.वीडियोग्राफिक कैमरा एक		
	12.रंगीन टी0वी0 05		
	13.कम्प्यूटर लैब हेतु आवश्यक सामग्री		
	14.ए0सी0 रूम हेतु आवश्यक धनराशि		
	15.जीप मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि		
	16.लर्निंग कार्नर		
	17.रूचि पूर्ण कक्ष		
	18.फोम के गददे 100अदद		
	19.चादर एवं तकिया 100+100		
	20.कम्बल 100		
	21.हेड प्रोजेक्टर एक		

	23.साज सज्जा से सम्बन्धित अन्य सामग्री		
		स्टेंसिल मशीन प्रति बी0आर0सी 01	
		प्रति बी0आर0सी0 एक पुस्तकायल की आवश्यक है।	

सारणी – ब
पदों का विवरण
1–1–2001 के आधार पर

पदों का विवरण	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	01	—
उप प्राचार्य	01	01	—
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	02	04
प्रवक्ता	17	08	09
कार्यानुभव शिक्षक	01	—	01
सांख्यिकीकार	01	01	—
प्रति नियुक्ति पर तैनात प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या	04	—	04

परिशिष्ट – 1
अकादमिक पर्यवेक्षण

स्कूलों की संख्या	स्कूलों की संख्या जिनका निरीक्षण हुआ	श्रेणी				पर्यवेक्षक, डायट मेंटर द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सुझाव
विकास खण्ड वार		A	B	C	D	
चित्रकूट	प्रा0 170	50	70	24	26	1. विज्ञान किट व गणित के प्रयोग पर बल एवं प्रदर्शन । 2. आदर्श पाठ प्रस्तुत कर निर्देश दिये गये। 3. सहायक सामग्री का निर्माण एवं रोचक प्रस्तुतीकरण। 4. कक्षा सौदर्यीकरण 5. बस्ता प्रतियोगिता। 6. अभिभावक सम्पर्क। 7. छात्रों के सहयोग से पुष्पवाटिकाओं की तैयारी 8. रूचिपूर्ण शिक्षा कक्ष में तीन फिट हरी पट्टी एवं उसके ऊपर 6 इंच चौडी पीली पट्टी के निर्माण के निर्देश। 9. .जिन विद्यालयों में पटटी नहीं बनी हुई वहां प्रयोग करके दिखाया गया
	उ0प्रा 45	15	10	08	12	
पहाड़ी	प्रा0 139	24	42	52	21	
	उ0प्रा038	10	10	08	10	
मानिकपुर	प्रा0 132	05	10	15	102	
रामनगर	प्रा 80	30	20	13	17	
मऊ	प्रा0 145	45	30	20	50	
	उ0प्रा 50	10	15	05	20	

अध्याय–१०

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष २००१ से वर्ष २०१० तक की होगी। इस अवधि में ६–१४ आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है ।

प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबन्ध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली

सर्व शिक्षा अभियान को समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली का विकास कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लख्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया विकसित करने, वित्तीय निवेशों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने और नवाचारी विधियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उ० प्र० सर्व शिक्षा अभियान में एक प्रबन्ध तन्त्र विकसित किया गया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है ।

निर्णयकर्ता समितियां		सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पक्ति		सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी०	→	राज्य परियोजना कार्यालय	←	एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साईमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
↓		↓		↓
जिला शिक्षा परियोजना समिति	→	जिला परियोजना कार्यालय	←	डायट, एन०जी०ओ० आदि
↓		↓		↓
क्षेत्र विकास समिति	→	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	←	ब्लाक संसाधन केन्द्र
↓		↓		↓
ग्राम शिक्षा समिति	→	विद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक	←	सकुंल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा– नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम १९७२ यथा संशोधित वर्ष २००० के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है।जिसमें निम्नलिखित सदस्य है ।

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

१. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष

२. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वंहा १ से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा।।

३. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी–

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों का सम्पादन, उनका प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रोढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, शौचालय आदि का निर्माण, तथा पुनर्निर्माण एवं मरम्मत, विद्यालय परिसर का उन्नयन, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है तथा विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में इन समितियों ने आशातीत वृद्धि प्राप्त की है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सभी ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा समिति ने सभी ग्राम सभाओं में माइक्रो प्लानिंग के पश्चात ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा गाँव स्तर पर विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। जून, २००० में पंचायत चुनाव के माध्यम से ग्राम पंचायत का गठन हुआ है तथा फलस्वरूप नवीन ग्राम शिक्षा समितियां गठित हो गयी हैं। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों, विशेष रूप से जो जून २००० के पंचायत चुनावो में नवनिर्वाचित हुये हैं, को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारंभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके। कार्यक्रम में सक्रिय समुदायिक सहभागिता बढाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिये पी०टी०ए०, एम०टी०ए०, महिला अभिप्रेरण समूह भी स्थापित किये जायेगें, जो स्थानीय स्तर पर प्रभावी योगदान देगें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण **(Convergence)** इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, की नियुक्ति तथा इनके और आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य **'हर बच्चा हो स्कूल में, हर स्कूल हो सुन्दर व हर बच्चा सीख रहा हो'** के **उददेश्य की प्राप्ति के लिये कार्य करेंगे।**

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०):–

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

१. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।

२. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार–विमर्श एवं उसका निराकरण करना।

३. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।

४. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

५. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्पर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी। क्षेत्र पंचायत स्त्र पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है–

१.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
२.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
३.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
४.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना जे० जी० एस० वाई० के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिक शिक्षा के लिये प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन

केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे:–

१. सर्व शिक्षा अभियान की नितियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
२. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
३. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
४. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
५. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
६. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
७. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
८. विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बालक/बालिकाओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित करना।
९. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
१०. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्र की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।
११. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
१२. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई०जी०एस० एंव ए०आई०ई० केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की गयी है। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड

परियोजना अधिकारी की हैसियत से समस्त दायित्वों का निर्वाह करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख रखाव हेतु नियत धनराशि (मानक रू० १८००० प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई०जी०एस०/ ए०आई०ई० योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी० आर० सी० सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी०आर०सी०)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना वर्ष १९९३ से वर्ष २००० तक संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी०आर०सी० समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी०आर०सी० को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी०आर०सी० में एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

१. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
२. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
३. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षिणक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।

४. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

५. पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

६. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

७. विकास खण्ड के अन्र्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना।

८. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्र्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्र्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है –

०	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
०	मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
०	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
०	प्राचार्य डायट	–	सदस्य
०	जिला श्रम अधिकारी	–	सदस्य
०	जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य
०	वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा)	–	सदस्य
०	अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.)	–	सदस्य
०	अधिशासी अभियंता(पी०डब्ल्यू०डी०)	–	सदस्य
०	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य
०	दो शिक्षाविद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से)	–	सदस्य

- दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)
- दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः–

यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एंव जनसहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एंव शैक्षिक अगों को मानने होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार–प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई०जी०एस०/ ए०आई०ई० से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम १९७२ के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:–

१.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
२.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
३.	मुख्य विकास अधिकारी	पदेन सदस्य
४.	जिला हरिजन एंव समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
५.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
६.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि काई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
७.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
८.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पदान करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार–सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र – जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे–

१.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी	
२.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई०जी०एस० / ए०आई०ई०)	१	(प्रतिनियुक्ति पर)
३.	समन्वयक (बालिका शिक्षा, सामुदायिक गतिशीलता, वैकल्पिक शिक्षा, समेकित शिक्षा)	४	(प्रतिनियुक्ति पर अथवा नियत मानदेय के आधार पर)
४.	सलाहकार	२	रू. १०,०००/– नियत वेतन प्रति पद
५.	कम्प्यूटर आपरेटर	१	रू. ७,०००/– नियत वेतन प्रति पद
६.	सहायक लेखाधिकारी	१	(प्रतिनियुक्ति पर)
७.	लिपिक	१	नियत मानदेय के आधार पर

८. परिचारक १ नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के सस्टेनेविलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी) अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

पउरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह अधिकारिक दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्तव्य की तरह ही करेंगे। परियोजना क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्मः–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यक्रम में एम०आई०एस० स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम०आई०एस० डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राइमरी स्तर का साफ्ट वेयर (डायस) स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। तथा वर्ष ९७–९८ से २०००–२००१ तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये सापटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण आंकड़ों का संचालन एवं विश्लेषण किया जायगा। इन दोनो कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एवं उपयुक्त ई० एम० आई० एस० तथा प्रोजैक्ट मानिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा। इन दोनों कम्प्यूटर स्स्टिम को संचालित करने हेतु दो कम्प्यूटर आपरेटर्स की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी।

प्रशिक्षणः–

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी०आर०सी० समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और

उन्हे ई०एम०आई०एस० सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

१. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण **(जिला स्तर पर)**	यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी तथा उसका स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ भाग लेगा।
२. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण **(ब्लाक स्तर पर)**	यह प्रशिक्षण भी दो दिवसीय होगा और इसमें सहा० बे० शि० अ० / उप विद्या० निरिक्षण, बी० आर० सी० समन्वयक, सह समन्वयक प्रतिभागी होंगे।
३. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण **(न्याय पंचायत स्तर पर)**	यह दो दिवसीय प्रशिक्षण होगा इसमें न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भाग लेंगे।
४. ई० एम० आई० एस० तथा प्रोजैक्ट मैनेजमैन्टका प्रशिक्षण –	एस० पी० ओ० / सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण दो सप्ताह का होगा इसमें डी० पी० ओ० तथा बी० आर० सी० के कम्प्यूटर आपरेटरर्स भाग लेंगे। प्रथम सप्ताह में ई० एम० आई० एस० प्रबन्धन तथा दूसरे सप्ताह में पोजेक्ट मैनेजमैन्ट इन्डीकेटर्स तथा सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायगा।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से ३० सितम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई०एम०आई०एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट–आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः–

ई०एम०आई०एस० आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे– जी०ई०आर०, एन०ई०आर०, ड्राप–आउट दर, छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षा–कक्ष अनुपात, एकल अध्यापिकीय आदि विद्यालय प्रतिवर्ष

प्राप्त होगें। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग प्रोजैक्ट मैनेजमैन्ट डिसीजन्स तथा वार्षिक प्लानिंग एन्ड बजटिंग में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदानुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके।

'डायस' के अर्न्तगत ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की गई माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों का एकत्रीकरण व विश्लेषण कम्प्यूटराइज्ड किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई० एम० आई० एस० व माईक्रोप्लानिंग आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जा सकेगा।

१. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।

२. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।

३. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।

४. एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।

५. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

६. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों, न्याय पंचायतों निकायों का चिन्हीकरण।

७. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।

८. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।

९. शिक्षकों का विवरण।

१०. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

११. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई०एम०आई०एस० से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षो एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

प्रोजैक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम्सः—

एम०आई०एस० के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एक कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग में लाया जायेगा। इसके लिये भी एम०आई०एस० इकाई प्रयोग में लायी जायेगी ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सृदृढ़ किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका का पूर्ण विवरण अध्याय—६ में उल्लिखित हैं। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित मुख्य कार्य होंगे :—

१. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।
२. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान से सम्पर्क में रहना तथा शिक्षा के अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना। जिससे जिले स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके।
३. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना है।
४. जिले स्तर के शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना।
५. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

६. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया–कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

७. जिला स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थाापित करना तथा शैक्षिक कार्यो का नियोजन करना।

८. जिला स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

९. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

१०. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

११. शैक्षिक आकडों (ई०एम०आई०एस० के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन मे उनका उपयोग करना ।

१२ शिक्षकों, समन्वयकों, ई०सी०सी०ई० तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका का विस्तृत विवरण अध्याय–६ में दिया गया है।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो आफ फण्ड) :–

प्रतिवर्ष फरवरी में जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तावित करेगा। सीमेट के एप्रेज़ल के पश्चात तथा उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्य योजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, अकादमिक, पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी० आर० सी०, एन० पी० आर० सी० को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे– ग्राम शिक्षा समिति, स्वंयसेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि को सीधे खाते के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता रहेगा जो प्रि प्रोजैक्ट एक्टिविटीज की धनराशि के लिये खोला जा चुका है। यह खाता बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय संदर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिला अधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रूः ५००० /– मूल्य से अधिक सभी वित्तीय मामलो पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का बैंक खाता भी डायट प्राचार्य तथा उसी संस्थान के लेखा सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के स्तर पर भी परियोजना सम्बन्धी खाता खुला है जिसका परिचालन उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के नियम स्पष्टतः निर्धारित हैं। परचेज़ तथा प्रोक्योरमैन्ट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो इस परियोजना में भी अपनाये जायेंगे। तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायगी। समस्त लेखा सम्बन्धी स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायगा तथा समय समय पर रिफ्रैशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है। जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डाइग्राम

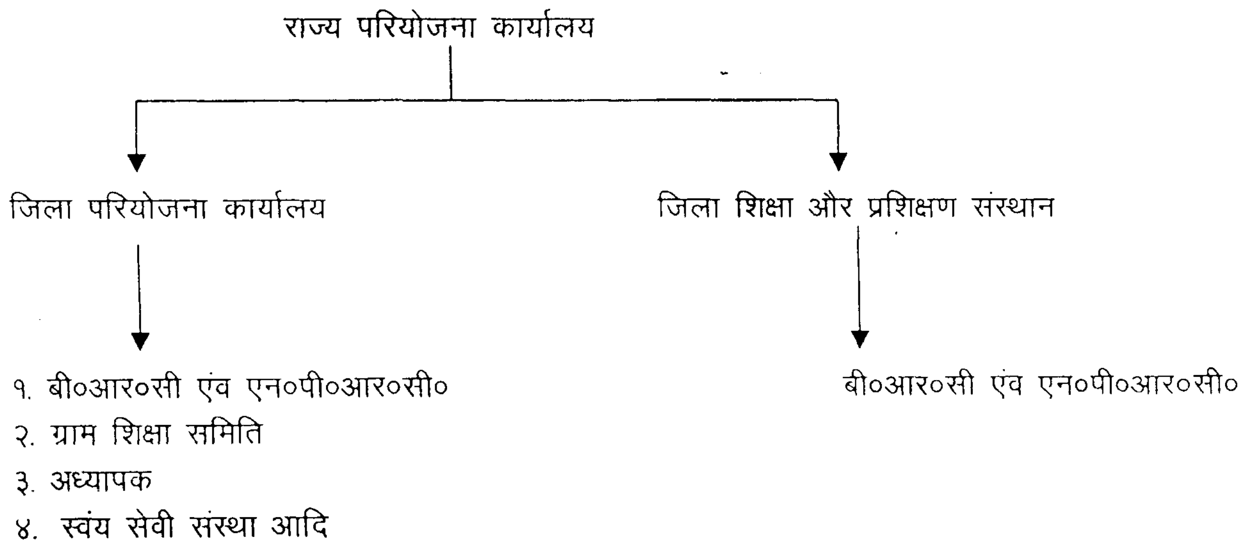

सम्प्रेक्षण व्यवस्था

उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डैपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाऊन्टैन्ट के माध्यम से किया जायगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायगा। चार्टर्ड एकाऊन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा।

राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रति वर्ष किया जायगा।

राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा भी समय समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

अध्याय-11

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

(Rs in thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS																					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)			52	13468	40	10360													92	23828
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)			73	24674	97	32786													170	57460
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2x12			52	5741	92	10157	92	10157	92	10157	92	10157	92	10157	92	10157	92	10157	696	76840
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	78 1/Year 6.5 × 12			292	22776	680	53040	680	53040	680	53040	680	53040	680	53040	680	53040	680	53040	5052	394056
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12			73	6570	170	15300	170	15300	170	15300	170	15300	170	15300	170	15300	170	15300	1263	113670
5	Furniture / Fixture & Equipment																					
	PS	15			52	780	40	600													92	1380
	UPS	50			73	3650	97	4850													170	8500
	Total		0	0	667	77659	1216	127093	942	78497	942	78497	942	78497	942	78497	942	78497	942	78497	7535	875734
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10																			0	0
	Total		0	0	0	0															0	0
	Interventions for out of school children																					
A3	Alternative School (EGS + AIE)																					
	EGS		2520	1777	2520	1777	2520	1777	2520	1777	2520	1777	2520	1777	1260	888	1260	888	630	444	18270	12882

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	1200	846	1200	846	1200	846	900	635	900	635	900	635	600	423	600	423	600	423	8100	5712
	Upper Primary	1.0 per child	1000	1000	1000	1000	1000	1000	600	600	600	600	250	250	250	250					4700	4700
	Total		**4720**	**3623**	**4720**	**3623**	**4720**	**3623**	**4020**	**3012**	**4020**	**3012**	**3870**	**2862**	**2110**	**1561**	**1860**	**1311**	**1230**	**867**	**31070**	**23294**
A4	Back to school campaign	1.5 per child	2400	3600	2400	3600	2400	3600	1200	1800	1000	1500	800	1200							10200	15300
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	500	750	500	750	500	750	500	750											2000	3000
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa																				0	0
	SubTotal (A)		**7820**	**7973**	**8287**	**85632**	**8836**	**135066**	**6662**	**84059**	**5962**	**83009**	**5412**	**82359**	**3052**	**80058**	**2802**	**79808**	**2172**	**79364**	**50805**	**717328**
(R)	**RETENTION**																					
	Additional Classrooms	70	230	16100	199	13930															429	30030
	Additional Teachers Primary School (A.T.)	5.5 x 12 = 66	91	6006	237	15642	355	23430	463	30558	573	37818	689	45474	725	47850	762	50292	799	52734	4694	309804
	Additional Teachers Primary School (S.M.)	2.25 x 11 = 24.75	91	2252	237	5866	355	8786	463	11459	573	14182	689	17053	725	17944	762	18860	799	19775	4694	116177
R1	Toilets (PS + UPS)	10	88	880																	88	880
	Ree. of Old PS	191			8	1528	16	3056	23	4393											47	8977
	Ree of Old UPS	270			3	810	6	1620	2	540											11	2970
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18																			0	0

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	837	4185	837	4185	962	4810	1099	5495	1099	5495	1099	5495	1099	5495	1099	5495	1099	5495	9230	46150
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	60	2400	60	2400	60	2400	60	2400	60	2400	60	2400	60	2400	60	2400	54	2160	534	21360
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school			52	104	92	184	92	184	92	184	92	184	92	184	92	184	92	184	696	1392
	School Improvement Grant (UPS)	4 pa per school			73	292	170	680	170	680	170	680	170	680	170	680	170	680	170	680	1263	5052
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district																				
	Promoting Girls Education																					
	Summer Camps	10 per camp																			0	0
R6	MCDA including	75 per cluster	3	225	3	225	3	225	2	150	2	150	2	150	1	75	1	75	1	75	18	1350
	Gender Sensitization																					
R7	SUPW for girls	25 per school	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	180	4500
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre																			0	0
1	Strengthening ICDs Centres																					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100																	1	100
4	Civil Works (one additional room)	70																			0	0
5	TLM	5 per centre	40	200																	40	200
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0 375 per centre	40	15	40	15	40	15	40	15	40	15	40	[illegible]	40	15	40	15	40	15	360	135
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre			40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	320	480

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)																					
	Induction	3	40	120																	40	120
	Recurring	1.2			40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	320	384
R10	Community Mobolisation																					
1	MTA/PTA training	0 007	837	176	962	202	1099	231	1099	231											3997	840
2	Kala Jatha (VEC, Blck Level & Dist. Level)	8 per NPRC	48	384	48	384							48	384							144	1152
3	Development of Awareness Material	5 per block	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	45	225
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	48	240	48	240	48	240	48	240	48	240	48	240	48	240	48	240	48	240	432	2160
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10									1	10							2	20
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10									1	10							2	20
8	Assistance to NGOs for Community Mobilsation	50 per district																			0	0
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
R12	Award of Best Shiksh Mitras	5	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	90	450
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	1000	705	1000	705	500	353	500	353	250	176	250	176	100	71	100	71			3700	2610
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child																			0	0
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	2000	2400	5000	6000	7000	8400	9000	10800	7000	8400	6000	7200	5000	6000	4000	4800	3000	3600	48000	57600

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1	Assistance of NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)																			0	0
R16	Computer Education for UPS composite school	100	15	1500	15	1500	15	1500	15	1500	15	1500									75	7500
	School Health Check Up (PS)	0.500 per school	837	419	962	481	1099	550	1099	550	1099	550	1099	550	1099	550	1099	550	1099	550	9492	4750
																					0	0
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school		4185		4810		5495													0	14490
																					0	0
	Sub Total (B)		8345	43137	9901	80052	11937	82708	14282	70281	11138	72523	10405	80754	9276	82237	8350	84395	7318	86241	88962	642328
	(Q) Quality Improvement																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra	0.07 per person per day	91	191	237	498	355	746	463	972	573	1203	689	1447	725	1523	762	1600	799	1678	4694	9858
2	Induction Traning for Assistant Teachet	0.07 per person per day	91	38	438	184	506	213	108	45	110	46	116	49	36	15	37	16	37	16	1479	622
3	Induction Traning of Head Teacher (PS)	0.07 per person per day			52	22	40	17													92	39
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS)	0.07 per person per day			73	31	97	41													170	72
5	In service teachers training	0.07 per person per day	2605	1824	2696	1887	3134	2194	3640	2548	3748	2624	3858	2701	3974	2782	4010	2807	4047	2833	31712	22200

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	Inservice training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day			237	166	355	249	463	324	573	401	689	482	725	508	762	533	799	559	4603	3222
7	Induction training of EGS/AIE worker	0.07 per person per day	164	344	164	344	164	344	138	290	138	290	124	260	72	151	62	130	62	130	1088	2283
																					0	0
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day			164	172	164	172	138	145	138	145	124	130	72	76	62	65	62	65	924	970
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	5	4																	5	4
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day	48	34																	48	34
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day			5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	40	16
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day			48	17	48	17	48	17	48	17	48	17	48	17	48	17	48	17	384	136
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	4	6			4	6			4	6									12	18
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	225	477
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	53	80	53	80	53	80	53	80	53	80	53	80	53	80	53	80	53	80	477	720

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	90	36
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	6	2	6	2															12	4
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	180	270
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	337	243	337	243	337	243					337	243	337	243					1685	1215
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	5	350	5	350	5	350	5	350	5	350									25	1750
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	2606	912	438	153	506	177	108	38	110	39									3767	1319
23	AWPB Review and Training of Core Planning Tecms by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day			7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	56	200
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	5	13	5	13	5	13	5	13	5	13	5	13	5	13	5	13	5	13	45	117
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	2000	420	600	126															2600	546
	Total		9074	4548	5620	4402	5840	4878	5236	4936	5572	5328	6110	5536	6114	5522	5868	5375	5978	5505	54413	48128
Q2	Teaching Learning Material																					
1	Teacher Grant (PS)	0.35	1715	600	1806	632	1952	683	2070	725	2178	762	2288	801	2404	840	2440	854	2477	867	19330	6764
2	Teacher Grant (UPS)	0.35	885	310	1250	438	1735	607	1735	607	1735	607	1735	607	1735	607	1735	607	1735	607	14280	4997

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
3	Free text book to SC/ST children & Girls (PS)	0150 per	92285	13843	102463	15369	104717	15708	107018	16053	109384	16408	111790	16769	114249	17137	116762	17514	119330	17900	977998	146701
																					0	0
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	657	329	709	355	749	375	749	375	749	375	749	375	749	375	749	375	749	375	6609	3309
5	Supplementary Readinq Material (UPS)	1	180	180	253	253	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	2883	2883
6	Printing & Distribution O' Syllabus (PS + UPS)	80	1	80							1	80									2	160
7	Printing & Distribution O' Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160					1	160							1	160			3	480
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10													3	30
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each							1	400					1	400					2	800
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each							1	400					1	400					2	800
12	School Awards	25	5	125	5	125	5	125	5	125	5	125	5	125	5	125	5	125	5	125	45	1125
	Total		**95731**	**15797**	**106488**	**17342**	**108510**	**18018**	**111931**	**18355**	**114403**	**18867**	**116918**	**19187**	**119495**	**20394**	**122043**	**20145**	**124647**	**20384**	**1021168**	**189489**
	Subtotal (C)		**103808**	**20345**	**112108**	**21744**	**115350**	**22894**	**117167**	**24291**	**119975**	**24195**	**123028**	**24723**	**125609**	**25916**	**127911**	**25520**	**130628**	**25889**	**1075579**	**218817**
C1	DIET																					
1	Furniture	50	1	50																	1	50
2	Equipments (including audio visual)	200																			0	0
3	Computers Work Station	400	1	400																	1	400
4	Vehicle (where applicable)	350																			0	0

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
5	Hiring	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
6	POL	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
7	Maintenance of Vehicle	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	9	135
8	Research/Action Research	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
9	Faculty Development	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
10	Exposure visits	50	1	50							1	50							1	50	3	150
11	Library	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
12	Salary of computer operator	7	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	9	756
13	Salary of Driver (where applicable)	4	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	9	432
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Total		12	797	9	297	9	297	9	297	10	347	9	297	9	297	9	297	10	347	98	3273
C2	Block Resource Centre																					
1	Building Construction	800																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Asstt. Coordinator (2 Nos)	5.5*2 = 11	5	330	5	330	5	330	5	330	5	330	5	330	5	330	5	330	5	330	45	2970
4	Chowkidar	3*12	5	180	5	180	5	180	5	180	5	180	5	180	5	180	5	180	5	180	45	1620
5	Equipment/Furniture	100																			0	0
6	Travelling Allowance	5	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	45	225

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
7	Maint of Equipment	1			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	40
8	Maint of building	6	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	45	270
9	Books	10	5	50			5	50			5	50			5	50			5	50	25	250
10	Monitoring & Supervision	0.300 per school	837	251	962	289	1099	330	1099	330	1099	330	1099	330	1099	330	1099	330	1099	330	9492	2850
11	Consumables	5	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	45	225
12	Contingency	12	5	60	5	60	5	60	5	60	5	60	5	60	5	60	5	60	5	60	45	540
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	6	18	5	18	5	18	5	18	5	18	5	18	5	18	5	18	5	18	45	162
	Total		877	969	1002	962	1144	1053	1139	1003	1144	1053	1139	1003	1144	1053	1139	1003	1144	1053	9872	9152
C3	School Complex (NPRC)																					
1	Construction	200																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Equipment/Furniture	10																			0	0
4	Books for Library/Book Bank	5	48	240			48	240					48	240					48	240	192	960
5	Contingency	25	48	120	48	120	48	120	48	120	48	120	48	120	48	120	48	120	48	120	432	1080
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	48	115	48	115	48	115	48	115	48	115	48	115	48	115	48	115	48	115	432	1035
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	837	167	962	192	1099	220	1099	220	1099	220	1099	220	1099	220	1099	220	1099	220	9492	1899
	Total		981	642	1058	427	1243	695	1195	455	1195	455	1243	695	1195	455	1195	455	1243	695	10548	4974

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4	District Project Office																					
	Staffing Coordinators - 4 Consultants - 2	10	6	720	6	720	6	720	6	720	6	720	6	720	6	720	6	720	6	720	54	6480
	Salary of Driver	4	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	9	432
	Computer Operator	7	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	9	756
	Equipment	50	1	50																	1	50
	Furniture & Fixtures	50	1	50																	1	50
	Books	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Purchase of Vehicle	350																			0	0
	Motor Cycle	50	2	100																	2	100
	Travelling Allowance	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	226
	Telephone/Fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
	Vehicle Maintenance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Honorarium for AE/JE - 3 Yrs.	0.500 per month	5	30	5	30	5	30													15	90
	Maintenance of equipment	10			1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	8	80
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
	Supervision & Monitoring	0.400 per school	837	335	962	385	1099	440	1099	440	1099	440	1099	440	1099	440	1099	440	1099	440	9492	3800
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Research & Evaluation	0.300 per schol	837	251	962	289	1099	330	1099	330	1099	330	1099	330	1099	330	1099	330	1099	330	9492	2850

164

SUMMARY OF PROJECT COST

(Rs. in thousands)

Year	Access	Retention	Quality	Capacity Building	Total Cost
2001-2002	7973	43137	20345	4840	76295
Amount					
As% of Total	10.45	56.54	26.67	6.34	100
Project Cost					
2002-2003	85632	60052	21744	3551	170979
Amount					
As% of Total	50.08	35.12	12.72	2.08	100
Project Cost					
2003-2004	135066	62708	22994	4006	224774
Amount					
As% of Total	60.09	27.9	10.23	1.78	100
Project Cost					
2004-2005	84059	70281	24291	3686	182317
Amount					
As% of Total	46.11	38.55	13.3[illegible]	2.02	100
Project Cost					
2005-2006	13009	72523	24195	3786	183513
Amount					
As% of Total	45.23	39.52	13.19	2.06	100
Project Cost					
2006-2007	82359	80754	24723	3926	191762
Amount					
As% of Total	42.95	42.11	12.89	2.05	100
Project Cost					
2007-2008	80058	82237	25916	3736	191947
Amount					
As% of Total	41.71	42.84	13.5	1.95	100
Project Cost					
2008-2009	79808	84395	25520	3686	193409
Amount					
As% of Total	41.26	43.64	13.2	1.91	100
Project Cost					
2009-2010	79364	86241	25889	4026	195520
Amount					
As% of Total	40.59	44.11	13.24	2.06	100
Project Cost					
GRAND TOTAL	717328	642328	215617	35243	1610516
As% of Total	44.54	39.88	13.39	2.19	100

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
CHITRAKOOT

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	POL for Motor Cycle	12x4																			0	0
	Total		1999	1819	1945	1718	2219	1812	2214	1782	2214	1782	2214	1782	2214	1782	2214	1782	2214	1782	18148	16038
C4 1	MIS																					
1	MIS Cell Furnishing	50	1	50																	1	50
2	Salary of Computer Operator	7 p.m. =12	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	9	756
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460																	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of equipments	20			1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	8	160
6	Computer Consumables	25			1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	8	200
	Total		4	614	4	149	4	149	4	149	4	149	4	149	4	149	4	149	4	149	36	1806
	Sub Total (D)		3673	4840	4018	3551	4819	4006	4561	3886	4567	3788	4609	3828	4566	3736	4561	3690	4815	4028	39690	36243
	Grand Total		121342	78295	134314	170979	140742	224774	142882	182317	141642	183613	143454	181782	142503	181947	143624	189409	144731	185320	1255034	1610610

SUMMARY TABLE OF CIVIL WORK , MANAGEMENT COST & PROGRAMME —I

(Rs. in thousands)

Year	CIVIL WORK	MANAGEMENT COST	PROGRAMME	Total Cost
2001-2002	23595	2432	50268	76295
2002-2003	61025	1865	108089	170979
2003-2004	55062	1961	167751	224774
2004-2005	12858	1931	167528	182317
2005-2006	7925	1931	173657	183513
2006-2007	7925	1931	181906	191762
2007-2008	7925	1931	182091	191947
2008-2009	7925	1931	183553	193409
2009-2010	7685	1931	185904	195520
TOTAL	191925	17844	1400747	1610516
AS% OF TOTAL PROJECT COST	11.92	1.1	86.98	100

अध्याय –12

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट

(2001–2002)

सर्व शिक्षा अभियान की पर्स पेक्टिव प्लान का निर्माण किया गया है वर्ष 2001–2002 प्रथम वर्ष की कार्य योजना वर्णित है। प्रथम वर्ष हेतु आवश्यक बजट निम्न सारणी के अनुसार है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET

Amount in thousand

s. No	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	1st year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
A	**Access**					
A1	New Primary School-Unserved	259 (191+10+18 +40)				
1	New Upper Primary School	338 (270+10+18 +40)				
2	Salary Of Astt. Teacher/New School	9.2	-			
3	Salary Of teacher in UPS (4No.) in New School	6.5X12=78				
4	HT of new UPS	7.5				
5	Furniture/Fixture & Equipment					
	PS	15				
	UPS	50				
	Sub Total					
A2	Upgradation of Egs(TLE) to PS	10				
	Total					
	Interventions for out of School Children					
A3	Alternative School(EGS+AIE)					
	EGS (84X30=2520)	.705 per child	2520	1776.6	630	444.2
	Primary including all models of DPEP(AIE) 40X30=1200	.705 per child	1200	846	300	221.5

S.No.	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	1st year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Upper Primary(AIE) 25X40=1000	1.0 per child	1000	1000	250	250
A4	Back to school campaign 48X50=2400	1.5 per child	2400	3600	600	900
A5	Bridge/Remedial Courses 5X100= 500	1.5 per child	500	750	100	150
	Sub total			7972.6		1965.65
(R)	**Retention**					
	Additional Classroom (PS+UPS)	70	230	16100	10	700
	Additional Teachers (PS)	5.5X12=66	91	6006	35	2310
	SM for PS	2.25X11=24.75	91	2252.25	35	866.25
	Additional Teachers UPS					
R1	Toilets (PS+UPS)	10	88	880.00	20.00	200.00
	Reconstruction of old School PS	191				
	Rec. of UPS	270				
R2	Drinking Water	18				
R3	Repair & Maintanence of School	5Pa /per school	837	4185	837	4185
R3	Boundry walls (PS+UPS) Girls sch.	40	60	2400	20	800
R4	School Improvement grant (PS)	2 pa per schools				
	School Improvement grant (UPS)	4pa per Schools				
R5	Innovative Programme up to max. Rs. 50 Lacs	5000 per Distt.				
	Promoting girls edu.					

S.No.	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	1st year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Summer camps	10 per camps				
R6	MCDA including girls	75 per cluster	3	225	1	75
	gender sensitization					
R7	SUPW for girls (work experience)	25 per School	20	500	10	250
R8	Training/Refresher course for gender coardinators	1.5per head per day				
R9	opening of ECCE centers in non ICDs block	18 per center				
1	Strengthening ICDs centers					
2	Development & distribution ECCE materials	100 per Distt.	1	100	1	100
4	Civil works (1 add. Room)	70				
5	TLM	5 per Center	40	200	20	100
6	Additional honorarium (Instructer + Worker)	0.375 per center	40	15	20	7.5
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per Center				
8	Training of ECCE instructer at BRC					
	Induction	3	40	120	20	60
	Recurring	1.2				
R10	Community Mobilization					

S.No.	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	1st year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
1	MTA/ PTA Training 10 Nos. (3 days)	0.007	837	175.77	200	42
2	Kala Jattha (VEC block level & Dist. Level	8 per NPRC	48	384	20	160
3	Development of awareness material	5 per block	5	25	5	25
4	Bal mela at NPRC	5 pa/per NPRC	48	240	20	100
5	Production of audio tapes	10 per distt.	1	10	1	10
6	Productio of vedeo tapes	10 per distt.	1	10	1	10.0
7	Training of VEC/ community leaders VEC=334 , 8X3 Days	.07 per person per day				
8	Assistance to NGOs for community mobilization	50 per distt.				
R11	Award to best VEC(2 Nos)	25	2	50	1	25
R12	Award to Best shiksha mitra/ AT	5	10	50	2	10
R13	Remedial teaching for SC/ST Children	0.705 per Child	1000	705	400	282
R14	Assistance to NGOs for SC/ST education	0.705 per Child				
R15	Provision for disabled children	1.20 per child	2000	2400	500	600
1	Assitance to NGOs fot integrated / inclusive education	1.20Per Child				
R16	Computer education for UPS composite school	100	15	1500	6	600
	School health checkup	0.500 per school	837	418.5	837	418.5

S.No.	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	1st year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Book bank & School library	5.0 per student	837	4185	425	2125
	Sub Total			43136.52		13996.25
	(Q) - Quality Improvement					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 days)	0.07 per person per day	91	191.1	35	73.5
2	Induction Training for AT (6 days)	0.07 per person per day	91	38.22	35	14.7
3	Induction training for HT (PS) 6 days	0.07 per person per day				
4	Induction training for HT (UPS) 6 days	0.07 per person per day				
5	In service teachers training (10 days)	0.07 per person per day	2605	1823.5	1000	700.0
6	In srevice training of shiksha mitra (10days)	0.07 per person per day				
7	Induction training of EGS/AIE workers (30days, 164 workers)	0.07 per person per day	164	344.4	41	86.1

S.No.	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	1st year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
9	Refresher course for EGS/AIE worker 15 days	0.07 per person per day				
10	Training of BRC coordinators (10days)5 No.	0.07 per person per day	5	3.5	5	3.5
11	Trainingof NPRC coordinators (10days)48 No.	0.07 per person per day	48	33.6	48	33.6
12	Refresher training for BRC Co. 5 no. (5 days)	0.07 per person per day				
13	Refresher training for NPRC Co.48 no. (5 days)	0.07 per person per day				
14	Traning of resource persons at DIET (20 days) 4 No.	0.07 per person per day	4	5.6	4	5.6
15	Staff development training for DIETs 7 days 25 No.	0.300 per person per day	25	52.5	25	52.5
16	BRC/NPRC Co. management training by SIEMAT 53 no.(5 days)	0.300 per person per day	53	79.5	15	22.5
17	ABSA/SDI training 5 days no. 10	0.07 per person per day	10	3.5	10	3.5
18	Training for AE/JE 5 days (6N0,)	0.07 per person per day	6	2.1	6	2.1

S.No.	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	1st year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
19	Teacher training in computer UPS/DIET FACULTY	1.5 Per person	20	30	8	12
20	orientation of VECs/ward commety 3 days (337 no.)	0.03 per person per day	337	242.64	100	72
21	Training of RCI (IED) 5 no.	70.00 (45 days)	5	350	5	350
22	Teachers Orientation in IED 5 days	0.07 per person per day	2605	911.75	500	175
23	AWPB review & training for core planning teamsby SIEMAT 7 days (7 No.)	0.500 per person per day				
24	Training on EMIE by SIEMAT 5 days 5No.	0.500 per person per day	5	12.5	5	12.5
25	Teachers ABSA, BRC,NPRC staff training for gender sencetization 3 Days (2000 NO.)	0.07 per person per day	2000	420	500	105
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher grant(PS)	0.35	1715	600.25	1507	527.45
2	Teacher grant(UPS)	0.35	885	309.75	433	151.55

S.No.	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	1st year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
3	Free text book to SC/ST children & girls PS +UPS	.150 Per child per year	92285	13842.75	50000	7500
4	Supplementry reading material(PS)	0.5	657	328.5	657	328.5
5	Supplementry reading material(UPS)	1	180	180	180	180
6	Printing & distribution of syllabus(PS+UPS)	80	1	80	1	80
7	Printing & distribution of Training Module(PS+UPS)	160	1	160	1	160
8	Printing & distribution of trainers guide(PS+UPS	160	1	160	1	160
9	Development , printing & distribution of AS training modules	10	1	10	1	10
10	Children learning evaluation (PS) 3 times in 10 years	400 each				
11	Children learning evaluation (UPS) 3 times in 10 years	400 each				
12	School Awards	25	5	125	1	25
13	Research evaluation Seminar& Workshops	0.300 per school				
	Sub Total			20340.66		10846.6

S.No.	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	1st year as per perspective plan		Estimate for 1st year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
C	Capacity building					
C1	DIET					
1	Furniture	50	1	50	1	50
2	Equipments including audio visual	200				
3	Computers work station	400	1	400	1	400.0
4	Vehicle (where applicable)	350				
5	Hiring	5	1	5	1	5
6	POL	30	1	30	1	30
7	Maintanence of vehicle	15	1	15	1	15
8	Research/action research	50	1	50	1	50
9	Faculty Development	30	1	30	1	30
10	Exposer visit	50	1	50	1	50
11	Library	25	1	25	1	25
12	Salary of computer operater per year	7	1	84	1	84
13	Salary of Driver (where applicable)	4	1	48	1	48
14	Consumable/ Computer stationary	10	1	10	1	10
	Sub Total			797		797

S.No.	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003	
			Phy	Fin	Phy	Fin
C2	Block Resource Center					
1	Building construction	800				
2	Salary Co.	6.5				
3	Assistant Co.	5.5	5	330	5	165
4	Chowkidar	3	5	180	5	90
5	Equipment / Furniture	100				
6	Travelling Allowence	5	5	25	5	25
7	Maintanence of Equipment	1				
8	Maintanence of Building	6	5	30	5	30
9	Books	10	5	50	5	50
10	Monitoring & Supervision	0.300 per School	837	251.1	300	90
11	Consumabale	5	5	25	5	25
12	Contingency	12	5	60	5	60
13	Monthaly Review meeting of CRC Co.	0.300 per meeting	5	18	5	9
	Sub total			969.1		544

S.No	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003	
			Phy	Fin	Phy	Fin
C3	School Complex(NPRC)					
1	Construction	200				
2	Salary Co.	6.5				
3	Equipment/ Furniture	10				
4	Books for Library Book Bank	5	48	240	48	240
5	Contingency	2.5	48	120	48	120
6	Monthaly Review meeting ar CRC	0.200 per meeting	48	115.2	48	57.6
7	Monitoring & Supervision	0.200 per School	837	167.4	300	60
	Sub total			642.6		477.6
C4	**District Project Office**					
	Staffing Coordinato - 4 Consultant - 2	10	6	720	6	360
	Salary of Driver	4	1	48	1	48
	Computer operator	7	1	84	1	84
	Equipment	50	1	50	1	50
	Furniture & Fixture	50	1	50	1	50
	Books	10	1	10	1	10
	Purchase of vehicle	350				
	Motorcycle	50	2	100	2	100
	Travelling Allowences	20	1	20	1	20
	Consumables	25	1	25	1	25

S.No.	Head/Sub Head Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Telefone Fax	30	1	30	1	15
	Vehicle maintenance & POL	50	1	50	1	30
	AE/JE for three year	.500 per month per block	5	30	5	15
	Maintanence of Equipment	10				
	Hiring of vehicle	5	1	5	1	5
	Supervision & Monitoring	0.400 per School	837	334.8	300	120
	Contingency	10	1	10	1	10
	Research & Evaluation	0.300 per school	837	251.1	300	90
	Total					
C4 1	MIS					
1	MIS call Furnishing	50	1	50	1	50
2	Sallary of Computer operater	7 per month	1	84	1	42
2	Equipments rare applicable	460	1	460	1	460
3	Printing & distribution of data fomax	20	1	20	1	20
4	Maintenance of Equipments	20				
5	Computer Consumables	25				
	Sub Total			2431.9		1604
	Grand Total			76290.38		30231.1

Chapter XII

Implementation Schedule for 2001-02 AWP & B												
S.No.	Item	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
	Project Management											
1	Furniture for DPO		✓	✓								
2	Equipment for DPO	✓	✓	✓								
3	Hire charges for vehicles for DPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	Salary for DPO staff	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	DPO consumables	✓			✓			✓			✓	
6	Water,Electricity,Telephone Etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Rent for DPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	TA & DA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Purchase of Moter cycle/ Vehicle		✓	✓								
10	Consultants			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total											
	Planning & Management											
11	Est. of MIS Cell			✓	✓	✓						
12	BRC/NPRC Co-ordinatorsMgt.	✓	✓	✓								
	training at SIEMAT											
13	AWPB workshop					✓	✓	✓				
	Total											

Implementation Schedule for 2001-02 AWP & B												
S.No.	Item	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
	Research, Evaluation, Monitoring and Supervision											
14	Action Research					✓	✓					
15	Smaller Scale classroom based Reserch									✓	✓	
16	Oreintation on Research / Activity Evalution											
17	Conduct of Pupil Achievement Survey									✓		
18	Baseline & Midterm Assessment								✓			
19	MIS Equipment				✓	✓						
20	EMIS / DISE						✓	✓				
21	MIS Equipment, Operation & Maintenance				✓		✓			✓		
22	Computer Stationery, Peripherals				✓			✓			✓	
23	Academic monitoring of schools											
	by DIET staff (Travelling expenditure)				✓			✓			✓	
24	Academic supervision by MRPs DIET/BRC/NPRC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total											
	Community Mobilization & Participation											
25	Orientation to VEC Members			✓								
26	Bal Melas at Cluster			✓	✓							
27	Orientation of MTA& VEC			✓	✓							
28	Community Mobilization at Habitation Level		✓	✓	✓							
29	Campaign material including tables films	✓	✓	✓								
	Total											

Implementation Schedule for 2001-02 AWP & B												
S.No.	Item	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
	Access											
30	Residential Bridge Courses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Induction training of AS voluntary teachers/ Bridge Course											
	Volunteers(271+75)		✓									
32	Induction training of New Teachers & Shiksha Mitra		✓									
33	Recurrent training of Alternative											
	schooling volunteersand Shiksa Mitra		✓	✓								
34	Salary for New School Teachers (Primary)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	Salries for Addl. Teachers (New)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Retetion											
36	Summer Camps	✓	✓									
37	MCDA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	Alternative school per Child Cost											
39	SUPW for girls											
40	ECCE workers Honrarium			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	Receiving grants to ECCE centre			✓								
42	TLM grants to ECCE center		✓									
43	Induction training of ECCE centre		✓									
44	Recurrement Trg. of ECCE workers											
45	Material on ECCE		✓	✓								
46	Residential Teaching for SC/ST			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	Computer Education for UPS compositer schools			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total											

183

Implementation Schedule for 2001-02 AWP & B											
S.No.	Item	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
	Civil Works (Primary + Upper Primary)											
48	Additional classrooms			✓	✓	✓	✓	✓	✓			
49	Building for building less schools											✓
50	Boundry Wall		✓	✓	✓							
51	New School Building											
52	Toilets			✓	✓							
53	Drinking Water			✓	✓							
	Total											
	Pedalogy & School Improvement											
54	Teachers training in multi level/ activity	✓	✓									
	based teaching											
55	Training of BRC/NPRC co-ordinators	✓										
56	Training of Resource Persons	✓										
57	TLM grants per teachers for formal				✓							
	schools(Primary+Upper Primary)											
58	School Grant(Primary+Upper Primary)					✓						
59	Building for DIET											
60	Furniture for DIET					✓						
61	Furniture for BRC/NPRC					✓						
62	Equipment for DIET					✓	✓					
63	Equipment for BRC/NPRC					✓	✓					
64	Exposure visit of DIET fallows									✓	✓	

Implementation Schedule for 2001-02 AWP & B												
S.No.	Item	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
65	Faculity Dev. programe of DIET Faculity					✓	✓	✓				
66	Academic review meeting @one per month	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	Repairs and maintenance of schools			✓	✓							
68	Library Books for DIET				✓							
69	Library Books for BRC/NPRC							✓				
70	Printing of modules	✓	✓									
71	Award for Best VEC											
72	Award for Best Shiksha Mitra											
73	Award for Best School											
74	Supplementry Reading Material						✓					
75	Printing of Training module	✓										
76	Printing and Distribution of Syllabous		✓									
77	Printing and Distribution of Trainners Guide	✓										
78	Printing of AS module	✓										
	Total											
	Children with Special Education Needs (SEN)											
89	Per child Cost		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total											
	Grand Total											

परिशिष्ट–1

(विद्यालय न जाने वाले बच्चों की मजरे वार सूची)

ब्लाक– चित्रकूट

क्र०सं०	ग्राम पंचायत का नाम	मजरों के नाम	कुल परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या			6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			6-11 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या			11-14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			11-14 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
				महिला	पुरूष	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	खम्हरिया	कोहुआमाफी	233	775	910	1685	154	126	280	139	112	261	05	14	19	50	19	69	41	17	58	09	[illegible]	11
2	धुरेटनपुर	बगैहा	273	992	1238	2230	194	125	319	194	125	319		11	11	76	56	132	76	45	121		11	11
3	बदरी		133	408	482	890	85	79	159	70	62	132	15	17	32	24	14	38	02		02	22	14	36
		सिलखोरी	50	142	162	304	30	33	63	28	24	52	02	09	11	15	13	28	07	08	15	[illegible]	[illegible]	13
		दोलवजा	69	205	231	436	45	37	82	42	29	71	03	08	11	02		02	02		02			
4	बराछ	समापुर	205	656	757	1413	93	61	151	80	49	129	13	12	25	49	37	86	49	37	83			
5	मानपुर		130	221	447	668	125	94	219	119	82	201	06	12	18	52	41	93	50	38	88	02	03	05
6	मैनहाई		215	910	1004	1914	113	169	282	82	154	236	11	10	21	65	56	121	60	52	112	05	04	09
योग-			1308	4309	5231	9540	939	735	1574	764	637	1407	55	93	148	333	236	569	287	197	484	46	39	85
1	कहेटा		205	662	753	1415	105	94	199	98	84	182	07	10	17	48	34	82	26	09	35	22	25	47
2	कोहारी	बुद्धू का पुरवा	244	763	938	1701	187	147	334	164	88	252	24	58	82	27	40	67	19	11	30	08	29	37
3	परसौजा	भोला पुरवा	412	2219	2668	4887	502	454	956	347	304	651	155	150	305	267	91	460	185	122	307	82	70	153
4	सकरौली	खेरी	400	813	1083	1896	164	126	290	155	101	256	09	25	34	22	30	52	15	11	26	07	19	26
5	साईपुर		139	529	668	1197	103	116	219	101	74	176	02	42	44	37	19	56	29	09	38	08	10	18
6	विल्ला माफी		189	635	607	1242	145	128	273	108	41	149	40	87	127	30	29	59	20	03	23	10	26	36
योग-			1589	5621	6717	12338	1206	1065	2271	973	692	1665	233	373	606	431	345	776	294	165	469	37	180	317
1	इटखरी		198	644	804	1438	195	132	327	176	112	288	04	10	14	48	09	57	45	08	53	03	01	04
2	कादरगंज		182	560	790	1350	41	54	145	81	39	120	10	15	25	39	41	80	30	13	33	19	28	47
3	गढ़घाट		210	420	890	1610	80	55	135	71	40	111				75	21	96	55	07	62	20	14	34
		दोमनखेरा	77	208	240	448	67	46	113	67	45	112		01	01	22	11	33	19	09	28	03	02	05
4	दहिनी		95	296	369	665	96	41	137	81	41	122				17	04	21	13	04	17	04		04
5	खुमानीपुरवा		100	290	370	660	80	57	137	78	55	133	02	02	04	14	07	21	12	07	19	02		02
6	पहड़िया		165	410	520	930	86	76	162	75	67	142				32	14	46	23	03	26	09	11	20
7	बारा माफी	बसिया पुरवा	177	517	697	1214	163	125	288	143	107	250	05	08	13	70	33	103	50	11	61	20	22	42
8	मकरी मभौट		115	290	310	600	85	55	144	77	32	109	08	23	31	22	13	35	15	03	18	07	10	17
9	मकरी पहरा		185	438	512	950	133	70	203	100	54	154	18	06	24	09	03	12	06		06	03	03	06
10	रमयापुर		220	870	960	1630	145	130	275	128	112	240	07	03	10	38	29	67	35	20	55	03	09	12
11	हिनौता माफी		160	320	351	671	160	144	304	94	79	173	56	50	106	52	42	94	19	09	28	33	33	66
योग-			1884	5563	6805	12368	1381	985	2366	1171	783	1954	110	118	228	438	227	665	312	94	406	126	133	259

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	मजरे का नाम	कुल परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या			5–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			6–11 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या			11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			11–14 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
				महिला	पुरुष	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	कपसेठी		725	750	775	1505	245	255	500	185	190	375	20	55	75	33	47	80	3	7	10	30	40	70
		गोबरिया	122	145	155	300	73	70	143	13	10	23	45	50	95	20	10	30	20	10	30			
		टिकुरा	113	115	110	225	19	17	36		11	11				17	16	33				17	16	33
2	अमानपुर		150	1000	1500	2500	160	108	268	104	90	194	42	7	49	8	3	11	8	3	11			
3	चन्दगहना		101	454	378	832	66	87	153	66	86	152		1	1	27	15	42	25	15	40	2		2
		नारायनपुर	67	184	198	378	32	27	59	26	21	47	6	6	12	23	7	30	20	4	24	3	3	6
		अमिलिहा	38	92	102	194	17	18	35	14	14	28	3	4	7	8	1	9	8	1	9			
4	खजुरिहा		171	650	575	1225	107	75	182	69	44	113	38	31	69	12	17	29	11	7	18	1	10	11
		सभापुर	76	224	276	500	65	43	108	65	43	108				19	08	27	19	8	27			
5	डिलौर		1225	395	435	830	66	62	128	36	40	76	11	16	27	28	26	54	25	19	44	3	7	10
		पहरी	85	252	280	532	38	258	83	35	21	56	3	4	7	16	12	28	13	9	22	3	3	6
		कलतरैया	30	100	105	205	19	13	32	17	12	29	2	1	3	7	4	11	6	2	8	1	2	3
		तेजीपुर	48	134	167	301	27	23	50	23	16	39	4	7	11	9	7	16	6	3	9	3	4	7
		मलकाना	57	180	221	401	70	52	122	66	33	98	5	19	24	8	3	11	6		6	2	3	5
6	पुरवातरौहा		275	750	905	1655	177	154	331	128	110	248	24	34	58	119	72	191	114	70	184	5	2	7
		गोपालपुर	65	255	321	576	58	65	123	56	65	121	2		2	15	6	21	15	6	21			
7	खुटहा		258	698	806	1504	139	104	243	121	88	209	3	6	9	61	57	118	45	42	87	16	15	31
8	ममई		181	648	788	1436	109	84	193	93	42	135	18	15	33	70	369	106	55	21	76	15	15	30
9	रानीपुर भट्ट		123	440	467	907	49	62	111	26	46	72	10		10	6	11	17	2	5	7	4	6	10
		अहमद गंज	57	190	206	396	39	25	64	9	5	14	15	10	25	4	7	11	1	2	3	3	5	8
10	रैंगुटा		62	396	415	811	87	74	161	73	61	134	1	1	2	17	6	23	16	6	22	1		1
		धर्मपुरवा	15	85	115	200	12	10	22	10	10	20	2		2	2		2				2		2
		दासुपुर	18	136	145	281	27	24	51	27	24	51				13	9	22	13	9	22			
		खेर	65	350	368	718	58	45	103	44	24	68	1	9	10	17	6	23	17		17		6	6
11	तरौहा		287	1202	1409	2661	452	321	773	292	181	473	150	125	275	73	72	145	37	40	77	36	32	68
		तरौहा	228	1201	1308	2509	175	123	298	124	74	198	36	39	75	96	74	170	66	48	114	30	26	56
	योग		3539	11021	12511	23532	2397	1955	4352	1731	1361	3092	441	440	861	729	532	1261	551	337	888	178	195	373

219

क्र0 स0	ग्राम पंचायत का नाम	मजरे का नाम	कुल परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या			6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			6–11 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या			11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			11–14 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
				महिला	पुरुष	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
	लोढवारा		197	740	845	1585	132	108	240	127	88	215				69	46	115	62	32	94	7	14	21
	छिपनी		176	565	645	1210	85	88	173	85	69	154		19	19	32	11	43	30	9	39	2	2	4
		बम्हुन	166	456	529	985	67	70	137	66	68	134	1	2	3	30	15	45	30	12	42		3	3
	मस्करी		127	419	552	971	127	85	212	93	62	155	34	23	57	30	12	42	28	9	37	2	3	5
	बनकट		607	1757	1915	3672	194	153	347	168	129	297				65	40	105	54	33	87	11	7	18
	बस्वारा		154	512	631	1143	82	91	172	70	78	148				80	35	115	75	28	103	5	7	12
	कार्डखिरा		155	585	645	1230	89	105	194	85	100	185	4	5	9	34	16	50	33	15	48	1	1	2
	तामरनी		149	512	613	1125	168	79	247	126	54	180	29	13	42	63	34	97	47	27	74	16	7	23
	दुबारी		200	668	761	1429	173	135	308	129	70	199	29	52	81	38	35	73	18	4	22	20	31	51
	कर्वी माफी		97	231	365	596	47	63	110	21	34	55	26	29	55	13	15	28	6	14	20	7	1	8
		सोनेपुर	101	296	370	666	83	73	156	45	33	78	38	40	78	23	19	42	14	7	21	9	12	21
		शोभा सिंह का पुरवा	350	940	1045	1985	228	190	418	217	175	392	11	15	26	120	116	236	114	110	224	6	6	12
			2479	7691	8916	16507	1475	1240	2715	1232	960	2192	172	198	370	597	394	991	511	300	811	86	94	180
	अकबरपुर		359	370	447	817	153	111	264	153	111	264				35	21	56	35	21	56			
		अकबरपुर ब	370	587	642	1229	124	87	211	119	83	202	5	4	9	57	19	76	55	16	71	2	3	5
	अमिलिहा		475	798	1008	1806	99	79	178	99	79	178				29	20	49	29	20	49			
	गोंडा		305	600	750	1350	167	85	252	162	85	252				11	06	17	11	06	17			
		कोठरी	465	615	805	1420	129	81	210	116	69	185				40	27	69	38	24	62	2	3	5
		पीडर पुरवा	28	50	60	110	24	23	47	24	23	47				9	05	14	9	5	14			
	पटोंढा		128	412	304	716	106	82	188	89	40	129	17	42	59	31	16	47	26	10	36	5	6	11
		लूक	182	358	447	805	76	42	118	76	42	118				8	6	14	8	06	14			
	रौली कल्यानपुर		313	841	1019	1860	188	202	390	186	197	383	2	5	7	29	20	49	29	20	49			
		धमी का पुरवा	48	125	175	300	42	19	61	41	16	57	1	3	4	6	2	6	6	02	6			
		मजनी पुरवा	20	39	51	90	8	5	13	8	4	12		1	1									
		भोला का पुरवा	140	425	466	891	29	12	41	29	9	38		3	3									
		अहिरों का पुरवा	30	36	48	84	14	4	18	14	4	18												
	चौरहीमाफी		215	634	726	1360	88	98	186	83	95	178	5	3	8	20	8	28	20	8	26			
		त्यौंझा	74	150	250	400	39	30	69	39	30	69				4	1	5	4	1	5			
	योग		2182	6040	7198	13238	1252	958	2210	1209	885	2094	30	61	91	279	151	430	270	139	409	9	12	21

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	मजरे का नाम	कुल परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या			6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			6–11 वय के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या			11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			11–14 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
				महिला	पुरुष	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	दुगवा	दुगवा	209	705	863	1968	165	80	245	140	55	195	12	18	30	78	53	131	63	45	108	15	8	23
2	पहरा	पहरा	258	2100	2617	4717	162	120	282	154	96	250	8	24	32									
		रामपुरवा	40				54	45	99	41	20	61	4	9	13									
		डडिहा	67				49	49	98	39	33	72	10	16	26									
		बकई	44					18	18		16	16		02	02									
		बेहर	57				77	59	136	64	34	98	13	25	38									
		सेहरा	34				17	14	29	13	05	18	2	9	11									
		छटन	25				16	05	21	12	02	14	4	3	7									
		भीम पुर	85				58	20	78	22	07	29	36	13	49									
			610	2100	2617	4717	431	330	761	345	213	558	77	101	178	163	61	224	124	33	157	39	28	67
3	बेहार	बेहार	109	714	820	1534	48	48	96	38	38	76	10	10	20	6	5	11	2	1	3	14	7	21
		डोकहा पुरवा	56				37	40	77	21	05	26	16	35	51	11	3	14	1		1	10	3	13
			165	714	820	1534	85	88	173	59	43	102	26	45	71	17	8	25	3	1	4	24	10	34
4	बिहारा	बिहारा	173	1248	1466	2714	123	114	237	91	69	160	32	45	77									
		छिवलहा	76				74	69	143	40	21	61	53	25	78									
		बरगद पुर	109				60	51	111	35	16	51	25	35	60									
		निबुहा पुरवा	30				30	37	67	28	25	53	2	12	14									
			388	1248	1466	2714	287	271	558	195	134	329	92	137	229	96	47	143	74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	52
5	मसौली	मसौली	224	711	973	1684	153	64	217	103	37	140	50	27	77	31	12	43	19	3	22	12	9	21
6	भारत पुर	भारतपुर	227	1245	1520	2765	175	132	307	124	63	187	37	58	95	46	28	74	35	11	46	11	17	28
		रामपुरसाकी	54				40	36	76	30	27	57	10	9	19	3	1	4	3		3		1	1
		अहिरन पुरवा	30				25	16	41	14	02	16	11	14	25	3	6	9				3	6	9
		खपटिहा	80				95	80	175	50	45	95	45	35	80	10	7	17	3	4	[illegible]	7	3	10
			391	1245	1520	2765	335	264	599	218	137	355	103	116	219	62	42	104	41	15	56	21	27	48
7	मुकुन्द पुर	मुकुन्द पुर	192	668	817	1485	158	134	292	128	85	213	18	36	54	48	34	82	39	19	58	9	15	24
8	हरिहर पुर	हरिहर पुर	202	499	1024	1523	370	188	558	281	94	375	66	622	128	108	68	176	83	34	117	25	34	59
	योग		2372	7890	10100	17990	1985	1419	3404	1470	798	2258	444	542	986	606	324	930	448	170	618	160	154	314

क्र0 स0	ग्राम पंचायत का नाम	मजरों के नाम	कुल परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या			6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			6–11 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या			11–14 वय वर्ग के कुल बच्चो की संख्या			11–14 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चो की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
				महिला	पुरूष	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	कालूपुर		227	669	808	1477	156	114	269	125	71	196	30	43	23	52	13	65	48	6	54	4	7	11
2	कोल गदहिया		110	406	450	856	80	73	153	80	50	130	14	15	29	35	24	59	26	11	37	7	7	14
		कछार पुरवा	52	300	340	640	41	30	71	23	11	34		3	3	16	8	24	22	9	31	4	6	10
		गदहिया	56	210	270	480	60	39	99	46	29	75	9	12	21	25	19	44	15	6	21	5	8	13
		मरजाद पुर	20	60	80	140	38	17	55	20	17	37				9	5	14	12	1	13	4	8	12
3	पोह		450	1210	1300	2510	253	189	442	183	106	289	70	83	153	95	60	155	61	34	95	34	26	60
4	बनाडी		88	236	285	521	93	68	161	74	46	120	8	8	16	16	19	35	11	17	28	4	3	7
		गर्दिया	93	388	357	745	133	98	231	100	89	187				29	14	43	29	7	36		7	7
		विनायक पुर	30	77	95	172	21	22	43	21	22	43				9	3	12	7	1	8	2	2	4
5	रेहुटिया		176	606	753	1359	146	97	243	119	84	203	27	13	40	59	33	92	47	26	73	12	7	19
6	शीतलपुर		130	370	400	770	125	121	246	111	78	189	14	43	57	23	35	58	18	19	37	5	16	21
7	सिद्धपुर		160	496	606	1102	118	93	211	118	93	211				36	13	49	36	13	49			
8	सेमरिया		130	408	455	863	126	127	253	75	41	116	51	83	137	37	49	86	25	16	41	12	33	45
	योग		1721	5435	6199	11634	1369	1088	24777	1095	735	1830	223	306	529	451	295	748	357	195	522	93	130	223

क्र0 स0	ग्राम पंचायत का नाम	मजरों के नाम	कुल परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या			6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			6-11 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या			11-14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			11-14 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
				महिला	पुरूष	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	कल्ला		210	704	902	1606	145	108	253	106	63	169	25	39	64	60	31	91	46	16	62	13	13	26
2	पड़री		342	1428	1537	2965	144	76	220	88	53	141	56	23	79	47	28	75	36	16	56	9	10	19
3	तरौंव		291	886	1059	1945	226	163	411	203	137	340	25	46	71	55	30	85	38	9	47	11	14	25
4	पथरौड़ी		307	792	892	1684	120	115	235	27	34	91	35	49	84	93	43	[illegible]	42	29	74	30	77	107
5	बगलई		397	1218	1476	2694	251	199	450	225	149	374	26	50	76	46	40	86	311	17	51	12	23	35
6	शिवरामपुर		308	1057	1265	2322	202	137	339	175	115	390	27	22	49	109	64	173	96	53	149	13	11	24
7	महरेहा		176	599	734	1331	161	70	231	130	49	179	23	9	32	76	50	126	58	40	98	18	10	28
8	रहपुरवा		205	1592	1639	3231	1577	142	299	109	69	178	48	73	121	46	36	82	23	14	37	23	22	45
9	मैंसोधा		647	2001	2475	4475	470	381	851	239	207	566	111	174	285	148	78	226	104	32	136	44	46	90
			3043	10275	11979	22254	1678	1411	3289	1452	876	2328	376	485	861	680	470	1150	485	225	710	173	228	401
10	रसिन		188	997	1114	2111	338	312	650							75	51	126	60	48	108	15	2	17
			188	997	1114	2111	155	162	317	133	150	283	1		1	10	3	13	10	1	11	12	3	15
11	गौशाला		62	340	435	775	42	24	66	28	16	40				15	9	24	15	9	24			
			56	312	330	642	44	33	77	42	32	74	2	1	3	21	3	24	19	2	21	3	2	5
12	अल्कू खोह		27	157	189	346	19	12	31	19	12	31				26	17	43	22	10	32	3	7	10
			15	63	54	117	25	30	55	25	30	55				6	6	12	6	6	12			
13	लगरार		82	404	387	791	122	82	204	105	69	174	14	16	30	4	5	9	1	1	2	3	4	7
14	फारापुरवा		81	427	432	859	62	49	111	54	34	88	8	15	23	15	7	22	15	7	22			
			35	190	200	390	39	65	104	21	19	40	21	19	40	56	45	101	44	28	72	12	17	29
15	नहरवन		62	380	360	740	31	28	59	31	28	59				23	21	44	10	9	19	12	13	25
			103	501	525	1026	47	33	80	41	27	68												
16	समरडाड		58	274	303	577	37	38	75	36	38	74	1		1									
17	भगवतपुर		233	1140	1365	2505	205	185	390	187	149	336	17	11	28									
18	भवानीपुर		67	318	350	668	34	31	65	34	31	65												
	योग		1036	5564	5899	11463	880	736	1616	783	632	1415	50	58	108	272	177	449	220	128	348	60	45	105

224

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	मजरे का नाम	कुल परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या			6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			6–11 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या			11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			11–14 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
				महिला	पुरुष	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	रसिन	रसिन	169	995	910	1905	155	162	317	133	250	283	1		1	75	51	126	60	60	48	108	1	1
			19	119	87	206																		
		रसिन	62	435	340	775	42	24	66	28	16	44				10	3	13	10	1	11			
			38	221	225	446	33	20	53	29	17	46	3	2	5	10	7	17	6		6	4	7	11
			18	109	97	206	21	8	29	19	7	26	2	1	3	7	5	12	7	4	11			
		अलखुखार	14	93	81	174	23	25	48	23	25	48				5	1	6	5	1	6			
			13	96	76	172	16	9	25	16	9	25												
			4	24	20	44	3	3	6	3	3	6				1	1	2	1	1	2			
			4	22	20	42	5	8	13	5	8	13												
			4	18	15	33	4	5	9	4	5	9				2	1	3	2	1	3			
			2	13	11	24	3	1	4	3	1	4												
			5	32	28	60	6	6	12	6	6	12				1	1	2	1	1	2			
		करार	72	357	376	733	109	78	187	98	65	163	11	13	24	21	3	24	19	2	21	3	2	5
			5	30	28	58	13	4	17	7	4	11	3	3	6	10	3	13	8	2	10	2	1	3
		फाटापुरवा	81	432	427	859	62	49	111	54	34	88	8	15	23	15	10	25	11	4	15	4	6	10
			35	200	190	390	21	19	40	17	6	23	4	13	17	11	7	18	11	6	17		1	1
		मदरिवन	62	360	380	740	31	28	59	31	28	59				4	4	8	4	4	8			
			8	35	28	63	6	6	12	6	6	12				2	2	4	2	2	4			
			47	240	245	485	15	15	30	15	15	30				3	4	7	3	4	7			
			48	250	234	484	26	12	38	26	12	38				1	1	2	1	1	2			
			36	193	175	368	22	20	42	21	20	41	1		1	7	4	11	7	4	11			
			20	113	99	212	15	18	33	15	18	33				8	3	11	8	3	11			
			58	303	274	577	37	38	75	36	38	74	1		1	15	7	22	15	7	22			
2	भगदतपुर का कालीहा		106	520	525	1045	115	105	220	90	86	176	17	8	25	30	21	51	23	8	31	4	10	14
			125	645	615	1260	100	80	180	97	63	160		3	3	26	24	50	21	20	41		1	1
			233	1365	1140	2505	205	155	360	187	149	336	17	11	28	56	45	101	44	28	72	4	11	15
3	मवानीपुर		55	270	243	513	26	24	50	26	24	50				20	19	39	7	7	14			
		कौरिन पुरवा	12	80	75	155	8	7	15	8	7	15				3	2	5	3	2	5			
			67	350	318	668	34	31	65	34	31	65				23	21	44	10	9	19			
	योग		1068	5899	5554	11453	880	736	1616	783	632	1415	50	58	108	272	177	449	220	126	346	16	30	46

क्र० सं०	ग्राम पंचायत का नाम	मजरों के नाम	कुल परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या			6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			6–11 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या			11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या			11–14 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
				महिला	पुरूष	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	अकबर पुर		359	447	370	817	153	111	264	153	111	264				35	21	56	35	21	56			
			370	642	587	1229	124	87	211	119	83	202	5	4	9	57	19	76	55	16	71	2	3	5
2	अमिलिहा		475	1008	798	1806	99	79	178	99	79	178				29	20	49	29	20	49			
3	गोढ़ा		305	750	600	1350	167	85	252	167	85	252				11	06	17	11	06	17			
		कोटरी	465	805	615	1420	129	81	210	116	69	185				40	27	67	38	24	62	2	3	5
		ठेठरपुरवा	28	60	50	110	24	23	47	24	23	47				09	05	14	09	05	14			
4	पतौढ़ा	पतौढ़ा	128	304	412	716	106	82	188	89	40	129	17	42	59	31	16	47	26	10	36	5	6	11
		लूक	182	447	358	805	76	42	118	76	42	118				08	06	14	08	06	14			
5	रौली कल्यानपुर		313	1019	841	1860	188	202	390	186	197	383	2	5	7	29	20	40	29	20	49			
		धनी का पुरवा	48	175	125	300	42	19	61	41	16	57	1	3	4	06	02	08	[illegible]	20	06			
		बजनीकापुरवा	70	51	39	90	20	07	27	20	08	28		1	1									
		माला कापुरवा	140	466	425	891	29	12	41	29	09	38		3	3									
		अहिरी कापुरवा	30	48	36	84	[illegible]	04	16	14	04	18												
6	धौरहरी मजरे		215	728	634	[illegible]	[illegible]	98	186	83	95	178	5	3	8	20	08	28	20	08	28			
		लोहिया	74	250	150	400	39	30	69	39	30	69				04	01	05	04	01	05			
	योग		3182	7198	6040	13238	1252	958	2210	1209	885	2094	30	61	91	279	151	430	270	139	409	9	12	21

परिशिष्ट– 2

(माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सेवित+असेवित बस्तियों की सूची)

ब्लाक के आधार पर

विकास खण्ड मानिकपुर

क्रम संख्या	गाँव कोड	गाँव नाम	हैबिटेशन नम्बर	हैबिटेशन नाम	जनसंख्या 1991 के अनुसार कुल जनसंख्या	अनु जाति	अनु0जन जाति	गाँव / मजरे को सेवित करने वाले प्रा0 वि0 का नाम	दूरी किमी0	गाँव / मजरे को सेवित करने वाले प्रा0 वि0 का नाम	दूरी कि0मी0	[illegible]
1	295	[illegible]	1	[illegible]	155	145	0	प्रा0वि0औगनी का पुरवा	0	जू0हा0 देवकली	[illegible]	
2	296	अकबरिया	1	अकबरिया	193	143	0	प्रा0वि0 अकबरिया	0	जू0हा0 देवकली	[illegible]	
3			2	औगनी का पुरवा	[illegible]	73	0	प्रा0वि0 औगनी का पुरवा	0	जू0हा0 देवकली	[illegible]	
4			3	उदयी का पुरवा	79	58	0	प्रा0वि0 अकबरिया	1	जू0हा0 देवकली	[illegible]	
5	297	कुई	1	कुई	[illegible]	184	0	प्रा0वि0 कुई	0	पूर्व मा0वि0 बसिला	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	1	अतरौली	[illegible]	148	0	प्रा0वि0 अतरौली	1	पूर्व मा0वि0 बसिला	[illegible]	
7	299	बसिला	1	बसिला	595	191	0	प्रा0वि0 बसिला	0	पूर्व मा0वि0 बसिला	0.0कि0मी0	
8			2	चुन्ना चमारनपुर	239	102	0	प्रा0वि0 बसिला	1	पूव मा0वि0 बसिला	1.0कि0मी0	
9			3	दीना पुरवा	190	78	0	प्रा0वि0 बसिला	1	पूर्व मा0वि0 बसिला	[illegible]	
10			4	गंगा पुरवा	117	32	0	प्रा0वि0 बसिला	1	पूर्व मा0वि0 बसिला	1.5कि0मी0	
11			5	परदेशी पुरवा	204	98	0	प्रा0वि0 बसिला	1	पूर्व मा0वि0 बसिला	[illegible]	
12	300	जमहिली	1	जमहिली	[illegible]	34	0	प्रा0वि0 जमहिली	1	पूर्व मा0वि0 बसिला	3.0कि0मी0	
13			2	रामअधार का पुरवा	[illegible]	22	0	प्रा0वि0 जमहिली	1	पूर्व मा0वि0 बसिला	[illegible]	
14			3	इन्द्र नारायण का पुरवा	[illegible]	30	0	प्रा0वि0 जमहिली	0	पूर्व मा0वि0 बसिला	2.0कि0मी0	
15	[illegible]	देवकली	1	देवकली	[illegible]	135	0	प्रा0वि0 देवकली	0	शंकर पू0मा0वि0 देवकली	4.0कि0मी0	संचालित है
16	302	भौरी	1	भौरी	3281	703	0	प्रा0वि0 भौरी	0	पूर्व मा0वि0 भौरी	0.0कि0मी0	
17			2	धोबिन पुरवा	[illegible]	[illegible]	0	प्रा0वि0 भौरी	1	पूर्व मा0वि0 भौरी	1.0कि0मी0	
18			3	बरकोट	[illegible]	0	0	प्रा0वि0 बरकोट	0	पूर्व मा0वि0 भौरी	3.0कि0मी0	
19			4	अहिरन पुरवा	175	0	0	प्रा0वि0 भौरी	2	पूर्व मा0वि0 भौरी	2.0कि0मी0	
20			5	तलैया पुरवा	146	30	0	प्रा0वि0धीरूराम का पुरवा	1	पूर्व मा0वि0 भौरी	2.0कि0मी0	
21			6	गाटापुरवा	[illegible]	0	0	प्रा0वि0धीरूराम का पुरवा	1	पूर्व मा0वि0 भौरी	2.0कि0मी0	
22			7	घनधनापुरवा	261	150	0	प्रा0वि0धीरूराम का पुरवा	0.5	पूर्व मा0वि0 भौरी	2.0कि0मी0	
23			8	चमारनपुरवा	202	187	0	प्रा0वि0धीरूराम का पुरवा	1	पूर्व मा0वि0 भौरी	2.0कि0मी0	
24			9	रमजूपुर	[illegible]	14	0	प्रा0वि0रमजूपुर	0	पूर्व मा0वि0 भौरी	2.0कि0मी0	
25			10	सुददी बगीचा	393	190	0	प्रा0वि0भौरी	1	पूर्व मा0वि0 भौरी	2.5कि0मी0	
26			11	मुडौहा पुरवा	295	127	0	प्रा0वि0 ब्यूर	2	पूर्व मा0वि0 ब्यूर	2.0कि0मी0	
27			12	कलवारापुरवा	494	260	0	प्रा0वि0 ब्यूर	0.5	पूर्व मा0वि0 ब्यूर	2.0कि0मी0	
28			13	रलिहनपुरवा	166	0	0	प्रा0वि0रमजूपुर	0.5	पूर्व मा0वि0 ब्यूर	1.5कि0मी0	
29	303	बघौडा	1	बघौडा	152	83	0	प्रा0वि0बघौडा	0	जू0हा0 ब्यूर	3कि0मी0	
30			2	होल्लापुरवा	144	103	0	प्रा0वि0बघौडा	0.5	जू0हा0 ब्यूर	3कि0मी0	
31			3	लालापुरवा	238	101	0	प्रा0वि0बघौडा	1	जू0हा0 ब्यूर	3कि0मी0	
32			4	गोपीपुरवा	104	95	0	प्रा0वि0बघौडा	1	जू0हा0 ब्यूर	[illegible]	

विकास खण्ड मानिकपुर

33	304	कोठिलिहाई	1	कोठिलिहाई	450	139	0	प्रा0वि0कोठिलिहाई	0	जू0हा0 व्यूर	2कि0मी0	
34			2	[illegible]	[illegible]	58	0	प्रा0वि0कोठिलिहाई	.5	जू0हा0 व्यूर	2कि0मी0	
35			3	मराईपुरवा	179	53	0	प्रा0वि0कोठिलिहाई	1	जू0हा0 व्यूर	2.5कि0मी0	
36	305	व्यूर	1	व्यूर	605	207	0	प्रा0वि0व्यूर	0	जू0हा0 व्यूर	1कि0मी0	
37			2	कौरापुरवा	281	188	0	प्रा0वि0व्यूर	0.5	जू0हा0 व्यूर	1.5कि0मी0	
38			3	पांडेपुरवा	184	0	0	प्रा0वि0व्यूर	1	जू0हा0 व्यूर	1कि0मी0	
39			4	गर्गनपुरवा	193	0	0	प्रा0वि0व्यूर	1	जू0हा0 व्यूर	1.5कि0मी0	
40			5	धोबिनपुरवा	133	143	0	प्रा0वि0व्यूर	0.5	जू0हा0 व्यूर	1कि0मी0	
41	306	पैकौरामाफी	1	पैकौरामाफी	527	241	0	प्रा0वि0पैकौरामाफी	0	जू0हा0	1कि0मी0	
42	307	अजौरा	1	अजौरा	49	13	0	प्रा0वि0पैकौरा	0.5	जू0हा0	0.5कि0मी0	
43			2	रामसयपुरवा	0	0	0	—	—	—	—	
44			3	बेलौहापुरवा	0	0	0	—	—	—	—	
45			4	रामसेवकपुरवा	1	0	0	प्रा0वि0लालापुर	1	जू0हा0भौरी	4कि0मी0	
46	308	मगरहाई	1	मगरहाई	382	94	0	प्रा0वि0मगरहाई	0	जू0हा0पचपुरवा	0कि0मी0	
47			2	रामसेवकपुरवा	151	68	0	प्रा0वि0मगरहाई	1	जू0हा0पचपुरवा	1कि0मी0	
48	309	दांधा	1	दांधा	340	109	0	प्रा0वि0मगरहाई	0.5	जू0हा0पचपुरवा	0.5कि0मी0	
49			2	धोबिनपुरवा	119	93	0	प्रा0वि0मगरहाई	0.5	जू0हा0पचपुरवा	0.5कि0मी0	
50	310	अहिरा	1	अहिरा	818	201	0	प्रा0वि0अहिरा	0	जू0हा0पचपुरवा	0.5कि0मी0	
51	311	घुसुर्रा	1	घुसुर्रा	0	0	0	—	—	—	—	गैर आबाद
52	312	बरहट	1	बरहट	371	91	0	प्रा0वि0पचपुरवा	0	जू0हा0बरहट	0कि0मी0	
53	313	धान	1	धान	280	23	0	प्रा0वि0धान	0	जू0हा0बरहट	1.5कि0मी0	
54			2	कोलुहाई	236	85	0	प्रा0वि0धान	0	जू0हा0बरहट	1.5कि0मी0	
55	314	कैरीकटनासा	1	कैरीकटनासा	13	10	0	प्रा0वि0रैपुरा	1	जू0हा0रैपुरा	1कि0मी0	
56			2	ननकूपुरवा	8	0	0	प्रा0वि0रैपुरा	1.5	जू0हा0रैपुरा	0.5कि0मी0	
57			3	शिवधाजनपुर	44	16	0	प्रा0वि0रैपुरा	2	जू0हा0अगरहुंडा	2कि0मी0	
58			4	चमारनपुरवा	31	24	0	प्रा0वि0रैपुरा	2	जू0हा0अगरहुंडा	2कि0मी0	
59			5	गडरियनपुरवा	35	0	0	प्रा0वि0लालापुर	1	जू0हा0रैपुरा	3कि0मी0	
60			6	हीरालालकापुरवा	21	18	0	प्रा0वि0लालापुर	1	जू0हा0रैपुरा	4कि0मी0	
61			7	शिवनरेशकापुरवा	16	6	0	प्रा0वि0लालापुर	1	जू0हा0रैपुरा	4कि0मी0	
62	315	रैपुरा	1	रैपुरा	964	190	0	प्रा0वि0रैपुरा	0	जू0हा0रैपुरा	0कि0मी0	
63			2	कंधीकाडेरा	248	55	0	प्रा0वि0रैपुरा	0.5	जू0हा0रैपुरा	1कि0मी0	
64			3	मंगलियाकापुरवा	173	28	0	प्रा0वि0रैपुरा	0.5	जू0हा0रैपुरा	1कि0मी0	
65			4	चंद्रशेषरकापुरवा	376	39	0	प्रा0वि0रैपुरा	1	जू0हा0रैपुरा	1कि0मी0	
66			5	ओहरापुरवा	302	36	0	प्रा0वि0रैपुरा	0.5	जू0हा0रैपुरा	0.5कि0मी0	
67			6	दशरथपुरवा	100	67	0	प्रा0वि0रैपुरा	1.5	जू0हा0रैपुरा	1.5कि0मी0	
68			7	हरिजनकालोनी	297	34	0	प्रा0वि0रैपुरा	1	जू0हा0रैपुरा	1कि0मी0	

विकास खण्ड मानिकपुर

69			8	कल्लूपुरवा	100	39	0	प्रा0वि0रैपुरा	2.5	जू0हा0रैपुरा	2.5किमी0	
70			9	भोलापुरवा	177	29	0	प्रा0वि0रैपुरा	0.5	जू0हा0रैपुरा	0.5किमी0	
71			10	भजनपुरवा	184	18	0	प्रा0वि0रैपुरा	0.5	जू0हा0रैपुरा	1.5किमी0	
72			11	कुम्हारनपुरवा	198	20	0	प्रा0वि0रैपुरा	1.5	जू0हा0रैपुरा	0.5किमी0	
73			12	कोरिनपुरवा	246	34	0	प्रा0वि0रैपुरा	1	जू0हा0रैपुरा	1.5किमी0	
74			13	रामेश्वरपुरवा	183	36	0	प्रा0वि0रैपुरा	1.5	जू0हा0रैपुरा	1.5किमी0	
75	316	गरोहाखास	1	गरोहाखास	61	19	0	प्रा0वि0गहोराखास	0	जू0हा0रैपुरा	1.0किमी0	
76			2	भइयागुलाम	100	72	0	प्रा0वि0गहोराखास	0.5	जू0हा0रैपुरा	1.0किमी0	
77			3	भवानीदीनपुरवा	96	34	0	प्रा0वि0गहोराखास	0.5	जू0हा0रैपुरा	0.5किमी0	
78			4	देवीदयालकापुरवा	100	69	0	प्रा0वि0गहोराखास	0.5	जू0हा0रैपुरा	1किमी0	
79			5	धौबिनपुरवा	84	68	0	प्रा0वि0गहोराखास	0.5	जू0हा0रैपुरा	1किमी0	
80	317	गरोहापाही	1	गरोहापाही	201	4	0	प्रा0वि0रैपुरा	1	जू0हा0रैपुरा	1किमी0	
81			2	दोडीपोखरीचौराहा	[illegible]	1	0	प्रा0वि0रैपुरा	1	जू0हा0रैपुरा		
82			3	टिकुरा	90	2	0	प्रा0वि0रैपुरा	0.5	जू0हा0रैपुरा	0.5किमी0	
83			4	अहिरीपुरवा	64	1	0	प्रा0वि0रैपुरा	1.5	जू0हा0रैपुरा	1.5किमी0	
84			5	बढ़ईप्रसादपुरवा	73	1	0	प्रा0वि0रैपुरा	1	जू0हा0रैपुरा	1किमी0	
85	318	लौढियामाफी	1	लौढियामाफी	277	28	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0	जू0हा0अगरहुंडा	3किमी0	
86			2	रामलौहरीपुरवा	34	4	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	3किमी0	
87			3	कुर्मीका डेरा	18	0	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	3किमी0	
88			4	नत्थूपुरवा	37	7	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	2किमी0	
89			5	रामलवरू	34	0	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	2किमी0	
90			6	भूरालोध	25	0	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	2किमी0	
91			7	रमेश्वर	22	0	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	2.5किमी0	
92			8	गौरीलालदास	456	0	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	2किमी0	
93			9	परधान	37	3	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	2किमी0	
94			10	कामतादत्त	28	3	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	1	जू0हा0अगरहुंडा	2.5किमी0	
95			11	घुम्मूयादव	22	4	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	2किमी0	
96			12	केशनमहराज	31	0	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0	जू0हा0अगरहुंडा	1.5किमी0	
97			13	मुंसीवा	18	0	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	1	जू0हा0अगरहुंडा	2किमी0	
98			14	लोहियापुरवा	28	2	0	प्रा0वि0लौढियामाफी	0	जू0हा0अगरहुंडा	2.5किमी0	
99	319	बटखरा	1	बटखरा	71	4	0	प्रा0वि0बटखरा	0	जू0हा0अगरहुंडा	5किमी0	
100			2	सखियापुरवा	24	1	0	प्रा0वि0बटखरा	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	2किमी0	
101			3	हरिजनबस्ती	18	2	0	प्रा0वि0बटखरा	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	2किमी0	
102			4	गुप्ता का डेरा	31	0	0	प्रा0वि0बटखरा	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	2किमी0	
103			5	पप्पू का डेरा	22	0	0	प्रा0वि0बटखरा	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	5किमी0	
104			6	प्रेमचन्द	43	0	0	प्रा0वि0बटखरा	0.5	जू0हा0अगरहुंडा	1.5किमी0	

२३०

105			7	बेलौहाकाडेरा	35	2	0	प्रा०वि०बटखरा	0.5	जू०हा०अगरहुंडा	2कि०मी०	
106			8	किरकोडेरा	10	2	0	प्रा०वि०बटखरा	0.5	जू०हा०अगरहुंडा	2कि०मी०	
107			9	पोखरी	18	0	0	प्रा०वि०बटखरा	0.5	जू०हा०अगरहुंडा	5कि०मी०	
108	320	कौवरा	1	कौवरा	2078	252	0	प्रा०वि०कौवरा	0	जू०हा०कौबरा	0कि०मी०	
109			2	कमरौहा	204	42	0	प्रा०वि०कौबरा	0.5	जू०हा०कौबरा	0.5कि०मी०	
110			3	पूरवा	70	13	0	प्रा०वि०कौवरा	0.5	जू०हा०कौबरा	0.5कि०मी०	
111			4	हरिजनबस्ती	93	81	0	प्रा०वि०कौवरा	1	जू०हा०कौबरा	1कि०मी०	
112			5	पंडितोंकापुरवा	136	34	0	प्रा०वि०कौवरा	1	जू०हा०कौबरा	1कि०मी०	
113			6	चोखरीपुरवा	200	67	0	प्रा०वि०कौबरा	1	जू०हा०कौबरा	1कि०मी०	
114			7	चिखुला	76	26	0	प्रा०वि०कौवरा	1	जू०हा०कौवरा	1कि०मी०	
115			8	पोहियनकाडेरा	70	20	0	प्रा०वि०कौवरा	1	जू०हा०कौबरा	1कि०मी०	
116			9	बेलोंकापुरवा	64	18	0	प्रा०वि०कौवरा	1	जू०हा०कौवरा	1कि०मी०	
117	321	बराछी	1	बराछी	262	156	0	प्रा०वि०बराछी	0	जू०हा०कौबरा	2कि०मी०	
118			2	कुशलकाडेरा	116	61	0	प्रा०वि०बराछी	1	जू०हा०कौबरा	2कि०मी०	
119			3	मनभावन	211	40	0	प्रा०वि०बराछी	1	जू०हा०कौबरा	2	
120	322	गौरिया	1	गौरिया	534	15	0	प्रा०वि०गौरिया	0	जू०हा०कौबरा	3	
121			2	किछादा	98	3	0	प्रा०वि०गौरिया	0.5	जू०हा०कौबरा	3.5	
122			3	टिर्रा यादव	144	4	0	प्रा०वि०गौरिया	0.5	जू०हा०कौबरा	3	
123			4	रामपति	127	2	0	प्रा०वि०गौरिया	1	जू०हा०कौबरा	3	
124			5	जियावन	153	6	0	प्रा०वि०गौरिया	1.5	जू०हा०कौबरा	3.5	
125	323	देशाह	1	देशाह	105	20	0	प्रा०वि०कौवरा	1	जू०हा०कौवरा	1	
126			2	झलमल	49	15	0	प्रा०वि०कौवरा	1.5	जू०हा०कौबरा	1.5	
127			3	डढवा	28	12	0	प्रा०वि०कौबरा	1.5	जू०हा०कौबरा	1.5	
128			4	पिपरही	23	5	0	प्रा०वि०कौवरा	1	जू०हा०कौबरा	1	
129			5	बालातीर	42	17	0	प्रा०वि०कौबरा	1	जू०हा०कौबरा	1	
130			6	डांडी	30	12	0	प्रा०वि०कौवरा	1	जू०हा०कौबरा	1	
131	324	बसायनपुर	1	बसावनपुर	158	69	0	प्रा०वि० चर(बसावनपुर)	0	जू०हा०चर	0.5	
132			2	मुसलमाननपुरवा	94	47	0	प्रा०वि० चर(बसावनपुर)	0.5	जू०हा०चर	1	
133	325	चर	1	चर	1028	265	0	प्रा०वि०चर	0	जू०हा०चर	0	
134	326	बगरेही	1	बगरेही	438	95	0	प्रा०वि०बगरेही	0	जू०हा०भौरी	4	
135			2	केसरियापुरवा	132	20	0	प्रा०वि०बगरेही	0.5	जू०हा०भौरी	4	
136			3	बदलूपुरवा	151	47	0	प्रा०वि०बगरेही	1	जू०हा०भौरी	4.5	
137			4	बचचीपुरवा	266	72	0	प्रा०वि०बगरेही	0.5	जू०हा०भौरी	4	
138			5	लालापुर	316	83	0	प्रा०वि०लालापुर	0	जू०हा०भौरी	5	
139			6	गडरियनपुरवा	107	53	0	प्रा०वि०लालापुर	0.5	जू०हा०भौरी	5	
140	327	अरवारा	1	अरवारा	975	381	0	प्रा०वि०अरवारा	0	जू०हा०अगरहुंडा	5	

विकास खण्ड मानिकपुर

141	328	अगरहुडा	1	अगरहुडा	1957	705	0	प्रा0वि0अगरहुडा	0	जू0हा0अगरहुडा	0	
142			2	गडरियनपुरवा	217	97	0	प्रा0वि0अगरहुडा	0.5	जू0हा0अगरहुडा	0.5	
143			3	गिरधारापुरवा	231	92	0	प्रा0वि0अरवारा	2	जू0हा0अगरहुडा	3	
144			4	अहिरन पुरवा	335	83	0	प्रा0वि0अगरहुडा	1	जू0हा0अगरहुडा	3	
145			5	चमारनपुरवा	135	65	0	प्रा0वि0अगरहुडा	1	जू0हा0अगरहुडा	3	
146			6	गुडहई कापुरवा	190	83	0	प्रा0वि0चरदहा	1	जू0हा0अगरहुडा	3	
147			7	ठाकुरपुरवा	183	84	0	प्रा0वि0चरदहा	1	जू0हा0अगरहुडा	3	
148			8	हीरालालकापुरवा	116	51	0	प्रा0वि0चरदहा	1	जू0हा0अगरहुडा	3	
149	329	उडकीमाफी	1	उडकीमाफी	324	28	0	प्रा0वि0उडकी	0	जू0हा0अगरहुडा	4	
150			2	काशीपुरवा	192	29	0	प्रा0वि0उडकी	0.5	जू0हा0अगरहुडा	4	
151			3	श्रीकेशनपुरवा	91	3	0	प्रा0वि0उडकी	0.5	जू0हा0अगरहुडा	4	
152			4	रजउवा पुरवा	23	2	0	प्रा0वि0उडकी	0.5	जू0हा0अगरहुडा	4	
153			5	गोरइयापुरवा	42	5	0	प्रा0वि0उडकी	0.5	जू0हा0अगरहुडा	4	
154	330	पाह कजारी	1	पाह कजारी	310	27	0	प्रा0वि0रामपुरतरौहा	0.5	जू0हा0व्यूर	3	
155			2	चतुर्वेदीपुरवा	131	10	0	प्रा0वि0रामपुरतरौहा	0.5	जू0हा0व्यूर	3	
156	331	रामपुर तरौहा	1	रामपुर तरौहा	621	57	0	प्रा0वि0रामपुरतरौहा	0	जू0हा0चर	3	
157	332	तख्तपुर	1	तख्तपुर	237	82	0	प्रा0वि0तख्तपुर	0	जू0हा0चर	3	
158	333	ऐंचवारा	1	ऐंचवारा	2008	982	0	प्रा0वि0ऐंचवारा	0	जू0हा0सेमरदहा	3	
159			2	लोधनपुरवा	595	129	0	प्रा0वि0गजरा	0	जू0हा0भौरी	2	
160			3	बउनापुरवा	328	76	0	प्रा0वि0लौधटा	1.5	जू0हा0सेमरदहा	3	
161	334	गढीखुर्द	1	गढीखुर्द	400	33	0	प्रा0वि0खरौंध	1.5	जू0हा0सेमरदहा	3	
162	335	खरौंध	1	खरौंध	919	226	0	प्रा0वि0खरौंध	0	जू0हा0सेमरदहा	3	
163			2	हरिजनबस्ती	326	143	0	प्रा0वि0खरौंध	1	जू0हा0सेमरदहा	3	
164			3	कीठापुरवा	393	138	0	प्रा0वि0भगतसिंह नगर	1	जू0हा0ऐंचवारा	2	
165			4	बडातीर	330	100	0	प्रा0वि0भगतसिंह नगर	0.5	जू0हा0ऐंचवारा	3	
166			5	बनियनपुरवा	2489	68	0	प्रा0वि0भगतसिंह नगर	1	जू0हा0ऐंचवारा	3	
167	336	सेमरदहा	1	सेमरदहा	1186	263	0	प्रा0वि0सेमरदहा	0	जू0हा0सेमरदहा	0	
168			2	खांचा	188	77	0	प्रा0वि0टेकारी	1	जू0हा0सेमरदहा	1	
169			3	लोखरिहा	210	74	0	प्रा0वि0टेकारी	1	जू0हा0सेमरदहा	2	
170			4	कुकराहाई	320	131	0	प्रा0वि0टेकारी	1.5	जू0हा0सेमरदहा	1.5	
171			5	गरहरापुरवा	243	47	0	प्रा0वि0टेकारी	0.5	जू0हा0सेमरदहा	2	
172			6	टेकारी	468	0	0	प्रा0वि0टेकारी	0	जू0हा0सेमरदहा	2	
173	337	ददरीमाफी	1	ददरीमाफी	127	16	0	प्रा0वि0ददरीमाफी	0	जू0हा0लखनपुर	1	
174			2	बानाताला	12	0	0	प्रा0वि0ददरीमाफी	0.5	जू0हा0लखनपुर	1	
175			3	लंकापुरवा	294	45	0	प्रा0वि0ददरीमाफी	1	जू0हा0लखनपुर	1.5	
176			4	ददरीमकान	29	10	0	प्रा0वि0ददरीमाफी	1	जू0हा0लखनपुर	1	

विकास खण्ड मानिकपुर

177			5	छोटी बेलहरी	498	0	0	प्रा0वि0छीतूपुर	1	जू0हा0कैलहा	1.5	
178			6	बडी बेलहरी	323	0	0	प्रा0वि0छीतूपुर	1.5	जू0हा0कैलहा	2	
179			7	राजाताल	98	0	0	प्रा0वि0लखनपुर	1	जू0हा0लखनपुर	1	
180			8	चौखडा	147	59	0	प्रा0वि0लखनपुर	1	जू0हा0लखनपुर	2	
181			9	ठीकापुरवा	203	169	0	प्रा0वि0लखनपुर	1.5	जू0हा0लखनपुर	2.5	
182			10	घाटाकोलान	258	215	0	प्रा0वि0ददरीमाफी	1	जू0हा0लखनपुर	2	
183			11	चौहान कोलान	132	109	0	प्रा0वि0ददरीमाफी	1.5	जू0हा0लखनपुर	2.5	
184	338	रुख्माबुजुर्ग	1	रुख्माबुजुर्ग	0	0	0	—	–	—	0	
185			2	कुशहाई	51	0	0	प्रा0वि0रुखमाबु0	2	जू0हा0कैलहा	2	
186			3	बरंठीहीतीर	63	0	0	प्रा0वि0रुखमाबु1	1	जू0हा0मडैयन	2	
187			4	नौबस्ता	77	7	0	प्रा0वि0नौबस्ता	0	जू0हा0लखनपुर	1	
188			5	खाचा	190	56	0	प्रा0वि0नौबस्ता	0.5	जू0हा0लखनपुर	1	
189			6	सपहा	140	58	0	प्रा0वि0नौबस्ता	1	जू0हा0कैलहा	1	
190			7	एकडडी	33	0	0	प्रा0वि0कैलहा	0	जू0हा0लखनपुर	1	
191			8	अहिरन पुरवा	73	0	0	प्रा0वि0रुख्माबुजुर्ग	0.5	जू0हा0लखनपुर	0.5	
192			9	पलल्हरियापुरवा	80	46	0	प्रा0वि0रुख्माबुजुर्ग	1	जू0हा0लखनपुर	1	
193			10	रैदास टोला	66	38	0	प्रा0वि0रुख्माबुजुर्ग	0.5	जू0हा0लखनपुर	1	
194			11	कीठापुरवा	69	8	0	प्रा0वि0रुख्माबुजुर्ग	1	जू0हा0लखनपुर	1	
195			12	बरुई	127	14	0	प्रा0वि0रुख्माबुजुर्ग	0.5	जू0हा0लखनपुर	0.5	
196			13	लखनपुर	383	122	0	प्रा0वि0लखनपुर	0	जू0हा0लखनपुर	0.5	
197			14	कोरिनपुरवा	114	67	0	प्रा0वि0लखनपुर	1	जू0हा0लखनपुर	1	
198			15	नवापुरवा	1486	432	0	प्रा0वि0रुख्माबुजुर्ग	0.5	जू0हा0बडीमउैयन	1.5	
199	339	मडैययन	1	मडैययन	176	0	0	प्रा0वि0मडैयन	0	जू0हा0मडैयन	0	
200			2	हरिजनपुरवा	52	33	0	प्रा0वि0मडैयन	0.5	जू0हा0मडैयन	0.5	
201			3	अहिरन पुरवा	63	0	0	प्रा0वि0मडैयन	0.5	जू0हा0मडैयन	0.5	
202			4	टिकुरा	25	0	0	प्रा0वि0मडैयन	1	जू0हा0मडैयन	1	
203			5	ठकुरनपुरवा	25	0	0	प्रा0वि0मडैयन	0.5	जू0हा0मडैयन	0.5	
204			6	बन्धिन	524	72	0	प्रा0वि0बन्धिन	0	जू0हा0मडैयन	1.5	
205			7	दाउ कापुरवा	99	0	0	प्रा0वि0मडैयन	0.5	जू0हा0मडैयन	0.5	
206			8	सेहरिन	520	0	0	प्रा0वि0सेहरिन	0	जू0हा0मडैयन	1	
207			9	कोलान	255	135	0	प्रा0वि0सेहरिन	0.5	जू0हा0मडैयन	1	
208			10	गोडा	367	28	0	प्रा0वि0मडैयन	1	जू0हा0मडैयन	0.5	
209			11	टेटया	136	0	0	प्रा0वि0टेढया	0	जू0हा0मडैयन	1	
210			12	बडीमैडैयन	264	82	0	प्रा0वि0बडीमडैयन	0	जू0हा0बडीमउैयन	0	
211			13	छोटी मडैयन	899	372	0	प्रा0वि0छोटीमडैयन	0	जू0हा0बडीमउैयन	1	
212	340	रुख्मा खुर्द	1	रुख्मा खुर्द	645	125	0	प्रा0वि0रुख्माखुर्द	0	जू0हा0रुख्माखुर्द	0	

विकास खण्ड मानिकपुर

213			2	नई दुनिया	194	125	0	प्रा0वि0बम्हनीकापुरवा	1	जू0हा0रूख्माखुर्द	1	
214			3	चमरौडी	194	125	0	प्रा0वि0बम्हनीकापुरवा	0.5	जू0हा0रूख्माखुर्द	1	
215			4	फूलीपुरवा	397	0	0	प्रा0वि0रूख्माखुर्द	2	जू0हा0रूख्माखुर्द	2	
216			5	पंडित पुरवा	194	0	0	प्रा0वि0रूख्माखुर्द	0.5	जू0हा0रूख्माखुर्द	0.5	
217			6	डांडीपुरवा	258	0	0	प्रा0वि0बम्हनीकापुरवा	0.5	जू0हा0रूख्माखुर्द	1	
218			7	बेलौहनपुरवा	123	0	0	प्रा0वि0रूख्माखुर्द	0.5	जू0हा0रूख्माखुर्द	0.5	
219			8	अमिलीपुरवा	65	0	0	प्रा0वि0रूख्माखुर्द	0.5	जू0हा0रूख्माखुर्द	0.5	
220			9	कुम्हरौडी	129	0	0	प्रा0वि0रूख्माखुर्द	0.5	जू0हा0रूख्माखुर्द	0.5	
221			10	पचपेढा	71	0	0	प्रा0वि0रूख्माखुर्द	2	जू0हा0रूख्माखुर्द	2	
222			11	बमनीपुरवा	97	0	0	प्रा0वि0बम्हनीकापुरवा	1	जू0हा0रूख्माखुर्द	1	
223			12	गौतमपुर	150	84	0	प्रा0वि0बम्हनीकापुरवा	0.5	जू0हा0रूख्माखुर्द	0.5	
224			13	कलुवा गौतमपुरवा	82	22	0	प्रा0वि0बम्हनीकापुरवा	0.5	जू0हा0रूख्माखुर्द	0.5	
225	341	झीलिंग	1	झीलिंग	107	54	0	प्रा0वि0बहिलपुरवा	1	जू0हा0बहिलपुरवा	1	
226			2	रामशरणपुरवा	9	6	0	प्रा0वि0बहिलपुरवा	1	जू0हा0बहिलपुरवा	1	
227			3	रामखेलावन	12	7	0	प्रा0वि0बहिलपुरवा	1	जू0हा0बहिलपुरवा	1	
228	342	बहिलपुरवा	1	बहिलपुरवा	79	77	0	प्रा0वि0बहिलपुरवा	1.5	जू0हा0बहिलपुरवा	1.5	
229			2	झिन्हापुरवा	19	17	0	प्रा0वि0बहिलपुरवा	1	जू0हा0बहिलपुरवा	1	
230			3	कोलिलिहाई	29	25	0	प्रा0वि0बहिलपुरवा	1.5	जू0हा0बहिलपुरवा	1.5	
231			4	पुलिस स्टेशन	24	0	0	प्रा0वि0बहिलपुरवा	0	जू0हा0बहिलपुरवा	0	
232	343	ककपिडरिया	1	ककपिडरिया	794	333	0	प्रा0वि0कर्का	0	जू0हा0बहिलपुरवा	3	
233			2	शिवलोचन का पुरवा	159	126	0	प्रा0वि0कर्का	0.5	जू0हा0बहिलपुरवा	3	
234			3	सुखराज पुरवा	171	84	0	प्रा0वि0कर्का	0.5	जू0हा0बहिलपुरवा	3	
235			4	पडरिहा कालोनी	504	298	0	प्रा0वि0बहिलपुरवा	0.5	जू0हा0बहिलपुरवा	0.5	
236			5	गवदेलहा	279	262	0	प्रा0वि0बहिलपुरवा	1.5	जू0हा0बहिलपुरवा	1.5	
237			6	भजनपुरवा	244	127	0	प्रा0वि0कर्का	0.5	जू0हा0रूख्माखुर्द	3	
238	344	कैलहा	1	कैलहा	824	181	0	प्रा0वि0कैलहा	0	जू0हा0कैलहा	0	
239			2	ढेकापुरवा	69	0	0	प्रा0वि0कैलहा	0.5	जू0हा0कैलहा	0.5	
240			3	कोलान	193	88	0	प्रा0वि0छीतुपुर	0.5	जू0हा0कैलहा	1	
241			4	चीटीपुर	174	39	0	प्रा0वि0छीतुपुर	0	जू0हा0कैलहा	1	
242			5	नवाबगंज	37	17	0	प्रा0वि0छीतुपुर	0.5	जू0हा0कैलहा	1	
243	345	छेरिहाबु0	1	छेरिहाबु0	344	230	0	प्रा0वि0छेरिहाखु0	0	जू0हा0मारकुडी	5	
244	346	इटवाडुडैला	1	इटवाडुडैला	1447	201	0	प्रा0वि0इटवाडुडैला	0	जू0हा0इटवांडुडैला	0	
245			2	छोटी पाटिन	292	62	0	प्रा0वि0छोटीपाटिन	0	जू0हा0इटवांडुडैला	3	
246			3	कोलान	162	112	0	प्रा0वि0छोटीपाटिन	0.5	जू0हा0इटवांडुडैला	3	
247			4	बडी पाटिन	640	89	0	प्रा0वि0बडी पाटिन	0	जू0हा0इटवांडुडैला	4.5	
248			5	डुडौली	172	0	0	प्रा0वि0बडी पाटिन	1	जू0हा0इटवांडुडैला	5	

विकास खण्ड मानिकपुर

249			6	अहिरन पुरवा	311	0	0	प्रा0वि0बड़ी पाटिन	1	जू0हा0इटवाडुडैला	3	
250			7	बगहरा	881	600	0	प्रा0वि0बगरहा	0	जू0हा0इटवाडुडैला	1	
251	347	गुरसराय	1	गुरसराय	0	0	0	—	–		0	
252	348	टिकरिया जमुन	1	टिकरिया जमुनहाई	366	112	0	प्रा0वि0टिकरिया	0	जू0हा0टिकरिया	0	
253			2	पूर्वी कोलान	132	112	0	प्रा0वि0टिकरिया	1	जू0हा0टिकरिया	1	
254			3	वडा पुरवा	64	31	0	प्रा0वि0टिकरिया	1	जू0हा0टिकरिया	1	
255			4	जमुनिहाई	277	263	0	प्रा0वि0जमुनिहाई	0	जू0हा0टिकरिया	2	
256			5	टिकुरी	16	0	0	प्रा0वि0जमुनिहाई	0.5	जू0हा0टिकरिया	2	
257			6	उमरहन	109	128	0	प्रा0वि0जमुनिहाई	1	जू0हा0टिकरिया	2.5	
258			7	टिकरिया रेल्वेस्टेशन	288	28	0	प्रा0वि0मनगवां	0	जू0हा0टिकरिया	0	
259			8	बडा कोलान	26	20	0	प्रा0वि0मनगवां	0.5	जू0हा0टिकरिया	0.5	
260	349	मनगवा	1	मनगवा	489	291	0	प्रा0वि0मनगवां	0	जू0हा0टिकरिया	0	
261			2	मटवा पुरवा	292	211	0	प्रा0वि0मनगवां	0.5	जू0हा0टिकरिया	0.5	
262			3	देवलहा पुरवा	292	211	0	प्रा0वि0मनगवां	1	जू0हा0टिकरिया	1	
263	350	बम्भिया	1	बम्भिया	0	0	0	प्रा0वि0बम्भिया	0	जू0हा0टिकरिया	--	
264			2	बम्भिया बडी	256	40	0	प्रा0वि0बम्भिया	0	जू0हा0टिकरिया	3	
265			3	बम्भिया छोटी	.115	6	0	प्रा0वि0बम्भिया	0.5	जू0हा0टिकरिया	3.5	
266			4	मवान पुरव	57	30	0	प्रा0वि0बम्भिया	0.5	जू0हा0टिकरिया	3.5	
267			5	हरिजनबस्ती	153	80	0	प्रा0वि0बम्भिया	1	जू0हा0टिकरिया	2	
268	351	कुसुमी	1	कुसुमी	232	0	0	प्रा0वि0कुसुमी	0	पू0मा0वि0इटवांडुडैला	3	
269			2	मवईनपुरवा	88	0	0	प्रा0वि0कुसुमी	0.5	पू0मा0वि0इटवांडुडैला	3.5	
270	352	डोडामाफी	1	डोडामाफी	203	117	0	प्रा0वि0डोडामाफी	1	जू0हा0डोडामाफी	0	
271			2	चमरौडी	97	92	0	प्रा0वि0डोडामाफी	0.5	जू0हा0डोडामाफी	0 5	
272			3	पुरानी चौकी	26	0	0	प्रा0वि0डोडामाफी	1	जू0हा0डोडामाफी	1	
273			4	बेलौहा पुरवा	126	26	0	प्रा0वि0डोडामाफी	1	जू0हा0डोडामाफी	1	
274			5	बांधातीर	124	0	0	प्रा0वि0डोडामाफी	1	जू0हा0डोडामाफी	1	
275			6	घनवां पुरवा	155	0	0	प्रा0वि0डोडामाफी	1	जू0हा0डोडामाफी	1	
276			7	डोडा सोसायटी	235	222	0	प्रा0वि0डोडामाफी	1	जू0हा0डोडामाफी	1	
277			8	बिजहना	74	0	0	प्रा0वि0डोडामाफी	1	जू0हा0डोडामाफी	1	
278			9	डुडौलीपुरवा	155	49	0	प्रा0वि0डोडामाफी	1.5	जू0हा0डोडामाफी	1.5	
279			10	बडा कोलान	223	211	0	प्रा0वि0डोडामाफी	0.5	जू0हा0डोडामाफी	0.5	
280	353	मारकुडी	1	मारकुडी	257	268	0	प्रा0वि0मारकुडी	0	जू0हा0मारकुडी	0	
281			2	मारककुडी स्टेशन	37	0	0	प्रा0वि0मारकुडी	0	जू0हा0मारकुडी	0	
282			3	मारकुडी पुलिस स्टे0	37	0	0	प्रा0वि0मारकुडी	0.5	जू0हा0मारकुडी	0.5	
283	354	मेडा	1	मेडा	174	67	0	प्रा0वि0मेडा	0	जू0हा0मारकुडी	0.5	
284			2	मेडा कोलान	222	144	0	प्रा0वि0मेडा	1	जू0हा0मारकुडी	1	

विकास खण्ड मानिकपुर

285	355	अमचुरनेरूवा	1	अमचुरनेरूवा	195	192	0	प्रा0वि0अमचुरनेरूवा	0	जू0हा0मारकुडी	1	
286			2	अमचुरनेरूवासोसागरी	168	165	0	प्रा0वि0अमचुरनेरूवा	3	जू0हा0मारकुडी	4	
287			3	ठेका पुरवा	79	79	0	प्रा0वि0अमचुरनेरूवा	0	जू0हा0मारकुडी	1.5	
288	356	किहुनियां	1	किहुनियां	885	124	0	प्रा0वि0किहुनियां	0	जू0हा0मारकुडी	1	
289			2	दीपा पुरवा	149	0	0	प्रा0वि0मारकुडी	0.5	जू0हा0मारकुडी	1.5	
290			3	वाध तीर	133	110	0	प्रा0वि0किहुनियां	0.5	जू0हा0मारकुडी	1.5	
291			4	प्यासी पुरवा	238	0	0	प्रा0वि0किहुनियां	0.5	जू0हा0मारकुडी	1.5	
292			5	कुरौनिहा	37	131	0	प्रा0वि0किहुनियां	0.5	जू0हा0मारकुडी	1.5	
293			6	वाघ भीतर	153	106	0	प्रा0वि0मारकुडी	1	जू0हा0मारकुडी	1	
294			7	डाडी अहिरान	110	0	0	प्रा0वि0किहुनियां	0.5	जू0हा0मारकुडी	1	
295			8	म्भु पुरवा	208	71	0	प्रा0वि0किहुनियां	0	जू0हा0मारकुडी	1	
296			9	ीतलपुरवा	72	0	0	प्रा0वि0किहुनियां	1	जू0हा0मारकुडी	1	
297			10	पुरानी कालोनी	160	131	0	प्रा0वि0किहुनियां	1	जू0हा0मारकुडी	1.5	
298			11	दीपू कोलान	91	75	0	प्रा0वि0मारकुडी	1	जू0हा0मारकुडी	1	
299			12	नया खरे	96	79	0	प्रा0वि0मारकुडी	1	जू0हा0मारकुडी	1	
300			13	महुलिया	44	54	0	प्रा0वि0मारकुडी	1	जू0हा0मारकुडी	1	
301	357	कुल मार्ग परार	1	कुल मार्ग परासन	0	0	0	प्रा0वि0जारोमाफी	0	जू0हा0कल्याणपुर	---	
302	358	जारो माफी	1	जारो माफी	730	541	0	प्रा0वि0छेरिहाखु0	0	जू0हा0मारकडी	6	
303	359	छेरिहा खुर्द	1	छेरिहा खुर्द	393	73	0	प्रा0वि0छेरिहाखु	1	जू0हा0मारकडी	4	
304			2	डाडी कोलान	251	193	0	प्रा0वि0छेरिहाखु	1	जू0हा0मारकडी	5.5	
305			3	मंदिर टोला	315	60	0	प्रा0वि0छेरिहाखु	0	जू0हा0मारकडी	6	
306			4	गजाधर का पुरवा	388	57	0	प्रा0वि0छेरिहाखु	1	जू0हा0मारकडी	4	
307			5	गौर पुरवा	144	109	0	प्रा0वि0छेरिहाखु	0	जू0हा0मारकडी	5.5	
308	360	चितघटी	1	चितघटी	111	107	0	प्रा0वि0जारोमाफी	0	जू0हा0कल्याणपुर	4	
309	361	करौहा	1	करौहा	349	119	0	प्रा0वि0करौहा	0	जू0हा0कल्याणपुर	4	
310			2	गोपीपुरवा	1018	360	0	प्रा0वि0गोपीपुर	0	जू0हा0कल्याणपुर	1	
311	362	वराहमाफी	1	बराहमाफी	936	291	0	प्रा0वि0वराहमाफी	0	जू0हा0कल्याणपुर	1	
312			2	डाडी पुरवा	492	283	0	प्रा0वि0डाडीकोलान	0	जू0हा0कल्याणपुर	1	
313			3	कुर्मिनपुरवा	118	0	0	प्रा0वि0डाडी कोलान	1	जू0हा0कल्याणपुर	1	
314			4	गौतमपुरा	24	0	0	प्रा0वि0कल्यायनपुर	3	जू0हा0कल्याणपुर	1	
315	363	वरहना	1	बरहना	7	0	0	प्रा0वि0छेरिहाखु0	0	जू0हा0कल्याणपुर	5	
316	364	चूल्ही	1	चूल्ही	89	89	0	प्रा0वि0चूल्ही	1	जू0हा0कल्याणपुर	3	
317	365	नंदवनिया	1	नंदवनिया	115	115	0	प्रा0वि0डाडीकोलान	0	जू0हा0कल्याणपुर	3	
318	366	रामपुर कल्याण	1	रामपुर कल्याणगए	786	75	0	प्रा0वि0रामपुर	1	जू0हा0कल्याणपुर	2	
319			2	जिल्लापुरवा	430	132	0	प्रा0वि0कल्यायनपुर	0	जू0हा0कल्याणपुर	0.5	
320	367	खिापुर	1	खिापुर	321	93	0	प्रा0वि0शेखापुर	1	जू0हा0कल्याणपुर	4	

विकास खण्ड मानिकपुर

321	368	नागर	1	नागर	440	151	0	प्रा0वि0नागर	0	जू0हा0कल्याणपुर	4	
322			2	कोलान	187	133	0	प्रा0वि0नागर	0	जू0हा0कल्याणपुर	4	
323	369	पंडरी माफी	1	पंडरी माफी	0	0	0	—	0	—	---	
324	370	चकशेखापुर	1	चकशेखापुर	0	0	0	—	0	—	---	
325	371	सहलवार	1	सहलवार	0	0	0	—	2	—	---	
326	372	महुली	1	महुली	0	0	0	—	0	—	---	
327	373	कल्याणपुर	1	कल्याणपुर खास	290	55	0	प्रा0वि0लक्ष्मणपुर	1	जू0हा0कल्याणपुर	3.5	
328			2	लक्ष्मण पुर	694	402	0	प्रा0वि0लक्ष्मणपुर	2	जू0हा0कल्याणपुर	3.5	
329			3	खदरा	61	61	0	प्रा0वि0कल्यायनपुर	1	जू0हा0कल्याणपुर	0.5	
330			4	बघसा	263	262	0	प्रा0वि0कल्यायनपुर	1	जू0हा0कल्याणपुर	1.5	
331			5	हर्दी डाडी	269	100	0	प्रा0वि0कल्यायनपुर	1	जू0हा0कल्याणपुर	0.5	
332	374	झरी	1	झरी	0	0	0	प्रा0वि0कल्यायनपुर	0	जू0हा0कल्याणपुर	1	
333	375	जबरदस्ता	1	जबरदस्ता	0	0	0	–	1	—	---	
334	376	आरी	1	आरी	82	82	0	प्रा0वि0सरहट	1	जू0हा0सरहट	1	
335	377	सरहट रूरल	1	सरहट रूरल	259	407	0	प्रा0वि0सरहट	0	जू0हा0सरहट	0	
336	378	मानिकपुर रूरल	1	मानिकपुर रूरल	63	35	0	प्रा0वि0मानिकपुर	1	जू0हा0सरहट	2	
337			2	रेल्वे कालोनी	395	120	0	प्रा0वि0सरहट	1	जू0हा0सरहट	1	
338	379	पटा	1	पटा	132	25	0	प्रा0वि0पटा	1	जू0हा0सरहट	0.5	
339			2	कोलानपुरवा	79	43	0	प्रा0वि0सरहट	1	जू0हा0सरहट	0.5	
340			3	ठेका पुरवा	87	47	0	प्रा0वि0सरहट	1	जू0हा0सरहट	1	
341			4	मदगढी	82	15	0	प्रा0वि0पटा	0	जू0हा0सरहट	2	
342	380	चुरेहकशेरूवा	1	चुरेहकशेरूवा	223	207	0	प्रा0वि0हरिजनपुर	2	जू0हा0ऐलहा	5	
343			2	खदरा कोलान	162	150	0	प्रा0वि0हरिजनपुर	0	जू0हा0उंचाडीह	3	
344			3	हरिजन पुरवा	312	289	0	प्रा0वि0हरिजनपुर	0	जू0हा0उंचाडीह	3	
345			4	भैडी	44	87	0	प्रा0वि0सुखरामपुर	2	जू0हा0उंचाडीह	3	
346			5	सुखराम पुर	434	275	0	प्रा0वि0सुखरामपुर	2	जू0हा0उंचाडीह	3.5	
347			6	केशरूवा	388	349	0	प्रा0वि0चुरेहकशेरूवा	0	जू0हा0एलहा	4	
348			7	केकरामार	107	81	0	प्रा0वि0सुखरामपुर	1	जू0हा0उंचाडीह	3.5	
349			8	टिकुरी	54	50	0	प्रा0वि0सुखरामपुर	1	जू0हा0उंचाडीह	3.5	
350			9	गुरौला	830	69	0	प्रा0वि0गुरौला	1	जू0हा0ऐलहा	3	
351			10	बेलौहा पुरवा	148	125	0	प्रा0वि0गुरौला	1	जू0हा0ऐलहा	2	
352			11	डाडी चमरौही	885	172	0	प्रा0वि0गुरौला	2	जू0हा0ऐलहा	3.5	
353			12	समरिया टोला	247	215	0	प्रा0वि0गुरौला	1	जू0हा0ऐलहा	3	
354			13	डारी पुरवा	337	137	0	प्रा0वि0गुरौला	0	जू0हा0ऐलहा	3	
355			14	हाता	101	86	0	प्रा0वि0गुरौला	1	जू0हा0सरहाट	3.5	
356			15	डाडी अहिल	95	28	0	प्रा0वि0गुरौला	1	जू0हा0एलहा	3	

236

357	381	एलहा बढैया	1	एलहा बढैया	713	355	0	प्रा0वि0ऐलहा	2	जू0हा0एलहा	0	
358			2	बघाया पुरवा	257	165	0	प्रा0वि0ऐलहा	0	जू0हा0एलहा	0.5	
359			3	जीरापुरवा	157	44	0	प्रा0वि0ऐलहा	1	जू0हा0एलहा	1	
360			4	महुवा पुरवा	146	39	0	प्रा0वि0ऐलहा	0	जू0हा0एलहा	1.5	
361	382	खिचरी	1	खिचरी	568	303	0	प्रा0वि0खिचरी	1	जू0हा0वगदरी	3	
362			2	कोला कालानी	111	325	0	प्रा0वि0खिचरी	1	जू0हा0वगदरी	3	
363	383	उमरी	1	उमरी	163	177	0	प्रा0वि0उमरी	1	जू0हा0वगदरी	4	
364			2	गोतमपुर	79	86	0	प्रा0वि0उमरी	1	जू0हा0वगदरी	3	
365			3	हरिजन कोलान	162	176	0	प्रा0वि0उमरी	1	जू0हा0वगदरी	2	
366			4	बगीचा पुरवा	96	86	0	प्रा0वि0उमरी	0	जू0हा0बगदरी	2	
367			5	वेलहा	123	32	0	प्रा0वि0खिचरी	0	जू0हा0वगदरी	3	
368	384	खलवहिया महु	1	खलवहिया महुल	30	26	0	प्रा0वि0खिचरी	1	जू0हा0बगदरी	2	
369	385	हेला	1	हेला	0	0	0	प्रा0वि0हेला	1	जू0हा0वगदरी	2	
370	386	बगदरी	1	बगदरी	507	304	0	प्रा0वि0वगदरी	1	जू0हा0वगदरी	0	
371			2	छियलहा पुरवा	146	34	0	प्रा0वि0वगदरी	0	जू0हा0वगदरी	0.5	
372	387	गोवरहाइ	1	गोबरहाइ	101	97	0	प्रा0वि0निही	3	जू0हा0बगदरी	1.5	
373			2	चौबेपुरवा	15	0	0	प्रा0वि0निही	1	जू0हा0बगदरी	1.5	
374	388	नीही	1	नीही	303	281	0	प्रा0वि0निही	0	जू0हा0वगदरी	1	
375			2	चरैया	337	193	0	प्रा0वि0निही	0	जू0हा0वगदरी	3.5	
376			3	बरहना	90	67	0	प्रा0वि0निही	1	जू0हा0वगदरी	1.5	
377	389	उडेलन	1	उडेलन	0	0	0	प्रा0वि0चरदहा	0	—	---	
378	390	सहदूर	1	सहदूर	0	0	0	प्रा0वि0चरदहा	1	—	----	
379	391	चरदहा	1	चरदहा	68	0	0	प्रा0वि0चरदहा	1	जू0हा0मदना	3	
380			2	ठेका पुरवा	164	14	0	प्रा0वि0चरदहा	1	जू0हा0पठारीपुरवा	2	
381			3	गौही पुरवा	178	18	0	प्रा0वि0चरदहा	1	जू0हा0नयाचन्द	2	
382			4	नई दुनिया	122	29	0	प्रा0वि0चरदहा	1	जू0हा0नयाचन्द	2	
383			5	लहरा	233	0	0	प्रा0वि0नयाचन्द	0	जू0हा0पतेरिया	5.5	
384			6	लोहदन	106	26	0	प्रा0वि0पवारीकल	0	जू0हा0पतेरिया	5	
385			7	मिश्री का डेरा	106	19	0	प्रा0वि0पवारीकला	1	जू0हा0पतेरिया	5	
386	392	भदना	1	भदना	341'	26	0	प्रा0वि0पवारीकला	1	जू0हा0पतेरिया	0	
387			2	पवारी पुरवा	354	0	0	प्रा0वि0पवारीकला	1	जू0हा0पतेरिया	2.5	
388			3	कुडहापुरवा	164	16	0	प्रा0वि0पवारीकला	2	जू0हा0पतेरिया	2.5	
389			4	बगीचा पुरवा	151	64	0	प्रा0वि0पवारीकला	0	जू0हा0पतेरिया	1	
390			5	पठारी पुरवा	206	0	0	प्रा0वि0नयाचन्द्रा	0	जू0हा0पतेरिया	1	
391	393	गढी कला	1	गढी कला	183	24	0	प्रा0वि0नयाचन्द्रा	1	जू0हा0पतेरिया	2	
392			2	मारा चन्द	521	61	0	प्रा0वि0नयाचन्द्रा	1	जू0हा0पतेरिया	0	

237

विकारा खण्ड गानिकपुर

393	394	हनुवा	1	हनुवा	268	97	0	प्रा0वि0हनुवां	2	जू0हा0पतेरिया	1	
394			2	बजहा पुरवा	111	65	0	प्रा0वि0हनुवां	1	जू0हा0पतेरिया	2.5	
395			3	पथरहा पुरवा	134	25	0	प्रा0वि0हनुवां	2	जू0हा0पतेरिया	1.5	
396			4	कबरापुरवा	62	13	0	प्रा0वि0हनुवां	2	जू0हा0पतेरिया	3	
397			5	परसा पुरवा	67	7	0	प्रा0वि0हनुवां	2	जू0हा0पतेरिया	1.5	
398			6	अहिरन पुरवा	267	7	0	प्रा0वि0हनुवां	2	जू0हा0पतेरिया	3	
399			7	उरसा पुरवा	130	20	0	प्रा0वि0हनुवां	2	जू0हा0पतेरिया	3	
400			8	गडरियनपुरवा	88	13	0	प्रा0वि0हनुवां	1	जू0हा0पतेरिया	3	
401			9	अमरहापुरवा	218	71	0	प्रा0वि0हनुवां	1	जू0हा0पतेरिया	3	
402			10	ओरहापुरवा	318	10	0	प्रा0वि0हनुवां	2	जू0हा0सरैया	3	
403			11	परधान का डेरा	22	0	0	प्रा0वि0हनुवा	2	जू0हा0पतेरिया	1.5	
404			12	उपध्या पुरवा	125	25	0	प्रा0वि0हनुवां	0	जू0हा0पतेरिया	2	
405			13	रौनिहापुरवा	161	51	0	प्रा0वि0हनुवां	0	जू0हा0पतेरिया	2	
406			14	बहोरीपुरवा	210	72	0	प्रा0वि0हनुवां	1	जू0हा0पतेरिया	2	
407			15	बटेरियापुरवा	523	157	0	प्रा0वि0पतेरिया	1	जू0हा0पतेरिया	0	
408	395	गढचपा	1	गढचपा	2364	149	0	प्रा0वि0गढचपा	2	जू0हा0पतेरिया	2	
409			2	किरहाई	331	134	0	प्रा0वि0ककरहुली	1	जू0हा0पतेरिया	1.5	
410			3	काठापुरवा	372	175	0	प्रा0वि0गढचपा	0	जू0हा0पतेरिया	0.5	
411			4	जिल्लापुरवा	271	75	0	प्रा0वि0गढचपा	1	जू0हा0पतेरिया	2	
412			5	कबरापुरवा	325	112	0	प्रा0वि0छेरिहाई	1	जू0हा0पतेरिया	1	
413			6	चिरइहाई	281	175	0	प्रा0वि0छेरिहाई	0	जू0हा0पतेरिया	3	
414			7	तिरहाई	241	88	0	प्रा0वि0छेरिहाई	1	जू0हा0पतेरिया	2.5	
415			8	बडा हार	52	48	0	प्रा0वि0छेरिहाई	1	जू0हा0पतेरिया	2	
416	396	सरैया	1	सरैया	863	144	0	प्रा0वि0सरैया	1	जू0हा0सरैया	0	
417			2	प्खादी पुरवा	368	60	0	प्रा0वि0धैहापुरवा	0	जू0हा0सरैया	2.5	
418			3	बगीचा पुरवा	465	103	0	प्रा0वि0धैहापुरवा	2	जू0हा0सरैया	2.5	
419			4	बराती पुरवा	344	101	0	प्रा0वि0धैहापुरवा	1	जू0हा0सरैया	3	
420			5	रम्पुरया	295	93	0	प्रा0वि0रम्पुरिया	0	जू0हा0सरैया	4	
421			6	अहिरीपुरवा	390		0	प्रा0वि0मुस्लिमपुर	1	जू0हा0सरैया	4	
422			7	दुधरिहा	436	85	0	प्रा0वि0दुधवनियां	0	जू0हा0चन्द्रामारा	1	
423			8	बेलौहा पुरवा	388	43	0	प्रा0वि0दुधवनियां	1	जू0हा0चन्द्रामारा	1	
424			9	अहिरनपुरवा	438	82	0	प्रा0वि0दुधवनियां	1	जू0हा0चन्द्रामारा	1.5	
425	397	चन्द्रामारा	1	चन्द्रामारा	484	152	0	प्रा0वि0चन्द्रामारा	0	जू0हा0चन्द्रामारा	0	
426			2	गदाखान	606	304	0	प्रा0वि0गदाखान	0	जू0हा0चन्द्रामारा	0.5	
427			3	उमरहान	186	190	0	प्रा0वि0लोवहरा	2	जू0हा0चन्द्रामारा	3	
428			4	अटारी पुरवा	210	0	0	प्रा0वि0लोवहरा	2	जू0हा0चन्द्रामारा	2.5	

विकास खण्ड मानिकपुर

429			5	अहिरनपुरवा	140	0	0	प्रा0वि0माराचन्द्रा	1	जू0हा0चन्द्रामारा	1	
430			6	दुधवनिया	207	0	0	प्रा0वि0दुधवनिया	0	जू0हा0चन्द्रामारा	1	
431			7	गिडवारा	304	104	0	प्रा0वि0धोहरा	2	जू0हा0वहिलपुरवा	3.5	
432			8	कोइलिहाई	255	261	0	प्रा0वि0वहिलपुरवा	2	जू0हा0वहिलपुरवा	1.5	
433			9	धोबरहा	244	83	0	प्रा0वि0धौहरा	0	जू0हा0चन्द्रामारा	3	
434	398	रम्पुरिया	1	रम्पुरिया	283	218	0	प्रा0वि0रम्पुरिया	0	जू0हा0चन्द्रामारा	3.5	
435	399	कोटा कदैला	1	कोटा कदैला	230	42	0	प्रा0वि0कोटाकदैला	0	जू0हा0कोटाकदैला	0	
436			2	बाबादीन का डेरा	34	0	0	प्रा0वि0कोटाकदैला	1	जू0हा0कोटाकदैला	0.5	
437			3	गुरतार	50	22	0	प्रा0वि0कोटाकदैला	1	जू0हा0कोटाकदैला	0.5	
438			4	पिपरहा	379	251	0	प्रा0वि0कोटाकदैला	2	जू0हा0कोटाकदैला	2	
439			5	सिगया	357	129	0	प्रा0वि0कोटाकदैला	1	जू0हा0कोटाकदैला	0	
440			6	लोघवा	62	37	0	प्रा0वि0कोटाकदैला	1	जू0हा0कोटाकदैला	1	
441			7	नदहाई का डेरा	94	49	0	प्रा0वि0कोटाकदैला	1	जू0हा0कोटाकदैला	1	
442			8	हडटाई	141	100	0	प्रा0वि0कोटाकदैला	2	जू0हा0कोटाकदैला	2	
443			9	पटरखारा	123	87	0	प्रा0वि0कोटाकदैला	2	जू0हा0कोटाकदैला	1.5	
444			10	हर्दिहा	172	90	0	प्रा0वि0कदैला	2	जू0हा0कोटाकदैला	3	
445	400	उचाडीह	1	उंचाडीह	1250	434	0	प्रा0वि0उंचाडीह	0	जू0हा0उंचाडीह	0	
446			2	झलमल	194	121	0	प्रा0वि0टेटवा	1	जू0हा0उंचाडीह	5	
447			3	डेडवा	166	87	0	प्रा0वि0टेटवा	0	जू0हा0उंचाडीह	5	
448			4	चमरौहा	694	263	0	प्रा0वि0चमरौहा	0	जू0हा0सकरौहा	1	
449			5	घौर	302	188	0	प्रा0वि0टेटवा	1	जू0हा0सकरौहा	2	
450			6	गढवा	197	59	0	प्रा0वि0टेटवा	1	जू0हा0सकरौहा	2	
451			7	अमरपुर	297	222	0	प्रा0वि0खिचरी	1	जू0हा0सकरौहा	1.5	
452			8	मुडकटा	396	343	0	प्रा0वि0उंचाडीह	3	जू0हा0उंचाडीह	4	
453			9	चरखुहा	203	167	0	प्रा0वि0उंचाडीह	1	जू0हा0उंचाडीह	2	
454	401	सकरौहा	1	सकरौहा	1222	540	0	प्रा0वि0सकरौहा	0	जू0हा0सकरौहा	0	
455	402	जगन्धा	1	जगन्धा	15	1	0	प्रा0वि0सकरौहा	1	जू0हा0सकरौहा	1	
456			2	कल्यानिया	7	0	0	प्रा0वि0सकरौहा	1	जू0हा0सकरौहा	1	
457	403	पाडा	1	पाडा	108	87	0	प्रा0वि0सकरौहा	2	जू0हा0सकरौहा	2	
458	404	डबाबर	1	डबाबर	13	6	0	प्रा0वि0सकरौहा	2	जू0हा0सकरौहा	2	
459	405	खुयारी	1	खुवारी	191	113	0	प्रा0वि0चमरौहा	2	जू0हा0सकरौहा	2	
460			2	अहिरनपुरवा	10	0	0	प्रा0वि0चमरौहा	1	जू0हा0सकरौहा	1	
461	406	गिदुरहा	1	गिदुरहा	521	476	0	प्रा0वि0गिदूरहा	0	जू0हा0रानीपुर	1.5	
462	407	मउ गुरदरी	1	मउ गुरदरी	201	92	0	प्रा0वि0मउगुरदरी	0	जू0हा0सकरौहा	4	
463			2	हरभूषन पुरवा	126	55	0	प्रा0वि0मउगुरदरी	1	जू0हा0सकरौहा	4.5	
464			3	बंगारा पपुरवा	127	33	0	प्रा0वि0मउगुरदरी	2	जू0हा0सकरौहा	3.5	

विकास खण्ड मानिकपुर

465			4	सुखदेव पुरवा	116	26	0	प्रा०वि०म०उगुरदरी	2	जू०हा०रा०करीला	3.5	
466	408	रानीपुर कल्याण गढ	1	रानीपुर कल्याण गढ	1105	411	0	प्रा०वि०रानीपुर	0	जू०हा०रा०रानीपुर	0	
	408				372568	102695	2					

विकास खण्ड मऊ

कम संख्या	गांव कोड	नाम	हैबिटेशन नम्बर	नाम	कुल जनसंख्या	अनु जाति	अनु0जन जाति	गांव / मजरे ...वित प्रा0 वि0 का नाम	दूरी किमी0	गांव / मजरे का से... करने वाले प्रा0वि0 ...	मजरे से दूरी	[illegible]
1	1	चकौर		चकौर	891		0	प्रा0 वि0 चकौर	0.5	पू0मा0वि0चकौर	0	
2				पुतनिहापुरवा	490		0	प्रा0वि0 चकौर	0	पू0मा0वि0चकौर	0.5	
3				दलोनीपुरवा	367		0	प्रा0वि0 चकौर	1	पू0मा0वि0चकौर	1	
4				कलारनपुरवा	100		0	प्रा0वि0 चकौर	1	पू0मा0वि0चकौर	1	
5				जीतसिंह का डेरा	75		0	प्रा0वि0 चकौर	1	पू0मा0वि0चकौर	1	
6				साधू सिंह का डेरा	50		0	प्रा0वि0 चकौर	1	पू0मा0वि0चकौर	1	
7	2	रेडीभुसौली		रेडीभुसौली	1112		0	प्रा0वि0रेडीभुसौली	0	पू0मा0वि0बियावल	2.5	
8				बसरेही	547		0	प्रा0वि0बियावल	2	पू0मा0वि0बियावल	2	
9	3	बियावल		बियावल	2262		0	प्रा0वि0बियावल	0	पू0मा0वि0बियावल	0	
10				मेडिया का डेरा	98		0	प्रा0वि0मेडिया का डेरा	1.5	पू0मा0वि0बियावल	2	
11				काशीनाथ का पुरवा	316		0	प्रा0वि0काशीनाथ का पुरवा	0	पू0मा0वि0बियावल	2	
12				चंदेलपुरवा	245		0	प्रा0वि0काशीनाथ का पुरवा	1.5	पू0मा0वि0बियावल	2	
13	4	ताडी		ताडी	1685		0	प्रा0वि0ताडी	0	पू0मा0वि0ताडी	0	
14				मोहडा	250		0	प्रा0वि0ताडी	1	पू0मा0वि0ताडी	1	
15				चकअलैया	200		0	प्रा0वि0चकअलैया	0	पू0मा0वि0ताडी	1.5	
16	5	दुबारी		दुबारी	629		0	प्रा0वि0दुबारी	0	पू0मा0वि0मण्डौर	2.5	
17				सकौहा	922		0	प्रा0वि0सकौहा	0	पू0मा0वि0सिकरौ	2	
18	6	सिकरौ		सिकरौ	1414		0	प्रा0वि0सिकरौ	0	पू0मा0वि0सिकरौ	0	
19	7	कोपा		कोपा	1242		0	प्रा0वि0कोपा	0	पू0मा0वि0सिकरौ	2	
20				कोपापुरवा	150		0	प्रा0वि0कोपा	1	पू0मा0वि0सिकरौ	1	
21				मटियारा का पुरवा	465		0	प्रा0वि0मटियारा का पुरवा	0	पू0मा0वि0अहिरी	2.5	
22	8	बरवारा		बरवारा	1296		0	प्रा0वि0बरवारा	0	पू0मा0वि0मवइकला	2	
23	9	मवइकला		मवइकला	1947		0	प्रा0वि0मवइकला	0	पू0मा0वि0मवइकला	0	
24				बरमबाबापुरवा	632		0	प्रा0वि0बरमबाबापुरवा	0	पू0मा0वि0मवइकला	2	
25				मिक्खी का डेरा	68		0	प्रा0वि0मवइकला	1	पू0मा0वि0मवइकला	1	

26	10	मण्डौर		मण्डौर	2681		0	प्रा0वि0मण्डौर	0	पू0मा0वि0मण्डौर	0	
27				बम्बुरा	496		0	प्रा0वि0बम्बुरा	0	पू0मा0वि0मण्डौर	2	
28				मिटरिया	50		0	प्रा0वि0बम्बुरा	1	पू0मा0वि0मण्डौर	3	
29	11	मउ		मऊ	10555		0	प्रा0वि0मऊ	0	पू0मा0वि0मऊ	0	
30				मैदाना	450		0	प्रा0वि0मैदाना	0	पू0मा0वि0मऊ	2	
31				कुर्मीकाडेरा	60		0	प्रा0वि0मैदाना	1	पू0मा0वि0मऊ	2	
32				झडियारे का डेरा	25		0	प्रा0वि0मैदाना	0.5	पू0मा0वि0मऊ	2	
33				काशीनाथ का डेरा	20		0	प्रा0वि0मैदाना	0.5	पू0मा0वि0मऊ	2	
34				छत्रपाल का डेरा	28		0	प्रा0वि0मैदाना	0.5	पू0मा0वि0मऊ	2	
35				गेरूहा	15		0	प्रा0वि0मैदाना	0.5	पू0मा0वि0मऊ	2	
36				पहाडपुरवा	426		0	प्रा0वि0मऊ	0	पू0मा0वि0मऊ	2.5	
37				बैसडा	385		0	प्रा0वि0मऊ	2	पू0मा0वि0मऊ	2	
38				संग्रेही	98		0	प्रा0वि0मऊ	1	पू0मा0वि0मऊ	3	
39				छिपिहा	195		0	प्रा0वि0मऊ	2	पू0मा0वि0मऊ	2	
40				मटटड	208		0	प्रा0वि0मऊ	1	पू0मा0वि0मऊ	1	
41				रतौरा	37		0	प्रा0वि0मऊ	1.5	पू0मा0वि0मऊ	1.5	
42	12	अहिरी		अहिरी	1982		0	प्रा0वि0अहिरी	0	पू0मा0वि0अहिरी	0	
43				बालापुर	380		0	प्रा0वि0अहिरी	1	पू0मा0वि0अहिरी	1.5	
44				छिपली	526		0	प्रा0वि0छिपली	0	पू0मा0वि0अहिरी	2	
45	13	सुरौधा		सुरौधा	555		0	प्रा0वि0सुरौधा	0	पू0मा0वि0हटवा	2	
46				सुरजू का पुरवा	326		0	प्रा0वि0सुरौधा	1	पू0मा0वि0हटवा	2.5	
47				महादेवकाडेरा	160		0	प्रा0वि0छिपली	0.5	पू0मा0वि0अहिरी	2.5	
48	14	सेसासुवकरा		सेसा	1236		0	प्रा0वि0सेसा	1	पू0मा0वि0मऊ	2	
49				शिवपुर	543		0	प्रा0वि0सेसा	0	पू0मा0वि0मऊ	1.5	
50				कटिया	263		0	प्रा0वि0कटिया	0	पू0मा0वि0मऊ	3	
51				डाडी	165		0	प्रा0वि0पटोरी	0.5	पू0मा0वि0मऊ	5	
52				पटोरी	680		0	प्रा0वि0पटोरी	0	पू0मा0वि0मऊ	5	
53				पुराकालूराम	792		0	प्रा0वि0पुराकालूराम	0	पू0मा0वि0मऊ	5	
54				जग्गीकाडेरा	16		0	प्रा0वि0पुराकालूराम	0.5	पू0मा0वि0मऊ	5	

55	15	ददरी		ददरी	867		0	प्रा0वि0ददरी	0	पू0मा0वि0हटवा	1	
56				पुरा	616		0	प्रा0वि0ददरी	0	पू0मा0वि0लालतारोड	1	
57				लालतारोड	125		0	प्रा0वि0ददरी	1	पू0मा0वि0लालतारोड	0	
58	16	हटवा		हटवा	685		0	प्रा0वि0हटवा	0	पू0मा0वि0हटवा	0	
59	17	करही		करही	840		0	प्रा0वि0करही	0	पू0मा0वि0बरिया	2	
60				जोरवारा	428		0	प्रा0वि0जोरवारा	0	पू0मा0वि0रामनगर	3	
61	18	इटहादेवीपुर		इटहादेवीपुर	571		0	प्रा0वि0इटहादेवीपुर	0	पू0मा0वि0तेंदुवामाफी	3	
62				मैरमपुर	620		0	प्रा0वि0मैरमपुर	0	पू0मा0वि0तेंदुवामाफी	2	
63				खंदेवरा	342		0	प्रा0वि0खंदेवरा	0	पू0मा0वि0तेंदुवामाफी	1	
64	19	तेंदुवामाफी		तेंदुवामाफी	570		0	प्रा0वि0तेंदुवामाफी	0	पू0मा0वि0तेंदुवामाफी	0	
65				हरिजनपुर	114		0	प्रा0वि0तेंदुवामाफी	0.5	पू0मा0वि0तेंदुवामाफी	0.5	
66				मवइखुर्द	518		0	प्रा0वि0मैरमपुर	1.5	पू0मा0वि0तेंदुवामाफी	1.5	
67				चकमवइराधा	391		0	प्रा0वि0तेंदुवा मॉफी	0.5	पू0मा0वि0तेंदुवामाफी	0.5	
68	20	देवरा		देवरा	771		0	प्रा0वि0देवरा	0	पू0मा0वि0देवरा	0	
69				कुमीपुरवा	110		0	प्रा0वि0देवरा	0.5	पू0मा0वि0देवरा	0.5	
70				गडडियनपुरवा	153		0	प्रा0वि0देवरा	0.5	पू0मा0वि0देवरा	0.5	
71				खदोखर	33		0	प्रा0वि0देवरा	0.5	पू0मा0वि0देवरा	0.5	
72				नेवरा	665		0	प्रा0वि0नेवरा	0	पू0मा0वि0देवरा	2.5	
73	21	खण्डेहा		खण्डेहा	4220		0	प्रा0वि0खण्डेहा	0	पू0मा0वि0खण्डेहा	0	
74				चकवा	1540		0	प्रा0वि0चकवा	0	पू0मा0वि0खण्डेहा	2	
75				खडेहवा	312		0	प्रा0वि0खडेहवा	0	पू0मा0वि0खण्डेहा	2.5	
76				लबेद	1210		0	प्रा0वि0लबेद	0	पू0मा0वि0खण्डेहा	1	
77				लक्ष्मीपुर	284		0	प्रा0वि0लक्ष्मीपुर	0	पू0मा0वि0खण्डेहा	1	
78				अहिरनपुर	734		0	प्रा0वि0अहिरनपुर	0	पू0मा0वि0खण्डेहा	1	
79				पियरा	576		0	प्रा0वि0पियरा	0	पू0मा0वि0खण्डेहा	2	
80				मोहनपुर	573		0	प्रा0वि0मोहनपुर	0	पू0मा0वि0खण्डेहा	2	
81				पटपहरा	91		0	प्रा0वि0मोहनपुर	0.5	पू0मा0वि0खण्डेहा	1.5	
82				अर्जुनपुर	1770		0	प्रा0वि0अर्जुनपुर	0	पू0मा0वि0खण्डेहा	2	
83				तुर्री	191		0	प्रा0वि0अहिरनपुर	0.5	पू0मा0वि0खण्डेहा	2.5	

243

84				जाफरपुर	160		0	प्रा0वि0खण्डेहा	0.5	पू0मा0वि0खण्डेहा	0.5	
85	22	मोहिनी		मोहिनी	654		0	प्रा0वि0मोहनी	0	पू0मा0वि0लालतारो	2	
86				बिहटा	386		0	प्रा0वि0बिहटा	0	पू0मा0वि0लालतारो	2	
87				ततवार	215		0	प्रा0वि0हटवा	1	पू0मा0वि0हटवा	1	
88	23	चित्रवार		चित्रवार	670		0	प्रा0वि0चित्रवार	0	पू0मा0वि0चित्रवार	0	
89				रामू का पुरवा	444		0	प्रा0वि0रामू का पुरवा	0	पू0मा0वि0चित्रवार	1	
90				कुम्हारनपुरवा	105		0	प्रा0वि0रामू का पुरवा	0.5	पू0मा0वि0चित्रवार	1.5	
91	24	नीबी		नीबी	1919		0	प्रा0वि0नीबी	0	पू0मा0वि0नीबी	0	
92				पतिनियां	353		0	प्रा0वि0पतिनिया	0	पू0मा0वि0नीबी	1	
93				झगरहट	776		0	प्रा0वि0नीबी	1.5	पू0मा0वि0नीबी	1.5	
94	25	खपटिहा		खपटिहा	1751		0	प्रा0वि0खपटिहा	0	पू0मा0वि0खपटिहा	0	
95				मनौधा	121		0	प्रा0वि0खपटिहा	0.5	पू0मा0वि0खपटिहा	0.5	
96	26	औझर		औझर	1002		0	प्रा0वि0औंझर	0	पू0मा0वि0नीबी	3	
97				किटनहा	132		0	प्रा0वि0औंझर	1	पू0मा0वि0नीबी	3	
98				मिश्रकाडेरा	95		0	प्रा0वि0मिश्र का डेरा	0	पू0मा0वि0नीबी	3	
99				पाठकपुरवा	100		0	प्रा0वि0औंझर	1	पू0मा0वि0नीबी	3	
100	27	बम्बुरी		बम्बुरी	979		0	प्रा0वि0बम्बुरी	0	पू0मा0वि0बम्बुरी	0	
101				बरूवा	253		0	प्रा0वि0बम्बुरी	0.5	पू0मा0वि0बम्बुरी	0.5	
102	28	भिटारी		भिटारी	670		0	प्रा0वि0भिटारी	0	पू0मा0वि0भिटारी	0	
103				नौबस्ता	558		0	प्रा0वि0नौबस्ता	0	पू0मा0वि0भिटारी	0.5	
104				तिलिहापुरवा	148		0	प्रा0वि0नौबस्ता	0.5	पू0मा0वि0भिटारी	0.5	
105	29	तिलौली		तिलौली	910		0	प्रा0वि0तिलौली	0	पू0मा0वि0मनकुवांर	1	
106				चन्दई	945		0	प्रा0वि0चन्दई	0	पू0मा0वि0छिवलहा	2	
107	30	छिपलहा		छिपलहा	1967		0	प्रा0वि0छिवलहा	0	पू0मा0वि0छिवलहा	0	
108				टिकरा	930		0	प्रा0वि0टिकरा	0	पू0मा0वि0मनकुवांर	1.5	
109	31	टिकरा		पश्चिमपताई	589		0	प्रा0वि0टिकरा	1	पू0मा0वि0पूरबपताई	1.5	
110	32	मनकुवांर		मनकुवांर	1311		0	प्रा0वि0मनकुवांर	0	पू0मा0वि0मनकुवांर	0	
111				दौलतपुर	210		0	प्रा0वि0मनकुवांर	2	पू0मा0वि0मनकुवांर	2	
112	33	पूरबपताई		पूरबपताई	1707		0	प्रा0वि0पूरबपताई	0	पू0मा0वि0पूरबपताई	0	

113				पाठकपुरवा	310		0	प्रा0वि0पूरबपताई	0.5	पू0मा0वि0पूरबपताई	0.5	
114				तारापुरवा	485		0	प्रा0वि0पूरबपताई	0.5	पू0मा0वि0पूरबपताई	0.5	
115	34	कोटराखाम्भा		कोटराखाम्भा	1223		0	प्रा0वि0कोटराखाम्भा	0	पू0मा0वि0कोटराखा	0	
116				टिटिहिरिया	185		0	प्रा0वि0टिकरा	2	पू0मा0वि0कोटराखा	2.5	
117				मुसईकाडेरा	185		0	प्रा0वि0कोटराखाम्भा	2	पू0मा0वि0कोटराखा	2	
118				मलुवाकापुरवा	55		0	प्रा0वि0कोटराखाम्भा	1.5	पू0मा0वि0कोटराखा	1.5	
119				पिपरीपुरवा	150		0	प्रा0वि0कोटराखाम्भा	2.5	पू0मा0वि0कोटराखा	2.5	
120				मुडलीपुरवा	65		0	प्रा0वि0कोटराखाम्भा	1	पू0मा0वि0कोटराखा	1	
121				सुन्दरपुरवा	75		0	प्रा0वि0कोटराखाम्भा	1	पू0मा0वि0कोटराखा	1	
122	35	गढवा		गढवा	1036		0	प्रा0वि0गढवा	0	पू0मा0वि0पूरबपताई	2	
123				सुरजफलडेरा	176		0	प्रा0वि0गंजरी	1.5	पू0मा0वि0पूरबपताई	3.5	
124				गंजरी	391		0	प्रा0वि0गंजरी	0	पू0मा0वि0पूरबपताई	3	
125				चौगलिया	219		0	प्रा0वि0गढवा	1.5	पू0मा0वि0पूरबपताई	2	
126				रामऔतार का डेरा	75		0	प्रा0वि0गढवा	1.5	पू0मा0वि0पूरबपताई	2	
127	36	बरियारीकला		बरियारीकला	2076		0	प्रा0वि0बरियारी	0	पू0मा0वि0बरियारी	0	
128				बेलहा	537		0	प्रा0वि0बेलहा	0	पू0मा0वि0पूरबपताई	2	
129				गडरियनपुरवा	360		0	प्रा0वि0बेलहा	2	पू0मा0वि0पूरबपताई	4	
130	37	बरहाकोटरा		कोटरा	877		0	प्रा0वि0कोटरा	0	पू0मा0वि0बरियारी	3	
131				बरहा	111		0	प्रा0वि0कोटरा	1	पू0मा0वि0बरियारी	2	
132				बरियारीखुर्द	343		0	प्रा0वि0बरियारी	1	पू0मा0वि0बरियारी	1	
133				पुरेहटा	345		0	प्रा0वि0कोटरा	2	पू0मा0वि0परदवां	2	
134	38	परदवां		परदवां	1760		0	प्रा0वि0परदंवा	0	पू0मा0वि0परदवां	0	
135				बेनीपुर	493		0	प्रा0वि0बेनीपुर	0	पू0मा0वि0परदवां	2	
136	39	कलिचिहा		कलिचिहा	661		0	प्रा0वि0कलचिहा	0	पू0मा0वि0कलिचिहा	1	
137				मोडकालानी	356		0	प्रा0वि0जमिरा	1	पू0मा0वि0कलिचिहा	1	
138				सुचेता कालोनी	319		0	प्रा0वि0कलचिहा	2	पू0मा0वि0कलिचिहा	2	
139	40	मुर्का		मुर्का	1953		0	प्रा0वि0मुर्का	0	पू0मा0वि0मुर्का	0	
140				मुजरा	366		0	प्रा0वि0मुजरा	0	पू0मा0वि0मुर्का	2	
141	41	आवरी		आवरी	576		0	प्रा0वि0ओवरी	0	पू0मा0वि0मुर्का	3	

142				करौदीखुर्द	315		0	प्रा०वि०करौंदी खुर्द	0	पू०मा०वि०मुर्का	3	
143				कंधारा	194		0	प्रा०वि०ललई	0.5	पू०मा०वि०मुर्का	3	
144				ललई	244		0	प्रा०वि०ललई	0	पू०मा०वि०मुर्का	3	
145				चन्नाट	416		0	प्रा०वि०ओवरी	2	पू०मा०वि०मुर्का	3	
146	42	बोझ		बोझ	319		0	प्रा०वि०बोझ	1	पू०मा०वि०मुर्का	3	
147				मटगवां	50		0	प्रा०वि०बोझ	2	पू०मा०वि०मुर्का	3	
148				बोझफार्म	45		0	प्रा०वि०बोझ	2	पू०मा०वि०मुर्का	3	
149				कदौदहा	45		0	प्रा०वि०बोझ	2	पू०मा०वि०मुर्का	3	
150				इमलीमोड	105		0	प्रा०वि०बोझ	0.5	पू०मा०वि०मुर्का	3	
151				मनीशंकरकाडेरा	85		0	प्रा०वि०बोझ	1	पू०मा०वि०मुर्का	3	
152				समयलालाकाडेरा	65		0	प्रा०वि०बोझ	1	पू०मा०वि०मुर्का	3	
153				महावीरकाडेरा	82		0	प्रा०वि०अरवारी	1	पू०मा०वि०मुर्का	3	
154				सुन्दरनगर	117		0	प्रा०वि०अरवारी	0	पू०मा०वि०मुर्का	3	
155				अरवारी	474		0	प्रा०वि०अरवारी	1	पू०मा०वि०मुर्का	3	
156				आजादनगर	55		0	प्रा०वि०अरवारी	1	पू०मा०वि०मुर्का	3	
157				अतकडिया	116		0	प्रा०वि०अरवारी	1	पू०मा०वि०मुर्का	3	
158				महरजा	218		0	प्रा०वि०बोझ	1	पू०मा०वि०मुर्का	3	
159	43	हर्दीकला		हर्दीकला	634		0	प्रा०वि०हर्दीकलां	0	पू०मा०वि०मुर्का	10	
160				गजरिया	122		0	प्रा०वि०हर्दीकलां	0.5	पू०मा०वि०मुर्का	10	
161				मल्लूकाडेरा	122		0	प्रा०वि०हर्दीकला	0.5	पू०मा०वि०मुर्का	10	
162				ककरहा	75		0	प्रा०वि०हर्दीकलां	1	पू०मा०वि०मुर्का	10	
163				छोटही	55		0	प्रा०वि०हर्दीकलां	1	पू०मा०वि०मुर्का	9	
164				तमगढी	65		0	प्रा०वि०लौढतकलां	1	पू०मा०वि०मुर्का	12	
165				डीह	75		0	प्रा०वि०लौढतकलां	1	पू०मा०वि०मुर्का	12	
166				कटैया	45		0	प्रा०वि०लौढतकलां	1	पू०मा०वि०मुर्का	12	
167				लौढौताखुर्द	188		0	प्रा०वि०लौढतकलां	0	पू०मा०वि०मुर्का	12	
168				लोढौताकला	676		0	प्रा०वि०लौढतकलां	0	पू०मा०वि०मुर्का	0	
169	44	गोइयाकला		गोइयाकला	538		0	प्रा०वि०गोइयाकला	0	पू०मा०वि०गोइयाकला	0.5	
170				नेवादा	205		0	प्रा०वि०गोइयाकला	1	पू०मा०वि०गोइयाकला	0	

171				गोइयाखुर्द	815		0	प्रा0वि0गोइयाकला	0	पू0मा0वि0गोइयाकल	1	
172				हडहा	365		0	प्रा0वि0हडहा	0	पू0मा0वि0गोइयाकल	0.5	
173				पतेरी	215		0	प्रा0वि0हडहा	0.5	पू0मा0वि0गोइयाकल	4	
174	45	खोहर		खोहर	454		0	प्रा0वि0खोहर	0	पू0मा0वि0गोइयाकल	5	
175				किटहाई	325		0	प्रा0वि0किटहाई	0	पू0मा0वि0गोइयाकल	5	
176				छअनपुरवा	95		0	प्रा0वि0गुरदवानपुरवा	0.5	पू0मा0वि0गोइयाकल	4	
177				गुरदवानपुरवा	471		0	प्रा0वि0गुरदवानपुरवा	0	पू0मा0वि0गोइयाकल	3	
178				लसही	315		0	प्रा0वि0गुरदवानपुरवा	2	पू0मा0वि0गोइयाकल	4	
179				लक्ष्मीपुर	556		0	प्रा0वि0गुरदवानपुरवा	1	पू0मा0वि0गोइयाकल	5	
180				धुरवा	271		0	प्रा0वि0खोहर	0	पू0मा0वि0गोइयाकल	5	
181				चोहडा	85		0	प्रा0वि0खोहर	1	पू0मा0वि0गोइयाकल	2	
182	46	तुरगवां		तुरगवां	388		0	प्रा0वि0तुरगवां	0	पू0मा0वि0मडहा	2	
183				शाहगढ	321		0	प्रा0वि0शाहगढ	0	पू0मा0वि0मडहा	2.5	
184				गोकुलपुरवा	176		0	प्रा0वि0तुरगवां	1	पू0मा0वि0मडहा	2	
185				देवरिया	125		0	प्रा0वि0तुरगवां	1	पू0मा0वि0मडहा	2.5	
186				कुरियाडीह	255		0	प्रा0वि0मडहा	1	पू0मा0वि0मडहा	0	
187				मडहा	406		0	प्रा0वि0मडहा	0	पू0मा0वि0मडहा	0	
188				कोलान	256		0	प्रा0वि0मडहा	0.5	पू0मा0वि0मडहा	0	
189	47	बरगढ		बरगढ	3043		0	प्रा0वि0बरगढ	0	पू0मा0वि0बरगढ	1.5	
190				उसरी	356		0	प्रा0वि0बरगढ	1.5	पू0मा0वि0बरगढ	1	
191				पाटापार	95		0	प्रा0वि0बरगढ	1	पू0मा0वि0बरगढ	1	
192				सुवरहा	265		0	प्रा0वि0बरगढ	1	पू0मा0वि0बरगढ	1	
193				कोल्हाई	185		0	प्रा0वि0बरगढ	1	पू0मा0वि0बरगढ	1	
194				आदर्शकालोनी	215		0	प्रा0वि0बरगढ	1	पू0मा0वि0बरगढ	1.5	
195	48	सेमरा		सेमरा	395		0	प्रा0वि0सेमरा	0	पू0मा0वि0धौनेहा	0	
196				धौनेहा	365		0	प्रा0वि0धैनेहा	0	पू0मा0वि0धौनेहा	0.5	
197				आजादनगर	115		0	प्रा0वि0सेमरा	0.5	पू0मा0वि0धौनेहा	1	
198				पनिहाई	205		0	प्रा0वि0धैनेहा	0.5	पू0मा0वि0धौनेहा	1	
199				अतरीमजरा	197		0	प्रा0वि0अतरीमजरा	0	पू0मा0वि0धौनेहा	1	

200				केचुहट	115		0	प्रा0वि0अतरीमजरा	1	पू0मा0वि0धौनेहा	1	
201				छपरिहा	85		0	प्रा0वि0अतरीमजरा	1	पू0मा0वि0धौनेहा	1.5	
202				नहरपुरवा	65		0	प्रा0वि0सेमरा	0.5	पू0मा0वि0धौनेहा	1.5	
203				डोरिहा	72		0	प्रा0वि0सेमरा	0.5	पू0मा0वि0धौनेहा	1.5	
	49	मनका		मनका	1050		0	प्रा0वि0मनका	0	पू0मा0वि0मनका	0	
	50	कोनिया		कोनिया	690		0	प्रा0वि0कोनिया	0	पू0मा0वि0कोनिया	0	
				नदौलीपुरवा	133		0	प्रा0वि0कोनिया	0.5	पू0मा0वि0कोनिया	0.5	
				जमिरा	563		0	प्रा0वि0जमिरा	0	पू0मा0वि0कोनिया	0.5	
	51	कोलमजरा		कोलमजरा	757		0	प्रा0वि0कोलमजरा	0	पू0मा0वि0बरगढ	1	
				बसिनिहां	686		0	प्रा0वि0कोलमजरा	0.5	पू0मा0वि0कोनिया	0.5	
				नगरकोठी	129		0	प्रा0वि0कोलमजरा	0.5	पू0मा0वि0कोनिया	1	
				स्टेशनबरगढ	619		0	प्रा0वि0कोलमजरा	0	पू0मा0वि0बरगढ	1.5	
	52	कोटवामाफी		कोटवामाफी	551		0	प्रा0वि0कोटवामाफी	0	पू0मा0वि0कोनिया	1.5	
				कनियाढ	511		0	प्रा0वि0कनियाढ	0	पू0मा0वि0कोनिया	1.5	
				चचोखर	275		0	प्रा0वि0चचोखर	1	पू0मा0वि0कोनिय	2	
	53	गाहुर		गाहुर	946		0	प्रा0वि0गाहुर	0	पू0मा0वि0गाहुर	0	
				भरतपुरवा	183		0	प्रा0वि0गाहुर	0.5	पू0मा0वि0गाहुर	0.5	
				आजादपुरवा	195		0	प्रा0वि0गाहुर	0.5	पू0मा0वि0गाहुर	0.5	
				भटियार	306		0	प्रा0वि0भटियार	0	पू0मा0वि0गाहुर	1	
				पंडितपुरवा	183		0	प्रा0वि0मनका	1.5	पू0मा0वि0गाहुर	1.5	
	54	डोडामाफी		डोडियामाफी	745		0	प्रा0वि0डोडियामाफी	0	पू0मा0वि0गाहुर	3	
				शिवपुर	208		0	प्रा0वि0डोडियामाफी	1	पू0मा0वि0गाहुर	3	
				छरेहरा	95		0	प्रा0वि0डोडियामाफी	2	पू0मा0वि0गाहुर	3	
				छतैनीमाफी	371		0	प्रा0वि0छतैनीमाफी	0	पू0मा0वि0गाहुर	5	
	55	कटैयाडाडी		कटैयाडाडी	1681		0	प्रा0वि0कटैयाडांडी	0	पू0मा0वि0मनका	3	
				छपरिहा	314		0	प्रा0वि0कटैयाडांडी	1	पू0मा0वि0मनका	1	
				पिपरहा	300		0	प्रा0वि0कटैयाडांडी	1	पू0मा0वि0मनका	1.5	
	56	रैपुरा		रैपुरा	613		0	प्रा0वि0रैपुरा	1	पू0मा0वि0गाहुर	1	
				दूबी	286		0	प्रा0वि0रैपुरा	2	पू0मा0वि0गाहुर	2	

				बिलरा	120		0	प्रा0वि0रैपुरा	1	पू0मा0वि0गाहुर	2	
				शिवगंज	103		0	प्रा0वि0रैपुरा	0	पू0मा0वि0गाहुर	1.5	
				कोलनबस्ती	75		0	प्रा0वि0रैपुरा	1.5	पू0मा0वि0गाहुर	1.5	
	57	लपाव		लपाव	849		0	प्रा0वि0लपांव	0	पू0मा0वि0मनका	12	

विकास खण्ड रामनगर

कम संख्या	गांव कोड	नाम	हैविटेशन नम्बर	नाम	कुल जनसंख्या	अनु जाति	अनु0जन जाति	गांव/मजरे को सेवित करने वाले प्रा0 वि0 का नाम	दूरी किमी0	गांव/मजरे को सेवित करने वाले उ0प्रा0 वि0 का नाम	मजरे से दूरी कि0मी0
1	1	रमकेटवा	1	रमटेकवा	44	0	0	प्रा0वि0बरहट	2	पू0मा0वि0बरहट	2
2	2	घुरेहटा	1	घुरेहटा	805	161	0	प्रा0वि0घुरेहटा	0	पू0मा0वि0घुरेहटा	0
3			2	सेतल पुरवा	130	27	0	प्रा0वि0घुरेहटा	0.5	पू0मा0वि0घुरेहटा	0.5
4			3	अरखन पुरवा	100	54	0	प्रा0वि0अमरपुर	0.5	पू0मा0वि0घुरेहटा	1.5
5			4	हरिजन कालोनी	51	44	0	प्रा0वि0घुरेहटा	0.5	पू0मा0वि0घुरेहटा	1.5
6	3	अमरपुर	1	अमरपुर	210	32	0	प्रा0वि0अमरपुर	0	पू0मा0वि0छीवों	2
7			2	मन्दिर पुरवा	43	16	0	प्रा0वि0अमरपुर	0.5	पू0मा0वि0छीवों	2
8			3	स्वामीदीन का पुरवा	57	16	0	प्रा0वि0अमरपुर	0.5	पू0मा0वि0छीवों	2
9			4	कारीगर पुरवा	162	32	0	प्रा0वि0अमरपुर	0.5	पू0मा0वि0छीवों	2
10	4	ढढवार	1	ढढवार	312	92	0	प्रा0वि0ढढवार	0	पू0मा0वि0अहिरी	3
11			2	खोडियनपुरवा	120	18	0	प्रा0वि0ढढवार	0	पू0मा0वि0अहिरी	3
12			3	मटियारा पुरवा	200	23	0	प्रा0वि0ढढवार	1	पू0मा0वि0अहिरी	3
13	5	धवाडा	1	धवाडा	304	21	0	प्रा0वि0धवाडा	0	पू0मा0वि0अहिरी	3
14			2	कोल्हुहा पुरवा	40	7	0	प्रा0वि0ढढवार	1	पू0मा0वि0अहिरी	3
15			3	प्रधान का डेरा	30	0	0	प्रा0वि0ढढवार	1	पू0मा0वि0अहिरी	3
16			4	बचईलाल का डेरा	35	14	0	प्रा0वि0ढढवार	1	पू0मा0वि0अहिरी	3
17			5	सुखलाल पुरवा	60	7	0	प्रा0वि0सुरौधा	1	पू0मा0वि0अहिरी	3
18			6	रामआसरे पुरवा	80	0	0	प्रा0वि0ढढवार	1	पू0मा0वि0अहिरी	3
19			7	यादव पुरवा	50	0	0	प्रा0वि0ढढवार	1	पू0मा0वि0अहिरी	4
20	6	खजुरिहाकला	1	खजुरिहाकला	702	103	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	0	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0
21			2	बदका पुरवा	80	21	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	0	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0
22			3	पंचा पुरवा	40	10	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	0	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0
23			4	सउवा पुरवा	100	16	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	0	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0

24			5	गडरियन पुरवा	58	16	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	0	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0
25			6	कुम्हारन पुरवा	65	10	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	0	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0
26			7	जगन्नाथ पुरवा	48	12	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	0.5	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0.5
27			8	कुसबाबू पुरवा	35	14	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	0.5	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0
28			9	मोतीलाल पुरवा	70	21	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	0.5	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0.5
29			10	चौकीदार पुरवा	50	16	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	1	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0.5
30			11	यादव पुरवा	60	35	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	1	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	1
31			12	साधू पुरवा	57	26	0	प्रा0वि0खजुरिहाकला	0.5	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	1
32	7	भखरवार	1	भखरवार	615	113	0	प्रा0वि0भखरवार	0	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	1
33			2	चौकीदार पुरवा	40	9	0	प्रा0वि0भखरवार	0.5	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	2
34			3	गौतम पुरवा	55	13	0	प्रा0वि0भखरवार	0.5	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	2
35			4	धोबिन पुरवा	80	35	0	प्रा0वि0भखरवार	0.5	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	2
36	8	पहाडी	1	पहाडी	280	22	0	प्रा0वि0पहाडी	0	पू0मा0वि0देउधा	2
37			2	बेहनन पुरवा	128	13	0	प्रा0वि0पहाडी	0	पू0मा0वि0देउधा	1
38			3	लल्लूसिंह	130	15	0	प्रा0वि0पहाडी	0	पू0मा0वि0देउधा	1
39	9	लोधैराबरेठी	1	लोधैराबरेठी	1191	554	0	प्रा0वि0लोधैराबरेठी	0	पू0मा0वि0रामनगर	1
40			2	कुम्हारन पुरवा	250	100	0	प्रा0वि0बरेठी	0	पू0मा0वि0रामनगर	5
41	10	निम्धा	1	निम्धा	0	0	0	प्रा0वि0बरेठी	0	पू0मा0वि0रामनगर	4
42	11	रोहनिया	1	रोहनिया	0	0	0	प्रा0वि0बरेठी	0	पू0मा0वि0रामनगर	0
43	12	रामनगर	1	रामनगर	1084	455	0	प्रा0वि0रामनगर	0	पू0मा0वि0रामनगर	0
44			2	बिलहापुरवा	200	117	0	प्रा0वि0रामनगर	0.5	पू0मा0वि0रामनगर	0
45			3	धोबिन पुरवा	251	130	0	प्रा0वि0रामनगर	0.5	पू0मा0वि0रामनगर	0.5
46	13	बसिंहा	1	बसिंहा	581	81	0	प्रा0वि0बसिंहा	0	पू0मा0वि0रामनगर	0.5
47	14	ढढिया	1	ढढिया	177	46	0	प्रा0वि0देवीपुर	0.5	पू0मा0वि0रामनगर	1
48	15	रेही	1	रेही	10	0	0	प्रा0वि0रामनगर	1	पू0मा0वि0रामनगर	1
49	16	लोदौरा	1	लोदौरा	0	0	0	0	0	पू0मा0वि0रामनगर	1
50	17	चन्दई	1	चन्दई	0	0	0	0	0	पू0मा0वि0रामनगर	0
51	18	रेरूवा	1	रेरूवा	494	159	0	प्रा0वि0रेरूवा	0	पू0मा0वि0बरिया	2
52			2	रवारी पुरवा	230	42	0	प्रा0वि0देवानी	1	पू0मा0वि0बरिया	3

२५२

53	19	बुछवल	1	बुछवल	200	5	0	प्रा0वि0रेरुवा	0.5	पू0मा0वि0बरिया	2
54			2	देवानी	105	2	0	प्रा0वि0देवानी	0	पू0मा0वि0छीवों	4
55			3	गारदापुर	41	0	0	प्रा0वि0देवानी	0	पू0मा0वि0छीवों	4
56	20	रेवाडी	1	रेवाडी	107	7	0	प्रा0वि0देवानी	1	पू0मा0वि0सिरावल	3
57	21	उफरौली	1	उफरौली	890	297	0	प्रा0वि0उफरौली	0	पू0मा0वि0बरिया	1
58	22	बरिया	1	बरिया	11005	361	0	प्रा0वि0बरिया	0	पू0मा0वि0बरिया	0
59	23	रीठीमुस्तकि	1	रीठीमुस्तकिल	243	0	0	प्रा0वि0रीठी	0	पू0मा0वि0रूपौली	0
60	24	रीटीअहतमा	1	रीटीअहतमाली	0	0	0	प्रा0वि0रीठी	0	पू0मा0वि0रूपौली	0
61	25	रूपौली मुस्त	1	रूपौली मुस्तकिल	1573	543	0	प्रा0वि0रूपौली	0	पू0मा0वि0रूपौली	0
62	26	उफरौलीअह	1	उफरौलीअहतमाली	0	0	0	प्रा0वि0रूपौली	0	पू0मा0वि0रूपौली	0
63	27	तीरमउ मुस्त	1	तीरमउ मुस्तकिल	1101	159	0	प्रा0वि0तीरमउ प्रथम	0	पू0मा0वि0तीरमउ प्रथम	0
64			2	हरिजन पुरवा	84	27	0	प्रा0वि0तीरमउ द्वितीय	0.1	पू0मा0वि0तीरमउ प्रथम	0.05
65			3	कुरमिन पुरवा	90	28	0	प्रा0वि0कुरमिन पुरवा	0.2	पू0मा0वि0तीरमउ प्रथम	0.2
66	28	तीरमउ अद	1	तीरमउ अदमानी	0	0	0	प्रा0वि0कुरमिन पुरवा	0	पू0मा0वि0तीरमउ प्रथम	0
67	29	अदेवरा	1	अदेवरा	365	321	0	प्रा0वि0अदेवरा	0	पू0मा0वि0अमवां	0
68	30	बदका पुरवा	1	बदका पुरवा	0	0	0	प्रा0वि0अदेवरा	0	पू0मा0वि0अमवां	0
69	31	अमवां	1	अमवां	550	115	0	प्रा0वि0अमवां	0	पू0मा0वि0अमवां	0
70			2	हरिजनपुरवा	150	48	0	प्रा0वि0अमवां	0.1	पू0मा0वि0अमवां	0.1
71			3	बैजू पुरवा	143	53	0	प्रा0वि0अमवां	0.1	पू0मा0वि0अमवां	0.1
72	32	अमान	1	अमान	392	106	0	प्रा0वि0अमान	0	पू0मा0वि0अमवां	0
73			2	अन्यासी पुरवा	80	21	0	प्रा0वि0अमान	0.1	पू0मा0वि0सिकरी	0.5
74			3	कुटी पुरवा	30	6	0	प्रा0वि0अमान	0.1	पू0मा0वि0सिकरी	0.5
75			4	मेडवन पुरवा	75	19	0	प्रा0वि0अमान	0.1	पू0मा0वि0सिकरी	0.5
76			5	ओसा पुरवा	60	16	0	प्रा0वि0अमान	0.1	पू0मा0वि0सिकरी	0.5
77	33	सिकरी	1	सिकरी	751	68	0	प्रा0वि0सिकरी	0	पू0मा0वि0सिकरी	0
78			2	कुर्मी पुरवा	150	35	0	प्रा0वि0सिकरी	3	पू0मा0वि0सिकरी	3
79			3	जरेला पुरवा	100	38	0	प्रा0वि0सिकरी	3	पू0मा0वि0सिकरी	3
80			4	हरिजन कालोनी	80	34	0	प्रा0वि0सिकरी	0.1	पू0मा0वि0सिकरी	0.1
81			5	हनुमान पुरवा	53	12	0	प्रा0वि0सिकरी	0.1	पू0मा0वि0सिकरी	0.1

82	34	पियरियामार्फी	1	पियरियामाफी	787	116	0	प्रा0वि0पियरियामाफी	0	पू0मा0वि0पियरियामाफी	0
83			2	पियरिया पुरवा	100	16	0	प्रा0वि0पियरियामाफी	0.1	पू0मा0वि0पियरियामाफी	0.1
84	35	छीबों	1	छीबों	2178	459	0	प्रा0वि0छीबों प्रथम,द्वि0	0	पू0मा0वि0छीबों पिपरिया	0
85			2	सीठी पुरवा	200	55	0	प्रा0वि0सीठी पुरवा	0	पू0मा0वि0छीबों	0
86			3	देवहटा	200	60	0	प्रा0वि0गोबरौल	0.1	पू0मा0वि0गोबरौल	0.05
87			4	वेसे पुरवा	300	82	0	प्रा0वि0अमरपुर	1	पू0मा0वि0छीबों	1
88			5	रहुनियां पुरवा	250	77	0	प्रा0वि0अमरपुर	1	पू0मा0वि0छीबों	1
89			6	झांडा पुरवा	251	65	0	प्रा0वि0अमरपुर	1	पू0मा0वि0छीबों	1
90	36	खजुरिहाखुर्द	1	खजुरिहाखुर्द	446	132	0	प्रा0वि0खजुरिहाखुर्द	0	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0
91	37	नोनमई	1	नोनमई	207	19	0	प्रा0वि0नोनमई	0	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0
92	38	चहटा	1	चहटा	147	10	0	प्रा0वि0नोनमई	4	पू0मा0वि0खजुरिहाकला	0.5
93	39	अतरसुई	1	अतरसुई	189	38	0	प्रा0वि0अतरसुई	0	पू0मा0वि0पिपरियामाफी	1
94			2	पाटिन पुरवा	93	3	0	प्रा0वि0पाटिन पुरवा	0	पू0मा0वि0गोबरौल	1
95			3	हरिजनपुरवा	140	9	0	प्रा0वि0प्रा0वि1	0.1	पू0मा0वि0गोबरौल	1
96			4	हनुमान पुरवा	98	14	0	प्रा0वि0अतरसुई	0.1	पू0मा0वि0गोबरौल	1
97			5	गडरियन पुरवा	47	15	0	प्रा0वि0अतरसुई	0.1	पू0मा0वि0गोबरौल	1
98			6	यादव पुरवा	37	12	0	प्रा0वि0अतरसुई	0.1	पू0मा0वि0गोबरौल	1
99			7	ठाकुर पुरवा	33	9	0	प्रा0वि0अतरसुई	0.1	पू0मा0वि0गोबरौल	1
100			8	नोनागर	51	11	0	प्रा0वि0अतरसुई	0	पू0मा0वि0पिपरियामाफी	1
101	40	गोबरौल	1	गोबरौल	424	71	0	प्रा0वि0गोबरौल	0	पू0मा0वि0गोबरौल	0
102			2	खेरवा पुरवा	290	40	0	प्रा0वि0गोबरौल	0.1	पू0मा0वि0गोबरौल	0.5
103	41	बरूवा	1	बरूवा	1552	316	0	प्रा0वि0बरूवा	0	पू0मा0वि0बरूवा	0
104			2	गंज	200	23	0	प्रा0वि0गंज	0	पू0मा0वि0गोबरौल	1
105			3	खुथई	94	15	0	प्रा0वि0गंज	0.1	पू0मा0वि0गोबरौल	1
106			4	शिवलहापुरवा	100	19	0	प्रा0वि0शिवलहापुरवा	0.1	पू0मा0वि0बरूवा	1
107			5	करैरापुरवा	100	24	0	प्रा0वि0गंज	0.1	पू0मा0वि0बरूवा	1
108	42	बरूवा माली	1	बरूवा माली	0	0	0	प्रा0वि0गंज	0	पू0मा0वि0बरूवा	0
109	43	उमारीबेहट	1	उमारीबेहट	0	0	0	प्रा0वि0गंज	0	पू0मा0वि0बरूवा	0
110	44	सिरावलमार्फी	1	सिरावलमाफी	1026	115	0	प्रा0वि0सिरावलमाफी	0	पू0मा0वि0सिरावलमार्फी	0

111			2	रामचन्द्र पुरवा	250	23	0	प्रा0वि0सिरावलमाफी	0.1	पू0मा0वि0सिरावलमाफी	0
112			3	श्रीपाल	230	35	0	प्रा0वि0सिरावलमाफी	0.1	पू0मा0वि0सिरावलमाफी	0
113			4	टिकरा पुरवा	201	32	0	प्रा0वि0सिरावलमाफी	0.1	पू0मा0वि0सिरावलमाफी	0
114	45	सिरावलमाफी	1	सिरावलमाफी	0	0	0	प्रा0वि0सिरावलमाफी	0	पू0मा0वि0सिरावलमाफी	0
115	46	बल्हौरा	1	बल्हौरा	385	129	0	प्रा0वि0बल्हौरा	0	पू0मा0वि0सिरावलमाफी	2
116			2	हरिजनबस्ती	200	108	0	प्रा0वि0बल्हौरा	0	पू0मा0वि0सिरावलमाफी	2
117	47	नौढियामु	1	नौढियामु	96	0	0	प्रा0वि0बल्हौरा	1	पू0मा0वि0सिरावलमाफी	1
118	48	नौढियाअमा	1	नौढियाअमा	0	0	0	प्रा0वि0बल्हौरा	0	पू0मा0वि0सिरावलमाफी	0
119	49	सिलौंहामु0	1	सिलौंहामु0	51	0	0	प्रा0वि0कटैयाखादर	1	पू0मा0वि0हन्ना	1
120	50	सिलौंहाअ0म	1	सिलौंहाअ0मा0	0	0	0	प्रा0वि0कटैयाखादर	0	पू0मा0वि0हन्ना	0
121	51	कटैयाखादर	1	कटैयाखादर	895	135	0	प्रा0वि0कटैयाखादर	0	पू0मा0वि0हन्ना	3
122			2	केवटपुरवा	300	81	0	प्रा0वि0कटैयाखादर	0.5	पू0मा0वि0हन्ना	3.5
123	52	कटैयाखादर	1	कटैयाखादर	0	0	0	प्रा0वि0कटैयाखादर	0	पू0मा0वि0हन्ना	0
124	53	बराछी	1	बराछी	682	86	0	प्रा0वि0बराछी	0	पू0मा0वि0हन्ना	3
125	54	बराछी	1	बराछी	0	0	0	प्रा0वि0बराछी	0	पू0मा0वि0हन्ना	0
126	55	सुहेल	1	सुहेल	860	30	0	प्रा0वि0सुहेल	0	पू0मा0वि0हन्ना	3
127	56	सुहेल	1	सुहेल	0	0	0	प्रा0वि0सुहेल	0	पू0मा0वि0हन्ना	0
128	57	चन्दहा	1	चन्दहा	190	0	0	प्रा0वि0चन्दहा	0	पू0मा0वि0हन्ना	4
129	58	हन्नाविनैका	1	हन्नाविनैका	1518	148	0	प्रा0वि0हन्नाविनैका	0	पू0मा0वि0हन्ना	0
130			2	हरिजनपुरवा	250	79	0	प्रा0वि0हन्नाविनैका	0	पू0मा0वि0हन्ना	1
131			3	पसियन पुरवा	250	54	0	प्रा0वि0हन्नाविनैका	0.1	पू0मा0वि0हन्ना	1
132			4	जायस पुरवा	180	59	0	प्रा0वि0हन्नाविनैका	0.1	पू0मा0वि0हन्ना	1
133			5	गनेशी पुरवा	201	39	0	प्रा0वि0हन्नाविनैका	0.1	पू0मा0वि0हन्ना	1
134	59	पियरिया कल	1	पियरिया कला	315	34	0	प्रा0वि0पियरिया कला	0	पू0मा0वि0हन्ना	2
135			2	कुम्हारन पुरवा	130	14	0	प्रा0वि0पियरिया कला	0.1	पू0मा0वि0हन्ना	1
136			3	हरिजन कालोनी	15	10	0	प्रा0वि0पियरिया कला	0.1	पू0मा0वि0हन्ना	1
137	60	पिपरौद	1	पिपरौद	883	184	0	प्रा0वि0पिपरौद	0	पू0मा0वि0ददरीलालतारोड	1
138			2	तुला पुरवा	298	99	0	प्रा0वि0पिपरौद	0.1	पू0मा0वि0ददरीलालतारोड	1
139	61	चकभडेसर	1	चकभडेसर	166	0	0	प्रा0वि0चकभडेसर	0	पू0मा0वि0हन्ना	1

140	62	मझगावंमु	1	मझगावंमु	506	276	0	प्रा0वि0मझगावंमु	0	उ0प्रा0वि0राजापुर	0.7
141	63	मझगांवएहग	1	मझगांवएहगल	0	0	0	प्रा0वि0मझगावंमु	0	उ0प्रा0वि0राजापुर	0
142	64	ममेट मु	1	ममेट मु	1353	361	0	प्रा0वि0ममेट मु	0	उ0प्रा0वि0ममेट	0
143	65	ममेट एहगल	1	ममेट एहगल	0	0	0	प्रा0वि0ममेट मु	0	उ0प्रा0वि0ममेट	0
144			2	हरिजनपुरवा	0	0	0	प्रा0वि0ममेट मु	0.5	उ0प्रा0वि0ममेट	0
145			3	बरौहा पुरवा	0	0	0	प्रा0वि0ममेट मु	0	उ0प्रा0वि0ममेट	0
146			4	केवटपुरवा	0	0	0	प्रा0वि0ममेट मु	0.2	उ0प्रा0वि0ममेट	0
147			5	हरिजन कालोनी	1	0	0	प्रा0वि0अनु0बस्ती	0	उ0प्रा0वि0ममेट	0
148	66	रगौली मु0	1	रगौली मु0	1301	109	0	प्रा0वि0रगौली मु0	0	उ0प्रा0वि0रगौली मु0	0
149			2	बदलू पुरवा	200	33	0	प्रा0वि0रगौली मु1	0.2	उ0प्रा0वि0रगौली मु1	0.2
150	67	रगौली एहग	1	रगौली एहगल	0	0	0	प्रा0वि0रगौली मु2	0	उ0प्रा0वि0रगौली मु2	0
151	68	खोहर	1	खोहर	0	0	0	प्रा0वि0रगौली मु3	0	उ0प्रा0वि0रगौली मु3	0
152	69	पराको	1	पराको	1407	809	0	प्रा0वि0पराको	0	उ0प्रा0वि0नादिन	1
153			2	सोतीपुरवा	135	62	0	प्रा0वि0पराको	1.5	उ0प्रा0वि0राजापुर	1
154			3	हुसिया पुरवा	98	42	0	प्रा0वि0पराको	0.3	उ0प्रा0वि0राजापुर	1
155			4	कोसी पुरवा	87	47	0	प्रा0वि0पराको	0.4	उ0प्रा0वि0राजापुर	1
156			5	गोसाईपुरवा	96	52	0	प्रा0वि0पराको	0.5	उ0प्रा0वि0राजापुर	1
157	71	खटवारा	1	खटवारा	1695	542	0	प्रा0वि0खटवारा	0	उ0प्रा0वि0खटवारा	1
158			2	आजाद पुरवा	0	0	0	प्रा0वि0खटवारा	0	उ0प्रा0वि0राजापुर	1
159	72	मलवारा	1	मलवारा	386	84	0	प्रा0वि0मलवारा	0	उ0प्रा0वि0राजापुर	1
160			2	नत्थू पुरवा	200	41	0	प्रा0वि0मलवारा	0	उ0प्रा0वि0राजापुर	0
161	73	तमौरा	1	तमौरा	0	0	0	प्रा0वि0मलवारा	0	उ0प्रा0वि0राजापुर	0
162	74	नादिन कुर्मि	1	नादिन कुर्मियान	2108	715	0	प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	0	उ0प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	0
163			2	अजादपुर	494	160	0	प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	0.2	उ0प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	0.5
164			3	बजरंगी पुरवा	359	132	0	प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	0.3	उ0प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	0.5
165			4	गोइडिया पुरवा	207	75	0	प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	0.3	उ0प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	1
166	75	चोरहा	1	चोरहा	348	71	0	प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	0	उ0प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	1
167	76	बिनौरा	1	बिनौरा	260	74	0	प्रा0वि0बिनौरा	0	उ0प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	1
168			2	लोखरवाबाबा पुरवा	50	28	0	प्रा0वि0बिनौरा	0.1	उ0प्रा0वि0नादिन कुर्मियान	2

169	77	पैकौरा	1	पैकौरा	289	147	0	प्रा0वि0पैकौरा	0	उ0प्रा0वि0नादिन कुर्गियान	0
170	78	करौदीकला	1	करौदीकला	1011	129	0	प्रा0वि0करौदीकला	0	उ0प्रा0वि0करौदीकला	0.3
171			2	गडरियन पुरवा	350	69	0	प्रा0वि0करौदीकला	0.3	उ0प्रा0वि0करौदीकला	0.3
172			3	शिवमोहन पुरवा	250	51	0	प्रा0वि0करौदीकला	0.3	उ0प्रा0वि0करौदीकला	0.5
173			4	जगन्नाथ पुरवा	201	34	0	प्रा0वि0करौदीकला	0.5	उ0प्रा0वि0करौदीकला	1.5
174	79	कुई	1	कुई	517	137	0	प्रा0वि0कुई	0	उ0प्रा0वि0करौदीकला	1
175	80	तुर्कवीरान	1	तुर्कवीरान	10	1	0	प्रा0वि0गडरियनपुरवा	1	पू0मा0वि0बांधी	1.5
176			2	मुसलमान	6	0	0	प्रा0वि0गडरियनपुरवा	2	पू0मा0वि0बांधी	2
177			3	सहादेव पुरवा	20	2	0	प्रा0वि0गडरियनपुरवा	1	पू0मा0वि0बांधी	1
178			4	छेदीलाल पुरवा	17	2	0	प्रा0वि0गडरियनपुरवा	1	पू0मा0वि0बांधी	1
179			5	गडरियन पुरवा	10	1	0	प्रा0वि0गडरियनपुरवा	0	पू0मा0वि0बांधी	1
180			6	लोधी पुरवा	10	1	0	प्रा0वि0गडरियनपुरवा	0.5	पू0मा0वि0बांधी	1
181			7	जट पुरवा	8	0	0	प्रा0वि0गडरियनपुरवा	2	पू0मा0वि0बांधी	2
182			8	लोधी पुरवा	8	2	0	प्रा0वि0गडरियनपुरवा	1	पू0मा0वि0बांधी	1
183	81	बांधी	1	बांधी	377	60	0	प्रा0वि0बांधी	0	पू0मा0वि0बांधी	0
184			2	हरिजनबस्ती	300	84	0	प्रा0वि0बांधी	0	पू0मा0वि0बांधी	0
185			3	नटन पुरवा	200	30	0	प्रा0वि0कपुरी	1	पू0मा0वि0बांधी	2
186			4	नादिन पुरवा	60	7	0	प्रा0वि0कपुरी	1	पू0मा0वि0बांधी	2
187	82	रामाकोल	1	रामाकोल	30	59	0	प्रा0वि0रामाकोल	0	पू0मा0वि0बांधी	1
188			2	कालू पुरवा	70	8	0	प्रा0वि0रामाकोल	0.5	पू0मा0वि0बांधी	1
189			3	काछी पुरवा	30	10	0	प्रा0वि0रामाकोल	0.5	पू0मा0वि0बांधी	1
190			4	हरिजनबस्ती	20	10	0	प्रा0वि0रामाकोल	1	पू0मा0वि0बांधी	0
191			5	हरिजनबस्ती	100	39	0	प्रा0वि0रामाकोल	1	पू0मा0वि0बांधी	0
192			6	राजूकोल	50	5	0	प्रा0वि0रामाकोल	1	पू0मा0वि0बांधी	0.5
193			7	रामाकोल	60	9	0	प्रा0वि0रामाकोल	1	पू0मा0वि0बांधी	1
194	83	रामपुर	1	रामपुर	784	13	0	प्रा0वि0रामपुर	0	पू0मा0वि0रामपुर	0
195			2	बेलरी	50	14	0	प्रा0वि0बेलरी	1	पू0मा0वि0रामपुर	2
196			3	लखनलाल	50	9	0	प्रा0वि0बेलरी	0.5	पू0मा0वि0रामपुर	2
197			4	छोटेलाल	80	18	0	प्रा0वि0रामपुर	0.5	पू0मा0वि0रामपुर	1

257

198			5	सुक्खन	30	7	0	प्रा0वि0रामपुर	0.5	पू0मा0वि0रामपुर	1
199			6	अवधेश	20	0	0	प्रा0वि0रामपुर	1	पू0मा0वि0रामपुर	1
200			7	जगताला	80	8	0	प्रा0वि0रामपुर	1	पू0मा0वि0रामपुर	1
201			8	निरयत	55	0	0	प्रा0वि0रामपुर	0.5	पू0मा0वि0रामपुर	1
202			9	रामसेवक	62	14	0	प्रा0वि0बेलरी	1	पू0मा0वि0रामपुर	2
203			10	यामलाल	70	8	0	प्रा0वि0बेलरी	1.5	पू0मा0वि0रामपुर	1.5
204			11	चुक्कन	41	6	0	प्रा0वि0बेलरी	0	पू0मा0वि0रामपुर	1.2
205	84	विसौधा	1	विसौधा	380	86	0	प्रा0वि0विसौधा	0	पू0मा0वि0रामपुर	1.5
206			2	शिवप्रताप	35	13	0	प्रा0वि0विसौधा	0	पू0मा0वि0रामपुर	1.5
207	85	घुनुवां	1	घुनुवां	243	44	0	प्रा0वि0घुनुवां	0	पू0मा0वि0घुनुवां	0
208			2	पंडितपुरवा	90	9	0	प्रा0वि0घुनुवां	1.5	पू0मा0वि0घुनुवां	1.5
209			3	लूले पुरवा	120	22	0	प्रा0वि0घुनुवां	1.5	पू0मा0वि0घुनुवां	1.5
210			4	कुम्हारन पुरवा	100	18	0	प्रा0वि0घुनुवां	1	पू0मा0वि0घुनुवां	1
211			5	लोहगडी	80	8	0	प्रा0वि0घुनुवां	2	पू0मा0वि0घुनुवां	2
212			6	मगवानसिंह	60	3	0	प्रा0वि0घुनुवां	2	पू0मा0वि0घुनुवां	2
213	86	तेंदुवाखुर्द	1	तेंदुवाखुर्द	0	0	0	प्रा0वि0घुनुवां	1.5	पू0मा0वि0घुनुवां	1.5
214	87	देउधा	1	देउधा	572	86	0	प्रा0वि0देउधा	0	पू0मा0वि0देउधा	0.5
215			2	यादव पुरवा	194	54	0	प्रा0वि0यादव पुरवा	0	पू0मा0वि0देउधा	1
216			3	बिहारा पुरवा	275	75	0	प्रा0वि0यादव पुरवा	0	पू0मा0वि0देउधा	1
217			4	डेडहा पुरवा	181	54	0	प्रा0वि0यादव पुरवा	0	पू0मा0वि0देउधा	1
218	88	इटवां	1	इटवां	1923	438	0	प्रा0वि0इटवां	0	सु0इं0कालेज इंटवां	0
219			2	गडरियन पुरवा	120	35	0	प्रा0वि0रखैरी	0	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
220			3	बैजनाथ पुरवा	400	105	0	प्रा0वि0रखैरी	1	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
221			4	मोतीलाल पुरवा	100	26	0	प्रा0वि0रामनाथपुरवा	0.5	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
222			5	नकटी पुरवा	90	31	0	प्रा0वि0रामनाथपुरवा	0	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
223			6	रामनाथ पुरवा	160	39	0	प्रा0वि0रामनाथपुरवा	0.5	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
224			7	महुलिहा	320	92	0	प्रा0वि0महुलिहा	0	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
225			8	करदिहा	80	26	0	प्रा0वि0महुलिहा	1	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
226			9	मैजहा पुरवा	60	22	0	प्रा0वि0महुलिहा	1.5	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5

227			10	बैसाहर	80	26	0	प्रा0वि0महुलिया	1.5	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
228			11	चुवेहा पुरवा	85	26	0	प्रा0वि0महुलिहा	0	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
229			12	अमिरती	165	57	0	प्रा0वि0अमिरती	0	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
230			13	चमरूवा	40	18	0	प्रा0वि0अमिरती	1	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
231			14	अमवन्ती	110	26	0	प्रा0वि0अमिरती	1	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
232			15	सैकवरी	120	18	0	प्रा0वि0अमिरती	1.5	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
233			16	झंगनू	135	35	0	प्रा0वि0अमिरती	1.5	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
234			17	न्यूबस्ती	120	12	0	प्रा0वि0अमिरती	1.5	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
235			18	चमरहापुर	150	31	0	प्रा0वि0अमिरती	2	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
236			19	कोल पुरवा	350	79	0	प्रा0वि0महुलिया	2	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
237			20	चमरहापुर	107	40	0	प्रा0वि0महुलिया	0	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
238	89	खोर	1	खोर	724	169	0	प्रा0वि0खोर	0	सु0इं0कालेज इंटवां	1.5
239	90	लौरी	1	लौरी	689	150	0	प्रा0वि0लौरी	1	पू0मा0वि0हनुमानगंज	1.5
240			2	लोखरी	820	400	0	प्रा0वि0लौरी	0	पू0मा0वि0हनुमानगंज	1.5
241			3	हनुमानगंज	922	450	0	प्रा0वि0हनुमानगंज	0	पू0मा0वि0हनुमानगंज	1.5
242			4	बटकनपुरवा	102	30	0	प्रा0वि0शम्भूपुर	0	पू0मा0वि0हनुमानगंज	2
243			5	गुरूचरन पुरवा	82	40	0	प्रा0वि0लौरी	1	पू0मा0वि0हनुमानगंज	1.5
244			6	राजबहादुर	72	80	0	प्रा0वि0लौरी	1	पू0मा0वि0हनुमानगंज	1.5
245			7	अहिरन पुरवा	51	10	0	प्रा0वि0अहिरन पुरवा	0	पू0मा0वि0हनुमानगंज	1
246			8	कोलसा पुरवा	49	30	0	प्रा0वि0अहिरन पुरवा	1	पू0मा0वि0हनुमानगंज	2
247			9	शिरोमनपुरवा	41	10	0	प्रा0वि0अहिरन पुरवा	1.5	पू0मा0वि0हनुमानगंज	2
248			10	गडरियानपुरवा	59	25	0	प्रा0वि0हनुमानगंज	1	पू0मा0वि0हनुमानगंज	1
249			11	लक्ष्मी पुरवा	61	20	0	प्रा0वि0हनुमानगंज	1	पू0मा0वि0हनुमानगंज	1
250			12	सुजानगंज	206	80	0	प्रा0वि0हनुमानगंज	2	पू0मा0वि0हनुमानगंज	2
251	91	सिंहपुर	1	सिंहपुर	385	118	0	प्रा0वि0सिंहपुर	0	पू0मा0वि0घुरेहटा	1
252			2	सेमारी पुरवा	47	13	0	प्रा0वि0सिंहपुर	1	पू0मा0वि0घुरेहटा	2
253	92	कपुरी	1	कपुरी	233	104	0	प्रा0वि0कपुरी	0	पू0मा0वि0बाही	1
254			2	कुर्मिनपुरवा	95	52	0	प्रा0वि0कपुरी	1	पू0मा0वि0बाही	1.5
255			3	कपुरी	80	39	0	प्रा0वि0कपुरी	1	पू0मा0वि0बाही	1.5

विकास खण्ड पहाड़ी (समस्त गाँव व मजरे की सूची)

क्रम संख्या	गांव कोड	नाम	हैबिटेशन नम्बर	हैबिटेशन नाम	कुल जनसंख्या	अनु जाति	अनु0जन जाति	गांव/मजरे को सेवित करने वाले प्रा0वि0का नाम	मजरे से वि0की दूरी किमी0मे	गांव/मजरे को सेवित करने वाले उ0प्रा0वि0का नाम	मजरे से वि0की दूरी किमी0मे
1	1	विलासकादर	1	विलासकादर	0	0	0				
2	2	बिलासबांगर	1	विलासबांगर	1022	317	0	प्रा0 वि0 विलास	0	उ0 प्रा0 चिल्लीमल	0
3	3	चिल्लीमलबांगर	1	चिल्लीमलबांगर	2302	429	0	प्रा0 वि0 चिल्लीमल	0		1
4			2	दुलारेपुरवा	93	31	0	प्रा0वि0चिल्लीमल	1		1
5			3	लक्ष्मीपुरवा	202	63	0	प्रा0वि0 कलेक्टरपुरवा	1		3
6			4	अहिरनपुरवा	284	52	0	प्रा0 वि0कलेक्टरपुरवा	1		3
7	4	चिल्लीमलकादर	1	चिल्लीमलकादर	0	0	0	प्रा0 वि0 कलेक्टरपुरवा	1		
8	5	चांदी	1	चांदी	0	0	0	प्रा0 वि0 कलेक्टरपुरवा	1		
9	6	चांदीबांगर	1	चांदीबांगर	703	67	0	प्रा0 वि0 चाँदी	0	बरद्वारा	5
10			2	चांदीपुरवा	173	10	0	प्रा0 वि0 धौरहरा	0	बिहरवां	3
11	7	धौरहराबांगर	1	धौरहराबांगर	477	74	0	प्रा0 वि0 धौरहरा	0		
12	8	धौरहराकादर	1	धौरहराकादर	0	0	0	प्रा0 वि0 धौरहरा	0		
13	9	बीरधुमाईगंगू	1	बीरधुमाईगंगू	0	0	0	प्रा0 वि0 तीरधुमाई गंगू	0	बरद्वारा	5
14	10	बीरधुमाईगंगू	1	बीरधुमाईगंगू	985	151	0	प्रा0 वि0 तीरधुमाई गंगू	1	बरद्वारा	5
15			2	केवटपुरवा	104	0	0	प्रा0 वि0 बरद्वारा 1व2	0	बरद्वारा	0
16	11	बरद्वारा	1	बरद्वारा	2730	500	0	प्रा0 वि0बरद्वारा 1व 2	1	बरद्वारा	2
17			2	नन्हीकेवटकापुरवा	151	0	0	प्रा0 वि0बरद्वारा 1व 2	1	बरद्वारा	
18			3	राजकिशोरयादवक	81	0	0				
19			4	श्रराजचमारपुरवा	121	119	0	प्रा0 वि0वीरधुमाईसुर्की	0	कामयनी	2
20	12	बीरधुमाईसुर्की	1	बीरधुमाईसुर्की	1483	472	0				
21	13	नैनीकादर	1	नैनीकादर	0	0	0	प्रा0 वि0नैनी	0	बिहरवां	2
22	14	नैनीबांगर	1	नैनीबांगर	543	187	0	प्रा0 वि0नैनी	0	बिहरवां	2
23			2	हरिजनबस्तीपुरवा	199	0	0	प्रा0 वि0गुरगौला	0	बिहरवां	2
24	15	गुरमल्लाबांगर	1	गुरमल्लाबांगर	362	110	0				
25	16	गुरमललाकादर	1	गुरमललाकादर	0	0	0				
26	17	बिहरवां	1	बिहरवां	0	0	0	प्रा0 वि0 बिहरवां 1व2	0	बिहरवां	0
27	18	बिहरवांबांगर	1	बिहरवांबांगर	1337	219	0	प्रा0 वि0बिहरवां 1व2	0	बिहरवां	0
28	19	बक्टाखु0बांगर	1	बक्टाखु0बांगर	833	21	0	प्रा0 वि0बक्टाखुर्द	1	बिहरवां	2

२६०

29			2	रामऔतारपुरवा	80	85	0				
30	20	बक्टाखु0कादर	1	बक्टाखु0कादर	0	0	0				
31	21	हस्ताकादर	1	हस्ताकादर	0	0	0				
32	22	हस्ताबांगर	1	हस्ताबांगर	698	186	0	प्रा0 वि0हस्ता	0	बिहरवां	2
33			2	तल्लाकापुरवा	71	0	0	प्रा0 वि0हस्ता	4	बिहरवां	3
34	23	देवरीबांगर	1	देवरीबांगर	843	58	0	प्रा0 वि0देवारी	0	सुरवल	2
35			2	सनाबतारापुरवा	218	231	0	प्रा0 वि0साहबतारा	0	सुरवल	2
36	24	देवारीकादर	1	देवारीकादर	0	0	0				
37	25	सुरवलकादर	1	सुरवलकादर	0	0	0				
38	26	सुरवलबांगर	1	सुरवलबांगर	1167	0	0	प्रा0 वि0सुरवल	0	सुरवल	0
39			2	मकीदरपुरवा	143	0	0	प्रा0 वि0सुरवल	1	सुरवल	1
40			3	बरहारपुरवा	222	7	0	प्रा0 वि0सुरवल	1	सुरवल	1
41			4	अभिनकापुरवा	88	65	0	प्रा0 वि0सुरवलबॉ[illegible]	1	सुरवल	1
42			5	बिहन्नापुरवा	157	0	0	प्रा0 वि0सुरवलबॉगर	1	सुरवल	2
43			6	अहिरनपुरवा	67	42	0	प्रा0 वि0जमौली	1	सुरवल	2
44			7	हरिजनबस्ती	74	65	0	प्रा0 वि0जमौली	1	सुरवल	2
45	27	अमवां	1	अमवां	8	51	0	प्रा0 वि0जमौली	1	सुरवल	2
46			2	केवटपुरवा	282	0	0	प्रा0 वि0जमौली	1	बिहरवां	3
47			3	हरिजनबस्ती	4	51	0	प्रा0 वि0जमौली	1	बिहरवां	3
48			4	केवटपुरवा	1	0	0	प्रा0 वि0जमौली	1	बिहरवां	3
49	28	बिझौरा	1	बिझौरा	0	0	0				
50	29	अतरौलीमाफी	1	अतरौलीमाफी	922	0	0	प्रा0वि0अतरौली	0	बिहरवां	2
51			2	हरिजनपुरवा	284	285	0				
52	30	बरिया	1	बरिया	0	0	0				
53	31	सिकारीसालिस	1	सिकारीसालिस	364	7	0	प्रा0 वि0मदेदू	2	मदेदू	2
54	32	खांपाबांगर	1	खांपाबांगर	961	62	0	प्रा0 वि0खोंपा	0	मदेदू	2
55			2	फउताकापुरवा	171	11	0	प्रा0 वि0खोंपा	1	मदेदू	2
56			3	सुलेमानपुरवा	96	0	0	प्रा0 वि0खोंपा	1	मदेदू	2
57			4	हरिजन बस्ती	185	104	0	प्रा0 वि0खोंपा	1	मदेदू	2
58	33	कोपाखादर	1	कोपाखादर	0	0	0				
59	34	मेदेहदूखादर	1	मेदेहदूखादर	0	0	0 -				
60	35	मेदेहदूबांगर	1	मेदेहदूबांगर	2724	769	0	प्रा0वि0मदेदू 1व2	0	मदेदू	0

61			2	जमौली	143	0	0	प्रा0वि0जमौली	0	भदेन्	2
62			3	सुखैरा	191	0	0				
63	36	कनकोटाबांगर	1	कनकोटाबांगर	823	79	0	प्रा0वि0कनकोटा	0		2
64	37	कनकोटाकादर	1	कनकोटाकादर	0	0	0				
65	38	उदधटा	1	उदधटा	499	187	0	प्रा0वि0उदघटा	0	बेराउर	2
66	39	रायपुरबांगर	1	रायपुरबांगर	1497	120	0	प्रा0वि0रायपुर	0	बेराउर	1
67	40	रानीपुर	1	रानीपुर	0	0	0				
68	41	बेराउरकादर	1	बेराउरकादर	0	0	0				
69	42	बेराउरबांगर	1	बेराउरबांगर	1156	188	0	प्रा0वि0बेराउर	0	बेराउर	0
70	43	चिल्लीमलराकस	1	चिल्लीमलराकस	460	91	0	प्रा0वि0चिल्लीराकस	0	बेराउर	1
71	44	गुरूदयालपुरवा	1	गुरूदयालपुरवा	186	16	0	प्रा0वि0बेराउर	1	उ0प्रा0वि0 बेराउर	1
72			2	पांडेपुरवा	103	0	0	प्रा0वि0बेराउर	1	उ0प्रा0वि0 बेराउर	1
73			3	नकेहोरीपुरवा	83	0	0	प्रा0वि0बेराउर	1	उ0प्रा0वि0 बेराउर	1
74			4	मिश्रापुरवा	59	0	0	प्रा0वि0बेराउर	1	उ0प्रा0वि0 बेराउर	1
75			5	अहिरनपुरवा	34	0	0	प्रा0वि0बेराउर	1	उ0प्रा0वि0 बेराउर	1
76			6	केवारपुरवा	256	0	0	प्रा0वि0बेराउर	1	उ0प्रा0वि0 बेराउर	1
77	45	चिल्लीमलराकस	1	चिल्लीमलराकसक	0	0	0				
78	46	सुरेसेन	1	सुरेसेन	1786	363	0	प्रा0वि0सुरसेन	0	उ0प्रा0वि0सुरसेन	0
79			2	जगदेवपुरवा	61	53	0	प्रा0वि0सुरसेन	1	उ0प्रा0वि0सुरसेन	2
80			3	कोरीपुरवा	131	113	0	प्रा0वि0सुरसेन	1	उ0प्रा0वि0सुरसेन	2
81	47	मिर्जापुर	1	मिर्जापुर	896	182	0	प्रा0वि0मिर्जापुर	0	उ0प्रा0वि0सुरसेन	3
82			2	हरीशनपुर	171	0	0	प्रा0वि0हरीसनपुर	0	उ0प्रा0वि0सुरसेन	2
83	48	सरधुवा	1	सरधुवा	3817	629	0	प्रा0वि0सरधुवा 1व2	0	उ0प्रा0वि0सरधुवा	0
84			2	जलधारपुर	376	165	0	प्रा0वि0सरधुवा 1व2	1	उ0प्रा0वि0सरधुवा	2
85			3	कालूपुर	59	0	0	प्रा0वि0औदहा	2	उ0प्रा0वि0औदहा	3
86			4	ककरहा	54	52	0	प्रा0वि0सरधुवा	3	उ0प्रा0वि0सरधुवा	3
87			5	गर्गापुरवा	94	82	0	प्रा0वि0गरीब का पुरवा	0	उ0प्रा0वि0	2
88			6	उसरीपुरवा	484	0	0	प्रा0वि0गरीब का पुरवा	1	उ0प्रा0वि0सगवारा	2
89			7	धैराहार	433	155	0	प्रा0वि0सरधुवा	1	उ0प्रा0वि0सरधुवा	3
90			8	हरिजनकालोनी	89	93	0	प्रा0वि0सरधुवा	3	उ0प्रा0वि0सरधुवा	5
91			9	हकीमपुर	113	51	0	प्रा0वि0मिर्जापुर	0	उ0प्रा0वि0सरधुवा	0
92	49	अरकी	1	अरकी	2209	622	0	प्रा0वि0अर्की 1	0	उ0प्रा0वि0अर्की	1

262

93			2	करौदिहाईपुरवा	227	48	0	प्रा0वि0अर्की 1	1	उ0प्रा0वि0अर्की	1
94			3	कोटी	111	38	0	प्रा0वि0कुटी	0	उ0प्रा0वि0अर्की	1
95	50	महुवागांव	1	महुवागांव	1565	186	0	प्रा0वि0महुवागाव	0	उ0प्रा0वि0सरधुवा	2
96			2	उत्तमपुरवा	109	18	0	प्रा0वि0उत्तमपुर	0	उ0प्रा0वि0सरधुवा	1
97			3	जगदेवपुरवा	77	0	0	प्रा0वि0उत्तमपुर	1	उ0प्रा0वि0भटरी	0
98			4	चन्द्रपालपुर	56	44	0	प्रा0वि0उत्तमपुर	0	उ0प्रा0वि0भटरी	3
99			5	सालिकपुरवा	82	21	0	प्रा0वि0सालिकपुर	0	उ0प्रा0वि0सगवारा	3
100	51	कोसली	1	कोसली	838	178	0	प्रा0वि0कुसेली	0	उ0प्रा0वि0अर्की	3
101			2	हरिजनबस्ती	74	81	0	प्रा0वि0कुसेली	1	उ0प्रा0वि0अर्की	1
102	52	लमियारी	1	लमियारी	958	377	0	प्रा0वि0लमियारी	0	उ0प्रा0वि0लमियारी	2
103	53	गडौली	1	गडौली	1401	567	0	प्रा0वि0गडौली	0	उ0प्रा0वि0	
104	54	ममसीबु0	1	ममसीबु0	1384	430	0	प्रा0वि0ममसीबुजुर्ग	0	उ0प्रा0वि0ममसीबुजुर्ग	0
105	56	बसन्तपुर	1	बसन्तपुर	258	26	0	प्रा0वि0बसंतपुर	0	उ0प्रा0वि0	
106	57	राईपुरवा	1	राईपुरवा	402	165	0	प्रा0वि0रैपुरवा	0	उ0प्रा0वि0	
107	58	अरछाबरेठी	1	अरछाबरेठी	1462	529	0	प्रा0वि0अरछाबरेठी	0	उ0प्रा0वि0बरेठी	0
108			2	कुशवाहापुरवा	140	0	0	प्रा0वि0अरछाबरेठी	1	उ0प्रा0वि0बरेठी	1
109			3	इरगुइयापुरवा	81	75	0	प्रा0वि0अरछाबरेठी	0	उ0प्रा0वि0बरेठी	0
110			4	हरिजनपुरवा	33	33	0	प्रा0वि0अरछा	1	उ0प्रा0वि0बरेठी	1
111			5	बरगरीपुरवा	51	0	0	प्रा0वि0अरछा	0	उ0प्रा0वि0बरेठी	0
112			6	केवटनपुरवा	37	0	0	प्रा0वि0अरछा	1	उ0प्रा0वि0बरेठी	1
113			7	छोटेलालपुरवा	112	61	0	प्रा0वि0अरछा	1	उ0प्रा0वि0बरेठी	1
114			8	पांडेपुरवा	47	23	0	प्रा0वि0अरछा	1	उ0प्रा0वि0बरेठी	1
115			9	चौबेपुरवा	37	23	0	प्रा0वि0अरछा	1	उ0प्रा0वि0बरेठी	1
116			10	तमोलिनपुरवा	56	28	0	प्रा0वि0अरछा	1	उ0प्रा0वि0बरेठी	1
117			11	हीरालाल	167	112	0	प्रा0वि0अरछा	1	उ0प्रा0वि0बरेठी	1
118	59	औदहा	1	औदहा	2179	796	0	प्रा0वि0औदहा	0	उ0प्रा0वि0औदहा	0
119			2	कुटटी	144	41	0			उ0प्रा0वि0	
120	60	गौनिहाईखु0	1	गौनिहाईखु0	0	0	0			उ0प्रा0वि0	
121	61	दरसेंडा	1	दरसेंडा	2273	463	0	प्रा0वि0दरसेडा	0	उ0प्रा0वि0दरसेडा	0
122			2	चन्द्रशेषर	58	0	0	प्रा0वि0दरसेडा	0	उ0प्रा0वि0दरसेडा	0
123			3	राजारामपुरवा	40	0	0	प्रा0वि0दरसेडा	0	उ0प्रा0वि0दरसेडा	0
124			4	हरि0बस्ती	53	46	0	प्रा0वि0दरसेडा	1	उ0प्रा0वि0दरसेडा	1

263

125	[illegible]	पिल[illegible]ना	1	पिल[illegible]	646	66	0	प्रा0वि0पिलखिनी	0	उ0प्रा0वि0ओरा	2
126	63	ओरा	1	ओरा	3412	599	0	प्रा0वि0ओरा	0	उ0प्रा0वि0ओरा	0
127			2	यादवपुरवा	70	0	0	प्रा0वि0ओरा	1	उ0प्रा0वि0ओरा	1
128			3	लोधनपुरवा	35	0	0	प्रा0वि0ओरा	1	उ0प्रा0वि0ओरा	1
129			4	यादवपुरवा	40	0	0	प्रा0वि0ओरा	1	उ0प्रा0वि0ओरा	1
130			5	लोधनपुरवा	46	0	0	प्रा0वि0पिलखिनी	1	उ0प्रा0वि0ओरा	1
131	64	बसहर	1	बसहर	537	8	0	प्रा0वि0बसहर	0	उ0प्रा0वि0दरसेडा	2
132	65	रामपुर	1	रामपुर	325	84	0	प्रा0वि0रामपुर	0	उ0प्रा0वि0कलवारा	3
133	66	देवल	1	देवल	1158	258	0	प्रा0वि0देवल	0	उ0प्रा0वि0देवल	0
134	67	चौरा	1	चौरा	1616	206	0	प्रा0वि0चौरा1व2	0	उ0प्रा0वि0देवल	1
135			2	अहिरनपुरवा	267	0	0	प्रा0वि0चौरा1व2	2	उ0प्रा0वि0देवल	2
136			3	मेलापुरवा	262	0	0	प्रा0वि0चौरा1व2	2	उ0प्रा0वि0देवल	2
137			4	मकरीपुरवा	238	0	0	प्रा0वि0डहरिया	1	उ0प्रा0वि0देवल	2
138			5	डहरियापुरवा	252	267	0	प्रा0वि0डहरिया पुरवा	0	उ0प्रा0वि0देवल	3
139			6	मेन्नापुरवा	238	0	0	प्रा0वि0डहरिया पुरवा	1	उ0प्रा0वि0देवल	2
140	68	साद	1	साद	152	0	0	प्रा0वि0चौरा	0	उ0प्रा0वि0चौरा	2
141	69	अगरहुडा	1	अगरहुडा	475	62	0	प्रा0वि0अगरहुडा	0	उ0प्रा0वि0देवल	1
142	70	नहरा	1	नहरा	875	184	0	प्रा0वि0नहरा	0	उ0प्रा0वि0ओरा	2
143			2	नहराकापुरवा	264	0	0	प्रा0वि0नहरा	1	उ0प्रा0वि0ओरा	2
144			3	हरि0बस्ती	136	122	0	प्रा0वि0नहरा	0	उ0प्रा0वि0ओरा	2
145	71	मानपुर	1	मानपुर	546	156	0	प्रा0वि0मानपुर	0	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	2
146			2	चकमानपुरवा	234	39	0	प्रा0वि0मानपुर	0	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	2
147	72	सिदौली	1	सिदौली	282	5	0	प्रा0वि0सिंघौली	0	उ0प्रा0वि0लोहरा	1
148			2	लोधनपुरवा	56	0	0	प्रा0वि0सिघौली	1	उ0प्रा0वि0लोहरा	1
149	73	व्योहरा	1	व्योहरा	667	264	0	प्रा0वि0ब्यौहरा	0	उ0प्रा0वि0व्योहरा	0
150			2	धोबिनपुरवा	25	20	0	प्रा0वि0ब्यौहरा	0	उ0प्रा0वि0व्योहरा	0
151			3	लोधनपुरवा	251	0	0	प्रा0वि0ब्यौहरा	0	उ0प्रा0वि0व्योहरा	0
152	74	खेरिया	1	खेरिया	201	174	0	प्रा0वि0खेरिया	0	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	1
153			2	रघुवंशीपुर	74	58	0	प्रा0वि0रघुवंसीपुर	0	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	1
154			3	भागवतपुरवा	192	221	0	-			
155	75	कलवाराखु0	1	कलवाराखु0	306	78	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	0	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	0
156			2	गोकुलपुरवा	73	0	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	1	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	1

157			3	मीरपुरवा	136	19	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	1	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	1
158			4	बदलूपुरवा	68	34	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	1	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	1
159			5	लोटनपुरवा	82	0	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	1	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	1
160			6	मन्नालालपुरवा	72	0	0				
161	76	कलवाराबु0	1	कलवाराबु0	879	85	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द		उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	1
162			2	हीरालाल	61	0	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	0	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	1
163			3	धोबिनपुरवा	278	248	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	1	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	2
164			4	शिवराजपुरवा	26	0	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	2	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	2
165			5	लक्ष्मीपुरवा	35	0	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	2	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	2
166			6	रामखेलावनपुरवा	83	0	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	2	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	2
167			7	हरि0पुरवा	87	78	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	2	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	3
168			8	बाम्मनपुरवा	30	0	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	1	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	1
169			9	मोलापुरवा	58	0	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	1	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	1
170			10	लालूपुरवा	48	0	0	प्रा0वि0कलवाराखुर्द	1	उ0प्रा0वि0कलवारा खुर्द	1
171	77	कुचारम	1	कुचारम	1177	117	0	प्रा0वि0कुचारम	0	उ0प्रा0वि0 कुचारम	0
172			2	घडीपुरवा	253	280	0				
173	78	हरी	1	हरी	305	0	0	प्रा0वि0हर्री	0	उ0प्रा0वि0पहाडी	5
174			2	शिवबालकपुरवा	139	15	0				
175	79	सिकरीसानी	1	सिकरीसानी	376	164	0	प्रा0वि0सिकरीसानी	0	उ0प्रा0वि0पहाडी	5
176			2	गयादीनपुरवा	45	27	0	प्रा0वि0सिकरीसानी	1	उ0प्रा0वि0पहाडी	5
177			3	कुशयाहापुरवा	170	0	0	प्रा0वि0सिकरीसानी	1	उ0प्रा0वि0पहाडी	5
178	80	कंटी	1	कंटी	410	86	0	प्रा0वि0कान्ती	0	उ0प्रा0वि0पहाडी	5
179	81	पहाडीबु0	2	पहाडीबु0	4044	763	0	प्रा0वि0पहाडी1व2	0	उ0प्रा0वि0पहाडी1व2	0
180			3	महराजपुर	428	217	0	प्रा0वि0महाराजपुर	0	उ0प्रा0वि0पहाडी1व2	2
181			4	उमरी	279	186	0	प्रा0वि0उमरी	0	उ0प्रा0वि0पहाडी1व2	2
182			5	महराजपुरवा	102	72	0	प्रा0वि0उमरी	1	उ0प्रा0वि0पहाडी1व2	2
183			6	उमरीपुरवा	74	62	0	प्रा0वि0उमरी	1	उ0प्रा0वि0पहाडी1व2	2
184			7	यादवपुरवा	140	51	0	प्रा0वि0उमरी	2	उ0प्रा0वि0पहाडी1व2	2
185	82	बाबूपुर	1	बाबूपुर	1254	408	0	प्रा0वि0बाबूपुर	0	उ0प्रा0वि0बाबूपुर	0
186			2	ठाकुरनपुरवा	63	32	0	प्रा0वि0बाबूपुर	0	उ0प्रा0वि0बाबूपुर	0
187			3	हरिबस्ती	39	43	0	प्रा0वि0बाबूपुर	0	उ0प्रा0वि0बाबूपुर	0
188	83	जहिरा	1	जहिरा	549	132	0	प्रा0वि0जरिहा	0	उ0प्रा0वि0नॉदी	3

189	84	बक्टाबु0	1	बक्टाबु0	277	143	0	प्रा0वि0बकटाबुजुद्य	0	उ0प्रा0वि0बकटा बुजुर्ग	0
190			2	अहिरनपुरवा	1057	0	0	प्रा0वि0बकटाबुजुद्य	1	उ0प्रा0वि0बकटा बुजुर्ग	1
191			3	बेहनापुरवा	74	0	0	प्रा0वि0बकटाबुजुद्य	1	उ0प्रा0वि0बकटा बुजुर्ग	1
192			4	धोबिनपुरवा	69	194	0	प्रा0वि0बकटाबुजुद्य	1	उ0प्रा0वि0बकटा बुजुर्ग	1
193	85	खटवारा	1	खटवारा	35	0	0	प्रा0वि0बकटाबुजुद्य	1		
194	86	कौधर	1	कौधर	187	101	0	प्रा0वि0बकटाबुजुद्य	1	उ0प्रा0वि0बकटा बुजुर्ग	2
195	87	पिपरौदर	1	पिपरौदर	514	117	0	प्रा0वि0पिपरौदर	0	उ0प्रा0वि0पहाड़ी	4
196	88	पथरामानी	1	पथरामानी	681	151	0	प्रा0वि0थरामान्री	1	उ0प्रा0वि0पहाड़ी	4
197			2	सुरिजपालपुरवा	75	0	0	प्रा0वि0पथरामान्री	0	उ0प्रा0वि0पहाड़ी	4
198			3	गयाप्रसादपुरवा	110	72	0	प्रा0वि0पथरामान्री	1	उ0प्रा0वि0पहाड़ी	4
199	89	नोनार	1	नोनार	1978	678	0	प्रा0वि0नोनार	0	उ0प्रा0वि0 नोनार	0
200	90	प्रसिद्धपुर	1	प्रसिद्धपुर	1214	362	0	प्रा0वि0प्रसिद्धपुर	0	उ0प्रा0वि0 नोनार	3
201	91	रम्पुरियासानी	1	रम्पुरियासानी	0	0	0				
202	92	जमहिल	1	जमहिल	821	163	0	प्रा0वि0जमहिल	0	उ0प्रा0वि0 बछरन–2	1
203			2	हरि0बस्ती	85	94	0	प्रा0वि0जमहिल	1	उ0प्रा0वि0 बछरन–2	2
204	93	बछरन	1	बछरन	1659	414	0	प्रा0वि0बछरन1व2	0	उ0प्रा0वि0 बछरन–2	0
205			2	गोसांईपुर	131	22	0	प्रा0वि0गोसाईपुर	0	उ0प्रा0वि0 बछरन–2	2
206			3	मेलापुरवा	337	131	0	प्रा0वि0बछरन	0	उ0प्रा0वि0 बछरन–2	0
207	94	गौराकानी	1	गौराकानी	117	26	0	प्रा0वि0बछरन	2	उ0प्रा0वि0 बछरन–2	2
208	95	पनौटी	1	पनौटी	585	133	0	प्रा0वि0पनौटी	0	उ0प्रा0वि0 लोहदा	2
209			2	लोधनपुरवा	242	35	0	प्रा0वि0पनौटी	1	उ0प्रा0वि0 लोहदा	3
210			3	अहिरनपुरवा	343	0	0	प्रा0वि0पनौटी	1	उ0प्रा0वि0 लोहदा	3
211	96	देवरापुरवा	1	देवरापुरवा	212	36	0	प्रा0वि0देवराज पुरवा	2	उ0प्रा0वि0 लोहदा	2
212	97	लोहदा	2	लोहदा	1657	473	0	प्रा0वि0लोहदा	0	उ0प्रा0वि0 लोहदा	0
213			3	दुबेपुरवा	233	0	0	प्रा0वि0लोहदा	2	उ0प्रा0वि0 लोहदा	2
214			4	ठाकुरनपुरवा	154	59	0	प्रा0वि0लोहदा	2	उ0प्रा0वि0 लोहदा	2
215			5	गोधानबग	174	78	0	प्रा0वि0लोहदा	1	उ0प्रा0वि0 लोहदा	2
216	98	सालिकपुरवा	1	सालिकपुरवा	579	176	0	प्रा0वि0सालिकपुर	0	उ0प्रा0वि0 सगवारा	3
217			2	पांडेपुरवा	59	39	0	प्रा0वि0सालिकपुर	0	उ0प्रा0वि0 सगवारा	3
218			3	गडरियापुरवा	63	0	0	प्रा0वि0सालिकपुर	1	उ0प्रा0वि0 सगवारा	2
219	99	सगवारा	1	सगवारा	1257	376	0	प्रा0वि0सगवारा	0	उ0प्रा0वि0 सगवारा	0
220			2	गडरियापुरवा	172	0	0	प्रा0वि0सगवारा	0	उ0प्रा0वि0 सगवारा	0

221			3	पांडेपुरवा	294	24	0	प्रा0वि0पनौटी	1	उ0प्रा0वि0 लोहटा	3
222			4	हरि0बस्ती	122	70	0	प्रा0वि0सगवारा	1	उ0प्रा0वि0 लोहटा	1
223	100	पटनाखालसा	1	पटनाखालसा	536	149	0	प्रा0वि0पटना खालसा	0	उ0प्रा0वि0 सगवारा	2
224			2	पंडितनपुरवा	125	0	0	प्रा0वि0सगवारा	1	उ0प्रा0वि0 सगवारा	1
225	101	भटरी	1	भटरी	744	169	0	प्रा0वि0भटारी	0	उ0प्रा0वि0 भटरी	0
226			2	सुक्खापुरवा	26	28	0	प्रा0वि0भटारी	2	उ0प्रा0वि0 भटरी	1
227			3	यादवपुरवा	359	0	0	प्रा0वि0भटारी	2	उ0प्रा0वि0 भटरी	2
228	102	पटवरिसानी	1	पटवरिसानी	584	77	0	प्रा0वि0पटवरिया सानी	0	उ0प्रा0वि0 पटवरियासानी	0
229	103	डुडौली	1	डुडौली	510	46	0	प्रा0वि0दुदौली	0	उ0प्रा0वि0 कलवलिया	2
230			2	डमोलियापुर	115	70	0	प्रा0वि0दुदौली	1	उ0प्रा0वि0 कलवलिया	1
						160	0	प्रा0वि0 कलवलिया	0	उ0प्रा0वि0 कलवलिया	0
231	104	कलवलिया	1	कलवलिया	763	163	0	प्रा0वि0 लदेहटा	0	उ0प्रा0वि0 कलवलिया	0
232	105	लधेहटा	1	लधेहटा	194						
233	106	अर्जुनपुर	1	अर्जुनपुर	2029	172	0	प्रा0वि0अर्जुनपुर	0	उ0प्रा0वि0अर्जुनपुर	0
234	107	तेराखुर्द	1	तेराखुर्द	243	50	0	प्रा0वि0अर्जुनपर	3	उ0प्रा0वि0अर्जुनपुर	3
235	108	तेराबु0	1	तेराबु0	175	37	0	प्रा0वि0अर्जुनपर	3	उ0प्रा0वि0अर्जुनपुर	3
236	109	ढोलगवां	1	ढोलगवां	8	0	0	प्रा0वि0अर्जुनपर	3		
237	110	मुहरवा	1	मुहरवां	608	187	0	प्रा0वि0मोहरवाँ	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	3
238			2	यादवपुरवा	140	27	0	प्रा0वि0मोहरवाँ	1	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
239	111	सुरकिंहा	1	सुरकिहा	189	154	0	प्रा0वि0सुरखिआ	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
240	112	खरहुरी	1	खरहुरी	219	29	0	प्रा0वि0सुरखिआ	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
241	113	रम्पुरियाअब्बल	1	रम्पुरियाअब्बल	664	160	0	प्रा0वि0रामपुरिआ आबाद	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	4
242	114	चनहट	1	चनहट	901	231	0	प्रा0वि0चनहट	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	0
243			2	केवटनपुरवा	58	59	0	प्रा0वि0चनहट	1	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
244			3	यादवपुरवा	135	0	0	प्रा0वि0चनहट	1	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
245	115	हरदौली	1	हरदौली	1542	455	0	प्रा0वि0 हरदौली	0	उ0प्रा0वि0हरदौली	0
246			2	रम्पुरिया	206	70	0	प्रा0वि0रमपुरिया	0	उ0प्रा0वि0 रानापुर	3
247			3	अनीपुर	103	58	0	प्रा0वि0अनीपुर	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	2
248			4	अच्छिहापुरवा	387	0	0	प्रा0वि0चनहट	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
249			5	माउपुरवा	279	233	0	प्रा0वि0हरदौली	1	उ0प्रा0वि0हरदौली	2
250	116	लादागुठउपुर	1	लादागुठउपुर	296	174	0	प्रा0वि0गुठआपुर	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	2
251	117	मटीपुर	1	मटीपुर	0	0	0				

267

252	118	नेहदुवा	1	नेहदुवा	63	9	0			
253	119	गनीवा	1	गनीवां	886	350	0	प्रा0वि0गनीवॉप्रसिद्धपुर	0	उ0प्रा0वि0 गौहानी	2
254	120	नकिहाली	1	नकिहाली	253	111	0	प्रा0वि0गनीवॉप्रसिद्धपुर	1	उ0प्रा0वि0 गौहानी	2
255	121	गौहानीकाला	1	गौहानीकाला	737	146	0	प्रा0वि0 गौहानीकला	0	उ0प्रा0वि0 गौहानी	2
256			2	हरि0बस्ती	178	195	0	प्रा0वि0 गौहानीकला	0	उ0प्रा0वि0 गौहानी	0
257	122	दधिया	1	दधिया	327	129	0	प्रा0वि0 कंधवनिया	1	उ0प्रा0वि0 चनहट	0
258	123	खण्डेहाबनि	1	खण्डेहाबनि	751	75	0	प्रा0वि0 कंधवनिया	0	उ0प्रा0वि0 गौहानी	2
259			2	हरि0बस्ती	260	217	0	प्रा0वि0मडवारा	0	उ0प्रा0वि0 गौहानी	2
260	124	गढवारा	1	गढवारा	819	41	0	प्रा0वि0मडवारा	0	उ0प्रा0वि0 गौहानी	2
261			2	कुर्मिन	247	95	0	प्रा0वि0 गनीवा	0	उ0प्रा0वि0 गौहानी	1
262	125	लोढवारा बु0.	1	लोढवारा बु0.	164	147	0	प्रा0वि0 गनीवा	1	उ0प्रा0वि0 गौहानी	1
263			2	बरातीपुरवा	56	49	0	प्रा0वि0 गनीवा	0	उ0प्रा0वि0 गौहानी	3
264	126	उन्नायबन्ना	1	उन्नायबन्ना	640	316	0	प्रा0वि0 उन्ययबर्नी	0	उ0प्रा0वि0 गौहानी	3
265			2	गयाप्रसादपुरवा	116	20	0	प्रा0वि0 उन्ययबर्नी	2	उ0प्रा0वि0 गौहानी	3
266			3	बिन्दपुरवा	67	10	0	प्रा0वि0 उन्ययबर्नी	2		3
267	127	भटवरना	1	भटवरना	0	0	0				
268	128	व्यासवन्ना	2	व्यासवन्ना	406	141	0	प्रा0वि0 व्यासवर्धा	0	उ0प्रा0वि0गौहानी	4
269	129	बघवारा	1	बघवारा	630	238	0	प्रा0वि0 व्यासवर्धा	0	उ0प्रा0वि0गौहानी	4
270			2	कबालीपुरवा	61	6	0	प्रा0वि0 व्यासवर्धा	0	उ0प्रा0वि0गौहानी	4
271			3	घोबीपुरवा	24	25	0	प्रा0वि0 व्यासवर्धा	0	उ0प्रा0वि0गौहानी	2
272	130	मनरूचा	1	मनरूचा	22	16	0	प्रा0वि0 भुजौली	0	उ0प्रा0वि0गौहानी	5
273	131	भुजौलीमाफी	1	भुजौलीमाफी	521	165	0	प्रा0वि0 भुजौली	0	उ0प्रा0वि0गौहानी	5
274	132	देहरूचमापफी	1	देहरूचमापफी	685	202	0	प्रा0वि0 देहरूछमाफी	0	उ0प्रा0वि0गौहानी	5
275	133	सिकरिया	1	सिकरिया	613	179	0	प्रा0वि0सिकरिया	0	उ0प्रा0वि0गौहानी	5
276	134	पटवरियाअब्बल	1	पटवरियाअब्बल	0	0	0		0		
277	135	खरसेडा	1	खरसेंडा	1009	290	0	प्रा0वि0खरसेडा	0	उ0प्रा0वि0पहाडी	5
278			2	मगियापुरवा	41	21	0	प्रा0वि0खरसेडा	0	उ0प्रा0वि0पहाडी	1
279	136	तौरा	1	तौरा	1424	491	0	प्रा0वि0 तौरा	0	उ0प्रा0वि0तौरा	1
280			2	धोबिनपुरवा	57	54	0	प्रा0वि0 तौरा	0	उ0प्रा0वि0तौरा	1
281	137	नादी	1	नादी	1826	442	0	प्रा0वि0 नांदी 1व2	0	उ0प्रा0वि0 नॉदी –2	0
282			2	नोनमइसीपुरवा	128	0	0	प्रा0वि0 नांदी 1व2	1	उ0प्रा0वि0 नॉदी –2	1
283			3	अरखनपुरवा	84	88	0	प्रा0वि0 नांदी 1व2	1	उ0प्रा0वि0 नॉदी –2	1

268

284			4	गोकुलपुरवा	69	73	0	प्रा0वि0 नांदी 1व2	1	उ0प्रा0वि0 नॉदी –2	1
285			5	शिवपुर	117	0	0	प्रा0वि0 शिवपुरी	0	उ0प्रा0वि0 नॉदी –2	3
286	138	कपना	1	कपना	534	159	0	प्रा0वि0 कपना 1व2	0	उ0प्रा0वि0 कपोना	0
287			2	हरि0बस्ती	85	61	0	प्रा0वि0 कपना 1व2	0	उ0प्रा0वि0 कपोना	0
288	139	इटौरा	1	इटौरा	1297	345	0	प्रा0वि0 इटौरा	0	उ0प्रा0वि0 कपोना	1
289	140	सेमरवार	1	सेमरवार	686	238	0	प्रा0वि0 सेमरवार	0	उ0प्रा0वि0 नॉदी	2
290	141	बोधा	1	बोधा	417	131	0	प्रा0वि0 सेमरवार	0	उ0प्रा0वि0 नॉदी	2
291	142	रामपुरतरांव	1	रामपुरतरांव	0	0	0				
292	143	छेछरियाबु0	1	छेछरियाबु0	596	150	0	प्रा0वि0 छेछरिहा बुर्जुग	0	उ0प्रा0वि0 भौरी	4
293			2	यादवपुरवा	110	15	0				
294	144	छेछरियाखु0	1	छेछरियाखु0	534	140	0	प्रा0वि0 आनन्दपुर	0	उ0प्रा0वि0 भौरी	4
295			2	आनन्दपुर	463	75	0	प्रा0वि0 आनन्दपुर	0	उ0प्रा0वि0 भौरी	4
296			3	गडरियापुरवा	242	65	0	प्रा0वि0 भाभा माफी	0	उ0प्रा0वि0 भौरी	4
297	145	भाभामापफी	1	भाभामापफी	227	0	0	प्रा0वि0 मजियार	0	उ0प्रा0वि0 भौरी	3
298	146	मझियार	1	मझियार	270	116	0	प्रा0वि0 पचोखर	0	उ0प्रा0वि0 अशोह	3
299	147	पचोखर	1	पचोखर	825	159	0	प्रा0वि0 पचोखर	0	उ0प्रा0वि0 पहाडी	3
300			2	हरि0बस्ती	281	318	0	प्रा0वि0 पचोखर	1	उ0प्रा0वि0 पहाडी	3
301			3	यादवपुरवा	56	0	0	प्रा0वि0 पचोखर	1	उ0प्रा0वि0 पहाडी	3
302			4	गौतमपुरवा	28	0	0	प्रा0वि0 अशोह	1	उ0प्रा0वि0 पहाडी	0
303	148	अशोह	1	अशोह	2339	509	0	प्रा0वि0 चाकजफर माफी	0	उ0प्रा0वि0 अशोह	1
304	149	चकजाफरमाफी	1	चकजाफरमाफी	1040	272	0	प्रा0वि0 डुहरी माफी	0	उ0प्रा0वि0 चकौध	2
305	150	भुइहरीमाफी	1	भुइहरीमाफी	606	124	0	प्रा0वि0 डुहरी माफी	0	उ0प्रा0वि0 चकौध	2
306			2	अहिरनपुरवा	229	75	0	प्रा0वि0 चकौंध	0	उ0प्रा0वि0 चकौध	0
307	151	चकौध	1	चकौध	623	143	0	प्रा0वि0 चकौंध	1	उ0प्रा0वि0 चकौध	1
308			2	गुरदापुरवा	259	95	0	प्रा0वि0 कन्धईपुर	1	उ0प्रा0वि0 चकौध	3
309			3	गयापुरवा	243	40	0	प्रा0वि0 कन्धईपुर	0	उ0प्रा0वि0 चकौध	3
310			4	कंधईपुरवा	203	119	0	प्रा0वि0 बालापुर खालसा	0	उ0प्रा0वि0 कालूपुर	0
311	152	बालापुरखालसा	1	बालापुरखालसा	613	215	0	प्रा0वि0 भुइटरी	1	उ0प्रा0वि0 चकौध	3
312			2	रामसजीवनपुरवा	72	0	0	प्रा0वि0 कालूपुर	0	उ0प्रा0वि0 कालूपुर	1
313	153	कालूपुर	1	कालूपुर	96	0	0	प्रा0वि0 कालूपुर	1	उ0प्रा0वि0 कालूपुर	1
314			2	लोधनपुरवा	36	0	0	प्रा0वि0 कालूपुर	1	उ0प्रा0वि0 कालूपुर	1

विकास खण्ड चित्रकूट धाम कर्वी

क्रम संख्या	गाव कोड	नाम	हैविटेशन नम्बर	नाम	कुल जन संख्या	अनु जाति	अनु0जन जाति	गाव/मजरे को सेवित करने वाले प्रा0 वि0 का नाम	दूरी किमी0	गाव/मजरे को सेवित करने वाले प्र वि0 का नाम	मजरे से दूरी कि0मी0
1	1	गोंडा	1	गोंडा	1291	270	0	प्रा0वि0 गाण्डा	2	उ0पा0वि0 कोरोरी	3 कि0मी0
2			2	कोरारी	510	135	0	प्रा0वि0 गाण्डा	0	उ0पा0वि0 कोरोरी	4 कि0मी0
3			3	महादेव पुरवा	90	20	0	प्रा0वि0 कोरारी	3	उ0पा0वि0 कोरोरी	0 कि0मी0
4			4	कबरा पुरवा	120	34	0	प्रा0वि0 कोरारी	0	उ0पा0वि0 कोरोरी	3 कि0मी0
5			5	चुन्नी हरिजन का पुरवा	90	101	0				कि0मी0
6			6	करौहों का पुरवा	90	0	0				कि0मी0
7			7	हरिजन बस्ती	60	68	0				कि0मी0
8			8	चुन्ना यादव का पुरवा	30	0	0				कि0मी0
9			9	बीदर पुरवा	120	34	0				कि0मी0
10			10	हरिजन पुरवा	60	68	0				कि0मी0
11			11	रामराज का पुरवा	42	0	0				कि0मी0
12			12	मायादीन का पुरवा	48	0	0				कि0मी0
13			13	बदलासेक का पुरवा	30	0	0				कि0मी0
14			14	मोला यादव का पुरवा	120	0	0				कि0मी0
15			15	यादव पुरवा	120	0	0				कि0मी0
16			16	दुजनी पुरवा	30	7	0				कि0मी0
17			17	ंकर स्टोन मिल	31	0	0				कि0मी0
18	2	अकबर पुर	1	अकबर पुर	1050	300	0	प्रा0वि0 अकबरपुर	0	उ0पा0वि0 भरतकूप	1 कि0मी0
19			2	भरतकूप	1449	900	0	प्रा0वि1 अकबरपुर	1	उ0पा0वि0 भरतकूप	0 कि0मी0
20				नईदुनिया	2499	1200	0				0 कि0मी1
21	3	गजपति खुर्द	1	गजपति खुर्द	478	0	0	प्रा0वि0 रसिन	0	प्रा0वि0 रसिन	कि0मी0
22	4	रसिन	1	रसिन	1592	101	0	प्रा0वि0 अलखूखेाट	1	प्रा0वि0 रसिन	0 कि0मी0
23			2	महुवा का डेरा	67	13	0	प्रा0वि0 अलखूखेाट	1	प्रा0वि0 रसिन	4 कि0मी0
24			3	आबाहपुर	117	32	0	प्रा0वि0 अलखूखेाट	1	प्रा0वि0 रसिन	4 कि0मी0
25			4	यादव पुरवा	84	0	0	प्रा0वि0 अलखूखेाट	2	प्रा0वि0 रसिन	1 कि0मी0

221			3	पांडेपुरवा	294	24	0	प्रा0वि0पनौटी	1	उ0प्रा0वि0 लोहटा	3
222			4	हरि0बस्ती	122	70	0	प्रा0वि0सगवारा	1	उ0प्रा0वि0 लोहटा	1
223	100	पटनाखालसा	1	पटनाखालसा	536	149	0	प्रा0वि0पटना खालसा	0	उ0प्रा0वि0 सगवारा	2
224			2	पंडितनपुरवा	125	0	0	प्रा0वि0सगवारा	1	उ0प्रा0वि0 सगवारा	1
225	101	भटरी	1	भटरी	744	169	0	प्रा0वि0भटारी	0	उ0प्रा0वि0 भटरी	0
226			2	सुक्खापुरवा	26	28	0	प्रा0वि0भटारी	2	उ0प्रा0वि0 भटरी	1
227			3	यादवपुरवा	359	0	0	प्रा0वि0भटारी	2	उ0प्रा0वि0 भटरी	2
228	102	पटवरिसानी	1	पटवरिसानी	584	77	0	प्रा0वि0पटवरिया सानी	0	उ0प्रा0वि0 पटवरियासानी	0
229	103	डुडौली	1	डुडौली	510	46	0	प्रा0वि0दुदौली	0	उ0प्रा0वि0 कलवलिया	2
230			2	डमोलियापुर	115	70	0	प्रा0वि0दुदौली	1	उ0प्रा0वि0 कलवलिया	1
						160	0	प्रा0वि0 कलवलिया	0	उ0प्रा0वि0 कलवलिया	0
231	104	कलवलिया	1	कलवलिया	763	163	0	प्रा0वि0 लदेहटा	0	उ0प्रा0वि0 कलवलिया	0
232	105	लधेहटा	1	लधेहटा	194						
233	106	अर्जुनपुर	1	अर्जुनपुर	2029	172	0	प्रा0वि0अर्जुनपुर	0	उ0प्रा0वि0अर्जुनपुर	0
234	107	तेराखुर्द	1	तेराखुर्द	243	50	0	प्रा0वि0अर्जुनपर	3	उ0प्रा0वि0अर्जुनपुर	3
235	108	तेराबु0	1	तेराबु0	175	37	0	प्रा0वि0अर्जुनपर	3	उ0प्रा0वि0अर्जुनपुर	3
236	109	ढोलगवां	1	ढोलगवां	8	0	0	प्रा0वि0अर्जुनपर	3		
237	110	मुहरवां	1	मुहरवां	608	187	0	प्रा0वि0मोहरवॉ	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	3
238			2	यादवपुरवा	140	27	0	प्रा0वि0मोहरवॉ	1	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
239	111	सुरकिहा	1	सुरकिहा	189	154	0	प्रा0वि0सुरखिआ	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
240	112	खरहुरी	1	खरहुरी	219	29	0	प्रा0वि0सुरखिआ	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
241	113	रम्पुरियाअब्बल	1	रम्पुरियाअब्बल	664	160	0	प्रा0वि0रामपुरिआ आबाद	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	4
242	114	चनहट	1	चनहट	901	231	0	प्रा0वि0चनहट	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	0
243			2	केवटनपुरवा	58	59	0	प्रा0वि0चनहट	1	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
244			3	यादवपुरवा	135	0	0	प्रा0वि0चनहट	1	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
245	115	हरदौली	1	हरदौली	1542	455	0	प्रा0वि0 हरदौली	0	उ0प्रा0वि0हरदौली	0
246			2	रम्पुरिया	206	70	0	प्रा0वि0रमपुरिया	0	उ0प्रा0वि0 रानापुर	3
247			3	अनीपुर	103	58	0	प्रा0वि0अनीपुर	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	2
248			4	अच्छिहापुरवा	387	0	0	प्रा0वि0चनहट	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	1
249			5	भाउपुरवा	279	233	0	प्रा0वि0हरदौली	1	उ0प्रा0वि0हरदौली	2
250	116	लादागुठउपुर	1	लादागुठउपुर	296	174	0	प्रा0वि0गुठआपुर	0	उ0प्रा0वि0 चनहट	2
251	117	मटीपुर	1	मटीपुर	0	0	0				

56			2	पटटीदार पुरवा	289	37	0				कि0मी0
57	8	हण्डा	1	हण्डा	184	0	0	प्रा0वि0 बघेलाबारी	3	प्रा0वि0 कोलौहॉ	3 कि0मी0
58	9	पालपुर	1	पालपुर	0	0	0	प्रा0वि0 बघेलाबारी			कि0मी0
59	10	खेरिया	1	खेरिया	729	109	0	प्रा0वि0 बघेलाबारी			कि0मी0
60	11	कोलौहॉ	1	कोलौहॉ	659	202	0	प्रा0वि0 कोलौहॉ	0	प्रा0वि0 कोलौहॉ	0 कि0मी0
61	12	भगवतपुर	1	भगवतपुर	749	368	0	प्रा0वि0 भगवतपुर	0	प्रा0वि0 कोलौहॉ	1 कि0मी0
62	13	खण्डोहरा	1	खण्डोहरा	256	119	0	प्रा0वि0 भगवतपुर			कि0मी0
63	14	भवानीपुर	1	भवानीपुर	322	25	0	प्रा0वि0 भवानीपुर	0	प्रा0वि0 कोलौहॉ	1 कि0मी0
64			2	कोरी पुरवा	130	114	0	प्रा0वि0 भवानीपुर	1	प्रा0वि0 कोलौहॉ	1 कि0मी0
65			3	गिरधारी	42	37	0	प्रा0वि0 भवानीपुर	1	प्रा0वि0 कोलौहॉ	1 कि0मी0
66	15	अमिलिहा	1	अमिलिहा			0	प्रा0वि0 अमिलिहा	0	प्रा0वि0 धौरारी	3 कि0मी0
67	16	पतौडा	1	पतौडा			0	प्रा0वि0 पतौडा	0	प्रा0वि1 रौलीकल्याणपुर	3 कि0मी0
68			2	लूक			0	प्रा0वि0 लूक	0		कि0मी0
69			3	अरछा पुरवा			0	प्रा0वि0 पतौडा	2		कि0मी0
70			4	खूनी पुरवा	305		0	प्रा0वि0 पतौडा	3		कि0मी0
71			5	सबरसी पुरवा			0	प्रा0वि0 पतौडा	2		कि0मी0
72			6	दनेय पुरवा			0	प्रा0वि0 पतौडा	2		कि0मी0
73	17	सुदिन पुर	1	सुदिन पुर			0	प्रा0वि0 सुदिनपुर	0		0 कि0मी0
74			2	पाण्डेय पुरवा			0	प्रा0वि0 पाण्डेय पुरवा			कि0मी0
75			3	माधवताला	314	18	0	प्रा0वि0 सुदिनपुर	3		0 कि0मी0
76	18	रौली कल्याणपुर	1	रौली कल्याणपुर	2460	840	0	प्रा0वि0 रौली कल्याणपुर	0	उ0पा0वि0 रौलीकल्याणपुर	0 कि0मी0
77			2	भोला का पुरवा	415	0	0	प्रा0वि0 रौली कल्याणपुर	2	उ0पा0वि0 रौलीकल्याणपुर	2 कि0मी0
78			3	धनी का पुरवा	306	12	0	प्रा0वि0 रौली कल्याणपुर	3	उ0पा0वि0 रौलीकल्याणपुर	3 कि0मी0
79			4	बजनी पुरवा	380	30	0	प्रा0वि0 रौली कल्याणपुर	4	उ0पा0वि0 रौलीकल्याणपुर	4 कि0मी0
80			5	अहिरन पुरवा	154	0	0	प्रा0वि0 रौली कल्याणपुर	2	उ0पा0वि0 रौलीकल्याणपुर	2 कि0मी0
81	19	करारी	1	करारी			0	प्रा0वि0 करारी	0		कि0मी0
82	20	गोबरिया	1	गोबरिया	1561	11	0	प्रा0वि0 गोबरिया	0	उ0पा0वि0 शिवरामपुर	4 कि0मी0
83	21	टिटिहरा	1	टिटिहरा			0	प्रा0वि0 टिटिहरा	0	उ0पा0वि0 भरतकूप	6 कि0मी0
84	22	मउ	1	मउ			0	प्रा0वि0 मउ	0	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	3 कि0मी0
85			2	करेडी	426	12	0	प्रा0वि0 मउ	3	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	2 कि0मी0

86			3	कठारे			0	प्रा0वि0 मउ	2	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	3 कि0मी0
87			4	अमनार			0	प्रा0वि0 मउ	3	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	2 कि0मी0
88			5	मिरिया			0	प्रा0वि0 मउ	2	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	3 कि0मी0
89			6	दुर्जन पुरवा			0	प्रा0वि0 मउ	3	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	2 कि0मी0
90			7	मदावल			0	प्रा0वि0 मउ	2	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	3 कि0मी0
91			8	बरातीर			0	प्रा0वि0 मउ	3	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	2 कि0मी0
92			9	गयादीन का पुरवा			0	प्रा0वि0 मउ	2	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	2 कि0मी0
93			10	जरियारी			0	प्रा0वि0 मउ	2	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	2 कि0मी0
94			11	भइयालाल पुरवा			0	प्रा0वि0 मउ	2	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	2 कि0मी0
95			12	धतुरन पुरवा			0	प्रा0वि0 मउ	2	उ0पा0वि0 मउ टिटिहरा	2 कि0मी0
96	23	धौरहरी	1	धौरहरी			0	प्रा0वि0 धौरहरी		उ0पा0वि0 धौरहरी	0 कि0मी0
97	24	लेवझा	1	लेवझा	468	27	0	प्रा0वि0 धौरहरी	3	उ0पा0वि0 धौरहरी	3 कि0मी0
98	25	लोखरिहा	1	लोखरिहा	75	9	0	प्रा0वि0 सिलखेरी	1	पू0मा0वि0 घुरेटनपर	2 कि0मी0
99			2	भउवापुरवा	87	9	0	प्रा0वि0 सिलखेरी	1	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	2 कि0मी0
100	26	ढोलबजा	1	ढोलबजा	210	141	0	प्रा0वि0 ढोलबजा	0	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	2 कि0मी0
101			2	बिशालपुरवा	90	55	0	प्रा0वि0 ढोलबजा	1	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	3 कि0मी0
102	27	घुरेटनपुर	1	घुरेटनपुर	487	64	0	प्रा0वि0 घुरेटनपुर	0	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	0 कि0मी0
103			2	पनिहनपुरवा	124	25	0	प्रा0वि0 घुरेटनपुर	1	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	1 कि0मी0
104			3	बगैहापुरवा	287	37	0	प्रा0वि0 बगैहापुरवा	0	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	1 कि0मी0
105			4	ललिनपुरवा	117	16	0	प्रा0वि0 ललिनपुरवा	1	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	1 कि0मी0
106			5	कल्लपुरवा	121	19	0	प्रा0वि0 ललिनपुरवा	1	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	1 कि0मी0
107			6	डाकियापुरवा	138	25	0	प्रा0वि0 ललिनपुरवा	1	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	1 कि0मी0
108			7	बिशालीपुरवा	292	44	0	प्रा0वि0 ललिनपुरवा	1	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	1 कि0मी0
109	28	मानपुर	1	मानपुर	444	43	0	प्रा0वि0 मानपुर	0	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	2 कि0मी0
110			2	अहिरन पुरवा	107	16	0	प्रा0वि0 मानपुर	1	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	2 कि0मी0
111			3	खोहपुरवा	214	24	0	प्रा0वि0 मानपुर	2	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	3 कि0मी0
112			4	भइयालाल पुरवा	205	29	0	प्रा0वि0 मानपुर	1	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	3 कि0मी0
113			5	खम्हरिहा	651	97	0	प्रा0वि0 खम्हरिहा	0	पू0मा0वि0 खम्हरिया	1 कि0मी0
114			6	नौबस्ता	69	18	0	प्रा0वि0 खम्हरिहा	1	पू0मा0वि0 खम्हरिया	1 कि0मी0
115			7	गिरधारीपुरवा	278	36	0	प्रा0वि0 खम्हरिहा	3	पू0मा0वि0 खम्हरिया	3 कि0मी0

117			9	मउठापुरवा	172	36	0	प्रा0वि0 खम्हरिहा	1	पू0मा0वि0 खम्हरिया	0 कि0मी0
118	29	कुल्हुवामाफी	1	कुल्हुवामाफी	97	86	0	प्रा0वि0 कुल्हुवामाफी	0	पू0मा0वि0 खम्हरिया	1 कि0मी0
119	30	सिलखोरी	1	सिलखोरी	146	28	0	प्रा0वि0 सिलखोरी	0	पू0मा0वि0 घुरेटनपर	2 कि0मी0
120			2	पत्तीलालपुरवा	55	15	0	प्रा0वि0 सिलखोरी	1	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	1 कि0मी0
121	31	बन्दरी	1	बन्दरी	490	118	0	प्रा0वि0 बन्दरी	0	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	1 कि0मी0
122			2	मिठइहापुरवा	77	34	0	प्रा0वि0 सिलखोरी	1	पू0मा0वि0 घुरेटनपंर	3 कि0मी0
123	32	सभापुर	1	समापुर	440	22	0	प्रा0वि0 समापुर	1	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	5 कि0मी0
124	33	पीतूपुर	1	पीतूपुर	0	0	0			पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	6 कि0मी0
125	34	बराछ	1	बराछ	400	59	0	प्रा0वि0 समापुर	0	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	6 कि0मी0
126			2	तुलसीगंज	110	22	0	प्रा0वि0 बराछ	0	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	3 कि0मी0
127			3	अहिरन पुरवा	40	8	0	प्रा0वि0 बराछ	1	पू0मा0वि0 मैनहाई	0 कि0मी0
128	35	मैनहाई	1	मैनहाई	962	121	0	प्रा0वि0 मैनहाई	0	पू0मा0वि0 मैनहाई	2 कि0मी0
129			2	बौनापुरवा	500	80	0	प्रा0वि0 मैनहाई	2	पू0मा0वि0 मैनहाई	2 कि0मी0
130	36	रानीपुरखाकी	1	रानीपुरखाकी	596		0	प्रा0वि0 रानीपुरखाकी		पू0मा0वि0 खोही	6 कि0मी0
131	37	बरमपुर	1	बरमपुर	335		0	प्रा0वि0 संग्रामपुर	2	पू0मा0वि0 खोही	5 कि0मी0
132			2	प्रधानपुरवा	43		0	प्रा0वि0 संग्रामपुर		पू0मा0वि0 खोही	5 कि0मी0
133	38	हरसौली	1	हरसौली	27		0	प्रा0वि0 संग्रामपुर	2	पू0मा0वि0 खोही	5 कि0मी0
134	39	संग्रामपुर	1	संग्रामपुर	451		0	प्रा0वि0 संग्रामपुर	1	पू0मा0वि0 खोही	3 कि0मी0
135			2	रामलालपुरवा	95		0	प्रा0वि0 संग्रामपुर		पू0मा0वि0 खोही	3 कि0मी0
136			3	ठकुरान का पुरवा	102		0	प्रा0वि0 संग्रामपुर	2	पू0मा0वि0 खोही	3 कि0मी0
137			4	रामेश्वरपुरवा	85		0	प्रा0वि0 संग्रामपुर	2	पू0मा0वि0 खोही	3 कि0मी0
138			5	जगन्नाथपुरवा	78		0	प्रा0वि0 संग्रामपुर	2	पू0मा0वि0 खोही	3 कि0मी0
139	40	खोही	1	खोही	2455		0	प्रा0वि0 खोही	2	पू0मा0वि0 खोही	कि0मी0
140	41	चकमूपत	1	चकमूपत	411		0	प्रा0वि0 रजोला		पू0मा0वि0 खोही	3 कि0मी0
141	42	छपरामाफी	1	छपरामाफी	545		0	प्रा0वि0 छपरामाफी	1	पू0मा0वि0 मैनहाई	3 कि0मी0
142			2	भरोसीपुरवा	391		0	प्रा0वि0 छपरामाफी		पू0मा0वि0 मैनहाई	3 कि0मी0
143			3	धोबिनपुरवा	130		0	प्रा0वि0 छपरामाफी	2	पू0मा0वि0 मैनहाई	3 कि0मी0
144			4	कलुवापुरवा	681		0	प्रा0वि0 छपरामाफी	2	पू0मा0वि0 मैनहाई	3 कि0मी0
145	43	ठर्री	1	ठर्री	497		0	प्रा0वि0 भगनपुर	2	पू0मा0वि0 मैनहाई	4 कि0मी0

273

274

146	44	भगनपुर	1	भगनपुर	770		0	प्रा0वि0 भगनपुर	3	पू0मा0वि0 खोही	4 कि0मी0
147	45	बालापुरमाफी	1	बालापुरमाफी	510		0	प्रा0वि0 बालापुरमाफी		पू0मा0वि0 खोही	3 कि0मी0
148	46	बन्दरकोल	1	बन्दरकोल	231		0	प्रा0वि0 बन्दरकोल		पू0मा0वि0 खोही	3 कि0मी0
149			2	रामसजीवनपुरवा	54		0	प्रा0वि0 बन्दरकोल		पू0मा0वि0 खोही	3 कि0मी0
150			3	हरिनजपुरवा	46		0	प्रा0वि0 बन्दरकोल	1	पू0मा0वि0 खोही	3 कि0मी0
151			4	मैरोकापुरवा	66		0	प्रा0वि0 बन्दरकोल	1	पू0मा0वि0 खोही	3 कि0मी0
152	47	चकलोहारार	1	चकलोहासर	83		0	प्रा0वि0 बन्दरकोल	1	पू0मा0वि0 खोही	4 कि0मी0
153	48	चित्रागोकुलपुर	2	चित्रागोकुलपुर	498		0	प्रा0वि0 चित्रागोकुलपुर	0	पो0इं0का सीतापुर	1 कि0मी0
154			3	दर्जीपुरवा	111		0	प्रा0वि0 चित्रागोकुलपुर	1	पो0इं0का सीतापुर	2 कि0मी0
155			4	रामप्रसादपुरवा	121		0	प्रा0वि0 चित्रागोकुलपुर	2	पो0इं0का सीतापुर	3 कि0मी0
156			5	मुसलमानपुरवा	143		0	प्रा0वि0 चित्रागोकुलपुर	2	पो0इं0का सीतापुर	3 कि0मी0
157			6	कल्लूपुरवा	113		0	प्रा0वि0 चित्रागोकुलपुर	2	पो0इं0का सीतापुर	3 कि0मी0
158			7	बुआचमनपुरवा	148		0	प्रा0वि0 चित्रागोकुलपुर	2	पो0इं0का सीतापुर	3 कि0मी0
159			8	रामकिशनपुरवा	133		0	प्रा0वि0 चित्रागोकुलपुर	1	पो0इं0का सीतापुर	2 कि0मी0
160			9	ार बगीचापुरवा	160		0	प्रा0वि0 चित्रागोकुलपुर	2	पो0इं0का सीतापुर	3 कि0मी0
161			10	सीतापुर ग्रामीण	1169		0	प्रा0वि0 सीतापुर		पो0इं0का सीतापुर	कि0मी0
162			11	यादव पुरवा	377		0	प्रा0वि0 सीतापुर		पो0इं0का सीतापुर	कि0मी0
163			12	काछिनपुरवा	288		0	प्रा0वि0 सीतापुर		पो0इं0का सीतापुर	1 कि0मी0
164			13	किलाबाग	84		0	प्रा0वि0 कटरागूदर		पो0इं0का सीतापुर	1 कि0मी0
165			14	मनोहरगंज	312		0	प्रा0वि0 मनोहरगंज	3	पो0इं0का सीतापुर	3 कि0मी0
166			15	काछिनपुरवा	398		0	प्रा0वि0 मनोहरगंज		पो0इं0का सीतापुर	4 कि0मी0
167			16	अरखनपुरवा	128		0	प्रा0वि0 मनोहरगंज	2	पो0इं0का सीतापुर	4 कि0मी0
168			17	मुराइनपुरवा	246		0	प्रा0वि0 मनोहरगंज	2	पो0इं0का सीतापुर	4 कि0मी0
169			18	गलबलपुरवा	97		0	प्रा0वि0 मनोहरगंज	1	पो0इं0का सीतापुर	4 कि0मी0
170	49	भीषमपुर	1	भीषमपुर	395	0	0	प्रा0वि0 भीषमपुर	0	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
171	50	पहरा	1	पहरा	1724	135	0	प्रा0वि0 पहरा	0	पू0मा0वि0 पहरा	0 कि0मी0
172			2	खटन का पुरवा	0	0	0	प्रा0वि0 पहरा		पू0मा0वि0 पहरा	कि0मी0
173			3	दासीपुरवा	68	11	0	प्रा0वि0 भीषमपुर	1	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
174			4	सेहरा	209	16	0	प्रा0वि0 बीहर	2	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
175			5	बीहर	240	23	0	प्रा0वि0 बीहर	0	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0

176			6	सीतारामपुरवा	86	16	0	प्रा0वि0 पहरा	1	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
177			7	डढिया	157	22	0	प्रा0वि0 डढिया	0	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
178			8	कोल्हूखेर	72	15	0	प्रा0वि0 डढिया	1	पू0मा0वि0 पहरा	1 कि0मी0
179			9	बरूई	244	30	0	प्रा0वि0 पहरा	2	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
180			10	बटीवापुरवा	86	18	0	प्रा0वि0 पहरा	1	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
181			11	छटन का पुरवा	65	18	0	प्रा0वि0 बीहर	1	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
182			12	रगपुरवा	267	35	0	प्रा0वि0 बैहार	2	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
183			13	गुलाब का पुरवा	0	0	0	प्रा0वि0 बैहार		पू0मा0वि0 पहरा	कि0मी0
184	51	बैहार	1	बैहार	557	86	0	प्रा0वि0 बैहार	0	पू0मा0वि0 पहरा	3 कि0मी0
185			2	महिपाल का पुरवा	172	24	0	प्रा0वि0 ढोकहापुरवा	1	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
186			3	महराज पुरवा	44	8	0	प्रा0वि0 ढोकहापुरवा	1	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
187			4	ढोकहापुरवा	134	19	0	प्रा0वि0 ढोकहापुरवा	1	पू0मा0वि0 तरांव	2 कि0मी0
188			5	बिसुन्थापुरवा	40	0	0	प्रा0वि0 ढोकहापुरवा	1	पू0मा0वि0 पहरा	2 कि0मी0
189	52	रामपुरमाफी	1	रामपुरमाफी	268	258	0	प्रा0वि0 रामपुरमाफी	0	पू0मा0वि0 भरतकूपस्टेशन	1 कि0मी0
190	53	भरतपुर भैसौधा	1	भरतपुर भैसौधा	531	165	0	प्रा0वि0 भरतकूप मंदिर	2	पू0मा0वि0 भरतकूपस्टेशन	3 कि0मी0
191			2	खपटिहापुरवा	163	57	0	प्रा0वि0 खपटिहा	0	पू0मा0वि0 भरतकूपस्टेशन	2 कि0मी0
192	54	भरथौल	1	भरथौल	397	96	0	प्रा0वि0 भरथौल	0	पू0मा0वि0 भरथौल	0 कि0मी0
193			2	हरिजन पुरवा	360	61	0	प्रा0वि0 भरथौल	1	पू0मा0वि0 भरथौल	1 कि0मी0
194			3	चौकीडान	338	49	0	प्रा0वि0 भरथौल	2	पू0मा0वि0 भरथौल	2 कि0मी0
195			4	बलरामपुर	308	63	0	प्रा0वि0 भरथौल	1	पू0मा0वि0 भरथौल	2 कि0मी0
196	55	भारतपुर पहरा	1	मारतपुर पहरा	487	143	0	प्रा0वि0 भरतकूप मंदिर	1	पू0मा0वि0 भरतकूप स्टेशन	3 कि0मी0
197	56	हरिहरपुर	1	हरिहरपुर	611	81	0	प्रा0वि0 हरिहरपुर	0	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	3 कि0मी0
198			2	नयाछिवलहा	303	48	0	प्रा0वि0 हरिहरपुर	2	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	4 कि0मी0
199	57	दुगवों	1	दुगवों	997	278	0	प्रा0वि0 दुगवों	0	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	2 कि0मी0
200	58	रामपुर पालदेव	1	रामपुर पालदेव	371	0	0	प्रा0वि0 मुकुन्दपुर	1	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	1 कि0मी0
201	59	खरैहा	1	खरैहा	336	36	0	प्रा0वि0 दुगवों	3	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	3 कि0मी0
202			2	अनुसुइया पुरवा	123	21	0	प्रा0वि0 दुगवों	2	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	2 कि0मी0
203	60	मुकुन्दपुर	1	मुकुन्दपुर	765	244	0	प्रा0वि0 मुकुन्दपुर	0	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	0 कि0मी0
204			2	बरहाईपुरवा	197	61	0	प्रा0वि0 मुकुन्दपुर	0	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	1 कि0मी0
205	61	मवईतरौंव	1	मवईतरौंव	93	93	0	प्रा0वि0 शिवराजपुर	1	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	2 कि0मी0

206	62	मवईपहरा	1	मवईपहरा	87	87	0	प्रा0वि0 शिवराजपुर	1	पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	2 कि0मी0
207	63	भरतपुर तरौंव	1	भरतपुर तरौंव	798	65	0	प्रा0वि0 भरतकूप मंदिर	1	पू0मा0वि0 भरतकूप स्टेशन	3 कि0मी0
208			2	भरतकूप मन्दिर	81	4	0	प्रा0वि0 भरतकूप मंदिर	0	पू0मा0वि0 भरतकूप स्टेशन	2 कि0मी0
209	64	शिवराजपुर माफी	1	शिवराजपुर माफी	437	99	0	प्रा0वि0 शिवराजपुर		पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	2 कि0मी0
210	65	शिवराजपुर पहरा	1	शिवराजपुर पहरा	0	0	0	प्रा0वि0 शिवराजपुर		पू0मा0वि0 मुकुन्दपुर	0 कि0मी0
211	66	अमिसपुर छिवलहा	1	अमिसपुर छिवलहा	259	23	0	प्रा0वि0 छिवलहा	0	पू0मा0वि0 बिहारा	1 कि0मी0
212	67	बिहारा	1	बिहारा	1517	186	0	प्रा0वि0 बिहारा	0	पू0मा0वि0 बिहारा	0 कि0मी0
213			2	हरिजन पुरवा	126	19	0	प्रा0वि0 बिहारा	1	पू0मा0वि0 बिहारा	1 कि0मी0
214			3	रामसइयापुरवा	181	29	0	प्रा0वि0 बिहारा	1	पू0मा0वि0 बिहारा	2 कि0मी0
215			4	होलीपुरवा	226	37	0	प्रा0वि0 बिहारा	1	पू0मा0वि0 बिहारा	1 कि0मी0
216			5	बरगदहापुरवा	231	28	0	प्रा0वि0 बिहारा	0	पू0मा0वि0 बिहारा	1 कि0मी0
217			6	निबुहापुरवा	302	0	0	प्रा0वि0 बिहारा	1	पू0मा0वि0 बिहारा	2 कि0मी0
218	68	बनाडी	1	बनाडी	1065	183	0	प्रा0वि0 बनाडी	0	उ0प्रा0वि सिद्धपुर	2 कि0मी0
219	69	गढीवा	1	गढीवा	456	53	0	प्रा0वि0 गढीवा	0	पू0मा0वि0 सिद्धपुर	3 कि0मी0
220	70	यादव पुरवा	1	यादव पुरवा	157	26	0	प्रा0वि0 गढीवा	1	पू0मा0वि0 सिद्धपुर	4 कि0मी0
221	71	षिनपुरवा	1	षिनपुरवा	138	15	0	प्रा0वि0 गढीवा	1	पू0मा0वि0 सिद्धपुर	4 कि0मी0
222	72	बिनायकपुर	1	बिनायकपुर	315	41	0	प्रा0वि0 बिनायकपुर	0	पू0मा0वि0 सिद्धपुर	1 कि0मी0
223	72	सिद्धपुर	1	सिद्धपुर	1170	199	0	प्रा0वि0 सिद्धपुर	0	पू0मा0वि0 सिद्धपुर	0 कि0मी0
224	74	कोलगदहिया	1	कोलगदहिया	903	140	0	प्रा0वि0 कोलगदहिया	0	पू0मा0वि0 खोह –कर्वी	4 कि0मी0
225			2	गदहिया	508	100	0	प्रा0वि0 कोलगदहिया	3	पू0मा0वि0 खोह –कर्वी	5 कि0मी0
226			3	धोबिनपुरवा	231	21	0	प्रा0वि0 कोलगदहिया	3	पू0मा0वि0 खोह –कर्वी	5 कि0मी0
227			4	पारस का पुरवा			0	प्रा0वि0 कोलगदहिया	1	पू0मा0वि0 खोह –कर्वी	3 कि0मी0
228			5	कछार पुरवा	883	123	0	प्रा0वि0 कोल/कर्वी	3	पू0मा0वि0 खोह –कर्वी	5 कि0मी0
229			6	मरजादपुर	390	54	0	प्रा0वि0 कोल	2	पू0मा0वि0 खोह	3 कि0मी0
230	75	पाहीकालूपुर	1	पाहीकालूपुर	835	133	0	प्रा0वि0 पाहीकालूपुर	0	पू0मा0वि0 खोह/कर्वी	3 कि0मी0
231			2	कुम्हारन पुरवा	619	80	0	प्रा0वि0 पाहीकालूपुर	2	पू0मा0वि0 खोह/कर्वी	3 कि0मी0
232			3	सुखनन्दनपुर	170	30	0	प्रा0वि0 पाहीकालूपुर	0	पू0मा0वि0 खोह/कर्वी	0 कि0मी0
233	76	खोह	1	खोह	3946	483	0	प्रा0वि0 खोह	0	पू0मा0वि0 खोह	0 कि0मी0
234	77	रेहुँटिया	1	रेहुँटिया	1029	200	0	प्रा0वि0 रेहुँटिया	1	पू0मा0वि0 रेहुटिया	1 कि0मी0
235			2	अहिरन पुरवा	270	26	0	प्रा0वि0 रेहुँटिया	0	पू0मा0वि0 रेहुटिया	2 कि0मी0

276

236	78	सेमरियाचरनदासी	1	सेमरियाचरनदासी	974	304	0	प्रा0वि0 सेमरियाचरनदासी	2	पू0मा0वि0 रेहुटिया	2 कि0मी0
237			2	बेहनन पुरवा	383	84	0	प्रा0वि0 सेमरियाचरनदासी	0	पू0मा0वि0 रेहुटिया	3 कि0मी0
238	79	गीतलपुर तरौहाँ	1	गीतलपुर तरौहाँ	1096	180	0	प्रा0वि0 गीतलपुर तरौहाँ	0	पू0मा0वि0 ऐचवारा	2 कि0मी0
239	80	इटरौर भीषमपुर	1	इटरौर भीषमपुर	804		0	प्रा0वि0 इटरौर भीषमपुर	0	उ0प्रा0वि चकौंध	3 कि0मी0
240			2	बनवारीपुर	352		0	प्रा0वि0 बनवारीपुर	0	पू0मा0वि0 कसहाई	1 कि0मी0
241			3	कुचबन्धियापुरवा	123		0	प्रा0वि0 बनवारीपुर	0	पू0मा0वि0 कसहाई	1 कि0मी0
242	81	कठीपुर	1	कंठीपुर	1568		0	प्रा0वि0 कंठीपुर	0	पू0मा0वि0 कंठीपुर	0 कि0मी0
243			2	शिवनायक पुरवा	101		0	प्रा0वि0 कंठीपुर	1	पू0मा0वि0 कंठीपुर	1 कि0मी0
244			3	कोटा	112		0	प्रा0वि0 कंठीपुर	1	पू0मा0वि0 कंठीपुर	1 कि0मी0
245			4	अमरपुर	119		0	प्रा0वि0 कंठीपुर	1	पू0मा0वि0 कंठीपुर	1 कि0मी0
246	82	रगौली	1	रगौली	1548		0	प्रा0वि0 रगौली	0	पू0मा0वि0 रगौली	0 कि0मी0
247			2	लोधनपुरवा			0	प्रा0वि0 रगौली	1	पू0मा0वि0 रगौली	1 कि0मी0
248			3	कहारनपुरवा	92		0	प्रा0वि0 रगौली	1	पू0मा0वि0 रगौली	1 कि0मी0
249			4	गडरियनपुरवा	215		0	प्रा0वि0 रगौली	1	पू0मा0वि0 रगौली	1 कि0मी0
250			5	कुम्हारन पुरवा	54		0	प्रा0वि0 रगौली	1	पू0मा0वि0 रगौली	1 कि0मी0
251			6	केंचनपुर	0		0	प्रा0वि0 रगौली		पू0मा0वि0 रगौली	1 कि0मी0
252	83	लौढियाखुर्द	1	लौढियाखुर्द	1158		0	प्रा0वि0 लौढियाखुर्द	0	पू0मा0वि0 कसहाई	0 कि0मी0
253			2	लक्ष्मणपुर			0	प्रा0वि0 लौढियाखुर्द		पू0मा0वि0 कसहाई	3 कि0मी0
254	84	कसहाई	1	कसहाई	3204		0	प्रा0वि0 कसहाई	0	पू0मा0वि0 कसहाई	0 कि0मी0
255			2	कुंजनपुरवा	784		0	प्रा0वि0 कुंजनपुरवा	0	पू0मा0वि0 कर्वी	0 कि0मी0
256			3	रहुनिया	821		0	प्रा0वि0 नईदुनिया	0	पू0मा0वि0 कसहाई	1 कि0मी0
257	85	सपहा	1	सपहा	1003		0	प्रा0वि0 सपहा	0	पू0मा0वि0 सपहा	1 कि0मी0
258			2	निर्बलआवास	35		0	प्रा0वि0 सपहा	1	पू0मा0वि0 सपहा	0 कि0मी0
259			3	रहुनिया	385		0	प्रा0वि0 सपहा	1	पू0मा0वि0 सपहा	1 कि0मी0
260			4	लौढिया बुजुर्ग	523		0	प्रा0वि0 लौढियाखुर्द	1	पू0मा0वि0 कसहाई	1 कि0मी0
261	86	कठीपुर	1	अमरपुर	112		0	प्रा0वि0 लौढियाखुर्द	1	पू0मा0वि0 कसहाई	4 कि0मी0
262			2	कोटाकंठीपुर	119		0	प्रा0वि0 लौढियाखुर्द	0	पू0मा0वि0 कसहाई	0 कि0मी0
263	87	सकरौली	1	सकरौली	1025		0	प्रा0वि0 सकरौली	0	पू0मा0वि0 ओरा	4 कि0मी0
264			2	डिघरी	30		0	प्रा0वि0 सकरौली	4	पू0मा0वि0 ओरा	3 कि0मी0
265			3	यादव पुरवा	20		0	प्रा0वि0 सकरौली	2	पू0मा0वि0 ओरा	3 कि0मी0

266			4	धोबिनपुरवा	25		0	प्रा0वि0 सकरौली	1	पू0मा0वि0 ओरा	2 कि0मी0
267			5	केवटनपुरवा	100		0	प्रा0वि0 जनपद बांदा	4	पू0मा0वि0 परसौंजा	4 कि0मी0
268			6	खैरी	325		0	प्रा0वि0 सकरौली	4	पू0मा0वि0 ओरा	[illegible] कि0मी0
269			7	अहिरन पुरवा	9		0	प्रा0वि0 सकरौली	4	पू0मा0वि0 ओरा	3 कि0मी0
270	88	कहेटामाफी	1	कहेटामाफी	875		0	प्रा0वि0 कहेटामाफी		पू0मा0वि0 परसौंजा	6 कि0मी0
271			2	यादव पुरवा	370		0	प्रा0वि0 कहेटामाफी	3	पू0मा0वि0 परसौंजा	4 कि0मी0
272			3	ठकुरन पुरवा	80		0	प्रा0वि0 कहेटामाफी	2	पू0मा0वि0 परसौंजा	4 कि0मी0
273	89	पटियाजप्ती	1	पटियाजप्ती	755		0	प्रा0वि0 पटियाजप्ती		पू0मा0वि0 परसौंजा	4 कि0मी0
274			2	नईदुनिया	95		0	प्रा0वि0 पटियाजप्ती		पू0मा0वि0 परसौंजा	4 कि0मी0
275			3	दलपतपुर	9		0	प्रा0वि0 सकरौली	1	पू0मा0वि0 परसौंजा	6 कि0मी0
276			4	गडरहापुरवा			0	प्रा0वि0 सकरौली		पू0मा0वि0 परसौंजा	कि0मी0
277	90	कौहारी	1	कौहारी	498		0	प्रा0वि0 कौहारा	0	पू0मा0वि0 गढीघाट	3 कि0मी0
278			2	बुद्ध का पुरवा	255		0	प्रा0वि0 बूददूकापुरवा		पू0मा0वि0 गढीघाट	3 कि0मी0
279			3	गंगू पुरवा	120		0	प्रा0वि0 बूददूकापुरवा	1	पू0मा0वि0 गढीघाट	3 कि0मी0
280	91	सांइपुरमाफी	1	सांइपुरमाफी	1257		0	प्रा0वि0 सांईपुर	0	पू0मा0वि0 गढीघाट	1 कि0मी0
281			2	मदारी का पुरवा			0	प्रा0वि0 सांईपुर		पू0मा0वि0 गढीघाट	कि0मी0
282			3	यादव पुरवा			0	प्रा0वि0 सांईपुर		पू0मा0वि0 गढीघाट	कि0मी0
283	92	परसौजा	1	परसौजा	3362		0	प्रा0वि0 परसौजा	0	पू0मा0वि0 परसौंजा	0 कि0मी0
284			2	सुलवान का पुरवा	350		0	प्रा0वि0 परसौजा	3	पू0मा0वि0 परसौंजा	3 कि0मी0
285			3	भोला का पुरवा	500		0	प्रा0वि0 भोला का पुरवा		पू0मा0वि0 परसौंजा	4 कि0मी0
286			4	यादव पुरवा	30		0	प्रा0वि0 परसौजा	2	पू0मा0वि0 परसौंजा	2 कि0मी0
287			5	हेलवा पुरवा			0	प्रा0वि0 परसौजा		पू0मा0वि0 परसौंजा	कि0मी0
288			6	धोबिनपुरवा	8		0	प्रा0वि0 परसौजा	2	पू0मा0वि0 परसौंजा	2 कि0मी0
289	93	चिल्लामाफी	1	चिल्लामाफी	913		0	प्रा0वि0 चिल्लामाफी		पू0मा0वि0 परसौंजा	2 कि0मी0
290			2	अहिरन पुरवा	456		0	प्रा0वि0 चिल्लामाफी	2	पू0मा0वि0 परसौंजा	4 कि0मी0
291	94	भैसौधा	1	भैसौधा	3057		0	प्रा0वि0 भैसौधा	0	उ0प्रा0वि भैसौधा	0 कि0मी0
292			2	चाउपुरवा			0	प्रा0वि0 भैसौधा			कि0मी0
293			3	भोरवापुरवा			0	प्रा0वि0 भैसौधा			कि0मी0
294			4	नकीबपुरवा	331		0	प्रा0वि0 भोरवापुरवा	2	उ0प्रा0वि भैसौधा	5 कि0मी0
295			5	गयापुरवा	237		0	प्रा0वि0 भोरवापुरवा	1	उ0प्रा0वि भैसौधा	5 कि0मी0

279

296			6	छितानीपुरवा	262		0	प्रा0वि0 भोरवापुरवा	1	उ0प्रा0वि भैसौधा	3 कि0मी0
297			7	गरेहापुरवा	373		0	प्रा0वि0 भोरवापुरवा	0	उ0प्रा0वि भैसौधा	3 कि0मी0
298			8	धनुषधारीपुरवा	184		0	प्रा0वि0 सहादेवपुरवा	1	उ0प्रा0वि भैसौधा	4 कि0मी0
299			9	भगतपुरवा	276		0	प्रा0वि0 सहादेवपुरवा	1	उ0प्रा0वि भैसौधा	5 कि0मी0
300			10	भोलापुरवा	280		0	प्रा0वि0 सहादेवपुरवा	1	उ0प्रा0वि भैसौधा	3 कि0मी0
301			11	सहादेवपुरवा	300		0	प्रा0वि0 सहादेवपुरवा	0	उ0प्रा0वि भैसौधा	3 कि0मी0
302			12	बलरामपुर	320		0	प्रा0वि0 महादेव का पुरवा	0	उ0प्रा0वि भैसौधा	5 कि0मी0
303			13	बलदूपुरवा	210		0	प्रा0वि0 सहादेवपुरवा	1	उ0प्रा0वि भैसौधा	3 कि0मी0
304			14	बंशीपुर	350		0	प्रा0वि0 बंशीपुर	0	उ0प्रा0वि भैसौधा	2 कि0मी0
305	95	बगलई	1	बगलई	2035		0	प्रा0वि0 बगलई	0	उ0प्रा0वि बगलई	0 कि0मी0
306			2	अरखनपुरवा	358		0	प्रा0वि0 बगलई	2	उ0प्रा0वि बगलई	2 कि0मी0
307	96	बीरा	1	बीरा	840		0	प्रा0वि0 बीरा	0	उ0प्रा0वि बगलई	3 कि0मी0
308			2	बीरामिस	210		0	प्रा0वि0 बीरा	1	उ0प्रा0वि बगलई	3 कि0मी0
309	97	पडरी	1	पंडरी	1680		0	प्रा0वि0 पंडरी	0	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	3 कि0मी0
310			2	बदौसा पुरवा	230		0	प्रा0वि0 पंडरी	1	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	4 कि0मी0
311	98	तरॉव	1	तरॉव	2150		0	प्रा0वि0 तरॉव	0	उ0प्रा0वि तरांव	0 कि0मी0
312	99	पथरौडी	1	पथरौडी	1635		0	प्रा0वि0 पथरौडी	0	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	3 कि0मी0
313			2	चमारनपुरवा	280		0	प्रा0वि0 पथरौडी	1	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	3 कि0मी0
314	100	रैपुरवामाफी	1	रैपुरवामाफी	1740		0	प्रा0वि0 रैपुरवामाफी	0	उ0प्रा0वि रैपुरवामाफी	0 कि0मी0
315			2	डफाई	540		0	प्रा0वि0 रैपुरवामाफी	2	उ0प्रा0वि रैपुरवामाफी	2 कि0मी0
316	101	चकलागुरूबाबा	1	चकलागुरूबाबा	838		0	प्रा0वि0 चकलागुरूबाबा	0	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	3 कि0मी0
317	102	कल्ला	1	कल्ला	743	-	0	प्रा0वि0 कल्ला	0	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	1 कि0मी0
318			2	फलगोपुरवा	67		0	प्रा0वि0 कल्ला	1	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	2 कि0मी0
319			3	फललीपुरवा	140		0	प्रा0वि0 कल्ला	0	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	2 कि0मी0
320	103	मछरिहा	1	मछरिहा	1140		0	प्रा0वि0 मछरिहा	0	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	4 कि0मी0
321			2	पाण्डेय पुरवा	215		0	प्रा0वि0 मछरिहा	1	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	5 कि0मी0
322	104	मॉगा	1	मॉगा	50		0	प्रा0वि0 मछरिहा	5	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	7 कि0मी0
323	105	शिवरामपुर	1	शिवरामपुर	3035		0	प्रा0वि0 शिवरामपुर	0	उ0प्रा0वि शिवरामपुर	7 कि0मी0
324	106	इटखरी	1	इटखरी	1261		0	प्रा0वि0 इटखरी	0	उ0प्रा0वि इटखरी	0 कि0मी0
325			2	रेहीपुरवा	380		0	प्रा0वि0 इटखरी	2	उ0प्रा0वि इटखरी	2 कि0मी0

326			3	अहिरन पुरवा	132		0	प्रा0वि0 इटखरी	1	उ0प्रा0वि इटखरी	1 कि0मी0
327			4	बढ़ईपुरवा	16		0	प्रा0वि0 इटखरी	1	उ0प्रा0वि इटखरी	1 कि0मी0
328	107	कादरगंज	1	कादरगंज	713		0	प्रा0वि0 कादरगंज	0	उ0प्रा0वि बारामाफी	2 कि0मी0
329			2	गैधपुरवा	253		0	प्रा0वि0 गैधपुरवा	0	उ0प्रा0वि बारामाफी	3 कि0मी0
330			3	देवराजपुरवा	48		0	प्रा0वि0 गैधपुरवा	0	उ0प्रा0वि बारामाफी	3 कि0मी0
331			4	केवटनपुरवा	70		0	प्रा0वि0 गैधपुरवा	1	उ0प्रा0वि बारामाफी	3 कि0मी0
332			5	कछियापुरवा	89		0	प्रा0वि0 गैधपुरवा	1	उ0प्रा0वि बारामाफी	3 कि0मी0
333			6	अलमापुरवा	422		0	प्रा0वि0 कादरगंज	3	उ0प्रा0वि बारामाफी	3 कि0मी0
334			7	भरथा पुरवा	247		0	प्रा0वि0 कादरगंज	3	उ0प्रा0वि बारामाफी	3 कि0मी0
335	108	गढीघाट	1	गढीघाट	545		0	प्रा0वि0 गढीघाट	0	उ0प्रा0वि गढीघाट	0 कि0मी0
336			2	सिधारीपुरवा	74		0	प्रा0वि0 गढीघाट	1	उ0प्रा0वि गढीघाट	1 कि0मी0
337			3	अहिरन पुरवा	80		0	प्रा0वि0 गढीघाट	1	उ0प्रा0वि गढीघाट	1 कि0मी0
338			4	हरिजनपुरवा	0		0	प्रा0वि0 गढीघाट	1	उ0प्रा0वि गढीघाट	1 कि0मी0
339			5	रैयापुरवा	370		0	प्रा0वि0 डोमनखेरा	3	उ0प्रा0वि गढीघाट	3 कि0मी0
340	109	डामनखेरा	1	डोमनखेरा	230		0	प्रा0वि0 डोमनखेरा	0	उ0प्रा0वि गढीघाट	0 कि0मी0
341			2	मुस्लिमपुरवा	174		0	प्रा0वि0 डोमनखेरा	0	उ0प्रा0वि गढीघाट	0 कि0मी0
342	110	दहिनी	1	दहिनी	823		0	प्रा0वि0 दहिनी	0	उ0प्रा0वि भैसौधा	4 कि0मी0
343			2	बरगदहापुरवा			0	प्रा0वि0 जनपद बांदा		उ0प्रा0वि भैसौधा	कि0मी0
344			3	खुमानीपुरवा	712		0	प्रा0वि0 खुमानीपुरवा	0	उ0प्रा0वि भैसौधा	3 कि0मी0
345			4	गया प्रसादपुरवा	302		0	प्रा0वि0 दहिनी	3	उ0प्रा0वि भैसौधा	4 कि0मी0
346	111	पहडिया बुजुर्ग	1	पहडिया बुजुर्ग	1141		0	प्रा0वि0 पहडिया बुजुर्ग	0	उ0प्रा0वि भैसौधा	6 कि0मी0
347	112	रमयापुर	1	रमयापुर	1319		0	प्रा0वि0 रमयापुर	0	उ0प्रा0वि रमयापुर	0 कि0मी0
348			2	महूटारूपौली	470		0	प्रा0वि0 रमयापुर	2	उ0प्रा0वि रमयापुर	2 कि0मी0
349	113	भभौर	1	भभौर	1335		0	प्रा0वि0 भभौर	0	उ0प्रा0वि रमयापुर	2 कि0मी0
350			2	रमजूपुरवा	120		0	प्रा0वि0 भभौर	1	उ0प्रा0वि रमयापुर	1 कि0मी0
351	114	मकरीपहरा	1	मकरीपहरा	640		0	प्रा0वि0 मकरीपहरा	0	उ0प्रा0वि बारामाफी	4 कि0मी0
352			2	उसरीपुरवा	530		0	प्रा0वि0 उसरीपुरवा	0	उ0प्रा0वि बारामाफी	1 कि0मी0
353	115	मकरीपालदेव	1	मकरीपालदेव	320		0	प्रा0वि0 मकरीपहरा	0	उ0प्रा0वि बारामाफी	4 कि0मी0
354	116	बारामाफी	1	बारामाफी	870		0	प्रा0वि0 बारामाफी	0	उ0प्रा0वि बारामाफी	0 कि0मी0
355			2	बसियापुरवा	385		0	प्रा0वि0 बारामाफी	2	उ0प्रा0वि बारामाफी	2 कि0मी0

182

356	117	हिनौतामाफी	1	हिनौतामाफी	1332		0	प्रा0वि0 हिनौतामाफी	0	उ0प्रा0वि बारामाफी	4 कि0मी0
357			2	गैरौधापुरवा	308		0	प्रा0वि0 बारामाफी	3	उ0प्रा0वि बारामाफी	3 कि0मी0
358	118	रेहुँटा	1	रेहुँटा	732		0	प्रा0वि0 रेहुँटा	0	उ0प्रा0वि बरवारा	5 कि0मी0
359			2	दासूपुरवा	312		0	प्रा0वि0 रेहुँटा	3	उ0प्रा0वि बरवारा	5 कि0मी0
360			3	टेकापुरवा	217		0	प्रा0वि0 रेहुँटा	3	उ0प्रा0वि बरवारा	5 कि0मी0
361			4	बददूपुरवा	198		0	प्रा0वि0 रेहुँटा	3	उ0प्रा0वि बरवारा	5 कि0मी0
362			5	खैरी	302		0	प्रा0वि0 खैरी	0	उ0प्रा0वि बरवारा	5 कि0मी0
363	119	समापुर	1	समापुर	501		0	प्रा0वि0 समापुर	0	उ0प्रा0वि बरवारा	5 कि0मी0
364	120	खजुरिहा	1	खजुरिहा	526		0	प्रा0वि0 खजुरिहा	0	उ0प्रा0वि बरवारा	4 कि0मी0
365			2	यादव पुरवा	118		0	प्रा0वि0 खजुरिहा	2	उ0प्रा0वि बरवारा	3 कि0मी0
366			3	बद्रीकापुरवा	198		0	प्रा0वि0 समापुर	1	उ0प्रा0वि बरवारा	4 कि0मी0
367	121	गोपालपुर	1	गोपालपुर	422		0	प्रा0वि0 गोपालपुर	0	उ0प्रा0वि पुरवातरौहा	4 कि0मी0
368	122	पुरवातरौहा	1	पुरवातरौहां	2867		0	प्रा0वि0 पुरवातरौहां	0	उ0प्रा0वि पुरवातरौहा	0 कि0मी0
369		नरायनपुर	1	नरायनपुर	355		0	प्रा0वि0 नरायनपुर	0	उ0प्रा0वि पुरवातरौहा	3 कि0मी0
370			2	अमिलिहा	155		0	प्रा0वि0 नरायनपूर	2	उ0प्रा0वि पुरवातरौहा	3 कि0मी0
371			3	केवटनपुरवा	72		0	प्रा0वि0 चन्द्रगहना	3	उ0प्रा0वि चन्द्रगहना	3 कि0मी0
372			4	हरिजनपुरवा	82		0	प्रा0वि0 नरायनपूर	3	उ0प्रा0वि पुरवातरौहा	3 कि0मी0
373	123	चन्द्रगहना	1	चन्द्रगहना	642		0	प्रा0वि0 चन्द्रगहना	0	उ0प्रा0वि चन्द्रगहना	0 कि0मी0
374			2	अहिरन पुरवा	162		0	प्रा0वि0 चन्द्रगहना	2	उ0प्रा0वि चन्द्रगहना	3 कि0मी0
375	124	कपसेठी	1	कपसेठी	513		0	प्रा0वि0 कपसेठी	0	उ0प्रा0वि चन्द्रगहना	3 कि0मी0
376			2	हरिजन कालोनी	84		0	प्रा0वि0 कपसेठी	1	उ0प्रा0वि चन्द्रगहना	3 कि0मी0
377			3	टिकुरी	312		0	प्रा0वि0 कपसेठी	4	उ0प्रा0वि चन्द्रगहना	3 कि0मी0
378	125	अमानपुर	1	अमानपुर	1025		0	प्रा0वि0 कपसेठी	0	टंडनजुहा कर्वी	4 कि0मी0
379			2	टेरिया	235		0	प्रा0वि0 कपसेठी	3	उ0प्रा0वि कर्वी	कि0मी0
380			3	बहादुरपुर	311		0	प्रा0वि0 कपसेठी	3	उ0प्रा0वि चन्द्रगहना	3 कि0मी0
381	126	चकमाली	1	चकमाली	311		0	प्रा0वि0 अमानपुर	3	उ0प्रा0वि चन्द्रगहना	3 कि0मी0
382	127	गोबरिया	1	गोबरिया	310		0	प्रा0वि0 कपसेठी	3	उ0प्रा0वि कर्वी	3 कि0मी0
383			2	कबुलेकेवटी	72		0	प्रा0वि0 अमानपुर	4	उ0प्रा0वि चन्द्रगहना	4 कि0मी0
384	128	अहमदगंज	1	अहमदगंज	345		0	प्रा0वि0 नरायनपूर	3	उ0प्रा0वि चन्द्रगहना	4 कि0मी0
385			2	दुर्गादास	172		0	प्रा0वि0 नरायनपूर	3	उ0प्रा0वि चन्द्रगहना	4 कि0मी0

282

386	129	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]		0	प्रा०वि० [illegible]भई		[illegible]	[illegible]
387			2	अहिरन पुरवा	317		0	प्रा०वि० भभई	2	उ०प्रा०वि० शिवरामपुर	6 कि०मी०
388			3	हरिजनपुरवा	235		0	प्रा०वि० भभई	1	उ०प्रा०वि० शिवरामपुर	6 कि०मी०
389	130	चकलाराजरानी	1	चकलाराजरानी	192		0	प्रा०वि० अमानपुर	2	टडनजुहा कर्वी	4 कि०मी०
390	131	खुटहा	1	खुटहा	675		0	प्रा०वि० खुटहा	0	पू०मा०वि० शिवरामपुर	4 कि०मी०
391			2	कोरिन का पुरवा	205		0	प्रा०वि० खुटहा	2	पू०मा०वि० शिवरामपुर	4 कि०मी०
392			3	अहिरन पुरवा	163		0	प्रा०वि० खुटहा	2	पू०मा०वि० शिवरामपुर	4 कि०मी०
393			4	नईदुनिया	104		0	प्रा०वि० खुटहा	3	पू०मा०वि० शिवरामपुर	4 कि०मी०
394			5	हरिजनकालौनी	323		0	प्रा०वि० खुटहा	2	पू०मा०वि० शिवरामपुर	4 कि०मी०
395			6	चमारनपुरवा	100		0	प्रा०वि० खुटहा	0	पू०मा०वि० शिवरामपुर	4 कि०मी०
396	132	रानीपुरभटट	1	रानीपुरभटट	513		0	प्रा०वि० रानीपुरभटट	2	पू०मा०वि० सीतापुर	3 कि०मी०
397			2	केवटनपुरवा	215		0	प्रा०वि० रानीपुरभटट	1	पू०मा०वि० सीतापुर	3 कि०मी०
398			3	कुम्हारन पुरवा	102		0	प्रा०वि० रानीपुरभटट	2	पू०मा०वि० सीतापुर	3 कि०मी०
399			4	अहिरन पुरवा	105		0	प्रा०वि० रानीपुरभटट	2	पू०मा०वि० सीतापुर	3 कि०मी०
400			5	मालिनपुरवा	110		0	प्रा०वि० रानीपुरभटट	2	पू०मा०वि० सीतापुर	3 कि०मी०
401	133	कटरागूदर	1	कटरागूदर	372		0	प्रा०वि० कटरागूदर	0	पू०मा०वि० सीतापुर	3 कि०मी०
402	134	डेलउरा	1	डेलउरा	1215		0	प्रा०वि० डेलउरा	0	पू०मा०वि० कवी	4 कि०मी०
403			2	मालकाना	315		0	प्रा०वि० मालकाना	0	पू०मा०वि० सीतापुर	3 कि०मी०
404			3	कुलीतलैया	288		0	प्रा०वि० गढीवा	2	पू०मा०वि० सोनेपुर	3 कि०मी०
405			4	पंडरीमाफी	193		0	प्रा०वि० गढीवा	2	पू०मा०वि० सोनेपुर	3 कि०मी०
406	135	बरकोट	1	बरकोट			0	प्रा०वि० गढीवा	0	पू०मा०वि० सोनेपुर	0 कि०मी०
407	136	तरौहाँरूरल	1	तरौहाँरूरल	525		0	प्रा०वि० तरौहारूरल	0	पू०मा०वि० कर्वी	5 कि०मी०
408	137	गौरीमाफी	1	गौरीमाफी	148		0	प्रा०वि० एरानमाफी	1	उ०प्रा०वि भरकोर्रा	2 कि०मी०
409	138	गितलपुरकोनहस	1	गितलपुरकोनहस	176		0	प्रा०वि० रंहुटा	1	उ०प्रा०वि बरवारा	2 कि०मी०
410	139	ऐरानमाफी	1	ऐरानमाफी	482		0	प्रा०वि० एरानमाफी	0	उ०प्रा०वि भरकोर्रा	2 कि०मी०
411			2	साहब का पुरवा			0	प्रा०वि० एरानमाफी	1	उ०प्रा०वि भरकोर्रा	2 कि०मी०
412	140	दुबारी	1	दुबारी	753		0	प्रा०वि० दुबारी	0	उ०प्रा०वि भरकोर्रा	1 कि०मी०
413	141	भरकोर्रा	1	भरकोर्रा	912		0	प्रा०वि० भरकोर्रा	0	उ०प्रा०वि भरकोर्रा	0 कि०मी०
414			2	यादव पुरवा	162		0	प्रा०वि० भरकोर्रा	1	उ०प्रा०वि भरकोर्रा	1 कि०मी०
415			3	हरिबस्ती	101		0	प्रा०वि० भरकोर्रा	1	उ०प्रा०वि भरकोर्रा	1 कि०मी०

416			4	हरिबस्ती	60		0	प्रा0वि0 भरकोरी	1	उ0प्रा0वि भरकोरी	1 कि0मी0
417	142	ताम्रबनी	1	ताम्रबनी			0	प्रा0वि0 ताम्रबनी	0	उ0प्रा0वि भरकोरी	1 कि0मी0
418			2	नईदुनिया			0	प्रा0वि0 ताम्रबनी	1	उ0प्रा0वि भरकोरी	1 कि0मी0
419	143	भीटाखेरा	1	भीटाखेरा	524		0	प्रा0वि0 भीटाखेरा	0	उ0प्रा0वि लोढवारा	2 कि0मी0
420			2	कॉडीखेरा	485		0	प्रा0वि0 कॉडीखेरा	0	उ0प्रा0वि लोढवारा	2 कि0मी0
421	144	बरवारा	1	बरवारा	995		0	प्रा0वि0 बरवारा	0	उ0प्रा0वि लोढवारा	0 कि0मी0
422	145	छिपनीबाहरखेडा	1	छिपनीबाहरखेडा	1004		0	प्रा0वि0 छिपनी	0	उ0प्रा0वि लोढवारा	2 कि0मी0
423	146	लोढवारा	1	लोढवारा	1732		0	प्रा0वि0 लोढवारा	0	उ0प्रा0वि लोढवारा	0 कि0मी0
424			2	हरिजन कालोनी			0	प्रा0वि0 लोढवारा	0	उ0प्रा0वि लोढवारा	1 कि0मी0
425	147	बन्धुवइन	1	बन्धुवइन	873		0	प्रा0वि0 चुनहापुरवा	2	उ0प्रा0वि बन्धुइन	0 कि0मी0
426			2	चुनहापूरवा			0	प्रा0वि0 बन्धुइन	0	उ0प्रा0वि बन्धुइन	2 कि0मी0
427	148	बनकट	1	बनकट	1160		0	प्रा0वि0 बनकट		उ0प्रा0वि बन्धुइन	2 कि0मी0
428			2	अहिरन पुरवा	905		0	प्रा0वि0 ाकरबाजार	1	ज0इ0का कर्वी	1 कि0मी0
429	.		3	नईदुनिया	968		0	प्रा0वि0 नईदुनियां	1	उ0प्रा0वि कर्वी	1 कि0मी0
	149	कर्वीमाफी	1	कर्वीमाफी			0	प्रा0वि0 कर्वीमाफी	1	उ0प्रा0वि सोनेपुर	1 कि0मी0
			2	सोनेपुर			0	प्रा0वि0 सोनेपुर	0	उ0प्रा0वि सोनेपुर	0 कि0मी0
			3	ाभासिह का पुरवा			0	प्रा0वि0 सतीसीता	0	चि0इ0का कर्वी	1 कि0मी0

परिशिष्ट–3

महत्वपूर्ण शासनादेश

क्रम-संख्या—177

रजि० नं० एल०डब्लू०/एन०पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्लू०पी० 41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक संवत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1245/सत्रह-वि०-1—1 (क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा।

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा; और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निदेश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।"

(च) खण्ड (ञ-2) निकाल दिया जायगा।

धारा 5 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (ग) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (घ) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी; अर्थात् :—

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,—

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 18-ख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद् लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या आस्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।"

धारा 10, 10-क और 11 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"10—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशन

जिला पंचायत के कृत्य

के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, सामान्यतया ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय।

नगरपालिकाओं के कृत्य

10-क--यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :--

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

गांव शिक्षा समिति और उसके कृत्य

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात :--

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

182

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। — धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— — नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—अध्यारोही प्रभाव—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।"

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे। — धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे। — धारा 17 का संशोधन

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

[left margin:] उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2000 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1999 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1999

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1245 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-20-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

123

अध्याय– 11

परियोजना लागत वर्षवार

(2001–02 से 2010 तक)

संख्या: 2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक -छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निर्धारित अध्यापक -छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है । शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1-जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य -सचिव

....2...

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रुपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रुपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तद्नुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आंगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ0प्र0।
4- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ0प्र0शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ0प्र0लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9- शिक्षा निदेशक (मा0/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ0प्र0लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग -1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
12- शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या: 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई, 1999 का संलग्नक।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक -छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना की रूप रेखा निम्नवत् है । यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी ।

शिक्षा मित्र संकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और मांग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से नियत मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र " होगा।

2- ।1। शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

।2।ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में में"शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है ।

शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता

3- ।1। शिक्षा मित्र ।पुरुष /महिला । की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

।2। उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला /पुरुष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष को चिन्हित किया जायेगा।

.....2...

(3) किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा "शिक्षा मित्र" का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी0एस0पी0/डी0पी0ई0पी0 योजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बे0) द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति (महिला/पुरुष) का चयन किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का चयन

6- (क) ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

(ग) समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आंकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी। तदनुसार 101 छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा।

(घ) विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50% महिलायें होंगी। इनका भी चयन बिन्दु (ख) में इंगित आधार पर किया जायेगा।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/ निर्देशों का पालन यथावत सुनिश्चित किया जायेगा।

....3...

।ग। ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा।

संविदा की अवधि

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

संविदा अवधि का मानदेय

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रूपया 1450/ प्रतिमाह नियत मानदेय पर रखा जायेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया

9- ।।। किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

।।।। संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जायेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति

10- ।।। उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत का निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे ।

।।।। अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रूपया 1450/

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वत: समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

1।1 प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0 400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1।1। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व का निर्वहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास, भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण

12- 1।1 शिक्षा मित्र को आकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / सरगना स्कूल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक दिवसीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उसकी समस्याओं का समाधान

...

किया जायेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जायेगा। यदि कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जायेगा।

(II) शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक /प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे।

(III) ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

(IV) विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त सकती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती

अनुदान की व्यवस्था

13- (I) इस योजना के अधीन "शिक्षा मित्र" के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि का आगणन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जायेगा तथा एक किश्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी किश्त पूर्व स्वीकृत किश्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी। धनराशि दो समान किश्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

....6..

14- प्रस्तर -10 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किश्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की नियमानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है ।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- **प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4386/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनको सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण विन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रशस्त करने का निर्णय लिया है:-

1. **शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:**

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(बे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. **योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:**

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(बे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(बे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को बरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. **ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:**

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत में जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अधिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्टि मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यो में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप मे समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. **शिक्षा मित्र की अर्हतायें:**

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. **शिक्षा मित्र का कार्यकाल:**

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नही दिया जायेगा।

6. **शिक्षा मित्र का मानदेय:**

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. **शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण:**

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 400/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें नि:शुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

8. **शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:**

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादामिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखतः इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 में संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shanker

(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

संख्या: व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यो के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

(ओ0 डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

प्रारूप-एक

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
ग्राम शिक्षा समिति,
ग्राम पंचायत -.............................
जिला -....................................

महोदय,

ग्राम पंचायत-..द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं को सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.......................को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -
   (क) हाई स्कूल श्रेणी प्राप्तांक
   (ख) इण्टरमीडिएट श्रेणी प्राप्तांक
   (ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0 श्रेणी प्राप्तांक
5. जन्म तिथि
   [(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]
6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्ते मान्य होंगी।

दिनांक- भवदीय

(

नाम/पता:

<u>प्रारूप-दो</u>

<u>शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र</u> ।

मैं..आत्मज/पति.......................................

ग्राम..पंचायत समिति...

जिला..............................स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मै गांव के विद्यालय मे एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मै एक स्वेच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नही समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नही लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नही किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मै ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूं कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद में विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते हैं तो मैं शिक्षा मित्र के रूप मे कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊंगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित मे पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उज्रदारी नही करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जावे तो उनकी तथ्यता प्रकाश मे आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा मित्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक   हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

संख्या-3274/5-11-2000-ई-42/9

प्रेषक,

डा. जे.डी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
   उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
   निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बे.)
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
   प.का.अनु. एवं मूल्यांकन
   उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 20

विषय:- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण

:-----:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम.एल.17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिनकी सूची संलग्न है, जनपद लखनऊ को ज्वाइन्ट पी.ओ.आई.यू.एन के अन्तर्गत लिया गया है, चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में सुनियोजित ढंग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, संदर्भ कार्ड बनाना, विकलांग बच्चों का चिन्हित करना व उन्हें प्रमाण-पत्र देना तथा कृमिनाशन (डी-वार्मिंग)

300

संख्या-3274 /5-11-2000- ई-42/98

प्रेषक,

डा. वी.डी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
निशातगंज लखनऊ ॥

2. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

4. महानिदेशक
रा.श.अनु. एवं मूल्यांकन
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2000

विषय:- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण ।

:-----:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम.एल.17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, सन्दर्भ ग्रहण करें ।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिसकी सूची संलग्न है, जनपद लखनऊ को छोड़कर जिसे सी.ओ.आई.यू.एन के अन्तर्गत लिया गया है, चलाये जाने का निर्णय लिया गया है । उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में सुनियोजित ढंग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, रेफरल कार्ड बनाना, विकलांग बच्चों को चिन्हित करना व उन्हें प्रमाण-पत्र देना तथा कृमिनाशन (डी-वार्मिंग)

300

अभियान चलाया जाना है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयानुसार हो सके ।

3. उक्त कार्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन चरणों में माह 15 अगस्त, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तद्नुसार सूचित करायेंगे ।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में एक माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी । स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन मापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों ।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ इलाकों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके ।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्भ कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

1.	लाल संदर्भ कार्ड	गम्भीर रोगों के लिये
2.	पीला संदर्भ कार्ड	कम गम्भीर रोगों के लिए
3.	हरा संदर्भ कार्ड	साधारण रोगों के लिए

स्वास्थ्य कार्डस व संदर्भ कार्डस में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं उनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक को सहयोग करेंगी ।

5- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठकें करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन व कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी इस कार्य हेतु रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/स्वैच्छिक/धर्मार्थ संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक तीन माह में पी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये पी.एच.सी. पर प्रत्येक त्रैमास के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपेडिक्स सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भी इसकी सूचना प्रत्येक गाँव पंचायत व विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तदनुसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह संलग्न प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विद्या भवन, लखनऊ को व उसकी एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

(डा० जी.डी. माहेश्वरी)
सचिव।

302

.......4

संख्या-3274(1)/5-11-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।

5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6-8-2000

आज्ञा से,

(कमलिनी श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2
संख्या-3246/60-2-2000-24(3)/96
लखनऊ: दिनांक 24 अक्टूबर, 2000

कार्यालय ज्ञाप

बाह्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित [illegible] प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0-[illegible]) के द्वारा अर्ली चाइल्ड केयर एण्ड एजुकेशन (ई0सी0सी0ई0) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत [illegible] संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, [illegible] समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी — अध्यक्ष
2- जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 — सदस्य
3- सम्बन्धित विकास खण्ड के उप विद्यालय निरीक्षक — सदस्य
4- सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 — सदस्य/सचिव
5- सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी — सदस्य
6- जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा — सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं जभी पढ़ती [illegible] स्कूलों में [illegible] तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देख-रेख, स्थापित किए जाने वाले ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहां के स्कूल खुलने व बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकत्री ई0सी0सी0ई0 केन्द्र का संचालन करेगी और उस केन्द्र की सहायिका, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र में [illegible] सहायिका का कार्य करेगी अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उन्हें इस बढ़े हुए कार्य के [illegible] हेतु निम्नवत् धनराशि अतिरिक्त ....

मानदेय के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

(1) आंगनबाड़ी कार्यकत्री — रु0 250/=

(2) सहायिका — रु0 125/=

4. प्रदेश के जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0-III) के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का संचालन होगा, वहां की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0-III) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी। प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमानुसार ग्राम निधि के माध्यम से ई0सी0सी0ई0 कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।

5. परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रु0 5000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रु0 500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित/निर्माणाधीन है, वहां यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रु0 5000/- की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय फर्नीचर के निर्माण में व्यय की जा सकती है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुदान दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व स्कूल बस्ता आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी। आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी। अतः रु0 5000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान की ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरण की जायेगी।

6. आंगनबाड़ी कार्यकत्री का यह दायित्व होगा कि उसके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किए जाने वाले ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से हो तथा ई0सी0सी0ई0 केन्द्र में आने वाले बच्चों का अलग से लेखा-जोखा रखा जाए।

7. प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे [illegible] नींबू, अमरूद तथा पपीता के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। इन पेड़ों को [illegible] क्रय करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकत्री का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी केन्द्र की माप के आधार पर अधिक से अधिक इन पेड़ों को लगाए क्योंकि इन पेड़ों के फलों से लाभार्थियों को प्राकृतिक रूप में अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा।

......3

305

8\. उपरोक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु समुचित व्यवस्था करे और [illegible] योजना के [illegible] हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड की बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगी।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(गु० हलीम खां)
सचिव।

संख्या-3246(1)/60-2-2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
सम्बन्धित जिलाधिकारी।
सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/[illegible] निरीक्षक।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर सिंह)
उपसचिव।

306

...2

शासनादेश संख्या-3246/60-2-2000-2/(31)/96, दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 का संलग्नक (अनुलग्नक-1)

क्र0	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	केन्द्रों की संख्या	केन्द्रों का नाम
	हरिद्वार	बहादराबाद	25	सीतारपुर, अट्नेकी (द्वितीय), बीमला (द्वितीय), कुमपुर, बागला (प्रथम), [illegible] बादपुर, जोड़ाहेड़ी, बाबूबाल, हरबीवाला, गोविन्दगढ़, इब्राहिमपुर, धारीवाला, गेडीमाला, विरमपुर, कुण्डी, राजलीगढपुर (प्रथम), बराय, हेमतपुर, टीकमपुर, बेरूपुर (प्रथम), शेखवाला, बहादुरपुर जट्ट (प्रथम), सलेमपुर (प्रथम), जगजीतपुर, कोटा मुरादनगर (प्रथम), सहदेवपुर।
	हरिद्वार	भगवानपुर	25	अगरपुर काजी, बुट्सा शहीद, बालेकी युसुफपुर, महेडेकी [illegible], कालेवाला, महमलपुर, हकीमपुर, तुर्रा, मानकपुर-आदमपुर, ग्राम भगवानपुर-प्रथम, अकबरपुर कालसी, हसनावाला, बुग्गावाला, गोहितपुर, [illegible] (1), [illegible] (1), [illegible] (1), पिलुवी, धीरमजरा, सिकन्दरपुर-भैंसवाल-प्रथम, डाडा पट्टी, छांगा मजरी, इमामतपुर, डाडली, औरंगजेबपुर, नागल जट।
	मिर्जापुर	हलिया	15	गढ़गढ़, बदवा, मतवार, रतेह, बरौंधा, तुलसीपुर, देवरीपुरव, हरगढ़ा, कोटार-1, बरगड़ा, मतरा, बरडीहा कला, दुबेपुर, नेवादा, मीरपुर।
	[illegible]	लालगंज	20	राजापुर, तुलसी, मेडडी, लालगंज, दुवार-11, मनिकापुर, [illegible] कला, दरोहा, कठवार-11, बसतरा पाण्डेय, तेंदुहाबी, नेगरी कला, अमकर कला, मडवा, रामपुर [illegible], [illegible]

......2

1	2	3	4	5
		मड़िहान	15	बबही, देवरी कलां, लालापुर, बरसरा, बटेहरा खुर्द, मड़िहान बाजार, मुआ, मरथा, बरसौना, फरीहा, बेलखरा, कन्हईपुर, बबुराबीपुर, कमरद, शोभी।
3.	फतेहपुर	ऐरायां	25	टिकारी, बरबई, हरिजन बस्ती बिन्दकी, खिपतलाव उर्द, मादबन-आगा, बरजही, रसूलपुर सामी, कमास, बोहय, हरनपुर, छवार, हरदो-1, अल्लीपुर, मादर-1, कोरवा, मण्डवा, गीती, सुल्तानपुर घोष, आरमपुर बबही, अल्लीपुर बहेरा, जगजीवनपुर, इजुरा बुजुर्ग, बदवन, अकोडिया, अमाव, छीमी, कटोघन, रामपुर खालोमी, आशीफपुर, उरगुपुर।
		हथगांव	25	कोतवालपुर कटरा-1, शाहपुर-11, पेगांव-111, मोहम्मदाबाद, महमोमदपुर, रामपुर गुन, प्रेमरामाबादपुर-11, बलिया-1, इमामपुर, अब्दुल्लापुर, चिठौरा, आम्बी, संवत, अजनई, दयेलपा, लखराव-1, गौरा बुजुर्ग, पट्टीशाह-111, कुंडा, बरौली खुर्द, लालबापुर, अलादादपुर, त्योंजा, मवईया, गौरी।
4.	मैनपुरी	बेवर	16	अरम सराय, नरौली, छिमापुर, नड़ेरा, नौदेवी, हरपुर, मानपुरहरी, रामनगर, रसूलाबाद, नबीगंज, पुरैया, जावगई, गुडई, शिवसिंहपुर, कुंडी, परौखा।
		करहल	14	चन्दपुरवा, अहलादपुर, कमलपुर, चिमरऊ, खिरदुआ, रापुर, तमरऊ, कुर्री, बीज, मुहब्बतपुर, इस्लामपुर, सहन, निबौली, अण्डनी।
5.	जौनपुर	मछलीशहर	25	बरईपार, सिरकपुर, सिंहामुर्तीनपुर, बरायमपुर, हाजराहट, जुड़ाउपुर, रामपुर कला, रामपुर खुर्द, बरायबीका, पटनीहन, बकुरी, जमालपुर, मीरपुर आय, भाटाडीह, कोटवा, सेमरहो, करौरा, ठांडीह, महेवरा, लाला, पाँचोकला, सिहुना, करियांव, मीरपुर, गोबपुर, बबरेवा। 3
		बादशाहपुर	25	

1	2	3	4	5
		बादशाहपुर	25	रामपुर-I, रामपौकी, जिन्दापुर तरहटी, बबगाव तरहटी, बहादुर पिडकी, कान्छीडीह, हथमपुर, गोह, बोहवा, पुरावघाल, सवारा, कडरिया, मसौट, बसौट, बेमरिया, मावरडीह, महवीरपुर, हौसपुर, मरायकाशी, बकडी, रामपुर, बरावरीचन्दा, फत्तुपुरकला, उधारा, बोगरा, मरायकाशी।
6.	बलिया	दुबहड़ बलिया	13	जनाही तृतीय, बनाही तृतीय, दुबहड़, गोदमछपरा, छाताप्रथम, छाता द्वितीय, छाता तृतीय, बहरमपाली, नुमवारिया, बहोली, अनुतपाली, पिपरा जमुआ, मझौली।
		रसड़ा बलिया	21	हिताकेपरा, मढ़िया, अजरा, मालोपुर, वृन्दावन, जाम, जाम द्वितीय, जाम तृतीय, ढाका, कुरेम, कुरेम द्वितीय, अतरसुआ, नरतक लिवा, शाहमुहम्मदपुर, सौम, सौम, हरदासपुर, तामसीपुर, जिरोली, रोहता, दरती, अगहर।
		चिलकहर	25	वछईपुर, गरैवोझ, नराछ, रामपुर, अचली, आदी, मटिली, कलनालीपुर, टीकादेवरी, पथरजा, वराव, नराव, अनवार, तकलीपुर, गोपालपुर, चिन्तामनपुर, छमीलपुर, महोरा, डुमरी, चिलकहर, पहाड़पुर, सलेमपुर, पिपराभट्टी, बहोरापुर, जोगापुर, सलेमार।
7.	गौतमबुद्धनगर	दादरी	15	रिठौरी-I, रिठौरी-II, डूम मानिकपुर-I, डूम मानिकपुर-II, डेरीमच्छा, कलौंदा, लुहारली, पियावली, रानौली लतीफपुर, बंगला पाल, प्यावली ताजपुर, गुलावठी, शर्मा, महमूदपुर, रसूलपुर डाबरा, सलारपुर।
		दनकौर	19	दनकौर देहात, बल्लूखेड़ा, मुंजखेड़ा, चाँदपुर, नागरपुर, मतोडपुर, नागावमल, डूंगरपुर रीलका, अट्टा गुजरान, दनोला, मदनपुर खादर, अमारपुर, जलालपुर, सलारपुर, सतीनपुर बाट, अट्टा दनकौर, लतीफपुर, फरेता हाफिजपुर, डाबर।

109 309

1	2	3	4	5
		जेवर	15	रुहीसा, धारोली, धोरोली, गोपालगढ़, मेहन्दीपुर, नागरा, गोपालगढ़, भाजपुर, भाईपुर, ममीता, दयानतपुर, महोबलीपुर, नगलागनेशी, रामनेर, रोहिया, नबीपुर, रामपुर बांगर।
	बिजनौर	हल्दौर	25	इनामपुरा, ग्यासपुरा, खेड़की उप्पा, पिलाई, कुण्डा, कुम्हारपुरा, करदासपुर गढ़ी, अम्हेड़ा, शादीपुर कला, शेरबाग, जलाउद्दीपुर, फतेहउल्लापुर चौटा, चावटी, सदलापुर, अब्बासपुर, सिमरौआ, पिलाना, कुलवाना, रोनिया, उमरीपीर, मुबारकपुर कला, मानुबगला, करनपुर गांवड़ी, शेरपुर, बुढ़ौरा।
		मो0पुर देवमल	25	चांदपुर पेड़, मुकीमपुर धारू, जमालपुर, पठानी, मो0पुर देवमल, मो0पुर देवमल, इस्माइलपुर, मुजालपुर, रावली, मजरीलाखिम, मोमन, अब्दुल्ला जगूर, मोहम्मदपुर सगरा, मछपुर, इकौला, अब्दुल्लापुर, पवनपुर, खिड़ेरा, रामीपुर, फरीदपुर माल, बसकी, मुकीमपुर धर्मसी, मजरीलाखिम, बसकी, पेमादासवाला, अहमदपुर, नेहिटौर, सुन्दरपुर।
	गाजियाबाद	सिम्भावली	30	बक्सर, सिखेड़ा, मोहरा, मुजफ्फरपुर गढ़पुर, अकबरपुर बुकलाना, कुचेसर, गजरौला, पीरनगर, खेड़ा, मुबारिकपुर, सहरपुर, कनकेहरा, नवादा, कौशाना, दरियापुर, बदरपुर, भीमा, नलसीपुर, नायई, बहादुरपुर, देहरा, फरहदपाना, पसवाड़ा, लड़हरा, बलवाड़ा, बूढ़, नवादा, छाई चीताई, नामपुर, चितौड़ा।
10.	उन्नाव	सिकन्दरपुर सिरोसी	49	सिकन्दरपुर, सिडुरा, चिलौली गढ़ी, गंगौली, अगेहरा, हाजीपुर, पतपहरा, कंजौरा, मवीय, लालपुर, दोस्तीनगर, बैयर अब्बासपुर, लोहारखेड़ा, गहारा, भटियारा, बैयारा,

166 310 95 59 154

	2	3	4	5
				परिवर, मरौदा, मथुवारा, मरौपुर, सूचित, बरूवटपुर, पहरौला, छबुनिवा, बिलारी गोरा, बन्नाखेड़ा, जामुनीकुण्ड, बरहली, सुतारो, तालाखेड़ा, राजेपुर, रमढाखेड़ा, सिमरौता, कुसी, बेतुआ, शंकरपुर, बौसागढ़, ऐरागपिबार, ताबा, रऊकरना, परमनी, पूरा, करोवन, मरौली, मरोसी, सेलमपुर, अवहनी खेड़ा, छाटई, फोडलला नगर, नाकाखेड़ा, गोमीखेड़ा, ढोढा, कवीरा, चिरामु । बुलन्दपुर ।
		सिकन्दरपुरकर्णा	76	सिपई, बेहटा, सिंगढा, रेवपुर, अवनखेड़ा, सुमरहा, परजा, छरौली, बातम, गानपुर, अनुपुर, सिकन्दपुरकर्णा, कठार, पटवोन्हा, रिठवई, गौरी, मिठाबपुर, भागही, नेबहा, रेछावा, धन्वपुर, रावतपुर, .. रपुर, छयावापुर, सरायपंवारी, पंसरिया, पहाड़पुर, शीशनिश, बमहा, महाई, दुबेपुर, सैमुतगपुर, सैमुईकोयंत, गमरपारा, गलनासी, कटरीवौगर, खेड़ा, मसरानीपुरखेड़ा, एहतमाली, पोनी पुरीपुरखेड़ा, शेखपुरवरी, फटहादलनरायणपुर, हड़हा, बालाई, साहबखेड़ा, बेरागर, मतो मनोहरपुर, सुवलापुर, गडारो, छाटुहालागवा, चपरीशाहपुर, करनीपुर, नैनपुर, अचलगंज, सेखेना, कोलुआगाड़ा, टिकोली, गपहसा, माफी, सैमुईनौबस्ता, बेलर, बेडखमीरपुर, मलखेड़ा, जगजीवनपुर, कुरमापुर, टिकरी, गनेश, चरवागर, सदरका, सुवासी, मनइता, छेरिहा, बंदर, आटा, करौदी, लालपुर; नौबस्ता, दडनीपुर, कुलहा, पहराजगढ़, सिठौरा, कमौविझुलागढ़, रगवरागढ़, मसारापीपरखेड़ा, एहतमाली ।
11.	रायबरेली	तिलोई	33.	रमई, लीली, उतरपारा, बेलवा, हसनपुर अहुरी, रेवटेडीह, भासाना, प्रताईपुर, आशापुर गाड़ी, कोटवा, सेमरौता, ठोकरपुर, सतगंवा, अठवरनरवाली, कूरा, सुरला,

100

311

76/2/3 169

	3	4	5
			मदेपुरी, रामपालक, मोहम्मदगंज, तिलोई, सिम्मी, बारहोट, राम्हपुरा, बटवा, येदरनुर्म, अरियावा, असमी, मिरान, नगीनवोहर, अवारपुर, देवन्दी, वसंतपुर, आमापुरवम।
	भदावरपुर	32	ओवारी, बदेम, सेवुआ, मिमोहा, बवावा, ठडवा, पोढ़ी, शरीली, बसौली, केसरिया बसीमपुर, मदनपुर, शालिवपुर, विसुवपुर केनई, समसी, पुरेपाहे राय, गीतवी उर्फ वेदटा सुतेता, पठहाकिरामठ, समदनी, कोटवारमठ, रामपुरजमालपुर, मोढ़िया, केसरिया, तरौना, वरवम, सरायमठेरा, करीदपुर, दरवर, बीततपुर, सिंधरिया, गुवारदपुर, नगतिया, कासिमपुर, वहादुरपुर, परसतगंज, जायस।
	सिंहपुर	18	अहोरवा भवानी, किसरतमगंज, उसरहा, डांगीपकतिया, सिंहपुर, बन्होवा, पिलौली, कोटवा, करथगांव, वसंतपुर, दन्होवा, सेतुपर, सिहुली, रामपुरदेहई, लीली, नातनपुरवा, बदमरिवा, गुता, शारा, सरायनगरी, समियामऊ, कुम्हरी, वहुआ, हदरोहवा, गोजीपुर, रतपलिया, रतोपुर, उमराजपुर, गढ़ी महावल, कोपुर, गोंडा, पेहडारा, आजादपुर, कुढारामपुर, सिंठौली।
गाजीपुर	करण्डा	25	करण्डा-।, वीरापाह, बरबेठ, यदवा, गारेपुर, नासिरपुरकोटे, नोपछवरे, सोनहारियां, मेहरौली, तोलापुर, गोशन्दपुर, सिकन्दपुर, छवीरा, रामपालपुर, जीवर, बड़वरा, कटरियां, मनुआ, धरम्मपरपुर, सोरग, धामपुर, दरला, सिंहडा, कुम्हीवला, ओकमपुर।
	सदर गाजीपुर	25	गोंडा, मिश्रलिया, मिराईव, वजीवदर, मउजापर, एजदेपुर, बोटिया, मगवा ठप, कटेवा, पोकापुर, फतेहपुर सिकन्दर, वठवारिया, अन्तर्क, पठजकपुल, वहाय, महराजगंज, सरायमुनिमाबाद, वमेपुर, देवकली, बैतपुरा, सकरा, गंगासिंहपुर, हेतिमपुर, पड़ाहुर उर्फ लंगरपुर, बंजीरपुर, बनालपुर, सवेड़ी।
	जखिहारी	25	सिकाढ़ी, छदरी, जखिहारी, मोहम्मदतपुर, परेहरा, गुमना, मलिकपुरा, हयरापुर, अताबतपुर, करकापुर, नरसआपुर, बकमहलाय, हरिहरपुर,

125

1	2	3	4	5
				जलालपुर, घोरा, बोकड़ी, बरहट, रसूलपुर, नोनिया, कुन्दीपुर, मालीपुर, मरीवी, ठहबादयालपुर, केमली, कटारा ।
13.	मुजफ्फरनगर	जानसठ	16	बुडियाला, हाशिमपुर-2, गढ़ी जानसठ, कैथोड़ा, तुल्हेड़ी, कवाल-2, मीलजलालपुर, छाछोवाला, सिकन्दपुर, टटायन-3, भलवाड़ा, भाटका, कुम्हेड़ा, मखोड़, बनमहेड़, बाहड़ी ।
		पुरकाजी	16	अब्दुलपुर, मेहरशेरपुर, बेगड़ी, खुरपर, भोजापुर, गुड़ा-2, खीरहेड़ी, सिनाहवा, नयेड़ा, हेमाहेड़ा, शाहेड़ी, बरला, कुतुबपुर, ठलतपुर, पुरकाजी, हेड़ी ।
		ढथ	18	हिमनाला-1, टपराला-1, हथछोया-1, हिमनाला-2, सम्भेटारिवाल, भगालपुर, उत्हेड़ा, टोडा-2, नय-पीवाला, मंगारामपुरहेड़ी, येबहेड़ी, पुरगदी-1, हेड़ी, राजपुरा, मालेन्डी-2, सिरगालका, गढ़ीपुख्ता, शामलीगामला ।
14.	आगरा	खेरागढ़	50	हापुरा, सरफराज, केहरोला, बरअर, गढ़ीताल, बरसिंग, शालेहनगर, हरहोता, सिरोली, पहाड़ीकलां, रसूलपुर, डूंगरवाला, कुकरैं, जटा, गोपुरा, डाबियापा, डाडा, सरहलेगा, ईश्वरपुरा, लालपुर, केथोली, मिश्रामपुर, गोपुर, लकालपुर, औरंगपुर, कागारौल, कागारौल, नेरीपाहर, गढ़ीकालिया, गुड़लवारा, गोरऊ, पीथलपुर, पीथलपुर, सरनहीर, रिठौरी, रिठौरी, बिगरौता, बिगरौता, ववहरा, नहुआखेड़ा, गांव, अपेला, धौन, धौन, धौन, धौन, जिपावली, जिपावली, गहर, कुरहरा ।
		अछनेर	50	देवरी, जलालपुर, मलौखा, छछगुरा, नवीपुरा, हरिगढ़, मo टूण्डला, पाखीलपुर, बलगांव, जारा, तालपुर, तालपुर, कसबरा, गढ़ीगोदय, सदईजगनेर, चौकरा, गुगावद, पातीक, दोलीपुरा, रिछोहा, भोलपुरा, नगलाईस्सा, तौली, बहगांव,

313

150

1	2	3	4	5
				छीटपुरा, बड़ोदिया, आरपुरा, कालिंगार, पहनगा, बंगमलू, मयतुरी, विटौली, खेड़ा सिंगड्डव, बड़वछरी। बिमौता। परिगवांलुजुर्ग, छड़रठी, बड़ड़गली, पहुगरी, मेवली, बड़पट्टू, पिनरठा, वीरभाव, मौनी, बरेली, बीसी, वर्गमाडर्ी, जगजेर, गूसलपुर, गुनायनद, जगजेर।
15.	बागेश्वर	बागेश्वर	8	पागी, कोलीगांव, अमतोड़ा, गलगुमा, दोफाड़, देवलधीगा, अमसरकोट, मेड़, पीकट्टा।
		कपकोट	8	बैसानी, पुड़कुनी, सराग बाछम, गुडेरा, पिनगड़ी, हीती, हरपीला।
		गरुड़	11	गवाड़ पजीना, जारा, विमोला, मगरतोला, छटिया, पशाली, गुड़ेर, लहानी, रमाड़ी, नवाणस्टेट, गजकोट।
		ताकुला	3	सरला, छाती, करासगांव।
16-	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	3	बाल्ड, संगमचट्टी जुलोली, लोटा।
		डुण्डा	3	गढ्याली मजणा, मेवला ब्रहमखाल, चिलुड़गांव लाटी।
		चिन्यालीसौड़	2	जिल्या बरागी, चिन्याली।
		नौगांव	5	कुमड़ी, ठपती, नरगुला, नवातल्ल/मयेडकर।
		पुरोला	3	डकोली, पुरोला, गुंदियाटगांव।
		मोरी	4	कुकरेड़ा, ललताड़, कोट गांव। मीताड़। मैटपाड़, पाताल, दोणी।
17-	बुलन्दशहर	पहासू	25	बरडोका, कीरतपुर, सिद्धगढ़ी, बहलोलपुर, गंगावाल, इरबाडड़ू, दूकाखेड़ा, बरहातपुर, नारउ, सहार, लालगढ़ी, गंगागढ़, रसूलगढ़, त्यौरी पंगला, रंजीत, पजनपुर, बेदरामार, गहूवाखेड़ा, लोढ़ी, मगवी, नसिहाबाद, रमाइच, कुंवरपुर, लालपतपुर, अकरपाल।
		अरनिया	25	नगर, आरोल, नायकल, नगला, ना शेरपुर, नगवाल, नगलादट, कैमोरा, वाड़ा, तनदाड़, देवरावा, राय अमोरा, पहाड़गढ़ी, अमानपुर, पार्किपुर, ी

2	3	4	5
			हीरापुर, इस्माइलपुर खुर्द, बरारा, मांगावली, मोरपुर, इस्माइलपुर, हबुरा, नगला ठकमाय, हिसारा, जटोला, बाहक
मेरठ	कीराना	25	कीराना नं0-1, मठोर नं0-1, बीहमा, बुल्हेडा, नं0-2, वलीदपुर, यमौली, बरवा, सिरोडी, मढरी, ववरपा, बसनोडी, महलवा, पावलीखास, पांचली, मैहरा, यमुपुर, मढीमीरा, महल, मीठेपुर, अब्दावली, बेहटिया वाजद, मेमरी नं0-1, पावली खुर्द, सिवाना नं0-1, फजु।
	हस्तिनापुर	25	मोहपुर-1, मनोहरपुरकालोनी, पालीपुर, वहसूमा-2, अलीपुर-2, नरतीरा नारंग, वी0कर्णवतपुर, पाली, नगला पांड, रामीमंगला, पुराणीगाढ़र, मीला, तारापुर, गारहामपुर, हफीरा, अलीपुर मोरना-1, पुरारोहा, मीलगड, गटीरा, बीनापुर, किशोरपुर, हस्तिनापुर खादर, दुधेडा, दूडी आलमपुर, फरीदपुर, समनपुर।
फैजाबाद	मिल्कापुर	25	पारहरा, म0, परिवा सि0(खानपुर), इनायत नगर, मवई खुर्द, किवीली, गुजरागढ़, बारी, मेहदौना, बैरीरा, धरमदाणा, मोठवारा, अलीपुरखजुरी, सेवारी, हजीमिसारकीड, मोहमा, मिल्कापुर, मठेवा, सिवागुदरीपुर, सैवा, हुमेरा, मोडेगांव, पारातखास, अमरौली, परथवां।
	अलापीगंज	27	पातपुर, पुराऊर्फ तेरपुर, टिकटी, करमपुर, गाआली, ताजपुर, कोटिया, कंजी, रेवली, सिरौलीबाग, हन्ना, सिंघाही, नागीपुर, मुहम्मदपुर, खिनाकपुर, सलतापुर, बरौली, गाहुडी, मिरौली, रामपट्टी, कन्हईपुरा, शिवरायपुर, भावनगर, पिठला, सल्तापुर, दुर्गा का पुरवा, लखुपुर।
प्रतापगढ़	संगरीरा	25	बैंकरा (द्वितीय), लालीपुर, शेरपुर, परमारपुर, करौली, पुरैयर्ई, रामापुर (द्वितीय), पुरेवा बैंकरा (द्वितीय), नवाल, शिवपुर, मधावरपुर, वरामई, चन्दौका, (प्रथम) नरहरपुर, प्रतापगढ़, औरंगाबाद,

315

1	2	3	4	5
				इसराइ, भाँवा, बोड़ो, ओड़ला, मेहुआ, दरवी, हीह, बरबीगाम, कोहडोर, सिमरी ।
		कमालगंज	25	नरियावाँ (द्वितीय), नौरंगी, अलापुर, बाँझखारा, शिरमावतपुर, बलदगीट, कुसुआपुर, लवाना, रावीगढ़, सिधाह, अदलाबाद, मोवाई, ङा, पुरवा, लाटवारा, दयालपुर, रतलपुरी, (नसिबापुर), सलाटिकरिया, करवासतीपुर, कुसहनी, बडेरा, शिसापुर, नरियावाँ, मवार, जाजुर, खाटिकरिया (द्वितीय) सिबाँवा ।
21.	कन्नौज	उमर्दा	21	ठठराह, गुलवारी, कुड़ेरा, मझिला, नकबीबापुर, कसोली, हरीपुरवा, पंदोली, भकरा, यहबार, सतिनापुर, बेहाना, केहुआपुर, नेहटा, दिवरापुर, बेतागढ़, बरैना, गोसिकापुर, रतापुर, अहेर, ऐता, रामपुर मझिला ।
		जलालाबाद	19	सिरमावाँ, मढ़ियाकठपुरा, सिलपट्टी, कुसापुर, बांदापुर, अमौगी, फिरोजपुरतारन, बीसरापुर, कबिनापुर, मढ़ेसिनापवर्त, नगरापुरघाट, बेता, लवीसवा, गौरियापुर, बघामण्डा, गुगरापुर, अलीनगर, यारानगरअमरगर, गुसार ।
22.	आजमगढ़	बठिवाँस	16	मलेरा, बाकी, रानीपुर, सिवटही, नाजिरपुर, कोडिया, तर्वेता, औसोली, मयारापुर, कासीपुर, रहमादपुरमुलिया, गुहारावाद, टडियारा, सठिवाँस, बयाड़ी (नवीन) बीतापुर
		हरैया	34	जमुआ, रामपुर, दामशीबरा, हटेली, बरमहा, सागर, कटौली, अमुआरी, नासिरपुर, रैनापार, हरैया-1, गड़ेरुआ, हाजीपुर, रैनदापट्टी, उर्दिहा, हैदराबाद, करसिताकरतनवराब, बेलापुर, सिरही, बेठाकोली, हसनपुर, छपरा, मुकरीलाबार, पांदपट्टी, मिसाह, बेलकुण्डा, दयाली, रानिगढ़-1, ललगौली, सहपुर, गभिहुए, अरापी, अजमरा, गमनी, वदायर, बहुतालवन्द, गढ़ेरा, नौरेरा, ठसरी, नरहुतपुर ।

1	2	3	4	5
		मेहनगर	50	सिंहपुर, कटहल, रामगढ़, हनुमपुर, सिंघवा, मानपुर, रघुनाथपुर, देवकली, गौतिवा, रामपुरपट्टी, पठवा, भनारी, गुरेहथा, गोपाल पुर, महुवारी, ठसरी, सिंहपुर, कमहरिया, कोरहारी, लरवा, भागर, हलकलपल, पकवत, यर्द, तिलमहुा, सनतहर, बेवईद, पठारा, वरयिंहपुर, डीहा, सनगुरुरीमुर, रानीपुर, पठिहवा, सिंगियी, बनदीपाई, सवतीकला, मानबार, कपूतरा, लोहहईमानपुर, कटाई, गंभीर, महोली, बोठीसविवरा, दामा, ठरीली, शुरवा, मीरा, महुली, ठरेनपुवा, भाउरी, बरदारगंज, मीरसावपुर।
23.	गाजीला	कमरई	05	पाकुरा, परातपहाड़ी, रेपुरातला, बघुरा, गुठार, ।
		पश्चारी	05	समरीय, उरगांव, अठोला, बंमहरीपेलवारय, घनमीर ।
		सेवपुर	05	लमीरा, बमहारीडीह, बमबाहा, पुठीरा, बतारी।
		पतवाड़ी	05	जमुरा, मोहमिया, चिलारपुरा, तकरा, सलेया।
24.	मऊ	मुहम्मदाबाद	15	प्रतापकृतीमपुर, फिरावाद, सरेहरपुर, मरेली, छमिलिवा, तोलियारीदपुर, मगलय, कोहबी, पठोलिलवा, ससोपर, मालिया, सरकण्डा, पलीवपुर, मालपुर।
		रानीपुर	10	पड़ागांव, साहिरपुर, अदयीभान, पतिवा-1, बहादुर-1, सादीपुर, रबेलपुर, भानपुर, हरनी, ताजपुर-1।
25.	हरदी	बासीर	25	फरिदल, इरिकल, बरा, पीपरा, गोठी, अरवा, मठोरी, बरठेला, केरोकर, सगीली, पिलाठीकरके, बानीर, वानीर, हरिवार पुर्व, सिंगार, गढ़ाई, नमोरा, पेमरी, अहार, हरजुआ, बैद, गिरिया घाट, भालनपुरा, सहुला, पडेला ।
		हुरसराय	25	कुमारा, आगवी, मड़ा, मालेल-1, लिपाल-1, सिमरता-1, वराव, महोकरगांव, कोटरा, बहारी,

B117

1	2	3	4	5
				मैनाव, पचखी, हेदारतारई, मधुराई, सोमठपुरा, मिटटोला, मोतीछपरा, गानवारा, गुरदराव, डी०बी०गुरदराव, टहरौली, मझोवर, सुदनपुरा, छ०कुँवरहा ।
26-	मुस्तफापुर	दूरेमार	30	दुरापट्टी, तिवरी, बरफुलगंज, इटौली, रतनपुर, छमरू, डीहकपुर, कुसौरा, परसा परसा, मरबोगा, अटोड़ी, पकुनरा, छोमारी, छीरी, मठना, फूलपुर, छपौली, लोहेपुर, टेढ़वा, करीवीपुर, बलीपुर, पतीपुर, पासीपुर, बेलडी, बरवा, मानपुर, नउआपुर, देवपुर, बरवत, सारंगपुर, पटवा ।
27-	कबीरपुर	रतन	8	टूंडा, मलहिया, पहाड़ीपरी, छोटा, गुमरपारा, छेठा, बदर, बीहर ।
		सरीला	40	देरा शिवाजीत, जरिया, बीआर, कन्दौली, पण्डौल, सिटकिरी, जगोड़ी, अतरौली, दमता, दावी, इस्तापुर, झोरा, हरकुआ, बडेराआलसा, नयीलीयागाला, लोचीपुरा, मरहरा, हरगुण्डी, हन्दरपुरा, छदोरा, रिहआ, अमृतपुर, केमी, उपरा, छपडोल, सिसगांव, पीहलवजुर्ग, देवडरा, पुरेनी, परछा, नकचा, गहुली, पीलपुर, हरउपुर, महाराजपुर, बंगरा, बरगवां, मलछरी, जोरियाटोला, छिनौली, मगरील, रिगवारा, करयारी, बछुरा, पण्डवा, सिवाव, गुरवा, डपरहवा ।
28-	पडरौना (ग्रामीण)	बहुदा	21	हरदह, जगडीपिया, रामनगर, रामपुर, मोहबा, कंसारीपट्टी, लहुआ-लहुई, परवा रतनपुर, महेशरा, पड़ाहिया, बसन्तपुर, भगवानपुर, महदेवा, सिसवा, शाहपुर, सोनवरवा, मगरडीहा, मदनपुर सुकाली, लम्ही, शिवदत्त छपरा, गंगाछपरा, बड़रही, तीन बरदहा ।
		पडरौना	20	पिपराबुजाव, दोपुर, झरा, साड़ीखुर्द, डुमरभार, हाड़ा बुजुर्ग, सरपतही बुजुर्ग, मदान पट्टी, सरवा खास, गुलेलहा, कटया, कठिया, मरवालिया, लेगानिया, बुजुर्ग, बेलबनिया, मठियाबरई, माघी सिंहपुरा, मटिहनिया खुर्द, लेवा जंगल, जंगल नौरिना ।

2	3	4	5
	छाटा		बैजाखेड़ा, रामपुर महारथ, विरहपुरा, पिपर विसारी, मदनापुर, रामपुर सिड़ी, सुरेश कुमरी, बदगनपुर, गोपालपुर ।
7- फर्रुखाबाद	नवाबगंज	40	नवाबगंज, नगला हीरा सिंह, रायपुर, पैग, पाण्डुर, लमई, रजनालपुर, भगौरा, दत्तौरा, पचिखली, दरियागांव नगर, मेरापुर, सिराहिमपुर, उमरसगुठिया, पिपरा भौजी, जसोधी, दादीनगर, गर्ह, रसीदपुरगई, हुगुरवीनपुर, मोहनपुर, नरिकली, अलिनायारपुर, अमरातकीपुर, हसोड़ा भिमरईगढ, पंडुइया, सिराउ, बुढ़ामपुर, कारसी, अठहइया, हराम्बिह, दुराट, [illegible] पुरतमीरी, बठमनह, मिलीदा, लखुआ, फर[illegible]पुर, रमापुर, राहनाग, पतापुर ।
8- टिहरी	जौनपुर	41	पपारी, कारसी, टिहरी, बनार, रोड़ी, तलाण मांव, मुड़िमालारी, केड़ा, मेडतला, थापला, तुनेटा, किमोई, डिक (किमाई), अलवल, रौतु की बेली, बेल, बाहठठ, भागवडा, कुम, डीएनबी०, मछुरी, भोडा की बेली, सगठिलालगांव, कनियालगांव, सिंजल, पानाबारी, बेल, द्वारगढ़, मारबौल, मजोल, कोटीनामखिरोड़, सिबोड़ा, धरेन्द्र, बेनडुल, नंदगाड़ी, तेलगांव, सगणगांव, गौडियालो, भाटली, भटवाड़ी (खिवाड़ी)
	चम्बा	25	दिखोलगांव (मथियार), हसुटा, गुल्डी, आराकोट, धारकोटाउदकोटा, डहर, मुघोली, कोडीगाल, नाग, मजपुर, बैल, देवरी (मल्ली), गुलोली (बगुंड), बीड़/ सदगांव, पुजाल्डी, मोठ छिमालालगांव, कुडियाल गांव, हथाड़ी, बैलपालगांव, लामकोट, बोन्दकोटी, बेलटा, धारमली, गुगड़गांव/श्रीकोट, दिगालगांव (उदकोट)
	थौलधार	32	सामरकोट, बटुड़ी, कठजोग, बेल्डा, ककालगांव, भानती, खितोली, भटवाड़ा, मुंडा, कुली, डांगी, पिपोली, कतल, हमुरी, डुंग, बेगा, मढ़ (देवलासार), धाण्ड, चाम, पिपोला, कुमालार, टिपरी, सोबदार, दपोली, कवलबा, रतोली, नाण्ड, नरोकोट, बैंचली, छोलगांव, पवाकोट, बन्दगांव ।

319

2	3	4	5
हसं करनगर	कटेहरी	41	प्रतापपुर, पकुआ, कटेहरी–II, प्रतापपुर, बलदहा, प्रतापपुर पकुआ–I, कमीरमहा, मरकी, महावत, बहरैली, ओदरा, हैदराबाद, भभरपुर गिरन्ट, हैदराबाद, टाण्डा, औरंगनगर, पहितीपुर, बहादुरपुर, नरसिंहपुर, बरामदपुर, पिरियारी, फखरुद्दीनपुर, गासरा–II, टाण्डा–I, रसूलपुर घोरे, रसूलपुर, बढ़ेरिया, रघटौली, प्रतापीपुर, सोठाबर, बरैया, बभोटी, सधीरपुर, मुरीपुर गिरन्ट, कमालपुर, रहमानपुर, दरवन, अटवई, अहिरौली, अटवई, हाथीनाथकुंड, शमशुद्दीनपुर, मीरावारा, भरहुआ बरैया, मालीपुर, आदमपुर बन्दौली।
	बसखारी	39	बसखारी, अगरापुर, भीमापुर, सिंगुग, मकोइया, मखदुमिया, हटिया, ओडोपीपुर, बड़रिया, कोलापुर, मड़ी, लखापुर, बसितापी, बड़ी सुलेमपुर, अहलादमपुर, टण्डवा महमदपुर, शीतलपुर, हाजीपट्टी, पखिआजी, बरहटी, नोनापुर, बेलापरसा, बीबीपुर, हरैया, देवहट, शेखपुरा अहमदपुर, गोहिला, शंकरपुर, सिरसापुर, भैरमपुर, केवटला, कासीपुर, दौलतपुर, दाऊदपुर, देवला, हाजीपुर, सुलेमपुर, एकटहला, बरामदपुर, गम्भीरा, नबीरायाद, अजमेरी, बादशाहपुर, लत्यापार, पलपुर।
	टाण्डा	40	सिकरा, मिनापुर, फतेह महमूदपुर, सिलोपुर, सुलेमपुर, हरहरा, सिकरीलपुर, सिकरी, मलकुन्नगराम, दहियापुर, दहियापुर जायसिया, रामपुर–I, रखौरा, बलडी मोजमपुर, आलमपुर, चमरौली, बलडी मोजमपुर–II, अहलादपुर, इस्हाकपुर कला, कुबेरपुर, सिहरा, बैदपुर, राजबीपुर, कम्हरिया, डिहवा, दौलतपुर, छितापुर, बड़ागांव, मुहम्मदपुर, सितापुर, नसरतपुर, बसरामपुर, दारमापुर, ऐलवा, एकपुर, मकरापुर, उमरैला, इमामपुर, कलीगंज, दलेलपुर, बेलापुर, आसवाहरा, डांडी, मकदूमपुर, अद्दुल्लापुर, अलाकपुर, सैदपुर, गुलपुर, मोहिया, सुलेमपुर, कुआवा–I, औरंगाबाद, मसलोरा, रामपुर, पंसोइया, हुसैनपुर, रकाली, रसूलपुर, नसरोरा।

320

1	2	3	4	5
		रामनगर	20	दैवपुर [illegible]पुर, मेहराडीह, दमालपुर, सिवास्त, मलेवा, नियाबुर, ददमाल, सरावां गाडवा, गोपालपुर, शिवराम, डमामदरदेवपुर, दाऊदपुर, मालीपुर, लोहारपकहरी, कुवंरपारा, [illegible], कुमारपुर, रोकपुर मझुरी, रुद्री, [illegible] [illegible]पुर ।
		स्वालपुर	49	कुवलपुर, हाजिमपुर, मारीपुर, सिकोरादेवा, हेरामल, धुरा करदिर, [illegible], [illegible] अवधालपुर, दैरपुर [illegible], [illegible], [illegible], पदलीपुर, मुजफ्फरपुर, बरयाहम, [illegible], अमर पुर, रहमपा, हरिलालपुर, [illegible] । डालपुर, कालेपुर [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], आमीपुर, हमाईपुर [illegible], [illegible], [illegible], मिर्जापकडी, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] पुर, ठकुरपुर [illegible], रामपुर [illegible], [illegible], मोहिउपुर, सिवारा, गोलपुर, [illegible], दैजपुर, सेठादला, दार्जीपुर, महमदपुर हवेला, [illegible]पुर, छितौली, झरना, [illegible]पुर ।
32– [illegible]		लोधर	15	[illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible] दाऊदपुर, बघौरा, [illegible], [illegible]पुर, [illegible], शाहबाद, [illegible], [illegible], [illegible], नदापुर, [illegible], रसावली, [illegible] ।
		चिरपुरा	18	बकावली, [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], पिठमपुर, रामनगर, फोलपुर, [illegible], बरावल, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] पुर, [illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर ।
		[illegible]	17	[illegible], [illegible], हरदैया, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

1	2	3	4	6
33-	गातील	ठरई	20	गोलहपुर, बगारी, गुटनियी, दरदौली, बिमाकी, दरहरी, अमौधा, मिरघापुर, नरगांव, इदसपुर, डरवन्दपुरा, अलालपुर, वधालिया, हटौरा, भावती, शदीदनगर, मुठसरपुर, देवपुरवा, ठदौवा, रामपुर, असैठी ।
		बदरागांव	30	ढथावी, टनहरा, गुरारा, देलिना, देवगांव, पीपरी, ओमरा, मिटवाया, सोढई, पुपुरा, बरावधी, डीलरा, मामली, रेहरा, महेरपुरा, इदहटा, ठमीला, अडसीदा, परवाली, महेरधा ।
		रामपुरा	10	टीहरा, छरना, पतोहरा, मलूटा, अमालपुरा, अमरेठीमाबी, गोरा दिरइवा, डाहपुरा, पोखपुरा, मधीडा ।

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

वद्यालय एव कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	• वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल–कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	• क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? • क्या शौचालय स्वच्छ हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था/ हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक/कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक/अभिभावक शिक्षक बैठक/कार्यवाही पंजिका

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
5	विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा	1	• सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर)
6	कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता	1	• क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
7	कक्षा–कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना	1	• शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि
8	छात्रों के बैठने की व्यवस्था	1	• पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों / टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैंठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास / गतिविधियाँ करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं?
9	बच्चों की स्वच्छता	1	• क्या बच्चे साफ–सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ–सुथरे हैं?

शिक्षक एवं शिक्षण/अधिगम संबधी

भाग – दो

कुल अंक – 29

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	. वेशभूषा, साफ सुथरी . संयत एवं मुस्कुराहट . प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, समयबद्धता . शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	. स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। . शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। . उसकी बात/भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। . बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रत की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं बतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ/विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्याापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
20	पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं।	3	• पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
21	क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है?	1	• पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल–कूद / पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं? • पुस्तकालय की पुंस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी
भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	• इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न/अभ्यास कराके जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

क्र०सं०	चक बिन्दु	अक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण / इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों / बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श क़िया जाता है?

कुल अंक	:	**50**
श्रेणीकरण	:	

अंक	श्रेणी
41-50	अ (A)
26-40	ब (B)
16-25	स (C)
0-15	द (D)

Month wise categories provided to the school

	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May
NPRC-C											
BRC-C											
SDI, ABSA											
BSA											
DIET											
Others											
Total											

159

NIEPA DC
D12146

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-12146
Date 05-12-2003